खण्ड–511, अंक–07
मंगलवार, 06 फाल्गुन, शक सम्वत् 1941
(25 फरवरी, 2020 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2020)

(खण्ड 511 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2021

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-71
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...	71-72
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	72-75
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत हिण्डन नदी पर भगवानपुर एवं हसनपुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत घूघुलपुर में नये रोडवेज बस अड्डा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	75
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उर्रा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत घघसरा बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटाव को रोकने हेतु चहोड़ा से कम्हरिया घाट तक हरित पट्टी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	76-77
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के अन्तर्गत मझिली से भिसिया कुरहरी नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमांकित श्रमिकों एवं उनके परिजनों के उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77-78
जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चहनियां बाजार में स्थित पानी की टंकी से पीने का पानी की आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	78
जनपद बस्ती के शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधायें प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत ग्राम चहला में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पहाड़पुर में बिजली पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	79
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैंट के अन्तर्गत नजूल की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत देवगांव सम्पर्क मार्ग से ठाकुर द्वारा मंदिर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत ग्रामों में खतौनी बनाने एवं यमुना नदी का सीमांकन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	81
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली शहर के अन्तर्गत रेलवे लाइन पर अन्डर-पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड पल्हना में पुलिस चौकी एवं अग्निश्मन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में कतिपय ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	82-83
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र विन्ध्याचल के अन्तर्गत रेलवे क्रासिंग गैपुरा पर उपरिगामी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	83
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के अन्तर्गत रेड़ नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	84

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम रेई में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सहकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2019-2020) का 148वां (एक सौ अड़तालिसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	86
श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)	86
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	86-87
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	87
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 07 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	88-89
श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	89
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	90
श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	90
श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं) ...	90-91
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	91
श्री रामफेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	92
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 13 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	92-93
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित 02 याचिकाएं एवं जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयीं)	94
श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	95
श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत)	95
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 09 याचिकाएं (व्यपगत)	95-96
श्री रजनी कान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	96
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	96-97
श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	97-98
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)...	98
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 07 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	98-99
श्री राम पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	99
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	99-100
श्रीमती साधना सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	100
श्री अवस्थी बाला प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	100-101
श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	101-102

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	102
श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	102
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	103
श्री शीतल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित 2 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	103
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	103-104
श्री रामानन्द बौद्ध, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	104
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)	105
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)...	105
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत)	105-106
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	106
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	106-129
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	129-139
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	139-199
श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	199
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा... ...	199-207
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	207

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	207-212
जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद् खोडा मकनपुर में पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	212-213
जनपद सहारनपुर में बेसिक शिक्षा के विद्यालयों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य	214-218
जनपद अमेठी के ब्लाक जामो की ग्राम पंचायत रेसी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	218-221
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में क्षतिग्रस्त नहर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	221-222
जनपद लखनऊ में समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्रीमती सुषमा पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	222-226
वर्ष 2004 से वर्ष 2006 के मध्य विभिन्न घटनाओं की धाराओं में दर्ज मुकदमा संख्या 06/2010 में विशेष अनुसंधान दल, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	226-228
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	228
जनपद लखनऊ के नगर निगम की सीमा के भीतर चल रही अवैध डेरियों की रोकथाम के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	228-229

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड गोहाण्ड में शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थी चयन में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री मुकेश चन्द्र वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ...	229-230
नत्थियां	231-236

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-325

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
3. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
4. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
5. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
6. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
7. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
8. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
9. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
10. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
11. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
12. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
13. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
14. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
15. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
16. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
17. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
18. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
19. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
20. अरविन्द गिरि — खीरी
21. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
22. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
23. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
24. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
25. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
26. असलम अली, श्री — हापुड़
27. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
28. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
29. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
30. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
31. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
32. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
33. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री, — हरदोई
34. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
35. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
36. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
37. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
38. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
39. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
40. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
41. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
42. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
43. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
44. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
45. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
46. कमल रानी, श्रीमती — कानपुर नगर
47. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
48. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
49. कल्पनाथ पासवान, श्री — आजमगढ़
50. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
51. किरत सिंह, श्री — सहारनपुर
52. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
53. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर

54. केसर सिंह, श्री — बरेली
55. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री — बलरामपुर
56. कैलाश नाथ सोनकर, श्री — वाराणसी
57. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
58. गरिमा सिंह, श्रीमती — अमेठी
59. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
60. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
61. गौरव कुमार, श्री — बाराबंकी
62. गौरी शंकर, श्री — जालौन
63. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री — बांदा
64. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री — बस्ती
65. चेतन चौहान, श्री — अमरोहा
66. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
67. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री — बरेली
68. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
69. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 — इलाहाबाद
70. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री — फतेहपुर
71. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
72. जयप्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
73. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
74. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
75. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री — मेरठ
76. जितेन्द्र वर्मा, श्री — आगरा
77. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 — आगरा
78. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
79. ज्ञानेन्द्र, श्री — महाराजगंज
80. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 — नाम-निर्देशित
81. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
82. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
83. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री — शामली
84. त्रिवेणी राम, श्री — गाजीपुर
85. दयाराम चौधरी, श्री — बस्ती
86. दल बहादुर, श्री — रायबरेली
87. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
88. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
89. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री — सन्तकबीर नगर
90. दिनेश चौधरी, श्री — जौनपुर
91. दीनानाथ भाष्कर, श्री — भदोही
92. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
93. देवमणि द्विवेदी, श्री — सुल्तानपुर
94. देवेन्द्र कुमार निम, श्री — सहारनपुर
95. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — कासगंज
96. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — कासगंज
97. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री — बुलन्दशहर
98. धनन्जय कन्नौजिया, श्री — बलिया
99. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
100. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री — बाराबंकी
101. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 — सहारनपुर
102. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री — बदायूं
103. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
104. धीरेन्द्र सिंह, श्री — गौतमबुद्ध नगर
105. नईम उल हसन, श्री — बिजनौर
106. नन्द किशोर गुर्जर, श्री — गाजियाबाद
107. नफीस अहमद, श्री — आजमगढ़
108. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 — जालौन
109. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
110. नरेश सैनी, श्री — सहारनपुर
111. नवाब जान, श्री — मुरादाबाद
112. नाहिद हसन, श्री — शामली
113. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
114. निर्मला संखवार, श्रीमती — कानपुर देहात
115. नीरज बोरा, डॉ0 — लखनऊ
116. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 — वाराणसी

117. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
118. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
119. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
120. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
121. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया कुशीनगर
122. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
123. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
124. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
125. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
126. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
127. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
128. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
129. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
130. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
131. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
132. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
133. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
134. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
135. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
136. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
137. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
138. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
139. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
140. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
141. बावन सिंह, श्री गोण्डा
142. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
143. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
144. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
145. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
146. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
147. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
148. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
149. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
150. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
151. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
152. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
153. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
154. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
155. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
156. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
157. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
158. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
159. महबूब अली, श्री अमरोहा
160. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
161. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
162. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
163. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
164. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
165. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
166. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
167. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
168. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
169. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
170. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
171. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
172. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
173. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
174. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
175. योगेश धामा, श्री बागपत
176. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
177. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
178. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
179. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
180. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
181. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
182. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा

183. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
184. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
185. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
186. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
187. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
188. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
189. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
190. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
191. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
192. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
193. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
194. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
195. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
196. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
197. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
198. राजबाला, श्रीमती रामपुर
199. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
200. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
201. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
202. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
203. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
204. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
205. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
206. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
207. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
208. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
209. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
210. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
211. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
212. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
213. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
214. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
215. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
216. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
217. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
218. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
219. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
220. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
221. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
222. लाखन सिंह, श्री औरैया
223. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
224. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
225. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
226. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
227. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
228. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
229. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
230. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
231. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
232. विजय मिश्र, श्री भदोही
233. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
234. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
235. विनय शाक्य, श्री औरैया
236. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
237. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
238. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
239. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
240. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
241. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
242. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
243. वीरेन्द्र, श्री एटा
244. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
245. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
246. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
247. शशांक वर्मा, श्री खीरी
248. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
249. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़

250. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
251. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
252. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'' श्री कौशाम्बी
253. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
254. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
255. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
256. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
257. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
258. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
259. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
260. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
261. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
262. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
263. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
264. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
265. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
266. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
267. संजय, श्री बुलन्दशहर
268. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
269. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
270. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
271. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
272. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
273. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
274. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
275. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
276. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
277. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
278. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
279. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
280. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
281. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
282. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
283. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
284. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
285. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
286. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
287. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
288. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
289. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
290. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
291. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
292. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
293. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
294. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
295. सुभाष राय, श्री अम्बेडकर नगर
296. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
297. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
298. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
299. सुरेश कुमार, श्री शामली
300. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
301. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
302. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
303. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
304. सुरेश राही, श्री सीतापुर
305. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
306. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
307. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
308. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
309. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
310. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
311. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
312. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
313. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
314. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी

315.	सौरभ सिंह, श्री	खीरी
316.	स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ
317.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
318.	हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
319.	हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद
320.	हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
321.	हरीराम, श्री	सोनभद्र
322.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
323.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
324.	हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
325.	हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00 बजे] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आज 20 से ज्यादा प्रश्न लगे हुए हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न हो जाएं।

***1-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

[बहुत अधिक ब्योरे के आधार पर निरस्त]

उ0प्र0 में छुट्टा जानवरों से किसान की फसलों को हो रहे नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने विषयक

***2-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा जानवरों से किसान की फसल का हो रहे नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार दिनांक 30-01-2020 तक किसानों को उक्त के हुए नुकसान का सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं, शासनादेशों द्वारा घोषित आपदाओं में छुट्टा जानवरों से किसान की फसलों को हो रहे नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आज यह जगविदित है कि छुट्टा जानवरों से उत्तर प्रदेश का किसान व्यथित है। छुट्टा जानवरों की जो बढ़ती हुई संख्या है उससे आज किसान अपनी फसल को नहीं बचा पा रहा है और पूरा परिवार के चौकीदारी करने के बाद भी उसकी फसल नष्ट हो जा रही है। मैंने यह सवाल उठाया था कि क्या सरकार छुट्टा जानवरों से किसानों का जो नुकसान हो रहा है इस पर कोई रोकथाम करेगी और इसका आंकलन कराकर जो नुकसान हो रहा उसकी कोई भरपाई करेगी। सरकार ने अपना जवाब दिया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से ऐसे आंकलन की कोई योजना नहीं बनाई गयी है। मान्यवर, किसान

का नुकसान हो रहा है और नुकसान इस तरह हो रहा है कि अगर किसान बचाने जा रहा है तो छुट्टा जानवर उसे मार दे रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी इस चीज को जानते हैं। रोड दुर्घटनाएं बढ़ गयी हैं, जो रिपोर्ट है उसमें साढ़े चार प्रतिशत रोड दुर्घटनाएं बढ़ गयी हैं, छुट्टा जानवर रोड पर आ रहे हैं जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक लड़ रही है, लोग मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से कोई ऐसा निर्णय लेगी कि छुट्टा जानवरों से जो नुकसान किसानों को हो रहा है उसका आंकलन कराकर उसकी भरपाई क्या राज्य सरकार करायेगी या ऐसी कोई योजना किसानों के हित में बनायेगी ? दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार यह बतायेगी कि अभी तक इन छुट्टा जानवरों के कारण जो किसान फसल बचाने गये उनमें से कितने किसान घायल हुए और कितने की मृत्यु हुई और छुट्टा जानवरों से रोड एक्सीडेंट में कितने लोग घायल हुए और कितने लोग मारे गये ? यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ये दूसरा प्रश्न मूल प्रश्न के संगत नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह नुकसान में आ जाता है। नुकसान चाहे धन, चाहे जान का हो, नुकसान में ही आ जाता है।

जल शक्ति मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य बहुत ही सम्मानित हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से प्रश्न किया था कि किसानों की फसल का जो नुकसान हो रहा है उसका सर्वे कराकर मुआवजा देने का कोई प्रावधान है ? मान्यवर, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर जो निश्चित किया गया है और प्रदेश स्तर पर जो निश्चित किया गया है उसमें जो भारत सरकार द्वारा निश्चित किया गया है उसमें बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि, भूकम्प, सुनामी, बादल फटना, कोहरा, शीतलहरी, चक्रवात, हिमस्खलन आदि है और जो राज्य स्तर पर तय किया गया है, वह बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर और गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, जंगली जानवरों से हानि आदि, मान्यवर ये सब स्पष्ट रूप से उल्लिखित की गयी है। कहीं पर भी इन छुट्टा जानवरों के बारे में जो आपने उल्लेख किया उसका प्रावधान नहीं है। दूसरा, इन्होंने प्रश्न किया कि पशुओं के कारण से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मान्यवर, किसानों के लिए बाकायदा दुर्घटना बीमा योजना का प्रावधान किया गया है।

किसान को अगर किसी प्रकार की चोट लगती है तो मानक के अनुसार जो प्रावधान आते हैं, वह लाभ उनको दिया जाता है।

मान्यवर, इस प्रश्न का उससे कोई सरोकार नहीं है इसलिए मेरा उत्तर पहले ही स्पष्ट हो चुका है। दूसरी एक बात माननीय सदस्य ने कही कि इसकी रोकथाम की क्या योजना है ? प्रश्न में रोकथाम शब्द आपने उल्लिखित नहीं किया है, उसके बावजूद भी रोकथाम की विधिवत् व्यवस्था की गयी है। अब तक कुल 4880 गौ-आश्रय निर्मित किये गये हैं जिसमें लगभग 4,58,147 गौ वंश एवं अन्य पशु हैं और इसके अतिरिक्त जो 30 रुपये भुगतान के आधार पर पशुओं को रखने की व्यवस्था की गयी है उसमें एक लाख का लक्ष्य रखा गया था जिसमें अभी तक 49608 पशुओं को लोगों ने अपना लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार उनको पैसा दे रही है। इस तरीके से बुन्देलखण्ड में एक करोड़ पचास लाख रुपये प्रति जिला और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में एक करोड़ बीस लाख रुपये प्रति जिला गौ-आश्रय एवं अन्य निर्माण हेतु देने की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, स्पष्ट रूप से इसमें मुआवजे की बात कही गयी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

मान्यवर, दूसरा यदि आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी बात और बता दूं, क्योंकि आपने कल निर्देशित किया था कि संक्षेप में कहें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बता दें।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने कहा कि पशुओं के कारण फसलों को बहुत नुकसान हो गया है। मैं पूरा डाटा तो नहीं पढ़ूंगा, छोटा सा पढ़ देता हूं। 2012 और 2013 में 523 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था, इस समय 2019 में 604 लाख मीट्रिक टन उपज खाद्यान्न की हो गयी है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मान्यवर, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि 166 लाख हेक्टेयर में खेती 2013 में भी होती थी और 166 लाख हेक्टेयर में खेती 2019 में भी हो रही है। 01 हेक्टेयर भी बढ़ा नहीं है। लेकिन उपज 604 लाख मीट्रिक टन हो गयी। गेहूं में 315 था, 381 हो गया है, चावल में 145 था, 159 हो गया है और दलहन और तिलहन, बाकी सब उत्पादन को मिला करके 558 से 654 लाख मीट्रिक टन हम लोग पहुंच गए हैं। नुकसान का इस तरीके से आंकड़ा है, मान्यवर, इससे यह प्रतीत होता है कि गौवंश से, बाकी जानवरों से कहीं पर कोई नुकसान प्रतीत नहीं होता है। हमारी उपज दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, किसान खुशहाल है और मान्यवर, एक सबसे बड़ी बात और है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हं, बरसात का जो रेशियो है, जबसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बूचड़ खानों पर प्रतिबन्ध लगाया है, तबसे उत्तर प्रदेश की वर्षा जो मिलीमीटर में थी, वह कई गुना

बढ़ गयी है। पिछले तीन सालों में अगर देखें तो बरसात भी बढ़ गयी, उपज भी बढ़ गयी, किसान खुशहाल भी हो गया। हर तरीके की उसको सुविधा मिलने लगी है, इस तरीके का प्राविधान किया गया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह तो नहीं पूछा कि कृषि में कितनी बढ़ोत्तरी हुई। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा जो इन्होंने सदन में घोषणा की कि छुट्टा जानवरों से प्रदेश का किसान खुशहाल है और उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मैं आपको बधाई देता हूं।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो कहा, इन्होंने उसको उलट करके बताया है। मैंने कहा कि उत्पादन बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने बताया कि गायों के कटने से रोकने के कारण वर्षा बढ़ी है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मैं मुबारकवाद दूंगा, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, अगर कृषि पर यह बोलें तो मैं आपके माध्यम से इतना जरूर निवेदन करूंगा कि पंजाब और हरियाणा की जो कृषि दर बढ़ रही है, क्या आप उसके अनुपात में आ पाए हैं ?

श्री अध्यक्ष-

अब पंजाब और हरियाणा तो उनकी फाइल में होगा नहीं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। मैंने यह आग्रह किया था क्या इन छुट्टा जानवरों के द्वारा खेत को बचाने में जो लोग चोटिल हुए हैं, क्या उसका आपके पास कोई आंकड़ा है ? आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि क्या कोई मृत्यु हुई ? आपने उसका कोई आंकड़ा नहीं दिया। छुट्टा जानवरों द्वारा रोड एक्सीडेंट से जो लोग मारे गए, उसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। राज्य सरकार को यह अधिकार है और कर्तव्य भी है और कान्स्टीट्यूशन में भी आप देख लीजिए, राज्य सरकारों को यह अधिकार दिए गए हैं। हम लोगों ने भी कैबिनेट में ऐसे तमाम विषयों को किया है। यदि आप महसूस करते हैं कि छुट्टा जानवरों से नुकसान हो रहा है तो आप अपने कैबिनेट में ला करके, इस माननीय विधान सभा में ला करके, उसका आंकलन करा करके क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स करेगी कि किसानों को मुआवजा दिलाया जाये ? मैं इतना ही माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि हम लोगों ने कैबिनेट में ला करके बहुत से फैसले किए हैं तो मैं कैबिनेट का एक फैसला, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। मान्यवर, किसानों के लिए अभी इतना बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो हमारे पट्टेदार, बंटाईदार जिनको कभी किसी योजना में नहीं रखा जाता था, उनको भी माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है कि अगर उनकी भी दुर्घटना हो जाती है तो उनको भी वह सारी सुविधाएं मिलेंगी जो किसानों को मिलती हैं, तो मान्यवर, इतना बड़ा निर्णय किया है। दूसरा मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा कि इसका कोई प्राविधान नहीं है, न ही यह विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी, यह तो सही है कि नुकसान हो रहा है। जानवरों से नुकसान हो रहा है। छुट्टा पशुओं से भी, सुअर से भी जो ग्यारह इलाके हैं नदी के किनारे वहां सुअर उत्पात मचाए हुए हैं और कृषि का नुकसान हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। आपने अन्न बढ़ने का जो आंकड़ा दिया है वह ठीक होगा, उसको मैं गलत नहीं मान रहा, लेकिन नुकसान हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे अतिवृष्टि, ओला, बाढ़ से किसानों की फसल चौपट हो जाती है, और दैवीय आपदा मान करके उसको मुआवजा दिया जाता है क्या छुट्टा पशुओं के द्वारा किसानों की फसल चरने के बाद जो बर्बादी होती है, उसको भी दैवीय आपदा में मान करके किसानों को मुआवजा देने की कृपा करेगी सरकार ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, न तो नुकसान की हमारे पास कोई जानकारी है, और न ही ऐसा कोई नुकसान दिख रहा है, न इसकी कोई योजना है, न तो इस प्रदेश सरकार राज्य सरकार में है इसलिए इस पर कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो वर्मा जी सीधा सरकार का उत्तर आ गया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि छुट्टा जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए तमाम किसान उसमें बिजली का तार भी दौड़ा देते हैं, तो क्या मा0 मंत्री जी को ऐसी जानकारी है कि इस

तरह के फसल बचाने के लिए जो बिजली के तार दौड़ाए गए, उनकी दुर्घटनाओं से उस बिजली के तार से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कोई इसकी जानकारी है ?

मान्यवर, मैं दूसरा सवाल आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी से जब छुट्टा जानवर की बात आती है, तो केवल गौवंश की बात की जाती है, तो गौवंश के आश्रय स्थल बना दिए गए, क्या उसके बाद इसका कोई आंकड़ा है ? इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन गौवंश के आश्रय स्थलों के बाद भी कितने छुट्टे जानवर हैं, जो फसलों की क्षति पहुंचाने के लिए या सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से कितने छुट्टे जानवर अब भी वर्तमान में हैं, इसकी कोई जानकारी मा0 मंत्री जी के पास है या करने का प्रयास करेंगे।

मान्यवर, तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि मा0 मंत्री जी ने अभी खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी का जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, लेकिन भारत में भी जो खाद्यान्न है उसमें उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, यह भी बताने की कृपा करेंगे ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने पहला प्रश्न किया कि खेत की रखवाली के लिए अगर कोई बिजली का तार लगा देता है, और उसी बिजली के तार में जाकर वह गिर जाता है या उसको टच करता है, उससे दुर्घटना होती है, तो उसका आंकड़ा हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और विद्युत से कोई भी घटना और दुर्घटना मा0 अध्यक्ष जी आप भी जानते हैं, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, तो दोनों तरीके से प्रावधान है। किसान अपने खेत में अगर इस तरह की घटना में अगर मृत्यु भी होती है, तो उसके मुआवजे का दो तरीके से आंकलन होता है। अगर विद्युत से किसी का हो रहा है, तो विद्युत विभाग उसके लिए भुगतान करता है, बाकी अपना राजस्व के माध्यम से उसके दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गई है, और इसका आंकलन आप चाहेंगे तो जितना होगा मैं सूची बनाकर के दे दूंगा।

मान्यवर, दूसरी बात इन्होंने कही कि कितने जानवर सड़कों पर हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मैंने बताया कि 4 लाख 58 हजार इतने जानवर हमारे केंद्रों पर रखे गए हैं, बाकी जो जानवर थे उसको लोगों ने तीस रुपये जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषित किया, उसके आधार पर 49608 जानवर लोगों ने ले लिया, बाकी जो जानवर और पशु हैं उसको लोगों ने अपने घर में पालतू पशु के रूप में गाय, भैंस लोग बांधते हैं, वह लोग अपना रखते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई जानवर नहीं जो सड़क पर घूम रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार जो जानकारी थी वह मैंने दिया है, और इस तरीके से मैंने कहा और भी जो होगा, उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

इनसे यह कह दीजिए कि यह थोड़े-थोड़े पालें।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह लोग पालें और मैं इनका स्वागत भी करता हूं, और पालना भी चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है। गाय को देखने मात्र से ही दुनिया में जितने देवता हैं, सबके दर्शन हो जाते हैं। गाय पालेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

मान्यवर, बिजली केवल घर में उपयोग के लिए या ट्यूबवेल पर उपयोग के लिए है। यह फैंसिंग वाला जो विषय है यह गैर कानूनी है।

(सदस्य श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका तो इस पर नियम-56 था, आप पहले बोल चुकी हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी ने अभी अपना उत्तर दिया। मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार या तो धृतराष्ट्र हो गई है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता या फिर मन्दोदरी हो गई है जिसने जानबूझ कर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।

(सदन में जोर की हंसी)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्योंकि इनको किसानों की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। यह सरकार किसी भी तरह से किसानों की हितैषी नहीं है।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, ये लोग सन् 1947 से लेकर अभी तक शकुनी, मन्दोदरी और धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे हैं और वही शकुनी, मन्दोदरी और धृतराष्ट्र की भूमिका अभी भी इनको दिखाई पड़ती है। ये लोग उससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इनको उससे ऊपर उठना चाहिए। अब तो द्वापर बीत गया है, अब हम लोग जिस युग में चल रहे हैं, हम उसके प्रथम सोपान में हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर को हम लोगों ने देखा है, समझा है लेकिन ये लोग अभी भी धृतराष्ट्र, शकुनी और मन्दोदरी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि ये लोग उससे उभर करके ऊपर आएं। अब दृश्य और परिदृश्य बदल गया है। मान्यवर, आज भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, पूरा भारत अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, विश्व का नेतृत्व कर रहा है। भारत एक महाशक्ति बन गया है, पांचवीं महाशक्ति बन गया है और पांचवीं महाशक्ति बनने के बाद अब भारत तेजी के साथ विश्व गुरु के पद की ओर अग्रसर हो रहा है। मान्यवर, इसलिए भारत बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अधिक वर्षा से गिरे मकानों में लोगों को मुख्य मंत्री आवास योजना में शामिल कर आवास दिलाये जाने विषयक

***01-श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा श्री उमाशंकर सिंह -**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हुई अत्यधिक वर्षा से कुल कितने कच्चे मकान गिर गये हैं, उनमें कितने लोगों को मुख्य मंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है ? क्या सरकार शेष पात्रों को आवास दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह')-

राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2019 में प्रदेश के 36 जनपदों में कुल 52,676 कच्चे मकानों को क्षति पहुंची है।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को मुख्य मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019 में 7830 परिवारों को एवं वर्ष 2019-2020 में 7205 परिवारों को कुल 15035 परिवारों को लाभान्वित कराया गया है।

अवशेष पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने मुख्य मंत्री आवास योजना एवं दैवीय आपदा से हुए नुकसान, गिरे हुए मकानों के बारे में जवाब दिया है। मा0 मंत्री जी को हम व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, वह योग्य भी हैं और संवेदनशील भी हैं। वर्ष 2019 और 2020 में उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई और जिसमें सरकार ने भी यह माना कि जो आंकलन कराया गया, उसमें लगभग 52676 कच्चे मकानों को क्षति पहुंची है। जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं, स्वाभाविक है कि कच्चा मकान गिर जाने के बाद आज वे लोग झिल्ली तानकर, पल्ली तानकर तमाम जगहों पर रह रहे हैं। मैंने गांवों के भ्रमण में देखा कि वे लोग पेड़ों के नीचे भी झिल्ली लगाकर रह रहे हैं। मा0 मंत्री जी का जो उत्तर आया, उसमें मा0

मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2019 और 2020 को मिला करके 15,035 परिवारों को लाभान्वित किया गया। जिनका आंकलन किया गया उनकी संख्या 52676 है और अगर इसका प्रतिशत देखें तो केवल 15 प्रतिशत लोगों को वर्ष 2019 और 2020 के सापेक्ष अभी तक मकान उपलब्ध कराया गया है। 85 प्रतिशत लोग अभी भी इससे बचे हुए हैं। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़ों में और सरकारी जांच में जो बचे हुए 47641 लोग पाए गए हैं, जो लगभग 85 प्रतिशत लोग हैं, तो क्या सरकार इन्हें 06 माह के अन्दर दैवीय आपदा के सापेक्ष मुख्य मंत्री आवास उपलब्ध कराएगी, नम्बर एक। दूसरा हम मा0 मंत्री जी से यह भी आग्रह करेंगे कि अभी भी तमाम ऐसे जनपद हैं, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो हमारा रायबरेली जनपद ही है, जिसमें अभी एक भी आवास नहीं दिया गया है जबकि वह दैवीय आपदा से आच्छादित हुआ है। उसका उदाहरण यह है कि 4270 लोगों को हमारी ही विधान सभा में दैवीय आपदा मकान गिरने पर तहसील के द्वारा दी गई और मुख्य मंत्री आवास में उनका नाम जोड़ा गया था लेकिन आज तक एक भी आवास हमारी विधान सभा में नहीं दिया गया, तो जो लोग छूटे हैं या जिन जनपदों में अभी प्रगति शून्य है क्या माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक जांच कराकर इसे कराएंगे। ये प्रश्न और केवल उस प्रश्न का उत्तर का सवाल नहीं है मानवीय और संवेदनशील मामला भी है, तो क्या माननीय मंत्री जी उन जिले जो छूट गये हैं किन्हीं कारणों से जिनमें जांच होकर दैवीय आपदा धनराशि उपलब्ध कराई है, उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। मैं, माननीय मंत्री जी से ये दो प्रश्न जानना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'-

माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में ही हमने बताया है कि 52676 दैवीय आपदा के आवास चिन्हित किये गये हैं। इसमें 335 आवास ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये थे और 97 आवास ऐसे हैं जो कि सीवियरली डैमेज्ड हैं। कुल 432 ऐसे आवास हैं जिनका चिन्हीकरण वर्ष 2018 के निर्गत शासनादेश के क्रम में किया गया है कि इस श्रेणी के जो लाभार्थी होंगे उनको हम मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करेंगे। हमने उन्हें लाभान्वित किया भी है जैसा कि प्रश्न के उत्तर में हमने बताया है कि वर्ष 2019-20 में 7205 परिवारों को हमने आवास से पोषित भी कर दिया है, उसके बाद 52244 जो चिन्हित परिवार शेष हैं और वह आंशिक क्षय अर्थात् पार्सयली डैमेज्ड बताये गये हैं जैसा राजस्व विभाग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उन आंकड़ों के अनुसार और जिन्हें 3200 रुपये की धनराशि उन्हें शासनादेश के अनुसार आवास राजस्व विभाग ने दी है तथा जो 432 पूर्णतया क्षतिग्रस्त आवास हैं, इन्हें 95100/- रुपया राजस्व विभाग के द्वारा देने पर विचार की व्यवस्था है, जिन्हें यह धनराशि प्राप्त हो गई है उन्हें हम मुख्य मंत्री आवास योजना के आच्छादन से अलग रखेंगे। वर्ष 2018 का सरकार का एक शासनादेश है जिसमें इन्क्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों की व्यवस्था दी गई है कि किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों को हम उसमें शामिल करेंगे और किस

सीमा तक क्षति होने पर हम उन्हें अलग रखेंगे उससे सम्बन्धित जो शासनादेश है वह मेरे पास उपलब्ध है, माननीय सदस्य जब भी चाहेंगे वह मेरे कार्यालय कक्ष में आकर उसे देख सकते हैं। ये शासनादेश ग्राम्य विकास अनुभाग-4 का है जो 2 फरवरी, 2018 को निर्गत किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा एवं विशेष कठिनाई से आच्छादित बेघर, जीर्ण-शीर्ण आवास वाले और कच्चे घरों में रह रहे गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु मुख्य मंत्री आवास ग्रामीण योजना लागू की गई।

माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसमें रायबरेली जनपद का भी उन्होंने उल्लेख किया है जिसमें 68 लोगों का चिन्हीकरण दैवीय आपदा के अन्तर्गत वर्ष 2019-2020 में रायबरेली जनपद हेतु किया गया है उससे पहले वर्ष 2018-2019 में माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र और जनपद से सम्बन्धित 98 अन्य श्रेणी के लोगों को और 18 अनुसूचित जाति के लोगों को अर्थात् कुल 116 लोगों को हमने लाभान्वित भी किया है और जो 68 हैं उन 68 को भी 52224 की जो सूची हमारे पास है उस सूची में वे शामिल हैं और इस वर्ष जो हमने बजट प्रस्तुत किया है जो कि सदन के विचाराधीन है। सदन की अनुमति होने के बाद 480 करोड़ की जो धनराशि हमें मिलेगी जिसमें हम 40 हजार आवास बना सकते हैं जो हमारे पास वर्ष 2018 का शासनादेश उपलब्ध है, उसकी जो प्रायोरिटीज हैं उसकी जो प्राथमिकता हैं उसके अनुरूप जो लोग उसके लिए पात्र पाये जाएंगे उसमें यदि माननीय सदस्य के जनपद के भी जो लोग पाये जाएंगे उस पर निश्चित विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब हो गया मा0 राजभर जी, आप इसमें कुछ पूछेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मंत्री जी ने सब बता दिया है। माननीय मंत्री जी हमारे प्रश्नकर्ता जी ने पूछा है कि दैवीय आपदाओं से जिनके मकान गिर गये हैं उनको आवास देने की आपने व्यवस्था की है। इन्होंने ब्रेकअप में एक फीगर बता दिया कि दैवीय आपदा में इतने लोगों के मकान गिरे और इनको उपलब्ध करा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने ब्रेकअप के साथ उत्तर के सेकेण्ड पैरा में एक और बात भी कही है कि अवशेष पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है तो उसमें सब बातें आ गईं कि जैसे-जैसे रुपया आता जायेगा, ये करते जाएंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

इनका बताया उत्तर है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को विभिन्न वर्षों में इतना-इतना दिया गया है, ये ठीक है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता

हूं कि जैसे प्राकृतिक आपदा में बहुत ज्यादा वृष्टि हुई जिससे लोगों के मकान गिर गये या ध्वस्त हो गये, ऐसे लोगों की आपने मदद की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिनके मकान पूरे के पूरे ध्वस्त हो गये हैं बरसात में लेकिन वह पात्रता सूची में नहीं हैं, क्या उनको भी आप मकान उपलब्ध करा देंगे ? दूसरे उत्तर में आपने नीचे दिया है कि आपदा वालों को मैं दूंगा लेकिन पात्रता सूची के आधार पर। इसी कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करें कि जिनका मकान दैवीय आपदा में ध्वस्त हो गया, क्या उनको भी आप पात्रता का आधार बनायेंगे ? या नैचुरल जस्टिस अपनायेंगे या फिर मानवता के आधार पर उनका मकान जो दैवीय आपदा या बरसात से गिरा हुआ है, उनमें कोई पात्रता का आधार नहीं बनायेंगे, बल्कि जो मकान ध्वस्त हो गया है, मैं उनको आवास दूंगा, मात्र पात्रता का आधार ब्रेक नहीं बनेगा।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'-

माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी को आधार मानते हुए हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है जो लोग उस पात्रता में या सैक 2011 की जो सूची है उसमें नहीं आ पाये थे इसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने कृपा की और एक योजना हमें दी 'मुख्य मंत्री आवास योजना' जिसका उद्देश्य था कि ऐसे लोग जो उस श्रेणी को क्वालीफाई करते हैं और उस श्रेणी में आते हैं जिनका हम चिन्हीकरण कर सकते हैं लेकिन सैक डाटा 2011 के अवरोध के कारण उनको हम लाभान्वित नहीं कर सकते तो उनको मुख्य मंत्री आवास योजना में शामिल किया। अगर राजस्व विभाग ने जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर वह उस पात्रता को क्वालीफाई करते हैं या उसमें आते हैं तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में माननीय सदस्य द्वारा लाया जायेगा तो उस जनपद के जिलाधिकारी को निर्देशित किया जायेगा और उनकी सूचना मंगा कर, यदि वह पात्र हैं, तो उन पर भी विचार किया जायेगा।

प्रदेश में कृषि भूमि की तरह आबादी भूमि के बन्दोबस्त कराने विषयक

***2-श्री सीताराम वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद कम करने के लिए कृषि भूमि की तरह गावों की आबादी भूमि का कृषि भूमि की तरह बन्दोबस्त कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

आबादी की भूमि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। राजस्व विभाग द्वारा कृषि भूमि का ही बन्दोबस्त, सर्वे, चकबन्दी आदि की कार्यवाही की जाती है। अतः आबादी भूमि का कृषि भूमि की तरह बन्दोबस्त किये जाने की नीति नहीं है।

श्री सीताराम वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसका समाधान हो गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अभी कहा कि सिविल न्यायालय की परिधि में आता है, तो सिविल न्यायालय की परिधि में तो तब आता है, जब विवाद होगा। जिस तरह से प्रदेश में जितने भी विवाद हैं या जितनी घटनाएं होती हैं या मार-पीट होती है उन सबका बहुत बड़ा कारण आबादी की भूमि होती है। मान्यवर, यह प्रदेश के हित में है कि अगर आबादी की भूमि का बन्दोबस्त कराकर उसका चिन्हीकरण कर दिया जाये तो मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश के 50 प्रतिशत से ज्यादा जो घटनाएं, मारपीट गांव में होती हैं, उसमें कमी आएगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पुनः जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए कहीं पर भी कानून में परिवर्तन करके ऐसा बना सकते हैं कि आबादी की भूमि का भी बन्दोबस्त किया जा सके। इसमें कोई बहुत बड़ा भार नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह इस पर पुनर्विचार करके और प्रदेश में अपराधों को कम करने की दृष्टि से विशेष कर गांव में जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उसको कम करने की दृष्टि से इस पर पुनर्विचार करके और आबादी की भूमि का बन्दोबस्त कराने की कृपा करेंगे ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य हमारे बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी हैं तथा गांव के रहने वाले हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आबादी की भूमि किसी के नाम पर दर्ज नहीं होती है। आबादी की भूमि सरकार की ही भूमि एक तरह से होती है और हम लोग कृषि भूमि का जो बन्दोबस्त करते हैं उसमें आबादी पर जो आबाद होता है, वह वहां पर रहता है। अभी तक आबादी के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम किसी की आबादी को लेकर किसी और को दे सकें या उसका बन्दोबस्त कर सकें। मान्यवर, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई न तो अभी तक प्रावधान है और न ही सरकार का विचार है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जैसे शहरों में है, वहां नगर पालिका में किसी भी आबादी की भूमि अंकित हो जाती है और जिसके नाम अंकित होती है, उसका माना जाता है। इसी तरह से गांव में कोई कब्जा बदलवाने की बात नहीं है, बन्दोबस्त जिसका जहां आबाद है उसका चिन्हीकरण करके यदि उसके नाम से अंकित हो जायेगा तो निश्चित रूप से विवाद में कमी आएगी। इस बात को समझते हुए परीक्षण कराकर क्या ऐसा विचार कर लेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो पहले ही कह चुके हैं कि नहीं कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, नगर महापालिका, नगर पालिका, नगर निगम में जो देहात का एरिया आता है उसमें भी आबादी होती है और आबादी होने के बाद नगर निगम या शहरों में जिसका पजेशन होता है, उसके नाम दर्ज हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि यह बड़ा ज्वलन्त इश्यू है। आबादी गांव में तीन तरीके की है, एक पुरानी आबादी है, एक नयी आबादी चकबन्दी के बाद अनुसूचित जाति की और एक सामान्य जाति की है। हम गांव में अपना मकान बनाते हैं। मकान पर अगर लोन लेना चाहें तो लोन नहीं हो सकता क्योंकि मकान हमारे नाम नहीं है। मकान को अगर हैसियत में शामिल करवाना चाहें तो मकान हमारे नाम नहीं है। आपका पास-पड़ोस गांव में मकान बना हो, आबादी में हो तो आप जब तक हैसियत सर्टिफिकेट नहीं बनवायेंगे तब तक नाम नहीं जुड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि आप कोई ऐसी नियमावली बना लें जिसका गैर विवादित पजेशन हो, आप उसे दे दो और जो विवादित पजेशन हो वह सिविल कोर्ट चला जाये। इसमें सरकार का कोई खर्चा भी नहीं लगने वाला। आये दिन 151, 107, 16 खोपड़ी खुलती है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर उनका उत्तर तो आ गया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

आप हमारे संरक्षक हैं। कभी-कभार आप आदेश दे दें, यह जनहित का काम है, यह कोई विवादित काम नहीं है। यह हमारा, आपका, सबका काम है। चूंकि न तो हैसियत बन पाती है, न लोनिंग हो पाती है, जो विवादित मामले हैं, उसमें आप सिविल छूट न दें लेकिन जो गैर विवादित है, जिसका पजेशन है, उसको आप दर्ज करवा दें।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आप अच्छे से जानते हैं कि चकबन्दी को ले करके, जो भू-राजस्व जमीनों पर हम लोग चकबन्दी करते हैं। उसी को ले करके कितने सारे मुकदमें चलते हैं और चकबन्दी पूरी नहीं हो पाती है। बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं और मान्यवर, स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि आबादी की भूमि की कोई ऐसी योजना नहीं है कि उसको हम लोग उसमें सम्मिलित कर सकें।

श्री सुखदेव राजभर-

मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि बंजर की भूमि, नवीन परती की भूमि या कभी-कभी 132 की भूमि पर भी बहुत से गरीब 50-50 साल, 40-40 साल से बसे हुए हैं। वहां पर उनका मकान है, वह ऐज है, आबादी होल्डर हैं, लेकिन वह जमीन परती,

बंजर व ऊसर के खाते में दर्ज है और कहीं-कहीं पर गरीब अननोन है, वह 132 में भी अपना मकान बना लिया है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आबादी होल्डर जिनकी जमीन परती या बंजर कागज में दर्ज है, उसका एक सर्वे कराकर फिर से एक अभियान चला करके उसको आबादी-6 में दर्ज कराने का काम करेंगे ? वरना लेखपाल रोजाना 115-सी और 122-बी की रिपोर्ट करके तंग करता है और कहता है कि कुछ पैसा दो तब हम तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लगायेंगे। ऐसा जान बचाने के लिए एक अभियान आप चलायेंगे कि ऐसी आबादी की भूमि को आबादी शहर में दर्ज कर दिया जायेगा। आप इसको दिखवा लें, इसका अभियान चलाने पर विचार करेंगे।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है और आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहा है और दूसरा अगर कोई व्यक्तिगत मामला किसी का है, अगर आप जानकारी देंगे तो मैं उसको दिखवा लूंगा, बाकी ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परीक्षाओं में नकल रोकने की व्यवस्था करने हेतु

***3-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में तेजी से बढ़ रही नकल प्रथा रोकने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (डा0 दिनेश शर्मा)-

जी हां।

1-ऑनलाइन प्रविधि से परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

2-निर्धारित परीक्षा केन्द्र में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0 टी0वी0 कैमरे के DVR के साथ राउटर, इण्टरनेट कनेक्शन स्थापित कराकर वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनीटरिंग।

3-वेबकास्टिंग द्वारा मॉनीटरिंग किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर रीयल टाइम मॉनीटरिंग कन्ट्रोल रूम बनाया जाना।

4-सुरक्षा के दृष्टिगत हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पुस्तकों में बदलाव।

5-सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर नकल विहीन परीक्षा कराया जाना।

6-राज्य स्तरीय सचल दलों एवं सचल दलों से परीक्षा केन्द्रों का सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराया जाना।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(मंत्री श्रीमती गुलाब देवी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा का स्तर सुधारने और नकल विहीन परीक्षा कराने संबंधी जो सरकार का उत्तर आया है, वह सराहनीय कदम है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हैं कि जो रोकथाम है, वह न हो।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, वह तो प्रमाणित है मैं तो यह चाहता हूं कि जो सरकार ने नीति बनाई है उसका अनुपालन सख्ती से हो। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी बहुत सी ऐसी जगह हम लोगों के संज्ञान में भी है और यहां बैठे बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनके संज्ञान में भी आया होगा कि जिन विद्यालयों में इतनी सख्ती के बाद भी सामूहिक स्तर पर भारी संख्या में जहां छात्र नकल करते पकड़े गये हैं, क्या उन विद्यालयों को भविष्य में कभी सेंटर न बनाया जाय, सरकार ने ऐसी कोई नीति बनाई है, बस इतना सा जवाब दिलवा दें।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती गुलाब देवी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदस्य को यह अवगत कराना चाहती हूं कि पहले जो नकल का इतना बड़ा दौर चल रहा था, व्यवसायीकरण हो रहा था और इमला बोल-बोल कर नकल कराई जा रही थी मान्यवर, उस सब पर अब तो प्रतिबन्ध लग गया। उस डर की वजह से कि नकल तो हो नहीं सकती, इस वजह से छात्रों ने परीक्षायें छोड़ी हैं, इसमें कोई आश्चर्य की चीज नहीं, ऐसा होना भी चाहिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि सरकार की इतनी सख्ती के बाद प्रदेश में बहुत से छात्रों ने परीक्षायें छोड़ दी हैं तो अब दुबारा स्कूल की तरफ कोई छात्र देख ही नहीं रहा है। हम लोग पेपर में रोज ही पढ़ते हैं, टी0वी0 पर हम रोज देखते हैं कि सामूहिक स्तर पर विद्यालयों में छात्र रोज नकल करते पकड़े जा रहे हैं तो जिन विद्यालयों में सामूहिक स्तर पर छात्र नकल करते पकड़े गये हैं क्या भविष्य में इन विद्यालयों को सेंटर न बनाया जाय, सरकार ने ऐसी कोई नीति बनाई है। इतना मेरा सीधा सा सवाल है।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जहां पर मान्यवर, इस प्रकार की शिकायत होती है उनको दुबारा सेंटर बनाने के लिये बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और ऐसे कई विद्यालय हैं जिनको दुबारा सेंटर बनाने के लिये

मौका नहीं दिया गया और यह नीति है कि जो लोग पहले से कुख्यात रहे हैं उनको इस प्रकार का अवसर नहीं दिया जायेगा।

प्रदेश में बाढ़ से नदी तटबंध के कटान को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

***4-श्री नाहिद हसन-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ से नदी तटबन्ध के कटान को रोकने हेतु सरकार ने कोई उपाय किये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मद हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल रु0 400.78 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाहिद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। एक तो बाढ़ कटान से जो प्रभावित किसान हैं उनका मुआवजा काफी कम तय किया गया है। अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास दो-तीन बीघे या चार-पांच बीघे जमीन है जिससे वह अपने पूरे साल का गुजारा करते हैं तो उनका मुआवजा क्या सरकार पहले से अधिक देने का काम करेगी। दूसरा सवाल है कि जो तटबन्ध हमारे जिलों में हैं जैसे शामली, सहारनपुर, क्योंकि मैं उधर से ही आता हूं और मुझे वहीं का ज्यादा पता है, तो जो यह 400 करोड़ रुपया तीसरे साल में वित्तीय आवंटन का मंजूरी के बारे में जैसा मंत्री जी ने बताया तो क्या इसमें से जनपद शामली और सहारनपुर का कुछ हिस्सा रहेगा क्योंकि नाम मात्र के कुछ गांव ऐसे हैं जिनका तटबन्ध बनाया हुआ है और यही मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत से गांव ऐसे हैं, जिनका आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि जिनमें पहले भी भारी बाढ़ आई और भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल क्या है ?

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, जनपद शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के उन गांवों को क्या माननीय मंत्री जी इस 400 करोड़ रुपये में इस तीसरे साल में लेने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, जो 2-3 गांव हैं, जिसमें बना हुआ है, क्या उसमें आप सभी गावों को लेने का काम करेंगे, मेरा यह क्वेश्चन है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा तीसरा सवाल है कि क्या विधायकों से उनके विधान सभा क्षेत्र में जो गांव इस तरह से नदी के किनारे आते हैं और बाढ़ से प्रभावित हैं, क्या उन विधायकों से आप इस सम्बन्ध में प्रस्ताव लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, आपकी बात आ गयी है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुपूरक हमारा भी ले लीजिए। आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से जानना चाह रहे थे कि बाढ़ से जिन गांवों का कटान हो गया है, उन गांवों को पुनः स्थापित करने के लिए सरकार कुछ प्रयास कर रही है ? क्योंकि ढेर सारे गांव ऐसे हैं, जो बाढ़ में कट गये हैं, लेकिन उनको पुनः स्थापित नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

विनय जी, यह जो सवाल है, इसमें सीधे कहा गया है कि तटबन्ध के कटान को रोकने हेतु सरकार ने कोई उपाय किये हैं ? यह सवाल कटान रोकने के बारे में है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन उससे यह सम्बन्धित है। वहां के गांवों की जो बसावट है, यह उससे संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

क्या उसकी सूचना इनके पास होगी ?

श्री विनय शंकर तिवारी-

आपके माध्यम से मेरा यह प्रश्न है, अगर मा0 मंत्री जी जवाब दे देंगे, तो ठीक रहेगा। हमारे वहां राप्ती नदी के किनारे एक गांव है जगदीशपुर, जिसकी कटान हो गई है और वहां के लोगों को बसाया नहीं जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहला प्रश्न नरेन्द्र जी का मुआवजा के बारे में था और जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रश्न से उसका कोई लेना-देना नहीं है। दूसरा

प्रश्न-आपका है और जहां से यह आते हैं, इन्होंने मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर की बात कही है और इन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात कही है, जो अभी मार्च तक चल रहा है। तो मान्यवर, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में अगर केवल शामली की बात की जाये, उधर के एरिया में तो 16 करोड़ रुपये का काम इसी वित्तीय वर्ष में वहां पर कराया जा रहा है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मान्यवर, इनका जो चौतरा गांव है और बड़े सौभाग्य की बात है, यहां पर श्री विजय कश्यप जी, बाढ़ के राज्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे साथी हैं और यह बहुत ही संघर्षशील हैं और बहुत एक्टिव भी रहते हैं। इन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक-एक परियोजना को देख करके और संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता के साथ इस बार की भी जो बैठक हुई, उसमें इन्होंने सारी परियोजनाओं पर एक-एक करके डलवाया।

मान्यवर, हमारे लिए सभी क्षेत्र, जो भी संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील हैं, उन सबको हम कंसीडर कर रहे हैं और कहीं पर भी भगवान न करे कि बाढ़ आये और कोई कटान हो, हम इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे। इन्होंने कहा है कि किसानों की जो कटान हो गयी, नुकसान हो गया। मान्यवर, 2013 में 23 लाख 36 हजार 992 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई थी और जो कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई थी, वह 15 लाख 41 हजार 373 हेक्टेयर थी और माननीय योगी जी के राज्य में आने के बाद, अबकी साल जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल हुआ, जो बाढ़ में काम हुआ उसके कारण से, इनके वहां केवल योजना बनती थी, काम नहीं होता था। मान्यवर, काम होने के बाद क्या हुआ, 23 लाख हेक्टेयर तब था और आज की तारीख में 42,120 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ और मान्यवर, कृषि योग्य भूमि कितनी, 15 लाख हेक्टेयर इनके समय में होता था, आज केवल 12 हजार हेक्टर ही कृषि भूमि प्रभावित हुई। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। आगे भविष्य में हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से तटबन्धों को ठीक करना, उनका सुदृढ़ीकरण करना, जहां आवश्यक है, नये तटबन्ध बनाना और उन सब दृष्टियों से किसान की एक इंच भूमि का भी नुकसान न हो, इसकी योजना हम लोग बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदस्य को निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि चिन्ता न करें, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पूरी तरीके से हम लोग इस काम को पूरा करेंगे, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक ग्राम पंचायतों में बनाए गए पंचायत भवनों की जानकारी

***5-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर 2019 के मध्य कितनी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया

गया है तथा कितनों में कराया जाना अवशेष है ? क्या सरकार अवशेष पंचायतों में किसी निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत पंचायत भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 के मध्य जिला योजना बहुउद्देशीय पंचायत भवन एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष निम्नानुसार पंचायत भवनों हेतु धनराशि का हस्तान्तरण किया गया है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति
बहुउद्देशीय पंचायत भवन (जिला योजना)			
1	2017-18	80	80
2	2018-19	78	78
3	2019-20	78	0
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
1	2018-19	298	64
	कुल योग	**534**	**222**

वित्तीय वर्ष 2017-2018 से जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर 222 पंचायत भवनों का निर्माण करा लिया गया है शेष 312 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाना अवशेष है।

जी हां। अवशेष 312 पंचायत भवनों का निर्माण दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा अपने प्रश्न में पूरे प्रदेश की स्थिति पूछी गई थी परन्तु जो उत्तर मुझे उपलब्ध कराया गया है उसमें केवल विभिन्न वित्तीय वर्षों में लक्ष्य एवं पूर्ति के आधार पर पंचायत भवन बनाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में इस समय कितनी पंचायतों के पास पंचायत भवन नहीं हैं ? मा0 मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों को किसी खास अवधि में पंचायत भवन से आच्छादित करने का आश्वासन सदन को देगी ? एक छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से और पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन उपलब्ध होने तक किराये का भवन कार्यालय हेतु लेने की अनुमति एवं इस हेतु विशेष धनराशि प्रदान करेगी ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश में 58 हजार 752 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 33 हजार 094 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। शेष 25 हजार 658 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण उक्त योजनान्तर्गत शासन के आगामी बजट में आवंटित होने वाली धनराशि के सापेक्ष कराया जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने शेष ग्राम सभाओं को पंचायत भवन किराये पर उपलब्ध कराने के लिए पूछा है, तो इसका कोई प्रावधान लम्बित नहीं है।

श्री मो0 फईम इरफान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से गुजारिश करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत है, पंचायत भवन न होने के कारण हालात ये हो जाते हैं कि लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो मैं मा0 मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि क्या इस तरह की कोई व्यवस्था भविष्य में लागू करने का प्रावधान है ?

श्री असलम अली-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां ग्राम पंचायत भवन बने हुए हैं उनमें से कई जगह ऐसा देखा जाता है कि दूसरे लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है और उसमें अपने पशु वगैरह बांध रखे हैं, तो मैं मा0 मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या उन भवनों को खाली कराने का काम करेंगे ? जैसे कि गाजियाबाद जिले में राजापुर ब्लॉक में रसूलपुर सिक्रोड का जो पंचायत भवन बना हुआ है, उस पर एक दबंग आदमी ने कब्जा कर रखा है, तो क्या ऐसे मामलों को चिन्हित कराकर पंचायत भवनों को खाली कराने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

खाली करा लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

निश्चित रूप से यह सरकार के एजेंडे में है, अवैध कब्जा किसी भी स्थान पर अगर किया जायेगा तो हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य ने जो उल्लेख किया है उस पर हम लोग तुरन्त कार्रवाई करायेंगे।

***6-हाजी इरफान सोलंकी-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को द्विभाषी बनाने के सन्दर्भ में।

***7-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के छात्रों में हिंदी भाषा के साथ ही अग्रेजी भाषा के ज्ञान का संतुलन को बनाए रखने के लिए विभागीय एवम् वित्त पोषित हिंदी

माध्यम विद्यालयों को द्विभाषी विद्यालयों में परिवर्तित करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

वर्तमान में प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 18 राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का एक अनुभाग संचालित किया जा रहा है।

मान्यता प्राप्त विद्यालय, हिन्दी माध्यम के अतिरिक्त अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु कक्षा-कक्ष एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से कक्षाएं संचालित कर सकते हैं किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शिक्षकों की व्यवस्था प्रबन्ध तंत्र को अपने स्रोतों से करनी होगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक अनुपूरक पूछना चाहता हूं। इस सवाल का उद्देश्य यह था कि आज अंग्रेजी विश्व की 'लिंग्वा फ्रेंका' हो गयी है। वह एक ऐसी भाषा है कि दुनिया में दो अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग बात करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में जो वित्त पोषित, राजकीय विद्यालय नहीं हैं, उनके अलावा जो अन्य विद्यालय हैं, उनमें से अगर मैनेजमेण्ट को अपने संसाधन से अंग्रेजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो ऐसे में हम कितनों से उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपनी जेब से खर्चा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप सवाल पूछिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, ऐसे में जो छात्र हैं, जिनका भविष्य कम्प्रोमाइज हो रहा है कि वह अगर हिन्दी स्पीकिंग बेल्ट से बाहर रोजगार के लिए विदेश व साउथ में जाएंगे, तो वे अंग्रेजी भाषा नहीं बोल पाएंगे, जिसके कारण उनको रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई नीति बनाने की योजना है कि जो मैनेजमेण्ट है, उनको अलग से फण्ड दिया जाये, या उनको अध्यापक दिये जायें, जिससे की छात्रों को रोजगार प्राप्त करने के लिए ज्यादा काबिल बनाया जा सके।

श्री अध्यक्ष-

हर्षवर्धन जी, आपका सवाल आ गया है, अब आप बैठिये। वैसे भी वे इस पर स्पष्ट उत्तर दे चुकी हैं। मा0 मंत्री जी।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि इस समय 18 राजकीय विद्यालय सहित तीन हजार सात सौ चौंतीस माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही यह भी बताना चाहती हूं कि राजकीय विद्यालयों, राजकीय इण्टर कॉलेज, झांसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर में कक्षा-6 से 12 तक एक अनुभाग अंग्रेजी माध्यम से चलाया जा रहा है। राजकीय इण्टर कॉलेज बरेली में कक्षा-6 से 10 तक का एक अनुभाग अंग्रेजी माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय इण्टर कॉलेज, मैनपुरी, ललितपुर, मुजफ्फरनगर एवं फतेहपुर में कक्षा-9 में एक अनुभाग अंग्रेजी माध्यम से चलाया जा रहा है। मान्यवर, 10 राजकीय विद्यालयों में कक्षा-6 में एक अनुभाग अंग्रेजी माध्यम से चलाया जा रहा है। ये सारी व्यवस्था मा0 योगी जी की सरकार में की गयी है। जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, उनका एक अनुभाग चलाया जा रहा है। मा0 सदस्य ने जो पूछा है, अगर वह कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट तरीके से अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहां इतनी बड़ी व्यवस्था होते हुए, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 56 लाख से ऊपर बच्चे परीक्षा दे रहे हों, उसमें भी अंग्रेजी के लिए एक अलग माध्यम बनाकर उनको महत्व दिया जा रहा है, यह सरकार का सराहनीय कार्य है।

प्रदेश में 01 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर 2018 के मध्य पूरे प्रदेश में हुए फर्जी इन्काउन्टर के सम्बन्ध में

***8-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2018 के मध्य प्रदेश में फर्जी इन्काउन्टर, फर्जी मुठभेड़, पुलिस कर्मी द्वारा हत्या या हत्या के प्रयास की कुल कितनी घटनायें पंजीकृत हुयी हैं ? क्या सरकार उक्त घटनाओं में संलिप्त दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में उक्त अवधि में जनपद लखनऊ में पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है।

उक्त घटना में संलिप्त 02 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा दोनों पुलिसकर्मियों को निलम्बित किये जाने के उपरान्त बर्खास्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी 'ऊधौ की सी पाती' मा0 मंत्री जी को पहुंचा दीजिये। 'पाती' इन दिस सेन्स, मैं इनको बहुत विद्वान मानता हूं। आज तक जितने संसदीय कार्य मंत्री हुए हैं

उनमें से सबसे बड़े विद्वान में नाम इनका है और मैं इसीलिये कह रहा हूं कि ''आये थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास''। हमारा प्रश्न बहुत क्लीयर था और प्रश्न में केवल यही पूछा गया था कि जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 के मध्य प्रदेश में फर्जी इन्काउन्टर, फर्जी मुठभेड़, पुलिस कर्मी द्वारा हत्या या हत्या के प्रयास की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं। उत्तर में मिला है कि केवल लखनऊ में एक घटना हुई है। अगर ये एप्रोप्रिएट उत्तर है तो मुझे कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। केवल मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से इतनी जानकारी चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में टोटल इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं, यह क्या संकलन करके बताने का प्रयास करेंगें ? क्या और ऐसी जो घटनाएं हुई हैं उनकी आप जूडिशियल जांच कराने का प्रयास करेंगे, आदेश देंगे यह मैं जानना चाहता हूं।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बारे में जो कुछ आपने कहा उसके लिये मैं माननीय श्याम सुन्दर शर्मा जी को आपकी तरफ से धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, प्रश्न का एक-एक शब्द पढ़ लिया जाय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 01 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2018 के मध्य प्रदेश में फर्जी इन्काउन्टर। फर्जी के ऊपर मैं विशेष रूप से बल देता हूं। दूसरा मान्यवर, कौमा के बाद फर्जी मुठभेड़, तीसरा मान्यवर पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या या हत्या के प्रयास की कुल कितनी घटनाएं पंजीकृत हुई हैं। मान्यवर, पुलिस कर्मी द्वारा हत्या या हत्या के प्रयास की कुल कितनी घटनाएं पंजीकृत हुईं। पुलिस कर्मी ने मान्यवर, एक हत्या की है जिसको यह इन्काउन्टर कहते हैं फर्जी, उसको हम मान्यवर, फर्जी इन्काउन्टर मानते नहीं तो हम उसके बारे में क्या जवाब देते (मेजों की थपथपाहट) जिसको यह फर्जी मुठभेड़ कहते हैं, हम उसको फर्जी मुठभेड़ मानते नहीं तो इसलिये हम क्यों जवाब देते मान्यवर (मेजों की थपथपाहट)।

श्री अध्यक्ष-

फर्जी मुठभेड़ औरे फर्जी इन्काउन्टर में क्या अन्तर है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह इन्हीं का प्रश्न है। यह मैंने इसलिये कहा। मैं एक ही शब्द को कह सकता था लेकिन दोनों तरफ क्वैश्चन आपका है। बहुत सीनियर सदस्य हैं मान्यवर और बहुत बढ़िया तरीके से हिन्दी के बहुत अच्छे भाषी हैं और जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं अगर कार्यवाही उठाकर देख लें तो उससे यह लगता है कि महाकवि कालीदास और तुलसीदास जी के बाद अगर किसी के पास (मेजों की थपथपाहट) सबसे ज्यादा पर्यायवाची शब्द हैं। हमने तो तुलसीदास जी के लिये सुना था कि समुद्र के दस पर्यायवाची शब्द उन्होंने

रामचरित मानस में दिखाये लेकिन जितने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग मान्यवर श्याम सुन्दर शर्मा जी कर सकते हैं मैं समझता हूं उसके आगे मैं अपने आपको छोटा पाता हूं। इसलिये मान्यवर, एक घटना में एक श्री तिवारी जी की हत्या हुई। हत्या हुई जब यह इस्टैबलिश हो गया कि हत्या पुलिस कर्मी के द्वारा हुई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उनको निलम्बित किया गया और निलम्बन के बाद उनको बर्खास्त भी कर दिया गया। मान्यवर, हमने जवाब में भी दे दिया ताकि आपको दोबारा खड़े होने की आवश्यकता ही न पड़े।

मान्यवर, और कोई जिज्ञासा होगी विद्वान सदस्य हैं, जैसा चाहेंगे हम तो इनके हिसाब से ही चलेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम फर्जी मुठभेड़ और फर्जी इन्काउन्टर मानते ही नहीं। आपने जो शंका जाहिर की कि फर्जी मुठभेड़ और फर्जी इन्काउन्टर में क्या अंतर है ? अन्तर है, फर्जी इन्काउन्टर व्यक्ति को ले जा करके पेड़ में बांध करके मार दिया जाता है। यह फर्जी इन्काउन्टर और दूसरा दिखलाता है, पुलिस दिखलाती है कि दोनों तरफ से मुठभेड़ हुआ और पैर के नीचे दोनों को गोली लगती है पुलिस को भी पैर के नीचे और बदमाश को भी पैर के नीचे। यह मुठभेड़ हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पूरा देश और दुनिया के पत्रकार प्रिन्ट मीडिया के और चैनल के भी वह भी सर्वे किये। 4-5 तो सबके नॉलेज में है कि फर्जी इन्काउन्टर हुए। जैसे आजमगढ़ वाला राजभर का। एक मुसलमान जिसको पुलिस ने दिखाया कि मोटर साइकिल लेकर जा रहा था, रोका गया नहीं रुका फायर करने लगा, पुलिस ने मार दिया। जबकि अध्यक्ष जी, वह आदमी मजदूर था मोटर साइकिल चलाना तक नहीं जानता था, मोटर साइकिल से जाना तो दूर की बात। यह फर्जी इन्काउन्टर हुआ कि नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे ही शामली से एक गूजर लड़के को बाजार से पुलिस पकड़ कर ले जाती है गाजियाबाद में कई दिनों तक बंधक बनाकर रखती है, उसके गार्जियनों से बात भी होती है और जब बात नहीं बनती है तो उसको इन्काउन्टर में मार दिया जाता है। यह फर्जी है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ बातें तो सही आनी ही चाहिए, चूंकि यह प्रदेश, यह सरकार निरंकुश है, फर्जी इन्काउन्टर कर रही है, फर्जी मुठभेड़ कर लोगों को मार रही है, प्रदेश की जनता को

तबाह कर दिया है। किसी को भी जान से मारने के लिए पुलिस को छूट दे दी है, इसलिए हम इनकी कानून व्यवस्था को ध्वस्त होने और फर्जी इन्काउन्टर में मारे गये लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हैं, अगर नहीं देते हैं तो हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्य श्री राम गोविन्द चौधरी ने अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार किया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा है, वह सत्य से बहुत परे है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कानून की निगाह में सम्भ्रान्त हो, जिसका आपराधिक इतिहास न हो, जिसके ऊपर कोई मुकदमा न हो, जो वास्तव में समाज के लिए किसी न किसी रूप में अभिशाप बन गया हो, जिसका किसी न किसी रूप में समाज में रहना, समाज की सुरक्षा के लिए, समाज में शान्ति व्यवस्था के लिए खतरा है केवल उन्हीं को इस प्रकार का दण्ड दिया जाता है। हम आपके माध्यम से इस पूरे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि 20-03-2017 से 31-01-2019 तक 05 इन्काउन्टरों में पुलिस के लोग शहीद हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनका नाम भी बताना चाहूंगा। आगरा के दो आरक्षी 102, अजय यादव, थाना-शमसाबाद, जनपद-आगरा, यह 05-04-2017 को शहीद हुए, आरक्षी 3226, सतीश चन्द्र, थाना-एतमादुद्दौला, जनपद-आगरा, यह 29-07-2017 को शहीद हुए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री जयप्रकाश सिंह, थाना-रयपुरा, जनपद-चित्रकूट, यह 24-08-2017 को शहीद हुए, आरक्षी अंकित तोमर, थाना-कैराना, जनपद-शामली, यह 03-01-2018 को शहीद हुए और आरक्षी हर्ष चौधरी, थाना-बछरायूं, जनपद-अमरोहा, यह 27-01-2019 को शहीद हुए हैं। यह पांच पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं। यह कहने की आवश्यकता इसलिए समझी, क्योंकि आपने यहां पर जो नाम लिये उसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो मुठभेड़ में पुलिस कर्मी शहीद हुए उनके नाम हैं, इसलिए मैंने आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना उचित समझा, इसलिए इनके नाम ले लिये, चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने लिया था।

श्री विनय शंकर तिवारी-

[बहुत अधिक ब्योरे के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में वर्ष 2017-2018 तथा 2018-2019 में महिला उत्पीड़न अपराध के सम्बन्ध में

***10-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017-2018 तथा 2018-2019 में महिला उत्पीड़न/ अपराध के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? क्या सरकार ने महिला उत्पीड़न/अपराध की रोकथाम के लिए कोई नीति बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में महिला उत्पीड़न/अपराध की घटित घटनाओ के सम्बन्ध में वर्ष 2017 में 51582, वर्ष 2018 में 53608, वर्ष 2019 में 49867 अभियोग पंजीकृत कर उसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों मे एण्टी रोमियो दल, वूमेन पावर लाइन-1090 एवं 1090 ऐप क्रियाशील है। अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ'' की स्थापना की गयी है।

भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित अपराधों हेतु दण्ड विधि में अपराध विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 निर्गत किया गया है। तक्रम में शासन द्वारा दिनांक 25 जून, 2018 निर्गत कर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया की सुसंगत धाराओ एवं लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो) की धारा-42 में भी अपेक्षित संशोधन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है हम सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहते हैं जो पूर्ववर्ती अखिलेश यादव जी की सरकार और वर्तमान सरकार के बीच का है। उसके बाद हम प्रश्न पर आएंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

आंकड़ा आ जाएगा तो बेहतर रहेगा। और सरकार बेहतर जवाब दे पाएगी।

श्री अध्यक्ष-

जवाब तो दे दिए आप सीधे प्रश्न कीजिए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

2012 से 2017 में जो दहेज हत्या के मामले थे हम सिर्फ तीन आंकड़े देंगे। अखिलेश यादव की सरकार में दहेज हत्या के 7 से कम मामले प्रतिदिन दर्ज हो रहे थे और वर्तमान सरकार में पांच गुना बढ़कर 32 से अधिक मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। यह हमारे आंकड़े नहीं है उत्तर प्रदेश डाट ओ0आर0जी0 पर यह आंकड़े दर्ज हैं दूसरा बलात्कार आठ से कम

प्रतिदिन था अखिलेश यादव जी की सरकार में आज यह छह गुना बढ़कर 52 से अधिक बलात्कार के मामले प्रतिदिन दर्ज हो रहे हैं। तीसरा शीलभंग होने का मामला जो कि हम लोगों की सरकार में यह मामले 21 से कम प्रतिदिन दर्ज हो रहे थे अब यह आठ गुना बढ़कर 161 मामले प्रतिदिन दर्ज हो रहे हैं। यह सरकार कितनी गम्भीर है जो सरकार ने जवाब दिया है हर साल पहले साल 2017 में 51582, 2018 में 53608 और 2019 में 49 हजार से अधिक जो अभी बढ़ जाएगा। सरकार से सिर्फ मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को निर्भया फण्ड मिला था निर्भया फण्ड में कितना पैसा आपको मिला और कितना पैसा आपने उसके सापेक्ष खर्च किया हम सरकार से यह जानना चाहेंगे सरकार की गम्भीरता दिखती है कि अगर आपको पैसा मिला तो कितना आपने खर्च किया है। दूसरा हमारा अनुपूरक है 42 हजार मामले महिलाओं से सम्बंधित आज उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में लम्बित हैं और मात्र 218 कोर्ट बनाकर आप सोचते हैं। उन मामलों को आप कब तक निपटाएंगे। यह एक सोच की समस्या है यह एक मानव समस्या है सोच की समस्या है सरकारों की समस्या मत देखिए। इसका निदान व्यापक रूप में अगर त्वरित रूप में न्याय नहीं दिलाएगी ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मेरा दूसरा सवाल है कि 42 हजार मुकदमों को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी आपने जो अभी आंकड़ा दिया कि दहेज मृत्यु, बलात्कार, शीलभंग जब से सरकार आई है 2017 के ढाई महीने तक आपकी सरकार थी पहली जनवरी से लेकर 18 मार्च तक आपकी सरकार थी 19 मार्च से यह सरकार अस्तित्व में आई और लगातार जो क्राइम का ग्राफ ऊपर जा रहा था वह लगातार नीचे जा रहा है। मैं आपके सामने आंकड़ा दे दूं 2017 में 2524 दहेज मृत्यु 2018 में 2444, 2019 में 2375 इसमें लगातार यह गिरावट आई है दहेज मृत्यु के आंकड़े आपके सामने है हम आपको आंकड़े भेज देंगे यह डाटा इण्टरनेट पर भी है। बलात्कार 4246 वर्ष 2017 में, 2018 में 3946 और 2019 में 2858 वर्ष 2016 का जो आप कह रहे हैं वह भी बता देंगे। मान्यवर, यह लगातार इसमें गिरावट आई है। आपने 2017 से इस बात को पूछा था इसलिए इसको हमने लिया है। शीलभंग में 12607 मामले 2017 के हैं 12555 मामले 2018 में और 11 हजार 861 मामले 2019 में हैं तो 2017 में दहेज मृत्यु में 2.82 परसेंट कमी आयी है, बलात्कार में 27.57 परसेंट कमी आयी है और शीलभंग में 5.53 परसेंट की कमी आयी है। यह बलात्कार में कमी आयी है। मान्यवर, जहां

तक मुकदमों की नवइयत और मुकदमों के बारे में आपने जानकारी की है तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि 2017 में महिला उत्पीड़न के जो कुल मामले आए थे, उसमें 34 हजार 153 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल हुआ और जिसमें 6610 के खिलाफ गुंडा ऐक्ट के तहत कार्रवाई की गयी, 175 के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की गयी और 18 के खिलाफ एन0एस0ए0 के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी। वर्ष 2018 में जो मुकदमें पंजीकृत हुए थे उसमें से 35 हजार 180 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल हुआ और 16 हजार 524 में अन्तिम रिपोर्ट दाखिल हुयी। गुंडा अधिनियम में 6413 लोग निरुद्ध किये गये और गैंगेस्टर में 248 तथा 175 लोगों के खिलाफ एन0एस0ए0 के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी।

वर्ष 2019 में 31 हजार 122 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हुये, गुंडा अधिनियम में 6697 लोग निरुद्ध किये गये और गैंगेस्टर में 227 व एन0एस0ए0 में अभी तक 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। यह सरकार पूरी तरीके से इस मामले में संवेदनशील है कि हम किसी भी तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न न होने दें तथा महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के लिये हमने कई कार्रवाईयाँ की हैं चाहे वह एंटी रोमियो स्क्वायड हो, चाहे 1090 की कार्रवाई हो और अभी इसी दिसम्बर के महीने से महिलाओं को एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है, जिसके तहत रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर कोई महिला फोन करके सुरक्षा मांगती है तो उसे गंतव्य स्थान तक छोड़ने की व्यवस्था भी पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गयी है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) योगी जी की सरकार इस मामले में पूरी तरीके से संवेदनशील है और हम जरूर चाहते हैं कि अगर कहीं पर भी महिला उत्पीड़न का कोई मामला आए तो महिला हमारे लिये पूज्य है, हमारे पश्चिम में तो महिलाओं की पूजा की जाती है, कन्याओं के पैर पूजन की पूजा की जाती है। पूरे देश और प्रदेश में महिलाओं और कन्याओं के पैर पूजे जाते हैं। मान्यवर, यह मन, वचन और कर्म से है और जो कुछ भी हमारे पास था उसे हमने प्रदर्शित भी किया है।

(इस मध्य नेता, बहुजन समाज पार्टी, श्री लाल जी वर्मा द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, अब एक सवाल और हो जाने दीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमें एक प्रश्न पूछना है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय उज्जवल रमण सिंह जी ने उसमें निर्भया फण्ड का एक और प्रश्न किया था जिसका जवाब नहीं आया कि वह फण्ड कैसे खर्च किया गया। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने अभी आंकड़ा दिखाया तो मेरे पास भी

क्राइम अगेंस्ट वूमेन चैप्टर-3 जो एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट है और उसका आंकड़ा है। उस आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसमें 2016 में 49 हजार 262, 2017 में 56 हजार 11, 2018 में 59 हजार 445, यह आंकड़े एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह घट रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ रहा है। मान्यवर, एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट तो सबके पास होगी, इसलिये पहले तो आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट है जो पूरे देश के क्राइम को रजिस्टर करके उसका आंकड़ा प्रकाशित करते हैं तो यह जो 2018 का आंकड़ा है क्या यह गलत है ? मान्यवर, नम्बर एक, जिसमें लगातार बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि घट रहा है, लेकिन लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध में निरन्तर वृद्धि हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं, एक तो जैसाकि माननीय उज्जवल रमण सिंह जी ने कहा कि जो निर्भया फंड मिला उसको किस तरह से खर्च किया गया ? नम्बर दो, मैंने लगातार आंकड़ा दिया कि बढ़ रहा है तो इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं के प्रति अपराध में कमी लाने के लिये लगातार सरकार क्या प्रभावी कदम उठायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

इसके बाद वाले का तो उत्तर आ गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, 2018 के जो आंकड़े मा0 वर्मा जी ने दिये हैं मैं बताना चाहूँगा कि गिरफ्तारी चाहे कोर्ट से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो जेल की जो रोजनाम्चा है वह सभी जगह मान्य होगा। उसका ज्यूडिशियल नोटिस दिया जाता है और जितने लोग जेल गये हैं हम आपके सामने वह आंकड़े दे रहे हैं कि जो-जो लोग जेल गये हैं उसका स्वतः संज्ञान लिया जाता है और कोई भी कोर्ट अभी तक बाकी ऐनी वाईज़ कहीं चलती नहीं है लेकिन जेल का, अगर कोई व्यक्ति जेल में दाखिल होता है तो वह ऐज़ इटिज अपने आप में रोजनाम्चा जेल का मान्य है। मान्यवर, मैं आपके सामने वर्ष 2018 की ही बात करता हूँ। वर्ष 2018 में 53,608 मुकदमें पंजीकृत हुए हैं और संलिप्त अभियुक्तों की संख्या 1 लाख 5 हजार 3 है। इसमें गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 74,688 है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह भारत सरकार का प्रतिष्ठान है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह प्रतिष्ठान आपको एक बार भी वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक क्यों नहीं याद आया ?

श्री लाल जी वर्मा-

संसदीय कार्य मंत्री जी, एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष-2007 से 2012 तक (श्री लाल जी वर्मा एवं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट हम देख लेंगे लेकिन जितनी आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से परसन्टेज क्या है ? और सरकार की मंशा क्या है ? सरकार के प्रयास क्या है ? एन्टी रोमियों स्क्वॉयड योगी जी की सरकार में पहले बना और 112 वाला सुरक्षा कवच भी योगी जी की सरकार में ही बना है। इसे हमने बनाया है। मान्यवर, हम आप को बता दें कि हमने वूमेन पॉवर लाइन बनायी, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु एन्टी रोमियों स्क्वॉयड का गठन किया गया। दिनांक 22-03-2017 से 31-01-2020 तक इस अभियान के तहत 26 लाख 82 हजार 149 स्थानों पर चेकिंग की गयी और 76 लाख 13 हजार 711 व्यक्तियों को चेक किया गया जिस दौरान 6 हजार 494 अभियोग पंजीकृत हुए और 10 हजार 294 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गयी और 32 लाख 7 हजार 724 व्यक्तियों को चेतावनी दी गयी है। मान्यवर, यह एन्टी रोमियों स्क्वॉयड का पूरा आंकड़ा है। इसके लिए मैं माननीय योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ।

(श्री लाल जी वर्मा द्वारा कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह पूरी तरह से असत्य है इसमें कोई सत्यता नहीं है। इस रिपोर्ट को आज ही हम वैरिफाई करेंगे कि आखिरकार यह आंकड़ा कैसे आया ? हम आपको अपने आंकड़े दिए दे रहे हैं। यहां पर सब ट्रान्सपैरेन्ट है यहां पर कोई भी चीज फैब्रिकेटेड नहीं है। आप फोटोकॉपी लिए हैं यह दस्तखत वाली है। मान्यवर, फोटोकॉपी में कुछ भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आपको क्या कहना है ?

श्रीमती बंदना सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो 112 की मदद महिलाओं को रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाने की बात कही गयी है क्या उसे माननीय मंत्री जी उसका समय बदल कर शाम के 6 बजे से सुबह 10 बजे तक करने का कोई प्राविधान करेंगे ? क्योंकि जो महिलायें शहर की तरफ गांव से आती हैं और उनको गांव लौटकर जाने में कठिनाई होती है तो क्या उसके लिए समय परिवर्तन करने का कोई प्राविधान करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक तो आवागमन आसान रहता है, आवागमन फ्री है। इस समय तो हर चौराहे पर ब्रिगेड लगी रहती है। अब तो

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गयी है अब पुलिस के अधिकारियों की संख्या भी बढ़ा दी गयी है और हर चौराहे पर ब्रिगेड लगी हुई है। रात के 10 बजे के बाद खतरा होता है। यह व्यवस्था खतरे के लिए है, सामान्य परिस्थिति के लिए नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना सुझाव लिखकर माननीय मंत्री जी के पास भेज दीजिएगा।

श्रीमती बन्दना सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम यह कहना चाहते हैं कि जो शहर की तरफ महिलायें आती हैं और गांव लौटने में उनको देर हो जाती है उनके लिए आश्वासन दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।[6]

प्रदेश में कुल शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या एवं प्राइमरी के विद्यार्थियों को मा0 विद्यालयों में समायोजित करने विषयक

***11-श्री संजय गर्ग-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं ? क्या प्राइमरी विद्यालयों से शिक्षा पूर्ण कर आने वाले समस्त विद्यार्थियों को माध्यमिक स्कूलों में समायोजित करने की क्षमता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कमी को पूरा करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

प्रदेश में शासकीय 2270 एवं अशासकीय सहायता प्राप्त 4512 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे की बालिकाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाये जाने पर विचार किये जाने विषयक

***12-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं की घटती संख्या को देखते हुये सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

[6] नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शासनादेश दिनांक 18-06-2004 द्वारा शैक्षिक सत्र 2004-2005 से छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की छात्राओं को परिवार की आय के आधार पर समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफार्मेशन सांइस, लखनऊ विश्वविद्यालय में पदों के सापेक्ष शिक्षकों की नियुक्ति कराने विषयक

***13-श्री राम अचल राजभर-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिपार्टमेन्ट आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फारमेशन साइन्स, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसियट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने प्रोफेसर एवं एसोसियट प्रोफेसर कार्यरत हैं ? क्या सरकार विभाग में शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

डिपार्टमेन्ट ऑफ लाईब्रेरी एण्ड इन्फारमेशन साइन्स, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रोफेसर का कोई पद स्वीकृत नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के 02 पद स्वीकृत हैं, जो रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद स्वीकृत है, जो भरा हुआ है।

जी हाँ। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

एन0टी0पी0सी0 टांडा, अम्बेडकर नगर द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु

***14-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0टी0पी0सी0 टांडा, अम्बेडकर नगर द्वारा आबादी की भूमि अधिग्रहित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु उक्त अधिग्रहित भूमि सरकार आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

एन0टी0पी0सी0 टांडा द्वितीय चरण विस्तारीकरण योजनान्तर्गत 03 राजस्व ग्रामों सलाहपुर रजौर, हासिमपुर व हुसेनपुर सुधाना की 10.236 हे0 श्रेणी-6(2) की आबादी भूमि

का दिनांक 21-02-2013 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के तहत पुर्नग्रहण किया गया है, न कि भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है।

जी नहीं, किन्तु श्रेणी-6(2) की आबादी भूमि पर आवासित प्रभावित व्यक्तियों को उनके आवास की भूमि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 36.85 करोड़ उन पर स्थित संरचनाओं की धनराशि रु0 49.28 करोड़ एवं एक मुश्त समाधान के तहत धनराशि रु0 116.95 करोड़ (कुल धनराशि रु0 203.08 करोड़) का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत 6 माह में दंगा, धरना-विरोध प्रदर्शन में मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने विषयक

***15-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत छः माह में दंगा धरना-विरोध प्रदर्शन में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार इनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में विगत छः माह में दंगा, धरना-विरोध प्रदर्शन में 21 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इन विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों द्वारा किये गये पथराव से लगभग 400 पुलिस कर्मी घायल हुये और 61 पुलिस कर्मियों को फायर आर्म्स इंजरी की चोटें आयीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2019-2020 में फसलों के नुकसान हेतु किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने हेतु

***16-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2019-2020 में तिल, मूंग, उरद, मूंगफली आदि की फसलों की शुरुआत में कम वर्षा एवं अंत में अधिक वर्षा से 70 से 80 प्रतिशत का नुकसान हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त किसानों को सभी फसल का मुआवजा दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र सं0-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कृषि फसल का 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होने पर 02 हे0 की सीमा तक असिंचित क्षेत्र में और बोये गये क्षेत्रफल हेतु रु0 6800/- प्रति हे0 एवं सिंचित क्षेत्र हेतु बोये गये क्षेत्रफल हेतु रु0 13,500/- प्रति हे0 तथा रु0 18,000/- बहुवर्षीय फसलों हेतु सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है परन्तु न्यूनतम सहायता राशि कम से कम रु0 1000/- होगी।

वर्ष 2019-2020 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से प्रदेश के कुल 31 जनपदों द्वारा विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों का कुल 830748.68 हे0 कृषि फसलों का 33 प्रतिशत या उससे अधिक का नुकसान आकलित किया गया।

उक्त के क्रम में कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत रु0 60343.91 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 08-11-2019 द्वारा भारत सरकार को बाढ़ मेमोरेण्डम प्रेषित किया गया। भारत सरकार के केन्द्रीय दल दवारा माह नवम्बर, 2019 में स्थलीय सर्वेक्षण किया गया एवं भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के दृष्टिगत भारत सरकार के पत्र दिनांक 21-02-2020 द्वारा कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत रु0 311.47 करोड़ की संस्तुति की गयी है।

भारत सरकार की उक्त संस्तुति के क्रम में प्रभावित कृषकों को सहायता राशि दिये जाने हेतु उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जनपदों को धनराशि पत्र दिनांक 14-02-2020 द्वारा रु0 160.42 करोड़ अवमुक्त कर दी गयी है। अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट प्राविधान कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये राजकीय इंटर कालेजों की स्थापना कराये जाने विषयक

***17-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्थापना के क्या मानक है ? क्या सरकार प्रदेश के सभी जनपदों के ऐसे विकास खण्ड में जहाँ जनसंख्या के सापेक्ष राजकीय इण्टर कॉलेज स्थापित नहीं किये गये हैं, का सर्वेक्षण कराकर नये राजकीय इण्टर कॉलेज स्थापित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रदेश सरकार के स्तर पर सीधे नये राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की कोई योजना नहीं है। राजकीय हाई स्कूल का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करके नये राजकीय इण्टर

कालेज की स्थापना का प्रावधान है। शासनादेश संख्या-3209/23-2-82 दिनांक 28 जुलाई, 1982 द्वारा राजकीय हाई स्कूल को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के मानक निम्नवत् हैं :-

क्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8000 से अधिक होना चाहिए।

प्रस्तावित राजकीय हाई स्कूल में कक्षा 6-10 तक की छात्र संख्या कम से कम 150 होनी चाहिए।

कक्षा 11 में अनुमानित छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए।

प्रस्तावित विद्यालय का प्रथम बैच हाई स्कूल की परीक्षा में कम से कम 5 वर्ष पूर्व बैठा होना चाहिए।

प्रस्तावित विद्यालय का गत 03 वर्षों का हाई स्कूल का परीक्षाफल 50 प्रतिशत होना चाहिए।

10 कि0मी0 की परिधि में किसी अन्य इण्टर कालेज का न होना।

निःशुल्क पर्याप्त भवन एवं अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि का उपलब्ध होना। जनसंख्या के सापेक्ष राजकीय इण्टर कालेज स्थापित किये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता। उपरोक्तानुसार।

***18-श्री आजाद अरिमर्दन-**

[01 गुरुवार के तारां0प्र0सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में वर्ष 2018-2019 के अन्तर्गत कुल दुर्घटना के उपरान्त किसानों को दुर्घटनाओं से बीमा के विषयक

***19-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित बीमा कम्पनियों में मुआवजे के लिये कितने दावे प्रस्तुत किये गये और उसके सापेक्ष कितने दावों का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों द्वारा दिनांक 04-02-2020 को उपलब्ध करायी गयी प्रगति के अनुसार मृत्यु/दिव्यांगता के 27508 दावे उपलब्ध कराये गये, जिसमें से 14913 दावों का भुगतान किया गया, जिसमें धनराशि 743.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 7705 दावे निरस्त किये गये तथा 4890 दावे लम्बित/विचाराधीन हैं।

इसी प्रकार चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत 3459 दावे उपलब्ध कराये गये, जिसमें से 2556 दावों का भुगतान किया गया, जिसमें धनराशि 4.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 899 दावे निरस्त किये गये तथा 04 दावे लम्बित/विचाराधीन है। विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री प्रमोद उटवाल-

[दिनांक 19-02-2020 को अता0प्र0 सं0-63 द्वारा उत्तरित]

जनपद शामली के ग्राम पंजीठ व मामोर की कृषि भूमि को कृत्रिम झील के पानी से बचाने विषयक

2-श्री नाहिद हसन-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम पंजीठ व मामोर, ब्लाक कैराना में सीमान्त पट्टाधारकों की भूमि में समीप के नगर का पानी भर जाने से बनी कृत्रिम झील से पट्टाधारकों व अन्य ग्रामीणों की भूमि को बचाने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

3-श्री विजय मिश्र-

[02 बुधवार के अता0 प्र0 सं0-161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र छजलैट में चिन्हित स्थानों पर गांगन नदी पर चेकडैम बनाने के सम्बन्ध में

4-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र छजलैट में कुछ चिन्हित स्थानों पर गांगन नदी पर चेकडैम बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं, वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में कोई योजना संचालित नहीं है।

---

† नोट : देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या.231-236... पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सदस्य, विधान सभा का पत्र जो कानूनगो, चकबन्दीकर्ता अयोध्या के विरुद्ध जांच के अनुरूप कार्रवाई किये जाने विषयक

5-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 03-07-2019 का पत्र जो कतिपय पेशी कानूनगो, चकबन्दीकर्ता अयोध्या के विरुद्ध जांच कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 03-07-2019 के साथ संलग्न श्री हरि प्रसाद सिंह निवासी मौजा रामनगर धौरहरा, तहसील सोहावल, जिला अयोध्या के प्रार्थना-पत्र की जांच जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा करायी गयी।

श्री संजय कुमार, चकबन्दीकर्ता को जनपद/इकाई में लगभग 11 वर्ष से कार्यरत होने के दृष्टिगत चकबन्दी निदेशालय के आदेश दिनांक 12-07-2019 द्वारा जनपद गोरखपुर स्थानान्तरित किया गया, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-22135 (एस0/एस0) 2019 संजय कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 13-08-2019 के कारण जनपद अयोध्या में चकबन्दीकर्ता के पद पर कार्यरत है। जिलाधिकारी, अयोध्या के आदेश दिनांक 08-01-2020 द्वारा श्री संजय कुमार, पेशी कानूनगो, कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अयोध्या को स्थानान्तरित करते हुए कार्यालय सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र सदर, अयोध्या में तैनात कर दिया गया है।

शिकायती प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित अन्य शिकायतें सही नहीं पायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानूनगो/चकबन्दीकर्ता बन्दोबस्त अधिकारी, अयोध्या के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

6-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल, विधायक का दिनांक 14-08-2019 का संलग्नक सहित पत्र जोकि कानूनगो/चकबन्दीकर्ता बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अयोध्या के विरुद्ध शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में है, चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को

प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी, हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 14.08.2019 के साथ संलग्न श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता एडवोकेट के प्रार्थना-पत्र की जांच जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा करायी गयी।

श्री संजय कुमार, चकबन्दीकर्ता को जनपद/इकाई में लगभग 11 वर्ष से कार्यरत होने के दृष्टिगत चकबन्दी निदेशालय के आदेश दिनांक 12.07.2019 द्वारा जनपद गोरखपुर स्थानान्तरित किया गया, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या.-22135 (एस0/एस0) 2019 संजय कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 13.08.2019 के कारण जनपद अयोध्या में चकबन्दीकर्ता के पद पर कार्यरत है। जिलाधिकारी, अयोध्या के आदेश दिनांक 08.01.2020 द्वारा श्री संजय कुमार पेशी कानूनगो, कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अयोध्या को स्थानान्तरित करते हुए कार्यालय सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र सदर, अयोध्या में तैनात कर दिया गया है।

शिकायती प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित अन्य शिकायते सहीं नहीं पायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सम्पूर्ण समाधान दिवस (मंगलवार को आयोजित दिवस) में आई हुई जन समस्याओं के निस्तारण विषयक

7-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण समाधान दिवस (मंगलवार को आयोजित दिवस) में आई हुई जन समस्याओं के निस्तारण को समयबद्धता के आधार पर निस्तारित करने हेतु क्या शासन स्तर पर कोई मॉनीटरिंग तंत्र विकसित किया है ? यदि हाँ, तो जनपद शामली तथा सहारनपुर में पिछले 2 माह के सम्पूर्ण समाधान दिवस में आए हुए जन समस्याओं के निस्तारण की प्रगति क्या है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद शामली में माह दिसम्बर, 2019 व जनवरी, 2020 में कुल 383 जन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके सापेक्ष कुल 344 प्रकरणों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जा चुका है। अवशेष 39 जन शिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है।

जनपद सहारनपुर में माह दिसम्बर, 2019 से जनवरी, 2020 में कुल 763 जन शिकायतें निस्तारण हेतु प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 696 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। अवशेष 67 जन शिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ के ग्राम दुमदुमवा के गाटा संख्या-371 क रकबा को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक

8-श्री विनय शंकर तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ के ग्राम दुमदुमवा के खाता संख्या-00036 के गाटा संख्या-371 क रकबा (0.0350 हे0) को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर मूल खाता धारकों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

ग्राम दुमदुमवा तप्पा-थरौली के गाटा संख्या-371 का कुल बन्दोबस्ती रकबा 0.164 हे0 है। वर्तमान खतौनी सन् 1422-1427 फसली में आराजी संख्या-371क/0.0350 हे0, 371ख/0.0190 हे0, 371ग/0.0190 हे0 व 371घ/0.0630 हे0 श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर विभिन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज अभिलेख है तथा 371ङ/0.0280 हे0 श्रेणी-5(1) नवीन परती की भूमि है। गाटा संख्या-371 मिनजुमला नम्बर है, जिसमें 371क/0.0350 हे0 भी विभिन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज अभिलेख है।

गाटा संख्या-371 मिनजुमला नम्बर है, किन्तु गाटे का विभाजन नहीं हुआ है, जिसके कारण नक्शे में अंश तरमीम नहीं है। मौके पर उक्त भूमि खाली है। बोई-जोती नहीं जाती है। यदि भूमिधर खाते के भूमि में भूमिधर को अपना अंश निर्धारित कराते हुए कब्जा प्राप्त करना है तो नियमानुसार उप जिलाधिकारी के न्यायालय में बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपरोक्तानुसार

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ के ग्राम चोरई गाटा संख्या-112 झ को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक

9-श्री विनय शंकर तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ के ग्राम चोरई के अन्तर्गत ग्राम महदेवा खुर्द के खाता संख्या-00071 के गाटा संख्या-112झ रकबा 0-2-4 (0.0270 हे0) को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर एवं उक्त रकबे का बंटवारा कर मूल स्वामी को कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ के ग्राम चोरई के अन्तर्गत ग्राम महदेवा खुर्द के खाता संख्या-00071 के गाटा संख्या-112झ रकबा-0-2-4 (0.0270 हे0) में श्री राधेश्याम

मिश्र एवं श्रीमती आरती देवी पत्नी श्री वंशमनि मिश्र आदि का नाम अभिलेख खतौनी में अभिलिखित है। उक्त सभी ग्राम महुलानी तप्पा-निकसौनी, तहसील नौगढ़ के सामान्य निवासी हैं। गाटा संख्या-112 का कुल रकबा 0.944 हे0 है जो मिनजुमला नम्बर है। कुछ खातेदारों की पैतृक भूमि है तथा अन्य बैनामेदार हैं। जिसमें मकान बने हैं तथा कुछ भाग पर आम, पीपल आदि के वृक्ष मौजूद हैं। उक्त गाटे का किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई बंटवारा नहीं किया गया है। श्री राधेश्याम मिश्र व श्रीमती आरती देवी उक्त गाटे पर कहीं काबिज दाखिल नहीं हैं। श्री राधेश्याम व श्रीमती आरती देवी को अवगत करा दिया गया है कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम चौरी महुलानी में श्री विन्ध्याचल आयुर्वेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

10-श्री विनय शंकर तिवारी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर ब्लाक उस्का बाजार के ग्राम चौरी महुलानी में संचालित श्री विन्ध्याचल आयुर्वेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय का भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

उक्त विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के भवन निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु शासन विभाग द्वारा कोई नीति/ योजना निर्धारित नहीं है। संस्था द्वारा विद्यालय विकास निधि के माध्यम से विद्यालय विकास अथवा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त विद्यालय के शिक्षण कक्ष एवं भवन के मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी0आई0आर0एस0 सं0-18152190095288 प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहांपुर द्वारा किये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक

11-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री पोर्टल पर दर्ज जी0आई0आर0एस0 संख्या-18152190095288 जो प्रभारी निरीक्षक थाना निर्जापुर, जनपद शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, शाहजहांपुर ने प्रश्नकर्ता के बिना साक्ष्य लिए जांच कार्य पूर्ण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त जांच प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रकरण की जाँच तत्समय अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जनपद शाहजहाँपुर को सुपुर्द की गई। अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, शाहजहाँपुर से प्राप्त जाँच आख्यानुसार तथाकथित शिकायत में किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख न होने की दशा में उनके द्वारा गोपनीय रूप से की गई छानबीन/ पूछताछ व एल0आई0यू0 से प्राप्त की गई आख्या से आरोपों के समर्थन में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके फलस्वरूप साक्ष्य के अभाव में कोई कार्यवाही किया जाना समीचीन नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा उक्त तथाकथित आरोपों के सम्बन्ध में अब भी कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया जाता है तो उसको जांच में सम्मिलित कर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निरीक्षक श्री सुधाकर पाण्डेय को प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर के पद से स्थानान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद डार्क जोन क्षेत्र के लिए पेयजल हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में

12-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद डार्क जोन क्षेत्र होने के कारण उक्त के अधिकांश क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाने के एक वर्ष बाद पानी देना बन्द कर देते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु कोई नवीन कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद फिरोजाबाद का विकास खण्ड फिरोजाबाद डार्क जोन घोषित है, जल स्तर गिर जाने के कारण अधिष्ठापित किये गये हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हो जाते हैं।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक हर घर को जल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से समुदाय अंशदान तथा अनुरक्षण हेतु सहमति प्राप्त कर गहरे नलकूप बनाकर पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमरोहा के गजरौला में जुवलैण्ड फैक्ट्री व अन्य फैक्ट्रियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में बगत नदी के गन्दे पानी को रोके जाने हेतु कार्रवाई करने विषयक

13-श्री महेन्द्र सिंह खडगवंशी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा के गजरौला में जुवलैण्ड फैक्ट्री और अन्य फैक्ट्रियों के उत्सर्जन से प्रदूषित विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में बह

रही बगत नदी के गन्दे पानी से क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नदी के गन्दे पानी को रोके जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वर्ष 2017 में जनपद उन्नाव, तहसील पुरवा, ग्राम काँथा मोहल्ला रमना भूमि गाटा संख्या-2287 पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण को हटाने व दोषियों पर कार्रवाई करने विषयक

14-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017 में जिला उन्नाव की तहसील पुरवा अन्तर्गत ग्राम काँथा के मोहल्ला रमना के अशोक, रमेश पुत्रगण मंगल आदि ने सरकार द्वारा आवास निर्माण हेतु प्रदत्त सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर सरकारी भूमि गाटा संख्या-2287 पर अवैध निर्माण अतिक्रमण किया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सरकारी भूमि पर किये गये उक्त अवैध निर्माण अतिक्रमण को हटवाते हुए दोषियों के विरुद्ध एण्टी भू माफिया ऐक्ट के तहत कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद से प्राप्त आख्या दिनांक 10-02-2020 के अनुसार ग्राम काँथा परगना असोहा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव स्थित गाटा सं0-2287 राजस्व अभिलेखों में ऊसर के नाम दर्ज है। उक्त गाटा के रकबा 0.0030 हे0 पर श्री अशोक पुत्र मंगल निवासी रमना मोहल्ला काँथा द्वारा अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से प्राप्त धनराशि से दीवारों का निर्माण कराया था, जिसकी जानकारी होने के पश्चात् तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल श्री रामप्रसाद द्वारा दिनांक 01-08-2018 को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निर्माण कार्य रुकवा कर राजस्व संहिता की धारा-67(1) की कार्रवाई की गयी, जो न्यायालय तहसीलदार, पुरवा के न्यायालय में वाद सं0-टी201810690200790 विचाराधीन है। श्री रमेश पुत्र मंगल निवासी रमना, मोहल्ला काँथा का कोई अवैध निर्माण नहीं है। अशोक व रमेश भाई-भाई हैं। विभिन्न जन-सुनवायी पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भों के निस्तारण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि मौके पर चारों दीवारों का निर्माण कार्य तत्समय किया गया था, जो आज भी उसी स्थिति में है। कोई अन्य कार्य अथवा निर्माण नहीं किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के पत्रानुसार ग्राम सभा बाला पैकौली में चकबन्दी कराये जाने विषयक

15-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 23-07-2019 जो कि जिला अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-भीटी के अन्तर्गत ग्राम सभा बाला पैकौली में चकबन्दी कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन करते हुए उक्त ग्राम सभा में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उक्त ग्राम को उ0प्र0 जोत चक0 अधि0 की धारा-4क(2) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर के पत्र दिनांक 17-12-2018 द्वारा प्रस्ताव चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ था। शासन के पत्र दिनांक 12-02-2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उक्त प्रस्ताव को मूलरूप में जनपद को इस निर्देश के साथ वापस कर दिया गया कि शासन के अग्रिम आदेशों तक कोई भी नया प्रस्ताव प्रेषित न किया जाय। प्रश्नगत ग्राम के सम्बन्ध में जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त श्री लाल जी वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 23-07-2019 द्वारा मा0 सदस्य को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव, तहसील पुरवा, ग्राम काँथा, मो0 रमना में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर क्षति पहुंचाने वाले लेखपाल पर कार्रवाई करने विषयक

16-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हे सम्बोधित जय प्रकाश निषाद, पूर्व विधायक, चौरी चौरा, गोरखपुर दिनांक 02-01-2020 का संलग्नकों सहित पत्र (आई0जी0 आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-12188200002133) जो कि जिला उन्नाव, तहसील पुरवा के ग्राम काँथा, मोहल्ला रमना में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करवाकर सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाले क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में संलिप्त लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

ग्राम काँथा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव स्थित गाटा संख्या-2287 जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर के नाम दर्ज है, उक्त गाटा के रकबा 0.0030 हे0 पर श्री अशोक पुत्र

मंगल निवासी ग्राम रमना, मजरा काँथा द्वारा अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से प्राप्त धनराशि से दीवालों का निर्माण कराया गया था, जिसकी जानकारी होने के पश्चात् तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल श्री राम प्रसाद द्वारा दिनांक 01-08-2018 को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निर्माण कार्य रुकवा कर राजस्व संहिता की धारा-67(1) की कार्यवाही की गयी, जो मा0 न्यायालय तहसीलदार, पुरवा के न्यायालय में वाद संख्या-टी 201810690200790 विचाराधीन है। दिनांक 05-02-2020 को प्राप्त सन्दर्भ संख्या-12188200002133 का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि मौके पर चारों दीवारों का निर्माण कार्य तत्समय किया गया था, जो आज भी उसी स्थिति में है, कोई अन्य कार्य अथवा निर्माण नहीं कराया गया है।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव के पत्र दिनांक 17-02-2020 में ग्राम काँथा, परगना असोहा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव स्थित गाटा संख्या-2287 जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर के नाम दर्ज है। उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 17-02-2020 द्वारा उक्त गाटा में से क्षेत्रफल 0.0030 हे0 अर्थात् 30 वर्गमीटर का पट्टा, श्री अशोक पुत्र मंगल निवासी ग्राम रमना, मजरा काँथा को आवास स्थल हेतु उनको आवंटन कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पात्र पाया गया है।

प्रकरण में दण्ड स्वरूप लेखपाल श्री रामप्रसाद का तहसील पुरवा से तहसील सदर, उन्नाव स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा लेखपाल की किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं हुयी है।

उपरोक्तानुसार।

68,500 शिक्षकों के पदों के सापेक्ष सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के शेष पदों पर भर्ती विषयक

17-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 68500 शिक्षकों के पदों के सापेक्ष सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु निर्धारित पदों में से उक्त श्रेणी के कितने अध्यापकों को अब तक नियुक्ति प्रदान की गयी है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त श्रेणी के शेष पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी)-

श्रेणी	निर्धारित पद	निर्गत नियुक्ति पत्र	शेष पद
सामान्य	34277	31562	2715
अन्य पिछड़ा वर्ग	18482	9181	9301
अनुसूचित जाति	14373	4606	9767
अनुसूचित जनजाति	1368	97	1271
योग	68500	45446	23054

जी नहीं!

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित पुनर्मूल्यांकन के प्रकरण एवं पूर्व चयनित छूटे हुए अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित प्रकरण से भिन्न की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

शेष पदों के लिए सफल अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण।

जिला उन्नाव, तहसील पुरवा, ग्राम काँथा, मोहल्ला रमना में निजी भूमि पर शौचालय का निर्माण कराने वालों के सम्बन्ध में आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-12188190043714 में असत्य जांच आख्या प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

18-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित जय प्रकाश निषाद, पूर्व विधायक, चौरी चौरा, गोरखपुर दिनांक 02-01-2020 का संलग्नकों सहित पत्र (आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-12188200003820), जो कि जिला उन्नाव, तहसील पुरवा के ग्राम काँथा मोहल्ला रमना में वर्ष 2018 में सरकारी धनराशि से कई वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुके मृतक छोटेलाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ आदि व्यक्तियों के नाम पर दूसरे भूमिधरी (श्रीमती फूलकली) की संक्रमणीय निजी भूमि पर शौचालय निर्माण करने वाले/कराने वालों के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री पोर्टल पर सरकार के समक्ष पूर्व में सन्दर्भित आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-12188190043714 में असत्य जांच आख्या प्रस्तुत कर शासन को गुमराह करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

तत्कालीन उप जिलाधिकारी, पुरवा दिनांक 10-05-2019 को आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-12188190043714 में यह उल्लेख किया गया है कि श्रीमती किरन पत्नी बुद्धीलाल, निवासी रमना मोहल्ला, काँथा, परगना असोहा, विकास खण्ड असोहा को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से स्वयं द्वारा आवास एवं शौचालय बनवाया गया है।

खण्ड विकास अधिकारी, असोहा ने अपनी आख्या में यह उल्लिखित किया है कि श्रीमती किरन पत्नी श्री बुद्धीलाल, निवासी रमना, मोहल्ला काँथा को दिनांक 15-04-2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत केवल आवास बनाने हेतु धनराशि दी गयी थी। इनके द्वारा शौचालय का निर्माण स्वयं अपने संसाधन से कराया गया है।

श्री जय प्रकाश निषाद, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र के पत्र दिनांक 24-09-2019 में यह उल्लेख किय गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पांच लाभार्थियों को शौचालय का निर्माण कराया गया और उक्त शौचालय लाभार्थियों की सूची में श्रीमती किरन पत्नी बुद्धीलाल द्वारा उक्त शौचाल निर्माण कराया जाना दर्शाकर मा0 मुख्य मंत्री पोर्टल पर गलत जांच आख्या प्रस्तुत कर सरकार/शासन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, के क्रम में पत्र में लिखित उक्त पांच लाभार्थियों (श्री छोटेलाल पुत्र जगन्नाथ, श्री मोती लाल पुत्र हनुमान, श्री सुन्दर पुत्र हनुमान, श्री गिरजा शंकर पुत्र ठाकुर प्रसाद एवं श्री गनेश पुत्र ठाकुर प्रसाद) को मात्र शौचालय ही आवंटित है।

श्रीमती किरन पत्नी बुद्धीलाल, निवासी मोहल्ला रमना, काँथा को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दिनांक 15-04-2017 को आवास आंवटित और उनको केवल आवास बनाने की धनराशि सरकार द्वारा दी गयी है तथा श्रीमती किरन पत्नी बुद्धीलाल द्वारा शौचालय का निर्माण अपने संसाधनों से कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जिला प्रयागराज के हण्डिया में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराये गये स्वेटर में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

19-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 03.12.2019 का संलग्नकों सहित पत्र, जो कि जिला प्रयागराज के हण्डिया में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये गये स्वेटर में ड्रेस कमेटी द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में संलिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

शैक्षिक सत्र 2019-2020 के लिए प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निःशुल्क उच्च गुणवत्तायुक्त ऊनी स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 16-08-2019 द्वारा स्वेटर का क्रय भारत सरकार द्वारा विकसित आनलाइन प्लेटफार्म (Government e-market place GEM) ''जेम पोर्टल'' के माध्यम से जनपद स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त शासनादेश दिनांक

16-08-2019 द्वारा जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया। शासनादेश में दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''जेम पोर्टल'' के माध्यम से स्वेटर क्रय की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम 2010 अन्तर्गत महिला शिक्षकों को प्रसूति व बाल्य देखभाल अवकाश दिये जाने विषयक

20-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियम 2010 को प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा सेक्टर में लागू किये जाने हेतु 03 मई, 2018 को शासनादेश जारी कर महिला शिक्षकों को प्रसूति एवं बाल्य देखभाल किये जाने हेतु अवकाश दिये जाने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या महिला शिक्षकों को प्रसूति एवम् बाल्य देखभाल अवकाश दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमल रानी)-

जी नहीं।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 03-05-2018 द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियम, 2010 को प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा सेक्टर में लागू करते हुए शिक्षकों की सेवा शर्तें वेतनमान एवं अर्हता आदि का निर्धारण किया गया है।

ए0आई0सी0टी0ई0 के अनुसार प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा सेक्टर में लागू करने एवं नये सेवा नियमावली की अधिसूचना व छात्रों को तकनीकी शिक्षा सुलभ कराने हेतु सरकारी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने विषयक

21-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) के विनियम 2010 को प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा सेक्टर में लागू करने के लिए दिनांक 03-06-2018 को शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक अनुसार नई सेवा नियमावली अधिसूचित नये वेतनमान के अनुसार शिक्षकों को वेतन एवं महिला शिक्षकों को प्रसूति व बाल्यकाल देखभाल अवकाश का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में गरीब, प्रतिभावान छात्रों को तकनीकी शिक्षा सुलभ कराने के दृष्टिगत सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी को सरकार बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कमल रानी-

जी नहीं। डिप्लोमा सेक्टर में विनियम-2010 लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 03.05.2018 को शासनादेश जारी किया गया है।

जी नहीं। उक्त शासनादेश दिनांक 03.05.2018 द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम-2010 के अनुसार मात्र वेतनमान सेवा शर्तें और अर्हताओं का निर्धारण किया गया था। महिला शिक्षकों को प्रसूति व बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ दिये जाने का इसमें प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216/79, दिनांक 08-12-2008 द्वारा प्रसूति अवकाश दत्तक ग्रहण अवकाश व बाल्य अवकाश की सुविधा राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) अनुमन्य की गई है। चूंकि डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान लागू किये जाने का प्रावधान किया जा चुका है। अतएव सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08-12-2008 से आच्छादित न होने के कारण महिला शिक्षकों को उक्त लाभ अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कालपी स्थित गांव उसरगांव में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण व जल भराव की समस्या का निदान करने विषयक

22-कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम उसरगांव में फोर लाइन सड़क का निर्माण होने से गांव के चारों ओर से जल भराव की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी हेतु नाले का निर्माण तक पुलियों की सफाई कराकर जल भराव की समस्या का समाधान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

ग्राम उसरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के निर्माण होने के फलस्वरूप जल वृष्टि से कुछ समय के लिए जल भराव की स्थिति रहती है, जो वर्षाकाल समाप्त होने पर खत्म हो जाती है।

वर्तमान में जल निकासी/पुलिया की सफाई करा दी गयी है। नाले के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार विषयक पत्र संख्या-ख-6 नं0 623722, दिनांक 19-12-2019 पर कार्यवाही विषयक

23-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नं0 623722, दिनांक 19.12.2019 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका द्वारा विभागीय शासकीय अभिलेखों में गड़बड़ी करने पर कार्रवाई करने विषयक

24-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका द्वारा प्राथमिक विद्यालय सैदनपुर विकास क्षेत्र राही के विभागीय शासकीय अभिलेखों में हेर-फेर करने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं-ख-6 नम्बर 55327, दिनांक 05-07-2019 संलग्नक सहित प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हाँ।

बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय के पत्रांक/प0/स्वा0/12528-29/2018-19, दिनांक 14-02-2020 द्वारा विधिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकारी नगर रायबरेली को प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली ग्राम सुल्तानपुर स्थित गाटा संख्या-50 पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई विषयक

25-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तेजपाल सिंह नागर, सदस्य, विधान सभा का विधायक प्रकोष्ठ पत्र संख्या-ग-6 नम्बर 180436, दिनांक 13-9-2019 जो जनपद रायबरेली की सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम-सुल्तानपुर आइमा में स्थित भूमि गाटा संख्या-50, जो राजस्व अभिलेखों में स्कूल भूमि अंकित है, पर भू-माफिया द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध

में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद से प्राप्त आख्या दिनांक 05-02-2020 के अनुसार ग्राम सुल्तानपुर आइमा, परगना व तहसील सदर, जिला रायबरेली में भूमि गाटा संख्या--50/0.057 हे0 राजस्व अभिलेखों में स्कूल दर्ज है, जिसके आंशिक भाग 20 वर्ग मीटर पर श्री कौशल किशोर पाण्डेय पुत्र स्व0 दुर्गाचरन पाण्डेय द्वारा मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है। अवशेष क्षेत्रफल 0.055 हे0 में मौके पर प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर आइमा का भवन, सहन व पक्की सड़क निर्मित है। अतिक्रमित क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत (वाद संख्या-टी201910580303406) न्यायालय तहसीलदार सदर, रायबरेली में बेदखली का वाद विचारधीन है। प्रश्नगत वाद सुनवाई हेतु दिनांक 25-02-2020 को सूचीबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन व थाना कोतवाली के कर्मचारियों के आवासों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक

26-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ व थाना कोतवाली में पुराना आवास/बैरक भवन जर्जर हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन/कोतवाली परिसर में पुराने आवास/बैरक उपलब्ध हैं, उन आवासों/ बैरकों की विशेष मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद, ब्लाक फिरोजाबाद में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में

27-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में कोई सरकारी महिला डिग्री कालेज (महिला कालेज) न होने

के कारण छात्राओं के उच्च शिक्षा का अभाव है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में महिला कॉलेज की स्थापना करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद में कुल 138 महाविद्यालय (सहशिक्षा/महिला) संचालित हैं जिनमें 01 राजकीय, 10 सहायता प्राप्त अशासकीय एवं 127 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र-शिकोहाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 02 महिला महाविद्यालय एवं 16 स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में 03 महिला महाविद्यालय संचालित हैं।

उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लाक-फिरोजाबाद में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार

प्रदेश में भू-माफिया द्वारा अतिक्रमित भूमि को अनतिक्रमित कराने के सम्बन्ध में

28-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-माफिया पर लगाम लगाने हेतु एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन जनपद स्तर पर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त टास्क फोर्स का गठन की तिथि से जनपद फिरोजाबाद में विधान सभा वार कुल कितने भू-माफिया चिन्हित कर एफ0आई0आर0 दर्ज करा कर कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में चिन्हित की गई अतिक्रमित भूमि का कितना क्षेत्रफल अनतिक्रमित किया जा चुका है और कितना शेष है ? क्या सरकार शेष अतिक्रमित भूमि को भी अनतिक्रमित करायेगी। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद स्तर से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त एण्टी भू-माफिया के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 01-05-2017 के क्रम में जनपद स्तरीय/तहसील स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स द्वारा विधान सभावार

भू-माफिया चिन्हित नहीं किया गया है, तहसीलवार भू-माफिया चिन्हित किया गया है। जनपद फिरोजाबाद की विभिन्न तहसीलों में चिन्हित भू-माफिया का विवरण निम्नवत् है :-

तहसील फिरोजाबाद-कुल 06 भू-माफिया चिन्हित कर 03 एफआईआर दर्ज।

तहसील शिकोहाबाद-कुल 10 भू-माफिया चिहिन्त कर 03 एफआईआर दर्ज।

तहसील जसराना-कुल 34 भू-माफिया चिन्हित कर 10 एफआईआर दर्ज।

तहसील टूण्डला-कुल 04 भू-माफिया चिन्हित कर 02 एफआईआर दर्ज।

तहसील सिरसागंज-कुल 09 भू-माफिया चिन्हित कर 03 एफआईआर दर्ज।

इस प्रकार जनपद में कुल 63 भू-माफिया चिन्हित कर कुल 21 एफआईआर दर्ज करायी गयी है।

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 31-01-2020 तक प्रपत्र- 14ए, 14बी, 14सी के अनुसार कुल 3209 शिकायतों के सापेक्ष 3189 शिकायतों का निस्तारण करायी जा चुकी है। शेष 20 शिकायतों का माह फरवरी, 2020 के अंत तक निस्तारण करा दिया जायेगा।

जनपद फिरोजाबाद में अतिक्रमित भूमि पर अभियान के रूप में राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम के साथ कार्यवाही निरन्तर की जा रही है, जो भी प्रकरण संज्ञान में आता है उसमें कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र घोसी की 186 ग्राम सभाओं के लिये पेयजल हेतु पानी की टंकी बनाने विषयक

29-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र के 186 ग्राम सभाओं के लिए पीने योग्य पानी के लिए पानी के टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के 186 ग्राम सभा पेयजल के दृष्टिगत हैण्डपम्प से संतृप्त है। उक्त के अतिरिक्त 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारी जारी गाइडलाइन के निर्देशानुसार सभी ग्राम पंचायतों को मार्च, 2024 तक पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना लक्षित है। 'जल जीवन मिशन' की गाइडलाइन के अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से समुदाय अंशदान तथा अनुरक्षण हेतु सहमति प्राप्त कर पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर ब्लाक सरसावां स्थित किसान इण्टर कालेज, चौरी मण्डी के अवैध सदस्यों को हटाकर नयी प्रशासनिक व्यवस्था का चुनाव कराये जाने विषयक

30-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ब्लाक-सरसावां में आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित किसान इण्टर कालेज, चौरी मण्डी को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डबल बेंच के आदेशानुसार सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी चिटफण्ड, सहारनपुर द्वारा सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत अवैध सदस्यों को हटाकर नयी प्रशासनिक व्यवस्था को मान्यता दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कालेज समिति द्वारा अवैध सदस्यों को हटाने बिना ही नयी प्रशासनिक व्यवस्था का चुनाव कराया जा रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकार पुराने अवैध समिति सदस्यों को हटाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर के अधीन नयी प्रशासनिक व्यवस्था का चुनाव करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

नये सदस्य सहायक रजिस्टर सोसाइटी चिट फण्ड सहारनपुर द्वारा बनाये गये हैं।

विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि श्री केशु गुप्ता सिंहल एवं अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-40939/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 13-12-2019 के अनुपालन में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 13-12-2019 के अनुपालन में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा प्रकरण के निस्तारण किये जाने के उपरांत पारित आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0जी0आर0एस0 संख्या 18150190106992 जनपद शाहजहांपुर में बालिकाओं के रहन सहन व खानपान की जांच विषयक कार्रवाई करने हेतु

31-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में बालिकाओं के रहन सहन एवं खानपान के घटिया स्तर के सम्बन्ध में आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या

18150190106992 पर दर्ज प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-10-2019 को मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नही तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 21-06-2019 द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल बरेली को स्तरीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल बरेली द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर नगर, तिलहर ग्रामीण तथा जैतीपुर का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा मण्डल बरेली द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में उक्त तीनों विद्यालयों के वार्डेन तथा लेखाकार से पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांग कर भविष्य के लिए सचित किया गया तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैतीपुर की संचालक स्वयं सेवी संस्था दीपजन कल्याण समिति बरेली को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 13-11-2019 द्वारा विद्यालय संचालन से पृथक कर दिया गया है एवं विद्यालय के लेखाकार श्री राजू कश्यप को पत्र दिनांक 14-01-2020 द्वारा संविदा समाप्त कर सेवा से पृथक कर दिया गया है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर नगर के लेखाकार को सचेत करते हुए विद्यालय की व्यवस्था सुचारु ढंग से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया। भविष्य में पुनरावृत्ति करने पर संविदा का नवीनीकरण न करने की चेतावनी दी गयी। उपरोक्त सभी विद्यालयों में वेडिंग सामग्री का क्रय कर लिया गया है। बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु प्रत्येक विद्यालय में 02 पी0आर0डी0 कार्मिकों की तैनाती कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

32-श्री अजय कुमार लल्लू-

[मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

33-श्री अजय कुमार लल्लू-

[मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ ब्लाक गोसाईंगंज ग्राम सेखनापुर में सड़क किनारे नाली का निर्माण कराने विषयक

34-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के ब्लाक गोसाईंगंज अन्तर्गत ग्राम सेखनापुर में पूर्व प्रधान आशराम यादव के आवास से राम सरन के आवास तक

बनी सड़क के किनारे नाली नहीं बनी होने के कारण आवासों से निकलने वाला गन्दा पानी सड़क पर भरा रहता है, जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क के किनारे नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

उक्त कार्य ग्राम पंचायत सेखनापुर के वित्तीय वर्ष 2019-2020 की कार्य योजना में सम्मिलित है, परन्तु शासन की प्राथमिकता के अनुसार प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी आदि के कायाकल्प के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं। अतः उक्त कार्यों की पूर्ति के पश्चात् इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव, तहसील पुरवा, ग्राम काँथा में निजी भूमि पर जबरन अवैध शौचालय निर्माण को हटाये जाने विषयक

35-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत ग्राम काँथा के मोहल्ला रमना में वर्ष 2018 में सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करते हुए दूसरे भूमिधरी (श्रीमती फूलकली) की निजी भूमि पर लगभग 06 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुके मृतक छोटेलाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ आदि के नाम पर शौचालय निर्माण कराये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो दोषियों से सरकारी धनराशि की वसूली कराते हुए पीड़िता की निजी भूमि पर जबरन बनाये गये अवैध शौचालय को सरकार हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री राजेन्द्र प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-01-2020 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को जांच अधिकारी नामित किया गया है। प्रकरण न्यायालय सिविल जज जू0डि0 तहसील-पुरवा में वाद संख्या-239/17 श्रीमती फूलकली बनाम बुद्धीलाल आदि का विवादित भूमि का वाद योजित है। अतः प्रकरण मा0 न्यायालय के समक्ष विचारधीन है। उपरोक्तानुसार।

जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा स0अ0 की पदोन्नति प्रवक्ता पद पर होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये जाने विषयक

36-श्री लाल जी वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ द्वारा श्री अश्विनी कुमार भारती, स0अ0 आदि की पदोन्नति प्रवक्ता के पद पर किये जाने के क्रम में जिला विद्यालय, निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त कारणों का निराकरण कर श्री अश्विनी कुमार भारती, स0अ0 आदि को पदोन्नति पद के अनुसार कार्यभार ग्रहण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

श्री अश्विनी कुमार भारती, स0अ0 स्थित इण्टर कालेज अजमतगढ़, आजमगढ़ की प्रवक्ता इतिहास पद पर पदोन्नति का निर्णय मण्डलीय समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त शिकायत प्राप्त होने पर कि संस्था में वर्ष 2019-2020 में इतिहास विषय की इण्टरमीडिएट कक्षाओं मे छात्र संख्य शून्य है जिसके कारण पदोन्नति विषयक आदेश निर्गत नहीं किया गया।

मण्डलीय समिति आजमगढ़ द्वारा विचार कर निर्णय किया जा रहा है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर, विकास खण्ड डीघ के हैण्डपम्पों के पानी में आर्सेनिक/फ्लोराइड की रोकथाम हेतु योजना विषयक

37-श्री विजय मिश्र-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर की तहसील ज्ञानपुर के विकास खण्ड डीघ में स्थापित हैण्डपम्पों के पानी में आर्सेनिक/फ्लोराइड निकल रहा है ? यदि हां, तो उक्त की रोकथाम के लिए कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के तहसील ज्ञानपुर के विकास खण्ड डीघ में गंगा नदी के किनारे स्थित 11 ग्राम यथा-छेछुआ उपरवार, कलिक मवैया,बसगौती मवैया, मवैयानाथन, खेमापुर, कटरा,सीतामढ़ीघाट, सीतामढ़ी, सेमराध (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र), सेमराध (सेमराध धाम गेट के अन्दर) एवं बदरी में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के पेयजल नमूनों की जाँच

लखनऊ स्थित प्रयोगशाला से करायी गयी। उक्त नमूनों के जल परीक्षण में कोई भी ग्राम/बस्ती आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित नहीं पाया गया तथा अधिष्ठापित किये गये हैं हैण्डपम्पों से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है।

वर्तमान में 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों को मार्च, 2024 तक पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है। 'जल जीवन मिशन' की गाइडलाइन के अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से समुदाय अंशदान तथा अनुरक्षण हेतु सहमति प्राप्त कर पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री आवास योजना को मुख्य मंत्री आवास योजना से आच्छादित करने व कुल लाभार्थियों की संख्या के विवरण विषयक

38-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के अन्तर्गत चिन्हित आवास विहीन लाभार्थियों को मुख्य मंत्री आवास योजना से आच्छादित किया गया ? यदि हां, तो संख्या क्या है तथा दिनांक 20-01-2020 तक कितने को मुख्य मंत्री आवास योजना से आच्छादित किया गया है ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी नहीं।

मुख्य मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 में कुल 50,740 लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना-2 से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ग्राम पंचायतों में आवारा जानवरों के शवों का निस्तारण करने में धनराशि व्यय करने की अनुमति प्रदान करने विषयक

39-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायतों में छुट्टा जानवरों की मौत हो जाती है उनके शवों के निस्तारण करने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार ग्राम पंचायतों को ऐसे जानवरों के शवों का निस्तारण करने हेतु राज्य वित्त अथवा 14 वें वित्त योजना के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु शासनादेश संख्या-234/33-3- 2016-02/2016 दिनांक 18-02-2016 के माध्यम से दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त में प्रावधान है कि ग्राम पंचायतें 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि स्वच्छता पर व्यय कर सकती है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतें राज्य वित्त आयोग की धनराशि से भी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कराकर उक्त कार्य करा सकती है।

अतः ग्राम पंचायतें स्वच्छता के दृष्टिगत छुट्टा जानवरों के शवों के निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत के अनुमोदनोपरान्त उक्त कार्य पर धनराशि व्यय कर सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

बप्पा श्री वोकेशनल इण्टर कालेज, चारबाग, लखनऊ में प्रबन्धतंत्र द्वारा अनियमितताओं की जांच तथा भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने विषयक

40-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बप्पा श्री वोकेशनल इण्टर कालेज, चारबाग, लखनऊ में प्रबन्धतंत्र द्वारा पैमाने पर की गई अनियमितताओं को जांच सह जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ व दो अन्य ने अपने पत्रांक जांच 6512/2018-2019, दिनांक 09-10-2018 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को भेजी ? यदि हां, तो क्या सरकार बिन्दुवार जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ में स्किल डेवलेपमेंट सेंटर द्वारा संचालित एन0जी0ओ0 का ध्वस्तीकरण करने के पत्र पर कार्रवाई करने विषयक

41-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ के पत्रांक-3797/2019-2020 द्वारा प्रधानाचार्य बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इण्टर कालेज, चारबाग, लखनऊ को विद्यालय सभागार में स्किल डेवलेपमेंट सेन्टर नाम की संस्था द्वारा संचालित एन0जी0ओ0 का ध्वस्तीकरण किये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

जी हां।

प्रबन्धतंत्र द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के पत्रांक : सामान्य(1)द्वितीय/ 3359-60-2019-2020 दिनांक 23-01-2020 द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा-16 डी(2) के अन्तर्गत उत्तर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बिल्थरा रोड ग्राम चौनपुर गुलौरा के चकबन्दी अन्तर्गत संशोधित भू-चित्र में संशोधन कराने के निर्देश दिये जाने हेतु

42-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बिल्थरा रोड तहसील के अन्तर्गत ग्राम-चौनपुर गुलौरा की चकबन्दी के अन्तर्गत बन्दोबस्त भूचित्र में ग्राम के मुख्य सड़क के गाटा संख्या-1847 रकबा 0.251 हे0 जो पूर्व के सर्वे भू-चित्र में गलत बना है, को रकबे के अनुसार संशोधित कराते हुए नये भू-चित्र में प्रदिष्ट करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

गाटा संख्या-1847 रकबा 0.251 हे0 की आकृति नक्शे में 0.131 हे0 कम बनी थी। चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 01-01-2020 के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड की आकृति बंदोबस्ती रकबे 0.251 हे0 के अनुसार 0.251 हे0 ही संशोधित करते हुए उसकी अमलदरामद रिनम्बरिंग मानचित्र तथा पुष्टिकृत मानचित्रों पर करके आकृति शुद्ध कर दी गयी है।

नया बंदोबस्ती भूचित्र तैयार किया जा रहा है जिसमें उक्त भू-खण्ड की आकृति रि-नम्बरिंग मानचित्र एवं पुष्टिकृत मानचित्र के अनुसार ही प्रदर्शित की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी

43-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालयों द्वारा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2018 में सम्मिलित महाविद्यालयों को उनकी काउन्सिलिंग शुल्क उनके खाते में जमा कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध बी0एड0 कालेज कोड पी0 एस01019

आजाद महाविद्यालय सरैया, पल्हना जनपद आजमगढ़ एवं कालेज कोड पी0 एस0 1109 एम0 के0 राय दीप आदर्श बालिका महाविद्यालय भगवानपुर, ठेकमा जनपद आजमगढ़ का बी0एड0 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2018 का काउन्सिलिंग शुल्क लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के द्वारा वापस कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हाँ। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2018 में सम्मिलित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों की जमा शुल्क धनराशि को महाविद्यालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये बैंक विवरण जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्राप्त हो चुके हैं, को देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। महाविद्यालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये बैंक विवरण के पश्चात् लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 10-10-2019 से दिनांक 22-01-2020 तक कुल 2171 महाविद्यालयों को कुल रु0 233,45,49,186.00 का भुगतान किया जा चुका है।

जी हां। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2018 में सम्मिलित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध बी0एड0 कालेज कोड पी0एस0 1019 व कोड पी0एस0 1109 को वापस की गयी फीस का विवरण निम्नवत् हैं :-

01-कालेज कोड पी0एस01019 आजाद महाविद्यालय सरैया, पल्हना जनपद आजमगढ़ को रु0 4,87,500.00 दिनांक 22-01-2020 को वापस किया जा चुका है।

02-कालेज कोड पी0एस01109 एम0के0 राय दीप आदर्श बालिका महाविद्यालय भगवानपुर, ठेकमा जनपद आजमगढ़ को रु0 1,02,500.00 दिनांक 12-06-2019 को वापस किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के आलमबाग स्थित अवध चौराहा में जाम से निजात दिलाने विषयक

44-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर आलमबाग स्थित अवध अस्पताल चौराहा से प्रतिदिन आमजन को भीषण जाम से जूझना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई नयी कारगर नीति बनाकर आमजन को जाम से निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आलमबाग स्थित अवध अस्पताल चौराहे पर चारबाग कानपुर रोड, हरदोई/सीतापुर रोड, उन्नाव रोड एवं रायबरेली रोड आदि मार्गों का समस्त यातायात आता है जिससे उक्त चौराहे पर यातायात का भारी दबाव बना रहता है। यद्यपि उक्त स्थल पर सतत् यातायात जाम

की कोई स्थिति नहीं रहती है फिर भी कभी-कभी लगने वाले यातायात जाम से निजात पाने हेतु चौराहे पर सुगम यातायात को चलाये जाने हेतु दिन में 01 यातायात उ0 नि0, 06 आरक्षी व 04 होमगार्ड की दो शिफ्टों में तथा रात्रि में 01 उ0 नि0 एवं 04 आरक्षियों की ड्यूटी लगायी गयी हैं। उक्त के अतिरिक्त थाना मानकनगर से 01 उ0 नि0 एवं 08 कान्स की ड्यूटी लगाई जाती हैं जो अवध अस्पताल चौराहे पर स्थित चौकी पर उपस्थित रहकर यातायात व्यवस्था को संचालित कराते हैं। इसी के साथ उक्त चौराहे पर यूपी-112 के 02 वाहनों को लगाया गया है जिनका कार्य निर्धारित करते हुये अवध अस्पताल चौराहे पर निगरानी हेतु उपस्थित रहते हैं तथा यातायात का संचालन कराया जाता है।

उक्त चौराहा महानगर, लखनऊ की आई0टीएमएस0स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित है तथा चौराहे पर सिग्नल लाइट लगाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शीघ्र ही चौराहे की सिविल रि-स्ट्रक्चरिंग कार्य पूर्ण करके सिग्नल लाइट से चौराहे का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उक्त कार्य आईटीएमएस परियोजना के अन्तर्गत मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में ग्राम सभा नवधन, गोधना, सुधवै व बड़ागांव में चकबन्दी में फर्जीवाड़े के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

45-श्री विजय मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर की तहसील ज्ञानपुर में ग्राम सभा नवधन, गोधना, सुधवै तथा बड़ागांव में सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से पट्टा तथा फर्जी हस्ताक्षर से चकबन्दी में कतिपय व्यक्तियों के नाम कराये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद से प्राप्त आख्या दिनांक 10.02.2020 के अनुसार जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर की तहसील ज्ञानपुर में ग्राम सभा नवधन, गोधना, सुधवै तथा बड़ागांव में सरकारी जमीन को फर्जी हस्ताक्षर द्वारा कतिपय व्यक्तियों के नाम किये जाने सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में नहीं है उक्त सभी पत्रावलियां उप जिलाधिकारी, ज्ञानपुर द्वारा स्वीकृत हैं तथा फर्जी हस्ताक्षर से चकबन्दी में कतिपय व्यक्तियों का नाम अंकित कराये जाने का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर-रायबरेली से जयपाल पुर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

46-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर में लोक निर्माण विभाग (निर्माण खण्ड) के अन्तर्गत जौनपुर-रायबरेली मार्ग से जयपालपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 02 किमी0 टूट कर नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि हां, तो क्यों ?

खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत के स्वामित्व में है। उक्त मार्ग के मरम्मत का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2019-2020 की कार्य योजना में सम्मिलित है, नियमानुसार कार्यवाही कर यथाशीघ्र कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर की जांच हेतु आदेशित पत्र पर कार्यवाही किये जाने विषयक

47- प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-09-2019 जो कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद शाहजहाँपुर के कटरा जैतीपुर, कलान तिलहर नगर एवं ग्रामीण की जाँच के सम्बन्ध में है, बेसिक शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि दिनांक 26-9-2019 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर को उक्त जाँच के लिए आदेशित किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर उक्त जाँच कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद लखनऊ के राधाग्राम बैरल नम्बर-2 पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक

48-डा0 नीरज बोरा -

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के राधाग्राम में प्रायः पानी भर जाने से जनता को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार राधाग्राम बैरल नम्बर- 2 पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

जी हाँ।

सक्षम स्तर से परियोजना के स्वीकृत होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधूरी पेयजल परियोजनाओं को शीध्र संचालित कराने के सम्बन्ध में

49-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2014-2015 से निर्माणाधीन एकल ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाएं पूरे रायजू, बाबूपुर, गुडरू, उसरापुर, रामपुर मुस्तर्का गुणवत्ता रहित व मानक विरुद्ध निर्मित की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त परियोजनाओं की टी0 ए0 सी0 से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराकर परियोजनाओं को संचालित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत वर्ष 2014-2015 में एकल ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाएं पूरे रायजू, बाबूपुर, गुडरू, उसरापुर, रामपुर मुस्तर्का स्वीकृत हुई थी, जिसके सापेक्ष गुडरू एवं उसरापुर एकल पाइप पेयजल योजना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं पूरे रायजू, बाबूपुर, रामपुर मुस्तर्का का कार्य धनराशि व्यावर्तन होने के कारण पूर्ण नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विभागीय टीम गठित कर टी0ए0सी0 जांच करायी गयी। प्रकरण में व्यावर्तन हेतु दोषी तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करायी गयी। विभागीय जांच प्रचलित है। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में महिला किसान सशक्तीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2019-2020 में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समूह के उत्पादों को खरीदने हेतु बजट का प्रावधान किये जाने विषयक

50-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में महिला किसान सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-2020 में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समूह से कितने उत्पाद एवं कितनी धनराशि के सरकार द्वारा क्रय किये गये ? क्या सरकार उक्त मिशन को बढ़ावा देने के लिए मिशन के उत्पादों को खरीदने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जनपद झांसी में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-2020 में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समूह से सरकार द्वारा कोई उत्पाद क्रय नहीं किया गया है।

उत्पादों को क्रय करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में आजीविका मिशन के बजट में प्राविधान नहीं कराया गया है, क्योंकि योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार उत्पादित उत्पादों के क्रय की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के पिलखुवा एन0 एच0-9 पर स्थित संस्कार इंजीनियरिंग ऑफ साइंस में प्रबन्धन द्वारा फीस वसूली का संज्ञान लेकर कालेज मैनेजमेंट के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

51-श्री असलम अली-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के पिलखुवा एन0 एच0-9 पर स्थित संस्कार इंजीनियरिंग ऑफ साइंस में प्रबन्धन द्वारा छात्रों का उत्पीड़न कर मनमाने मद में फीस वसूली किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कमल रानी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गजियाबाद स्थित संस्कार कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, जिसका कालेज कोड-215 है, का वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 के लिये मानक शुल्क का निर्धारण प्रवेश और फीस नियमन समिति, लखनऊ द्वारा किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा छात्रों का उत्पीड़न कर मनमाने मद में फीस वसूले जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी क्राइम प्रतिशत घटाया हुआ दिखाया गया है। इसका मैंने उस दिन विधिवत आकड़ों के अनुसार जानकारी दिया फिर आज माननीय संसदीय मंत्री जी कह रहे हैं कि क्राइम घटे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों की राय मिलती कहां है, यही तो गड़बड़ है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम घटे नहीं हैं हत्याओं में 13.8 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की भागीदारी है, अपहरण में 20.5, महिलाओं में अत्याचार पर 15.07, नाबालिग बाल अपराध में 14.01, एस0सी0/एस0टी0 अपराध में 27.09, बलात्कार निरोधक ऐक्ट में 2.2, साइबर अपराध में 23.00 यह सी0सी0टी0एन0 जो केन्द्र सरकार की है, जो डाटा देता है। केन्द्र सरकर डाटा देता है वह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार डाटा देती है वह सही है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो केन्द्र ने डाटा दिया है वह सही है कि जो आपने मनगढ़न्त बात कही है वह सही है।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास जो अथेन्टिक पेपर्स हैं वह आपको भेज देता हूं। आप कृपा करके इसका अवलोकन कर लें इसमें एक प्रतिशत भी गलत नहीं है न ही छिपाया गया है। चूंकि आपने आँकड़े दिये हैं, तो हमें भी देना जरूरी है। मान्यवर, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपराध के आँकड़े दे दूंगा।

श्री लाल जी वर्मा-

आप बजट की चर्चा में उत्तर देंगे तो सबका इकट्ठा दे दीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं यह अभी-अभी आया है, हम भी जानकारी करेंगे कि अखिरकार जो मेरे पास आया है हम भेज देंगे। मान्यवर, आप देख लीजिए हत्या 2017 में 4324...

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब आंकड़े हमने बता दिये तो फिर आप क्या बता रहे हैं ? क्या केन्द्र सरकार गलत है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं केन्द्र सरकार गलत नहीं है आपके पेपर के ऊपर शक किया जा सकता है। मेरे पास पहली कापी है, दस्तखत वाली इनके पास फोटो कापी है, इसमें कुछ भी हो सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इनका मनगढ़न्त है केन्द्र सरकार की सही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये पेपर हम आपको भेज देते हैं। हत्यायें 3663 हैं यानी 8.84 की कमी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम भी पेपर दे देंगे, आपके आंकड़े गलत हैं। 2018 में 65 हजार 155 है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार के पास अधिकृत आंकड़े हैं आपके पास भी कहीं से लिये गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अपराधों में कमी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, ये कागज भेज दें, हम भी भेज देते हैं। अपराध बढ़े हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक परसेप्शन से बड़ा कोई मापदण्ड नहीं है, लोकदृष्टि से बड़ा कोई मापदण्ड नहीं है। आज चौराहे पर गली में मोहल्ले में गांव की चौपाई पर यह चर्चा है कि योगी जी की सरकार में एक हजार गुना कानून व्यवस्था बेहतर है। मैं आपको भेज रहा हूं, आप पढ़ लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, खेत, खलिहान, गांव, गली, शहर मोहल्ले में चर्चा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश ने दुनिया में एक नम्बर प्राप्त कर लिया है।

[12:26 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनायें लेते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-301 में हमेशा हाजिरी होती है और यदि कोई माननीय सदस्य अपनी सूचना को पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने का भी मौका मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी क्या इच्छा है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अनुरोध है कि इसमें हाजिरी करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25.02.2020 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से निम्नलिखित 21 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई और शेष 16 माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत हिण्डन नदी पर भगवानपुर एवं हसनपुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत घूघुलपुर में नये रोडवेज बस अड्डा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती सरोज सोनकर की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उर्रा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत घघसरा बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटाव को रोकने हेतु चहोड़ा से कम्हरिया घाट तक हरित पट्टी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के अन्तर्गत मझिली से भिसिया कुरहरी नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमांकित श्रमिकों एवं उनके परिजनों के उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चहनियां बाजार में स्थित पानी की टंकी से पीने का पानी की आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल की जनपद बस्ती के शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधायें प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत ग्राम चहला में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा

पहाड़पुर में बिजली, पानी आदि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट के अन्तर्गत नजूल की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत देवगांव सम्पर्क मार्ग से ठाकुरद्वारा मन्दिर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत ग्रामों में खतौनी बनाने एवं यमुना नदी का सीमांकन कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली शहर के अन्तर्गत रेलवे लाइन पर अन्डर-पास बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड पल्हना में पुलिस चौकी एवं अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में कतिपय ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र विन्ध्याचल के अन्तर्गत रेलवे क्रासिंग गैपुरा पर उपरिगामी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री संजीव कुमार की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के अन्तर्गत रेड़ नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा इक्कीसवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम रेई में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार कर दी गयीं :-

1- डॉ0 संगीता बलवन्त
2- प्रो0 (डॉ0) श्याम बिहारी लाल
3- श्री सुरेश राही
4- श्री सत्यवीर त्यागी
5- श्री बृजभूषण राजपूत
6- श्री जवाहर लाल राजपूत
7- श्री गौरी शंकर वर्मा
8- श्री राम कृष्ण भार्गव
9- श्री अनिल सिंह
10- श्री संजय सिंह गंगवार
11- श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट'

12-श्री सोबरन सिंह यादव

13-ठा0 दलबीर सिंह

14-श्री रोशन लाल वर्मा

15-श्री लाल जी वर्मा

16-श्री नरेश सैनी

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत हिण्डन नदी पर भगवानपुर एवं हसनपुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन जनपद सहानपुर में हिण्डन नदी पर ग्राम भगवानपुर तथा ग्राम हसनपुर में कोई पुल न होने के कारण इस क्षेत्र के निवासियों को उस पार आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के निवासी अपने कृषि कार्य एवं उत्पाद को लाने के लिए नाव के सहारे आते जाते हैं जिसके कारण कई बार नाव दुर्घटना भी हो चुकी है। बच्चे स्कूल समय से नहीं पहुंच पाते हैं। प्रतिदिन इस क्षेत्र के लोगों को तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय आने-जाने में पुल के अभाव में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में भगवानपुर एवं हसनपुर में हिण्डन नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम भगवानपुर एवं हसनपुर में हिण्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत घूघुलपुर में नये रोडवेज बस अड्डा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र के बलरामपुर सदर के अन्तर्गत घूघुलपुर में परिवहन निगम विभाग द्वारा नये रोडवेज बस अड्डा के निर्माण हेतु जमीन की खरीददारी की गयी थी और उक्त स्थान पर नये रोडवेज बस अड्डा का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए घूघुलपुर में नये रोडवेज बस अड्डा का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उर्रा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज सोनकर-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-282, बलहा जनपद बहराइच के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उर्रा में संजय मौर्य के घर से सलीम राइन के घर तक मेन रोड तक लगभग लम्बाई 800 मी0 डामर रोड की स्थिति अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त सम्पर्क मार्ग को डामरीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत उर्रा में संजय मौर्य के घर से सलीम राइन के घर तक मेन रोड तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत घघसरा बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शीतल पाण्डेय-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहजनवा जनपद गोरखपुर में घघसरा बाजार बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ की आबादी 21 हजार से अधिक है। यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। घघसरा बजार को नगर पंचायत बनाकर विकास कार्य कराये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है। परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्रवाई न होने से इस क्षेत्र के आम जनमास में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। जनहित में घघसरा बाजार को नगर पचायंत घोषित करते हुए विकास कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए घघसरा बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटाव को रोकने हेतु चहोड़ा से कम्हरिया घाट तक हरित पट्टी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनीता-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलालापुर जनपद अम्बेडकनगर के अन्तर्गत उत्तरी किनारे से घाघरा नदी प्रवाहित होती है जिससे कटाव की स्थिति बनी रहती है। नदी के किनारे सटे हुए क्षेत्रों से चहोड़ा से कम्हरिया घाट तक एक ग्रीन पट्टी बनाया जाय जिससे नदी के कटाव के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चहोड़ा से कम्हरिया घाट तक ग्रीन पट्टी बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के अन्तर्गत मझिली से भिसिया कुरहरी नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के खजनी विधान सभा में मझिली ताल से पानी भरसी-भिसिया कुरहरी होकर कुवानों नदी में गिरता है परन्तु मझिली के तरफ नाला पटकर ऊंचा हो गया है जिससे ताल में आने वाला पानी नदी में नहीं जा पाता है और वर्षा के कारण खरीफ की फसल सड़ जाती है जिससे किसानों का काफी नुकसान हो जाता है तथा रवी की बुवाई पानी भरा होने के कारण नहीं हो पाती है जिसके कारण किसानों की काफी क्षति होती है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त नाले की सफाई कराकर किसानों को राहत दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमांकित श्रमिकों एवं उनके परिजनों के उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेयी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर करना चाहता हूँ। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक एवं व्यवसायिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस चिकित्सीय सुविधा के बदले बीमांकित श्रमिकों एवं सम्बन्धित प्रतिष्ठान द्वारा निश्चित धनराशि अंशदान के रूप में जमा की जाती है। इन बीमांकित श्रमिकों एवं उनके परिवार के उपचार पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत की जाती है। वर्ष 2019 माह जून से पूर्व बीमांकित श्रमिकों के प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार) द्वारा किया जाता है परन्तु अब माह जून, 2019 के पश्चात कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार) द्वारा यह आदेश किया गया है कि श्रमिकों के उपचार के प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान राज्य की कर्मचारी राज्य बीमा योजना के द्वारा ही किया जायेगा और माह जून, 2019 से बीमांकित श्रमिकों के दावों का भुगतान बन्द कर दिया गया है। लगभग 3000 श्रमिकों के 15 करोड़ के प्रतिपूर्ति दावे लम्बित हैं। सरकार द्वारा बजट की व्यवस्था नहीं की जा रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से सदन का ध्यान श्रमिकों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाते हुए बजट निर्धारण कर श्रमिकों के बीमा प्रतिपूर्ति दावे के भुगतान किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चहनियां बाजार में स्थित पानी की टंकी से पीने का पानी की आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद चन्दौली के विधान सभा सकलडीहा के चहनियां बाजार में कई वर्ष पूर्व पानी की टंकी का निर्माण हुआ था, जिससे ग्राम चहनियां, हिनौता, लछमनगढ़ हसनपुर, गुरेरा, खण्डवारी, सोनहुला जगरनाथपुर रानेपुर और मथेला गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति की जाती थी। पानी हेतु दो पम्प हाउस 30 एच0पी0 मोटर के साथ लगाये गये थे,परन्तु लगभग 2-3 वर्ष से एक पम्प हाउस खराब हो गया है यानी बन्द पड़ा है। पानी आपूर्ति मात्र एक ही पम्प से किया जा रहा है। जिससे एक चौथाई गांवों में ही पानी की आपूर्ति हो पा रही है। कई बार अधिकारी को पत्र एवं मौखिक रूप से शिकायत की गयी। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई न तो बन्द पम्प हाउस को चालू कराया गया। जिससे पीने की पानी की आपूर्ति सभी गांवों को नहीं हो पा रही है। दूसरा पम्प में भी बार-बार कई यांत्रिक खराबी बताया जाता है एवं विद्युत खराबी से बन्द हो जाता है। जिससे पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो रहा है। उक्त प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ है और जनमानस का है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए पीने की पानी को उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती के शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधायें प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

[महोदय, जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 308-कप्तानगंज के अन्तर्गत शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधाए न होने के कारण वहाँ के ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम कुसमौर के शौर्य चक्र विजेता स्व0 सिपाही रघुनाथ सिंह जो 15 कुमाऊं रेजिमेंट में सीमाओं की रक्षा करते हुए दिनांक 07 जून 1984 का को ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहीद गांव सामान्य मूलभूत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनसुविधाओं से वंचित है। ऐसे वीर सपूत की स्मृति में गांव कुसमौर को शहीद गाँव घोषित करना तथा गांव को जाने वाली शहीद के नाम से घोषित करना, गाँव में तोरण द्वारा बनाना, शहीद के नाम पर पंचायत घर/बारात घर, आई0टी0आई0 कालेज/डिग्री कालेज/कन्या इण्टर कालेज, सोलर लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना परम आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत ग्राम चहला में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के डिबाई विधान सभा क्षेत्र के दानपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम चहला में नाला न होने कारण सड़क पर गन्दा पानी भरा रहता है जो लोगों की बीमारी का कारण बन रहा है और ग्रामवासियों को दूसरी तरफ से दूर होकर गुजरना पड़ रहा है। डिबाई विधान सभा क्षेत्र के दानपुर विकास खण्ड के ग्राम चहला में एक नाले का निर्माण किया जाना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूँ।]

जनपर गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सैदपुर अन्तर्गत ग्राम सभा पहाड़पुर में बिजली, पानी आदि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। जनपद-गाजीपुर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-सैदपुर 374 के ग्राम सभा पहाड़पुर जो गांगी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस गाँव में बहुत अधिक मात्रा में गरीब अपना जीवन यापन करते हैं। इस गाँव के लोगों का मूल कार्य हस्तशिल्प का है जो वाल हैगिंक बनाते है और इनका पूरा परिवार इसी पर निर्भर है। लेकिन विगत 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर जिला के माध्यम से एक हाल बनाया गया था। जहाँ पर गांव की पूरी महिलाएं एकत्रित होकर धांगा कातने का काम करती है। लेकिन वर्तमान समय में इन लोगों के घरों में उचित बिजली तथा कोई ऐसा सामुदायिक हाल, बिजली, पानी आदि नहीं है जहाँ पर बैठकर गाँव की महिलाएं अपना कार्य कर सकें।

अतः श्रीमान जी आपके माध्यम से इस गाँव का सर्वे कराकर गरीबों के जीवन यापन करने हेतु समस्त व्यवस्थाओं का नवीनीकरण कराने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की पुरजोर मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत नजूल की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद लखनऊ के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के बाबू कुंज बिहारी वार्ड के अन्तर्गत स्थित भीमनगर के दक्षिणी भाग में स्थित नजूल की भूमि पर पार्क बनाने हेतु तत्कालीन मा0 नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा मौके पर जाकर पार्क निर्माण हेतु आश्वासन देने के बाद भी पार्क निर्माण का कार्य शुरु नहीं हो सका। उक्त नजूल की भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे रोका जाना आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल पार्क बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत देवगांव सम्पर्क मार्ग से ठाकुरद्वारा मन्दिर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेरे द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास योजना से सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु माननीय मुख्य मंत्री आर्थिक विकास योजना उ0प्र0 सरकार को घोषणा सं0-124-663 चौतिस/घोषणा 12018 (7) में देवगांव सम्पर्क मार्ग से आबादी भाग में ठाकुरद्वारा मन्दिर तक सी0सी0रोड तथा नाली निर्माण के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी परन्तु अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभिकरण विभाग उन्नाव के द्वारा अभी तक उक्त वांछित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। ग्राम सभा की आबादी 4000 के उपर है इंगित स्थल की सड़क अत्यन्त खराब है उस क्षेत्र में जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के निर्माण कार्य से उस क्षेत्र के लगभग पचास गांव की जनता को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। यह कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न की स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र सफीपुर जनपद उन्नाव के अन्तर्गत प्रस्तावित आर्थिक विकास योजना उ0प्र0 सरकार की घोषणा अन्तर्गत देवगांव सम्पर्क मार्ग से आबादी भाग में ठाकुरद्वारा मन्दिर तक शासन द्वारा धन आवंटन के साथ स्वीकृत सी0सी0रोड तथा नाली निर्माण के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत ग्रामों में खतौनी बनाने एवं यमुना नदी का सीमांकन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाहिद हसन-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि यमुना नदी के बहाव से उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य की सीमा विवाद को सुलझाने हेतु दीक्षित वार्ड के अनुसार कैराना विधान सभा क्षेत्र शामली में खतौनी बनाने एवं यमुना नदी में सीमा पिलर लगाने का कार्य चल रहा है। परन्तु लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग एवं सर्वे आफ इंडिया के अधिकारियों में आवश्यक सामंजस्य न होने तथा उदासीनता के कारण लोकमहत्व का यह कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है। इस कारण से प्रतिवर्ष फसल काटने पर उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों में खूनी संघर्ष होता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। यह कार्य समयबद्धता के आधार पर निष्पादित कराना अतिआवश्यक है। विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से एवं स्थानीय स्तर पर पता करने पर अधिकारीगण औपचारिक जवाब देते हैं कि खतौनी का कार्य चल रहा है तथा सीमांकन कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जायेगा। परन्तु खतौनी कार्य किस तिथि तक पूर्ण करा लिया जायेगा और सर्वे आफ इण्डिया चंडीगढ़ की सर्वे शीघ्र पूर्ण करने हेतु क्या उपाय सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किये गये हैं, का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। स्पष्ट है कि प्रशासनिक उदासीनता से लोक महत्व के इस कार्य को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त जन समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[महोदय, नौतनवां न्यू पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सन् 1940 का बना हुआ है जिस पर नया कुछ भी नहीं। पूरे 20 हजार नगरवासियों के स्वास्थ्य चिकित्सीय सुविधा के लिए उपलब्ध है नए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। भवन टूटा-फूटा हुआ है। सरकार इतने महत्वपूर्ण न्यू पीएचसी के भवन का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसको कराने के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कृपया लोक महत्व के इस विषय को संज्ञान लेकर भवन निर्माण कराने की कृपा आवश्यक है।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली शहर के अन्तर्गत रेलवे लाइन पर अण्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि बरेली शहर में स्थित सिटी शमशान भूमि जो अब शहर के अन्दर दो रेलवे लाईनों के पार उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे तथा दो फाटक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़क पर भी बहुत भीड़ रहती है। ट्रेनों का आवागमन बहुत अधिक हो गया है। लगभग 200 ट्रेनें रोजाना निकलती है। इसलिए फाटक अक्सर बन्द हो जाता है। यातायात भी जाम हो जाता है। शव यात्रा के साथ आये लोगों को फाटक बन्द होने के समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त स्थान पर एक अण्डरपास बनवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड पल्हना में पुलिस चौकी एवं अग्नि शमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जिला-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के वि0ख0-पल्हना का क्षेत्रफल एवं आबादी का मानक भी पूरा करता है। पल्हना पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाया जाना एवं एक उप फायर स्टेशन (अग्नि शमन केन्द्र) की आवश्यकता है। उक्त वि0ख0 में पुलिस चौकी को थाना एवं अग्निशमन केन्द्र न होने से क्षेत्रीय जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त पुलिस चौकी को पुलिस थाना एवं उप फायर स्टेशन बनाये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में कतिपय ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ग्रामों में फ्लोराइड एवं लवण की मात्रा अधिक होने के कारण पेयजल पूरी तरह से दूषित हो गया है, दूषित पानी का सेवन करने से लोगों में उदरजनित बीमारी फैल रही है तथा ऑखों की रोशनी कम हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुये यहाँ पर ग्रामीण पेयजल समूह योजनायें स्वीकृत की गयी है जिससे इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को इस महामारी से बचाया जा सके। लगभग दो तिहाई हिस्से को इन ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ग्रामीण पेयजल समूह योजना संग्रामगढ़, ग्रामीण पेयजल समूह योजना देवरी, ग्रामीण पेयजल समूह योजना अरौं, ग्रामीण पेयजल समूह योजना अगई, ग्रामीण पेयजल समूह योजना अठेहा, ग्रामीण पेयजल समूह योजना रामपुर दाबी, ग्रामीण पेयजल समूह योजना जेंवई, ग्रामीण पेयजल समूह योजना कुम्भीआईमा, ग्रामीण पेयजल समूह योजना राजापुर, ग्रामीण पेयजल समूह योजना सिलौधी, ग्रामीण पेयजल समूह योजना पूरे नोती आदि सहित कई अन्य ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं से जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिनमें कुछ योजनाओं की पाईप पूरी तरह से नहीं बिछाई गयी है, कई पेयजल समूह योजनाओं की रि-बोर न होने से जलापूर्ति बाधित है और कुछ पेयजल समूह योजनाओं में मोटर या तकनीकी कमी के कारण जलापूर्ति बाधित है, जिसके कारण लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं सुलभ हो पा रहा है अतः लोगों के सामने पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ ही साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जल स्तर (अण्डर ग्राउण्ड वॉटर लेबल) काफी नीचे होने के कारण निजी हैण्ड पाईपों एवं कुओं के माध्यम से पीने के लिये पानी सुलभ नहीं हो पाता है अतः यहाँ पर पेयजल का गम्भीर संकट है। लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने हेतु ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं की कमियों को दूर करके शीघ्र जलापूर्ति उपलब्ध कराना आवश्यक है। ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं द्वारा जलापूर्ति बाधित होने के कारण जहाँ लोगों के सामने स्वच्छ पेयजल का गम्भीर संकट है, वहीं लोगों में चिन्ता एवं रोष भी व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र विन्ध्याचल अन्तर्गत रेलवे क्रासिंग गैपुरा पर उपरिगामी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्रा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 596 मीरजापुर अन्तर्गत गैपुरा रेलवे क्रासिंग गेट नं0-12 आवागमन की दृष्टि से बहुत व्यस्ततम रेलवे क्रासिंग है। रेल के अत्यधिक आवागमन के कारण प्रत्येक घन्टे पर रेलवे क्रासिंग बन्द होने के कारण घन्टों जाम की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण अस्पताल जाने वाले मरीज समय पर इलाज के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और कर्मचारी तथा स्कूल के बच्चे समय पर स्कूल एवं कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। जनहित में इस रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गैपुरा रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के अन्तर्गत रेड़ नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव कुमार-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र ओबरा जनपद सोनभद्र में ओबरा से चकाड़ी व अन्य कई ग्राम पंचायतों को सम्पर्क से जोड़ने के लिए रेड़ नदी पर पुल न होने के नदी उस पार के ग्रामीणों को 40-50 कि0मी0 दूरी तय करके मुख्य सम्पर्क मार्गों पर आना पड़ता हैं, कई बार ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के बाद भी उपरोक्त पुल का निर्माण नहीं हो पा राहा है पूर्व में रेड़ नदी के राखी पुल के पास पुल का निर्माण स्वीकृत हुआ था जिसका अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है। रेड़ नदी के उस पार से गांव के लोग कैद खाने के सामान कैद है। ग्रामीण बीमारी, महिलाओं डिलिवरी व अन्य दशा में मुख्य सम्पर्क तक पहुँचते-पहुंचते आसामयिक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। जिससे लोगों में आक्रोश बना हुआ है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रेड़ नदी पर पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम रेई में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 13-पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत ग्राम रेई में बाईपास रोड लगभग 1.5 कि0मी0 का निर्माण अति आवश्यक है। बाईपास मार्ग कच्चा होने के कारण पानी भर जाता है और क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों एवं किसानों को उक्त मार्ग से निकलना कठिन हो जाता है। ग्राम रेई में बाईपास मार्ग पर लगभग 8 से 9 ग्रामों के किसानों का आवागमन होता है। ग्राम रेई में ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों तथा किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य कराना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की गई मांग करता हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियम-301 में एक सूचना मेरी भी है। आपसे निवेदन है कि कृपया इसको ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आपका तो आज भाषण ही होना है। मैं जानना चाह रहा हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री और मा0 नेता विरोधी दल में आंकड़े के बारे में कोई सहमति बनी अथवा नहीं। आप इनसे राजी हो गये अथवा यह आपसे राजी हो गये ?

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया मेरी बात सुन लीजिये। सदन में माननीय मंत्रीगण गलतबयानी करने में माहिर हो गये हैं। अभी कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि छुट्टा पशुओं की अधिकता हो गई है। यहां उत्तर प्रदेश में तो हैं ही मध्य प्रदेश और हरियाणा से काफी संख्या में वह प्रदेश में आकर फसलों का नुकसान करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने हरियाणा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम लिया था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है, आपने जहां का भी कहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं यह जानना चाह रहा हूं कि क्या आप दोनों लोग बार्डर पर जायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल सदन में कहा था कि छुट्टा और आवारा पशु उत्तर प्रदेश के तो हैं ही बाहर के प्रदेशों से भी यहां लाकर छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आज सदन में एक माननीय मंत्री जी का दूसरा बयान आया कि यहां कोई छुट्टा पशु है ही नहीं। यह साधारण बात नहीं है कि एक माननीय मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से भी आवारा और छुट्टा जानवर आ गये हैं और दूसरे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई छुट्टा जानवर है ही नहीं। अब आप ही बता दीजिये कि किसको सही माना जाये और किसको गलत।

श्री अध्यक्ष-

अब जो आपकी सूचना है वही सही।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम कल इसे नियम-301 में उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रतिपक्ष के जो नेतागण आगे बैठे हैं हम आप लोगों से परामर्श चाहते हैं कि हम नियम-56 कराकर नेताओं का भाषण करायेंगे ना।

(इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

[12:31 बजे] उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2019-2020) का 148वां (एक सौ अड़तालिसवां) प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2019-2020) का 148वां (एक सौ अड़तालिसवां) प्रतिवेदन, जो आवास एवं शहरी नियोजन, गृह एवं कारागार, परिवहन, नगर विकास, माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज, सिंचाई, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सहकारिता, वित्त तथा नियुक्ति विभागों के वर्ष 1992 से 2019 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, को उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

पवन कुमार उर्फ पवन केडिया जी हैं, नहीं हैं। श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया के अनुपस्थित होने पर।

[12:32 बजे] श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुईं††

(1) जनपद कुशीनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा को उच्चीकृत कराते हुए 300 शैय्या का अस्पताल बनवाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव निवासी जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद कुशीनगर के सुकरौली में मझना नाले पर पुल व सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में श्री राजेश गुप्ता व अन्य निवासी जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

श्री बम्बा लाल जी, याचिका प्रस्तुत करें।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं††

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के ग्राम व पोस्ट-रायपुरगढ़ी ब्लाक नवाबगंज में पंचायती राज विभाग द्वारा 400 मीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग सिंह निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत बिरमपुर के भगरवट, सफीपुर उन्नाव में 500 मी0 रोड का डामरीकरण तथा एक

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंशू दीक्षित निवासी जनपद उन्नाव व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आसीवन तरफ जरूल्ला नगर विकास खण्ड मियागंज में बारातशाला एवं अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत आई0टी0आई0 केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत मोहम्मदपुर चक सुनौना के प्राथमिक विद्यालय से हिम्मत खेड़ा तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनीता वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित उपस्थित करता हूं।।

श्री अधिष्ठाता-

श्री बहोरन लाल मौर्य जी, याचिका प्रस्तुत करें।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद, बरेली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत बशुधरन इटौआ मार्ग से मुडिया उदों तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश निवासी जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत शेरगढ़ बहेड़ी मार्ग से जसनपुर होते हुए गहलुइया तक सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुक्ता प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत सेमीखेड़ा रेलवे फाटक के पास से मुडिया जाहिर तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत डहिया के पास नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजकुमार द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 07 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा मंशापुर कुटी से मंशापुर होते हुए करौना तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सहाय वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, यहां गलत लिखा है। मान्यवर, जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र यहां 277 की जगह 281 है।मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र 281 कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत रोशनगढ़ खानूपुर जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग लगभग 500 मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समई राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा विश्रामपुर मोमिनपुर निषाद बस्ती चौराहा से होरिलपुर के छोटेलाल के आवास तक जर्जर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग लगभग 1.5 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित सिकन्दपुर सम्मनपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम सुबारपुर में खेत होते हुए अशोक कुमार के आवास तक जर्जर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 600 मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा आलमपुर अखई में मड़िया तालाब से राजेश राजभर के आवास तक नाला एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरालाल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा ससपना के राम केवल मौर्या की बाग से राम रूप मौर्या के राईस मिल तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 800 मी0) का निर्माण

† छापी नहीं गयीं।

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम रूप मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा मिर्जाबेग दुःखर तालाब से सुबारपुर नैली लारपुर होते हुए नया नगर मार्ग तक नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री तिलक राज राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम रमपुरा, शिवपुरा मजरा उतरावां में नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री देवतादीन व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम गौतम खेड़ा में पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवनीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम कृपालपुर बिचलिका में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजपाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज ग्राम हुलास खेड़ा नहर पुल से कुढ़ा होते हुए समेसी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतराम रावत व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगजं में स्थित समेसी मार्ग से कुबहरा गांव का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम गुलाम व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री संजय सिंह इस समय अनुपस्थित हैं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री सत्यवीर त्यागी याचिका प्रस्तुत करें।

---

† छापा नहीं गया।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला मेरठ के अन्तर्गत ग्राम भुड़पुर से ग्राम रजपुरा तक ब्लाक रजपुरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री दिनेश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम रजपुरा ब्लाक खरखौदा ग्राम रजपुरा में नाला बनवाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम खासपुर में जगत सिंह के मकान से श्मशान घाट तक ब्लॉक खरखौदा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर नारायण में तालाब से नाले तक ब्लॉक-माछरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री मुकेश त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह याचिका प्रस्तुत करें।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के मदुरी ग्राम में सतनेश्वर विद्या मंदिर इण्टर कालेज जाने के मार्ग पर पुल व सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित ग्राम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली में ग्राम बण्डई से बरहा मार्ग पर स्थित लोन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल याचिका प्रस्तुत करें।

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में राजस्व ग्राम सुबिखाबाबू, पो0 कटरिया में प्राथमिक विद्यालय के नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में ग्राम पंचायत पकड़ी जप्ती में बारातघर बनवाने के सम्बन्ध में श्री सत्यदेव दूबे व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में राजस्व गांव सुबिखाबाबू में कटरिया बंधे से राजस्व गांव सुबिखाबाबू होते हुए बाबा की कुटी तक पिच रोड या सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में पढ़नी महराजगंज सम्पर्क मार्ग से बाबा गरीबदास महराज जी के स्थान तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल पाठक व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के अन्तर्गत परसा रामपुर मार्ग पर स्थित सरैया चौराहा से सरैया गांव में श्री अमित तिवारी के आवास तक की सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री अमित तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के ग्राम पंचायत डिंगरापुर में डीह बाबा के स्थान से बुढ़वा बाबा के स्थान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरेश प्रताप सिंह निवासी जनपद बस्ती व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री मो0 फईम इरफान याचिका प्रस्तुत करें।

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित

01 याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम मौहम्मद इब्राहिमपुर सम्पर्क मार्ग से समसपुर, विजयपुर होते हुए पालनपुर स्थित जरगांव स्टेशन तक नवीन डामर मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 उस्मान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री रामफेरन पाण्डेय याचिका प्रस्तुत करें।

---

† छापा नहीं गया।

श्री रामफेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद श्रावस्ती में गिलौला बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार पाठक निवासी जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री लाल जी वर्मा याचिका प्रस्तुत करें।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 13 याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम सभा हरिश्चन्द्र पुर में श्री प्रेमनाथ सिंह के आवास से श्री रामदुलार के आवास तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-टाण्डा के अन्तर्गत टाण्डा बरूआ जलाकी मार्ग से जियापुर अनुसूचित जाति आबादी तक जर्जर सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1.0 कि0मी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुरुद्ध वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत प्राणनाथपुर नसीरपुर सम्पर्क मार्ग से मथानी दलित बस्ती तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बहोर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील जलालपुर के ग्राम पंचायत मालीपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रशेखर यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत प्राणनाथपुर नसीरपुर सम्पर्क मार्ग से मथानी दलित बस्ती तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित पटेल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत पंचायत भवन मथानी से श्री राम के नलकूप तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का

---

† छापा नहीं गया।

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किसान मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-भीटी के अन्तर्गत भीटी में संतराम के आवास से गोसाईगंज भीटी मार्ग तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत खूखुतारा भड़सारी मार्ग से कमलापुर तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जनम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत जियापुर पुलिया से टाण्डा बरूआ जलाकी मार्ग से पौसरा राजबाहा की पुलिया तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमनाथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत शाहपुर परासी जर्जर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 200 मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम भवन राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(11) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत खूखुतारा भड़सारी मार्ग से महमदपुर बहादुरपुर मार्ग श्री बद्री वर्मा के आवास तक जर्जर सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 1.00 कि0मी0 का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज राम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

(12) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत अटवाई राम तीरथ गुप्ता के आवास से अहिरनवॉ हाथपाकड़ गोसईगंज तक जर्जर सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 5.00 कि0मी0 का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरगोविन्द वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

(13) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम सभा खमपुर से सूर्यगढ़ तक जर्जर कच्चा सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 450 मी0 का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती सुचिस्मिता मौर्या याचिका प्रस्तुत करें।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी दाढ़ीराम रोड से पहिती सम्पर्क मार्ग पर टूटा हुआ रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करती हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मझवां के ग्राम सभा लरवक में भगवान शिव के प्राचीन सारनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में श्री रमेश राय व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं तथा

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम दांती को मुख्य सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री कुंवर मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री प्रेम सागर पटेल याचिका प्रस्तुत करें।

श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित 01 याचिका 02 याचिकाएं एवं जनपद गोण्डा से सम्बन्धित†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महराजगंज में निचलौल बस स्टेशन को पुनः संचालित किए जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र पाल सिंह निवासी जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत सिसवा बाजार में अवैध रूप से तह बाजारी के सम्बन्ध में श्री अन्नू पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत सरयू नदी के कैथी घाट पर पीपे के पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 सेतु निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह पिंटू व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती निर्मला संखवार याचिका प्रस्तुत करें।

---

† छापा नहीं गया।

श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम सभा बिरहून में बारात घर बनाये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम पंचायत सजावारपुर उसरी डामर रोड से रजपुरवा बम्बी अजनपुर बिलहा डामर रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री जगदीश निवासी कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री मनीष असीजा (अनुपस्थित)।

श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 01 याचिका उनकी अनुपस्थिति में व्ययगत हुई†

(1) श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा ने जनपद फिरोजाबाद में मोहल्ला रघुवर नगर में मुख्य मार्ग एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश राठौर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती अनुपमा जायसवाल (अनुपस्थित)।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 09 याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्ययगत हुईं†

(1) जनपद बहराइच के विधान सभा बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम सुसरौली में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यमुना प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद बहराइच की विधान सभा बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यशोदा कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद बहराइच की विधान सभा बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम कुड़वा में डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यशोदा कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापा नहीं गया।

(4) जनपद बहराइच की विधान सभा बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम सदियाबाद में डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम केवल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) जनपद बहराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम सरवा में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) जनपद बहाराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम सरवा में डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) जनपद बहराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम सरवा में डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद बरहाइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) जनपद बहराइच के विकास खण्ड प्रयागपुर के अन्तर्गत ग्राम गुलहरिया में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब दास व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(9) जनपद बहराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम सरवा में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

श्री रजनी कान्त मणि त्रिपाठी याचिका प्रस्तुत करें।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत आने वाले सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रीता देवी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री प्रभात कुमार वर्मा याचिका प्रस्तुत करें।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

(1) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तालागंज ग्रन्ट में पानी टंकी लगाये जाने के

† छापा नहीं गया।

सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र नाथ पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम बख्तीखास में पानी टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम मझौवा तोग में पानी टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दौलतपुर ग्रन्ट में पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोमती यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री कैलाशनाथ सोनकर याचिका प्रस्तुत करें।

श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

(1) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के ग्राम बेलवरिया सिंधोरा मुख्य मार्ग से ग्राम सभा ऐढ़े बार्डर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अदालत पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के ग्राम भगवानपुर तहसील सदन में श्री रामलाल पाले के घर से पुरूषोत्तम के घर तक पाइप डालकर जल निकासी कराने के सम्बन्ध में श्री रामलाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी में वि0ख0 चोलापुर के ग्राम धौरहरा में स्थित मलिन बस्ती के नाले में लगभग 400 मी0 600 एम0एम0 ह्यूम पाइप डालकर खटाई सोनकर के घर से अम्बेडकर पार्क तक लम्बाई लगभग 650 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री खटाई सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

† छापा नहीं गया।

(4) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी में वि0ख0 चोलापुर के ग्राम धौरहरा में जे0एम0के0 पब्लिक स्कूल से सोनकर बस्ती तक लगभग 1.0 कि0मी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शीला निषाद व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा याचिका प्रस्तुत करें।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलिया में राज्य सड़क निधि योजना द्वारा सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री अनिल सिंह याचिका प्रस्तुत करें।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 07 याचिकाएं†

(1) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर में उन्नाव जिला नगर की सीमा पर जानवर काटने वाली पशु वधशालाओं के सम्बन्ध में श्री आनन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव में भगवन्तनगर के कस्बा बीघापुर में 100 शैय्या अस्पताल की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमेश प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत ग्राम मुक्तेमऊ में किसानों की फसल सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-असोहा के अन्तर्गत ग्राम गिलसहामऊ में किसानों की फसल सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

(5) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्राम ज्ञानपुर पो0 दरेहटा अचंली वि0ख0 असोहा में नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कलावती प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव में भगवन्तनगर पुरवा में निजी ट्यूबवेल के लिए ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

(7) माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव से लालगंज-रायबरेली तक का राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-31 का सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम पाल वर्मा याचिका प्रस्तुत करें।

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के विभिन्न सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सन्दीप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बालामऊ में सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री सुरेश पाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं तथा

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई कोथावॉ की सीमा में आदि गंगा गोमती नदी का किनारा एवं राजघाट के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती सरिता भदौरिया याचिका प्रस्तुत करें।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद इटावा के ग्राम लहिया कला, ब्लाक बसरेहर में प्राथमिक विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं तथा

† छापा नहीं गया।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद इटावा में स्थापित यू0पी0 स्पिनिंग कोआपरेटिव मिल की जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने तथा मिल को पुनः चालू कराने के सम्बन्ध में श्री अवनीश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती साधना सिंह याचिका प्रस्तुत करें।

श्रीमती साधना सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद चन्दौली के अन्तर्गत अवस्थापना निधि के अन्तर्गत पड़ाव पचपेड़वा मार्ग से चन्दासी कोयला मण्डी तक सड़क चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक पोद्दार निवासी जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सदर मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द अग्रहरि निवासी जनपद चन्दौली व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद चन्दौली के अन्तर्गत नगर पंचायत चन्दौली में राजकीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री पवन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद चन्दौली के अन्तर्गत दीनदयाल रेलवे स्टेशन के डी0आर0एम0 भवन से भूसा मण्डी रामनगर तक चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री अवस्थी बाला प्रसाद याचिका प्रस्तुत करें।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम वेलागढ़ी को बहराइच गोढ़ रोड से ग्राम केरातीपुरवा तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री तीरथ राम यादव पुत्र मूलचंद व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम पम्प तिराहे से टूटी चौड़ी सड़क खमरिया ऐरा शुगर मिल मुख्य मार्ग तक सड़क

---

† छापा नहीं गया।

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खिलाड़ी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक रमियाबेहड़ के अन्तर्गत ग्राम पंडितपुरवा सुजई से धोरहरा रोड के बीच टूटे पक्के पुल को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू शुक्ला व अन्य निवासीगण जजनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा के ब्लाक ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम रायपुर से वेल्तुहा मार्ग के मध्य टूटे हुए रपटा पुल को बनाये जाने के सम्बध में श्री विक्रान्त अवस्थी पुत्र वृजेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री आजाद अरिमर्दन याचिका प्रस्तुत करें।

श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हना के अन्तर्गत ग्राम खुरसू में राजभर बस्ती के समीप बेसो नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजित कुमार निवासी जनपद आजमगढ़ व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम खराट में मार्टिनगंज सम्पर्क मार्ग पर उदान्ती नदी पर क्षतिग्रस्त पुल को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल कुमार निवासी जनपद आजमगढ़ व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज की ग्रामसभा असवनियां व कुड़िहर में शारदा सहायक खण्ड-23 से अर्द्धनिर्मित कुड़िहर माइनर को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खिलाड़ी राम पूर्व प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के ब्लाक पल्हना में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो तरवा से संचालित होता है, यहां पर मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय केन्द्र कटघर को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूफियान व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम सिरसेड़ी के प्राथमिक विद्यालय के पास बेसो नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सरोज व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री असलम अली याचिका प्रस्तुत करें।

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम लालपुर सौलाना से ग्राम धौलाना वाला जर्जर पड़े मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहनवाज व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम पिपलेड़ा से ग्राम मंसूरी एन0एच0-9 तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामिल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम नरेना नहर से ग्राम दहीपुर वाला जर्जर पड़े मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम किरन व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम देहरा से बझेड़ा खुर्द तक जर्जर पड़े मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे राणा व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री पंकज सिंह याचिका प्रस्तुत करें।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद नोएडा से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन दिए जाने के सम्बन्ध में श्री हरगोविन्द सिंह पुत्र श्री बच्चन लाल व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अधिष्ठाता-

श्री महबूब अली याचिका प्रस्तुत करें।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अमरोहा में रामहट सहसपुर मार्ग पर ग्राम रामहट के आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग 0.700 कि0मी0 का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमीनचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अमरोहा में खरखौदा भवालपुर मार्ग से शहवाजपुर मार्ग तक 0.29 किमी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तालिब व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री शीतल पाण्डेय याचिका प्रस्तुत करें।

श्री शीतल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर में विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में राष्ट्रीय राज्य मार्ग एन0एच0 28 भीटी रावत चौरसिया चौराहा तक पिच मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री सरवन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर में विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में बोक्ता बरतार एवं सहजनवां डुमरियागंज बाबू के दोनों बंधों के रोड को पक्का कराकर पिच रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री परशुराम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री छत्रपाल सिंह याचिका प्रस्तुत करें।

श्री छत्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली में ग्राम वसुपुरा नगर, वि0ख0 दमखोदा में सुरक्षा दीवार तथा खड़न्जा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्द किशोर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली में ग्राम सिमरा, पो0 जसाई नगर, वि0ख0 व तहसील बहेड़ी में विद्युत पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के ग्राम मिर्जापुर औरंगबाद से नरायन नगला बाजार वाली रास्ता से बहेड़ी बंजारिया मार्ग तक पक्की रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नेम चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली में ग्राम लखनपुर, पो0 रसूलपुर, तहसील बहेड़ी के ग्राम पश्चिम वाले रास्ते से सुल्तानपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर नाले की पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री जयबीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के ग्राम गुरसौली चन्द्रपाल के मकान से नरायन नगला बाजार तक पक्की रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र पाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के ग्राम उदरा से भोजपुरा तक का मुख्य मार्ग को पक्की सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री कुँवरसेन व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री रामानन्द बौद्ध याचिका प्रस्तुत करें।

श्री रामानन्द बौद्ध, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के क्षेत्र कप्तानगंज के ग्राम बडहरा बाबू से पश्चिम जाने वाली सड़क भैसही ड्रेन के क्रासिंग पर 12 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय मल्ल प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के छोटी गण्डक नदी पर ग्राम अथरहा में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री कैलाश नाथ शुक्ल (अनुपस्थित)।

(मा0 सदस्य, श्री कैलाश नाथ शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे)

---

† छापा नहीं गया।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुईं†

(1) जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-हरैया सतघरवा के अन्तर्गत कोड़री मथुरा मार्ग को ग्राम टेढ़वा के पास राप्तीनदी के कटान से बचाने के लिए तटबंध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव प्रसाद यादव प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-हरैया सतघरवा के अन्तर्गत मथुरा चौधरी डीह मार्ग पर ग्राम करमैती के पास स्थित लोक निर्माण का बाढ़ एवं अतिवृष्ट से क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज प्रकाश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-तुलसीपुर के अन्तर्गत महराजगंज बेला मार्ग पर स्थित राप्तीनदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामभवन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-हरैया सतघरवा के अन्तर्गत ग्राम शिवपुरा ठाकुरजोत में पूर्व निर्मित विद्युत उप केन्द्र के संचालन अथवा नये विद्युत उप केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब पाठक व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

श्री जवाहर लाल राजपूत याचिका प्रस्तुत करें।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की ब्लाक बामौर की कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री रवि शर्मा (अनुपस्थित)।

(मा0 सदस्य श्री रवि शर्मा का नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 01 याचिका उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुई†

(1) जनपद झांसी महानगर के प्रेमनगर क्षेत्र में राजकीय अस्पताल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री तरूण अरोड़ा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 10 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

---

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-40, 41, 42 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-43।

[01:10 बजे] उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020[††]

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-45 को बाद में लेंगे।

[01:12 बजे] वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा[†††]

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट की सामान्य चर्चा में अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बजट जिसे माननीय मंत्री जी ने बहुत शेर और शायरी के साथ प्रस्तुत करने का काम किया, उसमें केवल शेर-शायरी ही है। यह बजट दिशाविहीन, निराशाजनक, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बजट है। भाजपा ने किसानों को, बेरोजगार युवकों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ विश्वासघात करने का कार्य किया। मान्यवर, मेरा यह मानना है कि किसी भी सरकार का जो बजट होता है उसको उस सरकार के घोषणा-पत्र के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत होती है। माननीय मंत्री जी ने अपनी सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत करने का काम किया। यह वर्ष 2017 मार्च में आए थे और इन्होंने 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का बजट प्रस्तुत करने का काम

[††] दिनांक 12/03/2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[†††] दिनांक 24 फरवरी, 2020 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया। हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि इस बजट में जो इन्होंने अपने संकल्प-पत्र के माध्यम से प्रदेश के लोगों से, आम जनता से वायदा किया था, उस दिशा में कितनी प्रगति लाने का काम किया। जब हम उससे समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि इस बजट में उस संकल्प-पत्र में किये गये वायदों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया गया।

मान्यवर, इन्होंने अपने संकल्प-पत्र में कहा था कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जायेगा। इन्होंने कहा था कि 14 दिनों में गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जायेगा। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता है तो ब्याज सहित भुगतान कराने का वायदा किया था। मान्यवर, अभी हमारे गन्ना मंत्री जब खड़े होते हैं तो अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने गन्ना किसानों का बकाया 86 हजार करोड़ का भुगतान कराया, जैसे इन्होंने उनको दान में दे दिया। इन 4 वर्षों में केवल वायदा किया था कि हम 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम करेंगे और केवल 10 रुपये की वृद्धि एक बार की है, उसके बाद से लगातार 325 रुपया बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2007 में जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी थी, सुश्री बहन कुमार मायावती जी जब मुख्य मंत्री बनीं थी तो उस समय गन्ने का प्रति क्विंटल दाम 119 रुपये था और अंतिम समय जब वर्ष 2011-12 का आया तो उसका दाम हमने 240 रुपये प्रति क्विंटल किया यानि दूने के लगभग बढ़ाने का काम किया। ब्याज सहित लोगों का भुगतान भी कराने का काम किया। आज 86 हजार करोड़ का बार-बार उल्लेख होता है। मान्यवर, किसान की स्वयं की मेहनत की कमाई का पैसा था यदि आपने भुगतान कराया तो कौन-सा उनके ऊपर एहसान किया ? कौन-सा उनके साथ बहुत बड़ा काम किया ? अभी माननीय मंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जिक्र किया था कि 14 हजार करोड़ की जगह पर जो भुगतान किया गया है, उसके बाद भी साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया है।

मान्यवर, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा था कि हम धान का समर्थन मूल्य पर क्रय करेंगे। आज प्रदेश में किसान धान बेचने के लिए 13 सौ, 14 सौ रुपये प्रति क्विंटल पर विवश हो रहा है। इन्होंने कहा था कि नील गायों एवं आवारा पशुओं से किसान की फसल की क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं जाएंगे परंतु आज भी हर समय यही प्रश्न आता है। मान्यवर, आप भी गांव में निकलते होंगे। आपसे भी किसान इस बात की शिकायत करता होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में केवल नील गाय नहीं आज प्रदेश में तमाम अन्य जानवर भी किसान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण किसान को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, इन्होंने 70 लाख युवकों को रोजगार देने का वादा किया था, यानी प्रत्येक वर्ष 14 लाख रोजगार दिया जाय तब यह काम पूरा होगा। दूसरी तरफ जो आज आंकड़े आये हैं, सी0एम0आई0ई0 के आंकड़े के अनुसार वर्ष, 2019 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी घटने की

जगह पर 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना था उन्होंने गोरखपुर में कहीं कहा कि हमने ढाई लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। विधान सभा में कई बार श्रम विभाग के माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमने एक साल में 1,20,000 नौजवानों को रोजगार दिलाया, आपने वादा तो 70 लाख का किया था। 70 लाख यानी एक साल में 14 लाख लोगों को आप रोजगार दिलाते तब वादा पूरा होता। उस दिशा में आपका प्रयास बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण ही वर्ष, 2019 में बेरोजगारी की दर में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष, 2018 में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आपने यह भी वादा किया था कि 90 दिनों में समस्त सरकारी रिक्त पदों को भरा जायेगा, वह भी पूरा नहीं हुआ। आपने वादा किया था कि सभी युवाओं को कालेजों में दाखिला लेने पर मुफ्त लैपटाप दिया जायेगा। सभी युवाओं को, कहीं इसमें भेद नहीं किया था, जो 100 लोग सबसे अधिक अंक पायेंगे। इस बजट में व्यवस्था की गयी है कि 100 ऐसे विद्यार्थी जो सबसे अधिक अंक पायेंगे उनको हम लैपटाप देंगे। वादा किया था कि सभी युवाओं को लैपटाप देने का, सभी छात्राओं को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने का। मान्यवर, आज ही एक प्रश्न लगा हुआ था प्रश्न संख्या-12 पर जिसमें डॉक्टर सुषमा पटेल ने प्रश्न पूंछा था कि क्या सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को ग्रेजुएट, स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था करेगी ? माननीय उप मुख्य मंत्री जी का जवाब था, जी नहीं। वादा तो किया था, कि सब छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देंगे लेकिन उसका जवाब आया, जी नहीं। सभी छात्रों को कक्षा-12 तक मुफ्त शिक्षा तथा कक्षा-12 में 50 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए अम्बेडकर छात्रवृत्ति, 10 नये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय, सभी जिलों में एक इंजीनियरिंग कालेज अथवा पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना, सभी कालेजों में मुफ्त वाई-फाई, प्रत्येक घर को 24 घण्टे बिजली और गरीब घरों को 100 यूनिट तक केवल 3 रुपये प्रति यूनिट में बिजली, पाइप लाईन के माध्यम से सभी घरों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, प्रदेश के सभी गांवों को मिनी बस के द्वारा शहर से जोड़ा जायेगा, प्रदेश में प्रत्येक गरीब परिवार में बेटी के पैदा होने पर 50 हजार का विकास बॉण्ड दिया जायेगा, आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय दुगना करने का, प्रत्येक गांव में आधुनिक सुविधाओं से लैस उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का। परन्तु मान्यवर, वित्त मंत्री जी द्वारा चौथा बजट जो रू0 5,12,807.72 करोड़ का प्रस्तुत किया गया उसमें उक्त वादों को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है। भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने के लिए, युवाओं की वाह-वाही लूटने के लिए भारी-भरकम बजट प्रस्तुत करती है परन्तु इच्छा शक्ति न होने के कारण प्रत्येक वर्ष बजट का काफी हिस्सा कम हो जाता है। मैं इसका आंकड़ा देना चाहता हूं वर्ष 2017-18 में इन्होंने रु0 3,84,659.71 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था और बाद में जो अनुमानित बजट था उसका वास्तविक आंकड़ा आ चुका है,

जिसमें रु0 3,84,659.71 करोड़ के सापेक्ष मात्र रु0 3,21,822.00 करोड़ व्यय हुआ। यानि अनुमानित बजट जो प्रस्तुत किया था उससे 62,836.83 करोड़ कम हुआ। इसी तरह से 2018-19 का, जिसका भी वास्तविक आंकड़ा अब आ चुका है, बजट प्रस्तुत किया था 4,28,384 करोड़ का और प्रथम और द्वितीय अनुपूरक मांग को अगर सम्मिलित कर दें तो वह 4,71,271.71 करोड़ हुआ। वास्तविक खर्च मान्यवर, 3,91,210.670 करोड़ यानि बजट अनुमान के मुकाबले 80,061.11 करोड़ कम खर्च हुआ।

मान्यवर, इसी तरह से 2019-20 का जो बजट अनुमान है वह 4,79,721.10 करोड़ और अगर इसमें अनुपूरक को भी जोड़ देते हैं तो जो इन्होंने दो बार अनुपूरक मांग लिया उसको जोड़ने के बाद यह 4,97,506.82 करोड़ और जिसके सापेक्ष दिनॉक 24 फरवरी तक यानि परसों तक जो इनका कुल खर्च है वह 2,94,424.42 करोड़ खर्च हुआ यानि 2019-20 का जो इन्होंने अपने से पुनरीक्षित अनुमान किया मान्यवर, अब केवल एक महीना 05 दिन शेष है, अब एक महीना 05 दिन शेष रहते 2,94,424.42 करोड़ खर्च हुआ तो निश्चित रूप से 4 लाख से ज्यादा का जो बजट है, 4,97,500 करोड़ अनुपूरक को जोड़ने के बाद यानि उसके सापेक्ष बहुत ही कम खर्च हुआ और जो इन्होंने पुनरीक्षित दिया है उसके अनुसार भी 45,678.79 करोड़ जो अनुमान है, वह कम खर्च होगा। मान्यवर, यह पहली ऐसी सरकार है जिसने जो बजट प्रस्तुत किया है पूरे तीन साल का मैनें आकंड़ा दिया है पूरे तीन साल में इन्होंने जो भारी भरकम बजट प्रस्तुत किया लेकिन प्रत्येक साल 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का इन्होंने कम खर्च करने का काम किया और विभिन्न योजनाओं के मद में पैसा देने का काम नहीं किया गया।

मान्यवर, 2019-20 के बजट में अभी 24 फरवरी तक मात्र 61 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। अब एक महीने में बाकी कितना पैसा खर्च हो पायेगा, यह निश्चित रूप से विचार का विषय है। विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कितना खर्च हुआ मैं उसका दृष्टान्त देना चाहूँगा। उद्योग विभाग में 36.71 प्रतिशत, कृषि विभाग में 63.25 प्रतिशत, भूमि विकास जल संसाधन विभाग में 10.3 प्रतिशत, ग्राम्य विकास विभाग में 36.88 प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 62.08 प्रतिशत, स्वास्थ्य विभाग में 55.38 प्रतिशत, नगर विकास विभाग में 43.11 प्रतिशत, महिला और बाल कल्याण विभाग में 51.91 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग के भवन मद में 35.08 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसमें पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड की योजनायें आती हैं 40.59 प्रतिशत, लोक निर्माण सेतु वाले अनुदान में 43.61 प्रतिशत, लोक निर्माण सड़क वाली मद में 48.54 प्रतिशत और समाज कल्याण वाले विभाग में जो विशेष घटक अनुदान संख्या-83 है उसमें 55.15 प्रतिशत। इस प्रकार मान्यवर, भाजपा सरकार दिखावा ज्यादा करती है और काम कम करती है। मात्र एक माह 05 दिन का समय है वित्तीय वर्ष 2019-20 में अभी तक जो खर्च हुआ है मैंने पहले ही उल्लेख किया मैं

उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। इसी तरह से मान्यवर, 2020-21 का जो बजट है 2019-20 के बजट तथा अनुपूरक बजट मिलने के बाद 4,97,506.82 करोड़ से मात्र 15,383.90 करोड़ अधिक है। 2020-21 के बजट में पूंजीगत परिव्यय और 2019-20 का जो पुनरीक्षित अनुमान था उसके 7,910.91 करोड़ से मात्र 2198 करोड़ अधिक है।

मान्यवर, जो विकास का काम होता है, उसमें मुख्य रूप से जो उसका खर्च होता है, वह पूंजीगत परिव्यय से होता है और पूँजीगत परिव्यय में कोई बहुत अधिक इजाफा नहीं किया गया है। 81,209.49 करोड़ है, सम्पूर्ण बजट का मात्र 22.95 परसेण्ट है। फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी जो सपना दिखा रहे हैं, वह मात्र सपना ही होगा। माननीय वित्त मंत्री जी को यह मालूम है कि जो उन्होंने वादा किया था, वह पूरा नहीं हो सका है। वह मुंगेरी लाल के सपने की तरह ही है और इसलिए आम जनता का ध्यान इन मुद्दों से, जिन मुद्दों पर इन्होंने चुनाव के समय वादा किया था और जनता सवाल न पूछने पाये, मान्यवर, इसलिए उन मुद्दों से आम जनता का ध्यान हटाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान में इस बात का संकल्प लिया गया कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश होगा। हमने संविधान में यह संकल्प लिया है कि बिना भेदभाव के सभी वर्गों के हितों की समान रूप से रक्षा की जायेगी। परन्तु यह सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। मान्यवर, पहली बार जहां इस बजट में मंदिर के लिए धन रखा गया है। इस प्रदेश में आजादी के बाद से जनता की जो वास्तविक समस्यायें हैं, जो इन्होंने वादा किया था, उससे ध्यान हटाने के लिए मंदिर की तरफ यह ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मान्यवर, जब हम यहां चर्चा करते हैं और विशेष कर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के हितों की जब चर्चा करते हैं तो माननीय वित्त मंत्री जी, जो संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं, वह उत्तेजित हो जाते हैं और खड़े होकर बहुत तेज आवाज में, हालांकि यह बहुत ही सामान्य आवाज में बात करते हैं। लेकिन जब पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की बात आती है तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और तेज आवाज में कहते हैं कि विरोध पक्ष के लोग केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, हम भ्रम नहीं फैला रहे हैं, हम वास्तविक चित्रण करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण में जिस तरह से लोगों के साथ विश्वासघात किया गया, छात्रवृत्ति के मामले में जिस तरह से विश्वासघात किया। आपने 2020-21 का जो बजट स्वयं प्रस्तुत किया है, उसमें पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के हितों की अनदेखी की गई है। किसान के हितों की भी अनदेखी करने का काम किया गया। 2020-2021 का, पिछड़े वर्ग का जो बजट इन्होंने रखने का काम किया है, जिसमें दिव्यांगजन वर्ग भी आता है। अनुदान संख्या-79, जहां गत वर्ष का बजट था, 2,864.15 करोड़, उसके सापेक्ष इस वर्ष का बजट है, 2,671.08 करोड़ है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 6.74 प्रतिशत की कमी किया है, कटौती किया है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। माननीय नेता विरोधी दल ने भी

उसको इंगित किया कि साढ़े सात प्रतिशत के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। महंगाई के हिसाब से बढ़ाने की जगह पर आपने पिछड़े वर्ग के बजट में 6.74 प्रतिशत की कटौती करने का काम किया है।

मान्यवर, पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए 2019-20 में 1518.08 करोड़ रुपया था। उसके बाद भी इस प्रदेश के तमाम पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं हुई। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी तमाम जगह देखने का काम करते हैं कि जो उपलब्धि होनी चाहिए थी, पिछड़े वर्ग के छात्रों को नहीं मिला है, उसमें भी आपने कटौती कर दिया। 1518.06 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष के बजट में आपने मात्र 1378.58 करोड़ रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 9.19 प्रतिशत की कमी करने का काम किया है। उस आबादी को, जिसकी आबादी प्रदेश में 54 से 56 प्रतिशत है। उसके बजट में आपने 9.19 प्रतिशत की कटौती किया है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति का जो बजट है अनुदान सं0-80, कुल बजट है 4 हजार 811.14 करोड़, उसके सापेक्ष इस वर्ष रखा है 4 हजार 846.14 करोड़ जो कि मात्र 0.73 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, उसी में जो छात्रवृत्ति का पैसा है जो सहायता अनुदान का मद है, उन दोनों मदों में आपने कटौती करके अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। पिछले वर्ष छात्रवृत्ति के मद में 1581.14 करोड़ रुपए और इस वर्ष आपने रखा है 1505.14 करोड़, जो गत वर्ष की तुलना में 4.81 प्रतिशत कम है। इसी तरह से अनुदान सं0-83, जो अनुसूचित जातियों के विशेष घटक के मद में है, जो विभिन्न विभागों को पैसा जाता है, तीन-चार मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उसमें भी जाता है और तमाम दूसरे विद्यालय चल रहे हैं विशेष घटक योजना के अन्तर्गत, उसमें भी पैसा जाता है।

छात्रवृत्ति के मद में 1342.20 करोड़ वर्ष 2019-20 में था और इस वर्ष में उसमें काफी कटौती की गई है, 18.13 प्रतिशत की कटौती करके उसे 1098.90 करोड़ रुपए किया गया है। इस तरह से यह सरकार पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है, उसके हितों को अनदेखा किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के साथ ही साथ सरकार किसानों की भी अनदेखी कर रही है। भूमि एवं जल संसाधन विभाग के बजट में 1.40 प्रतिशत की जहां कमी की गई है वहीं कृषि विभाग के बजट में मात्र 4.34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कृषि विभाग द्वारा दिये जाने वाले सहायता अनुदान, जो तमाम किसानों को उपकरण के रूप में और तमाम अन्य रूप में सहायता अनुदान दिया जाता है, के मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा 10.65 प्रतिशत की कमी की गई है। ग्राम्य विकास विभाग के बजट में भी वृहत् निर्माण मद में 5.09 प्रतिशत की कमी की गई है। मान्यवर, इसी तरह से ग्राम्य विकास विभाग के सहायता अनुदान में भी 11.93 प्रतिशत की कमी की गई है। पंचायती राज विभाग के बजट में 2.55 प्रतिशत की कमी करने का काम

किया गया है। ऊर्जा विभाग के बजट में पुनरीक्षित अनुदान 3 लाख 34 हजार 20.28 करोड़ के सापेक्ष 2020-21 में 33 हजार 734.47 करोड़ का आवंटन किया गया है। यानी कि पिछले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान से ऊर्जा विभाग के भी बजट में कमी की गई है। दुग्धशाला विभाग के बजट में 2019-20 के सापेक्ष 41.71 प्रतिशत की कमी की गई है। मान्यवर, गन्ना विभाग के बजट में 0.98 प्रतिशत की कमी की गई है, चीनी उद्योग के बजट में 58.42 प्रतिशत की कमी करने का काम किया गया है। मान्यवर, यह सभी विभाग किसानों को लाभ पहुंचाने की दिशा में काम करते हैं इन विभागों में भी कमी की गई है। उसके बाद भी जो किसान की आवश्यकता है, खाद की, बीज की, सिंचाई के संसाधन का, बिजली का, बिजली के मद में मैंने जिक्र किया था मैं उसको फिर से दोहराना नहीं चाहता था, 55 रुपए प्रति हार्सपॉवर नलकूप के कनेक्शन का हमें पैसा देना पड़ता था जो कि अब 180 रुपए प्रति हार्सपॉवर देना पड़ रहा है। इसी तरह से डी0ए0पी0 खाद जो दस सौ रुपए में थी अब 14 सौ रुपए से ज्यादा देना पड़ रहा है। इसी तरह से एन0पी0के0 में भी वृद्धि करने का काम किया गया है। यानी कि किसान जो कुछ भी खरीदता है उसके दामों में भी भारी वृद्धि करने का काम किया गया है और उसके बाद भी माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम किसान की आमदनी दूनी करने का काम करेंगे। मेरे समझ में नहीं आता कि किसान की आमदनी दूनी किस तरह से करेंगे। क्या कोई ऐसा भभूत मठ से निकालकर लाये हैं कि उसको छिड़क देंगे तो किसान की आमदनी दूनी हो जायेगी ? मान्यवर, अभी हमारे एक विद्वान मंत्री जी यहां चर्चा कर रहे थे कि हमने खाद्यान्न का उत्पादन इतने लाख मीट्रिक टन करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार वर्ष 2007 से 2012 तक थी। मान्यवर, इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार, मा0 पशुधन मंत्री जी आज यहां पर नहीं बैठे हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से पुरस्कार लेने ये स्वयं गये थे। पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में पूरे देश में प्रथम आने का अगर पुरस्कार मिला है तो वर्ष 2009 और 2010 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय मिला है। मान्यवर, आज ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे, बड़ा योगदान की बात करते हैं। मेडिकल विभाग के मंत्री मा0 वित्त मंत्री जी स्वयं हो गये हैं। बड़ी चर्चा करते हैं कि हम इतने मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, यह सुनकर हमें खुशी होती है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वह मेडिकल कॉलेज प्राईमरी एजूकेशन की तरह निरर्थक न साबित होने पाये। एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार उनमें जो सुविधाएं हैं, अगर उसको मुहैया कराने का काम नहीं करेंगे, तो आप कैसे मेडिकल कॉलेजों को इस प्रदेश की जनता के हितों के लायक बनाने का काम कर पाएंगे। मान्यवर, जितने मेडिकल कॉलेज बने है, उसके लिए इन्होंने जो बजट रखा है, उस बजट में जो इजाफा होना चाहिए था, उसके सापेक्ष वह इजाफा नहीं हो पाया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेडिकल का जो बजट है वह 132.60 करोड़ के सापेक्ष

145.12 करोड़, अर्थात कुल बजट में औसत मद में मात्र 13.34 करोड़ की वृद्धि की गयी, जबकि मेडिकल कॉलेज दुगने हो गये। मान्यवर, इन्होंने जो बजट रखा है जिसमें लगभग 6400 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज का बजट है, उस 6400 करोड़ रुपये में 2662 करोड़ केवल के0जी0एम0यू, एस0जी0पी0जी0आई, सैफई मेडिकल कॉलेज, लोहिया संस्थान और कैंसर संस्थान का रखा है। केवल पांच संस्थानों में 2662 करोड़ और बाकी समस्त संस्थाओं में, जितने मेडिकल कॉलेज हैं कुल मिलाकर 3798.68 करोड़ रखा है। मा0 मंत्री जी स्वयं विचार करें कि जहां एस0जी0पी0जी0आई0 को 800 करोड़ से ज्यादा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अब आप संक्षेप करिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं संक्षेप में आ रहा हूं। इसी तरह से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में इन्होंने वर्ष 2019-20 में छात्रवृत्ति में 942 करोड़ रुपये रखा था और वर्ष 2020-21 के बजट में 828 करोड़, यानी 12.13 प्रतिशत की कमी करने का काम किया है। मान्यवर, हम बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं और विशेष रूप से सदन में मा0 मंत्री जी जब कहते हैं कि हम इस-इस मामले में प्रथम आये। प्रदेश का जो बजट है, जब हम उनका विभिन्न विभागों/प्रदेशों के सापेक्ष्य तुलना करते हैं।

मान्यवर, शिक्षा क्षेत्र में भारत का जो औसत है विभिन्न प्रान्तों का, वह पूरे बजट का 15.9 प्रतिशत है और हमारे उत्तर प्रदेश में 13.6 प्रतिशत। ये कृषि क्षेत्र का बड़ा जिक्र करते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे। विभिन्न प्रान्तों का जो बजट है उसमें भारत का औसत 7.1 प्रतिशत है। अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में हमने अपने बजट का 2.7 प्रतिशत खर्च करने का काम किया है। मान्यवर, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों के साथ भी यह सरकार भेदभाव कर रही है। पूर्वांचल निधि 300 करोड़ रुपये का लगातार पिछले कई वर्षों से चल रहा है। जब बजट का आकार 1 लाख 69 हजार करोड़ रुपया था तब भी 300 करोड़ और आज बजट का आकार 5 लाख 12 हजार करोड़ रुपया हो गया तब भी वह 300 करोड़। इसी तरह से बुन्देलखण्ड का तब भी 200 करोड़ और आज भी 200 करोड़ यानि उसमें कोई इजाफा करने का काम नहीं किया माननीय मंत्री जी ने करने का काम नहीं किया। मान्यवर, मेरा यह मानना है कि प्रदेश का विकास उत्तम कानून व्यवस्था से हो सकता है और इस सरकार ने अपने बजट भाषण में दोहराया कि कानून का राज्य, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अन्याय मुक्त हम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। कहने से अगर बन जाता तो निश्चित रूप से कोई ऐसी सरकार नहीं है जो बनाना नहीं चाहती है। लेकिन उसके लिये दृढ़ इच्छाशक्ति होना, उसके लिये बिना भेद-भाव के व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी ने कानून व्यवस्था का ज़िक करते हुए इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत करने का काम किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी जब महामहिम राज्यपाल महोदया के भाषण की चर्चा में उत्तर दे रहे थे तब भी उन्होंने एन0सी0आर0वी0 के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ने का काम किया। मेरे पास भी मान्यवर, यह रिपोर्ट है। मर्डर में जो हमारा स्थान है वह तेईसवां है। 36 राज्यों में हम तेइसवें स्थान पर हैं यानि हमसे ज्यादा अच्छी कानून व्यवस्था 13 राज्यों की है। उसी तरह से मान्यवर, महिला अपराध में जो मैंने जिक्र किया, सुबह ही मैंने बताया उसका आंकड़ा देने का काम किया कि जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं, उस अपराध में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उसका मैंने सुबह ही दृष्टान्त दिया था कि 2016-2017 में महिलाओं के प्रति जो अपराध था 49,262 था 2017 में हुआ 56,011, 2017 में हुआ 59,445 और जो अपराध दर है मान्यवर वह 55.7 है यानि प्रति लाख आबादी पर जो अपराध की दर निकाली जाती है वह उत्तर प्रदेश का है 55.7 यानि हमारा स्थान है बारहवां। और उसके बाद भी हम ढ़िढोरा पीट रहे हैं कि हमने बड़ी उपलब्धि हासिल करने का काम किया।

मान्यवर, इसी तरह से जो यहां पर, मान्यवर, मैं आंकड़ा देना चाहूंगा कि जो इसमें वॉयलेंस का है, उस वॉयलेंस में भी हमारा स्थान 17वां या 18वां है। यानि वॉयलेंस में भी हम देश में कोई हासिल नहीं कर पाये। कानून व्यवस्था की स्थिति में मैं लखनऊ का जिक्र करना चाहूंगा। मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें।

***वित्त संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, कितने मिनट का समय तय किया है। 35 मिनट तो हो गये।

श्री अध्यक्ष-

समय आपने ज्यादा ले लिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

नहीं 35 मिनट कहां हुआ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

1 बजकर 10 मिनट पर आपने बोलना शुरू किया था।

श्री लाल जी वर्मा-

अब बोल लेने दीजिये। मैं संक्षेप में खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब आपको कन्क्लूड कर देना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बस संक्षेप में खत्म करूंगा। 5 मिनट का अवसर दें। मान्यवर, पूरे देश में उन्नीस मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं। उसमें हम चौथे नम्बर पर हैं। यानि लखनऊ 19 मेट्रोपोलिटन सिटीज में हत्या के मामले में चौथे नम्बर पर हैं। सबसे ज्यादा अपराध हमारे प्रदेश में हो रहा है और उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हमने अपराध में कमी करने का काम किया है। मान्यवर, यह विकास का ढ़िढोरा पीटते हैं और विशेष रूप से असहिष्णुता की बात। मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे कि कोई मरने आ रहा है तो हम क्या करेंगे। मान्यवर, यह राजधर्म नहीं है। हमने आई0पी0सी0 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बस पांच मिनट में खत्म करूंगा। 5 मिनट के लिये निवेदन है। मान्यवर, अंग्रेजों ने कानून बनाया था और उस आई0पी0सी0 में धारा-309 का उसमें प्राविजन किया था कि कोई मरना भी चाहे तो उसको मरने नहीं दिया जायेगा बल्कि उसका दंड देने के लिये भी उसमें सजा का भी प्राविजन है। अगर कोई मरने भी आ रहा है तो हमारा राजधर्म यह कहता है कि उसको मार दिया जाय ? मान्यवर, यह लोकशाही है, राजतंत्र नहीं हैं। इनको अहंकार राजतंत्र का हो गया है, राजाओं की नकल करने लगे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए शासन है और जनता के लिए शासन में यह अधिकार नहीं है कि अगर कोई मरने के लिए आ रहा है तो उसे मार दें। आपको उसे बचाने का काम करना चाहिए और उसे बचाने की दिशा में इन्होंने कोई कदम उठाने का काम नहीं किया है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि यह विकास का बड़ा ढिंढ़ोरा पीटते हैं। भाजपा की सरकार 1991 में बनी अकेले की सरकार मैं बता रहा हूं। 1991 से 1992 तक डेढ़ साल तक रही फिर 1997 से 2002 तक साढ़े चार साल पौने पांच साल रही और उसके बाद तीन साल यह हो गये हैं करीब सवा नौ साल तक की इनकी सरकार रही। समाजवादी पार्टी की सरकार चारों बार मिलाकर कुल 12 साल रही है और इसके बाद साझे की भी इन लोगों की सरकारें रही हैं। 1977 में सम्मिलित सरकार में भी साझा रहा। अगर उसको भी जोड़ दें तो 38 साल कांग्रेस की रही, लेकिन इसके बाद भी इन सरकारों ने विकास नहीं किया और उसके विकास के कामों को देख लें। हमारी सरकार चारों बार का मिलाकर कुल 6 साल 9 महीने रही है, जिसमें से 3 बार साझे की सरकार थी, 4 साल 9 महीना ही केवल अकेले की सरकार थी और उस 4 साल 9 महीने की सरकार में हमने 23 जिलों की स्थापना करने का काम किया है, जब हमने 23 जिलों की स्थापना की तो 23 जिला अस्पताल बनाने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश में 88 हजार बीटीसी शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया। हमने 56690 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण कराकर पूर्णकालिक शिक्षक बनाने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल दो-तीन मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

पहले आपने 05 मिनट कहा था और 10 मिनट हो गये हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने 41 हजार कांस्टेबलों की भर्ती करने का काम किया है। हमने 2 लाख 40 हजार कांस्टेबल का पद क्रिएट करने का काम किया। हमने कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत 1 लाख 1000 आवासों का निर्माण करने का काम किया है। हमने जिला गौतमबुद्ध नगर में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया है। हमने लखनऊ में मान्यवर कांशीराम उर्दू-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया है। हमने 1 लाख 8848 सफाई कर्मियों की भर्ती करने का काम किया है। हमने बुन्देलखण्ड में आई0टी0 पॉलीटेक्निक की स्थापना करने का काम किया है। हमने प्रदेश में 06 मेडिकल कालेजों और 02 पैरा मेडिकल कालेजों की स्थापना करने का काम किया है। हमने डॉ0 भीमराव आम्बेडकर मल्टीस्पेशलिस्ट हास्पिटल नोएडा में बनाने का काम किया है। हमने महामाया कांशीराम मल्टी स्पेशलिस्ट हास्पिटल नोएडा में बनाने का काम किया है। हमने 28419 आम्बेडकर ग्राम की स्थापना करके उनको सड़क पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं मैंने जिक्र किया कि सरकारें सबकी रही हैं, पहले 1995 में आप भी उसी जगह पर बैठे थे, जब हमारी पहली सरकार बनी थी, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं। 1995 के तमाम हमारे साथी यहां पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में लेपन सड़क थी ? 10 प्रतिशत से ज्यादा गांवों में लेपन सड़क नहीं थी, आज 90 प्रतिशत से ज्यादा अगर लेपन सड़क है तो वह भी देन बहुजन समाज पार्टी की सरकार की रही है। इतना ही नहीं हमने जमुना एक्सप्रेस-वे बनाया, उसमें प्रदेश सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा। आपने तमाम योजनाओं और एक्सप्रेस-वे की घोषणा की है 2 हजार करोड़ रुपया रखा है, गंगा एक्सप्रेस-वे का, साढ़े 700 किलोमीटर से ज्यादा 50 हजार करोड़ रुपये उसमें लागत आयेगी। 2 हजार करोड़ रुपये ऊंट के मुंह में जीरा होगा।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आपने जितना समय मांगा था, वह समय पूर्ण हो गया है। अब आप समाप्त करें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार केवल दिखावा करती है, काम नहीं करती है। जब हमारी सरकार थी तो अपराध दर के हिसाब से हमारा 34वां स्थान था, उस समय 35 राज्य थे, हम 34वें नम्बर पर थे। एक ही राज्य नागालैंड में हमसे कम अपराध था बाकी किसी भी राज्य में नहीं था और आज हम प्रदेश को जंगलराज की दिशा में ले जा रहा रहे हैं। अगर प्रदेश का विकास हो सकता है, प्रदेश में कानून का राज हो सकता है वह तभी हो सकता है जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनेंगी। इस बात को मैं कहना चाहता हं, इसलिए तमाम दोहा श्लोक पढ़कर इन्होंने जो यह बजट प्रस्तुत किया है। आप रामराज की बात करके निश्चित रूप से प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बजट है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष महोदय वर्ष 2020-21 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने 5, लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख का एक लहीम शहीम बजट पेश किया है। बजट में राजस्व का जो घाटा दिखाया गया है उसे पूरा करने के लिए आपकी सरकार ने जो कोरी कल्पनाएं की हैं वह कभी हकीकत में नहीं बदलेंगी। नतीजा यह होगा कि या तो योजनाओं में कटौती होगी या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर बोझ डाला जाएगा यह आर्थिक रूप से ईमानदारी नहीं होगी। आपने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है जो पूरी तरह से लोक लुभावनी हैं परन्तु सच्चाई यह है कि जो धनराशि इसके लिए आवंटित की गई है वह पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कहा कुछ परन्तु आपका इरादा कुछ और है। मैं सी0ए0जी0 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसके कुछ बिन्दु रखना चाहती हूं।

उत्तर प्रदेश की जी0डी0पी0 6 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है जबकि पिछले बजट में यह 7 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। अनुपूरक बजट पेश करते समय 14.5 प्रतिशत का आंकलन किया गया यह गिरावट बता रही है कि बजट का जो साइज बढ़ा है वह पूरी तरह से काल्पनिक है। वर्ष 2017-18 के लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत जो भारत की बेरोजगारी दर से 6.1 प्रतिशत से ज्यादा है। इससे साबित होता है कि सरकार के इन्वेस्टर समिट से रोजगार आना और कौशल विकास मिशन से रोजगार मिलने के दावे सही नहीं हैं। देश के अन्य राज्यों द्वारा जहां शिक्षा पर औसत 15.9 प्रतिशत खर्च किया जाता है वहीं हमारी सरकार 13.6 प्रतिशत खर्च कर रही है। उत्तर प्रदेश में जहां देश के सबसे अधिक युवा हैं वहां देश के मानक में यह खर्च साफ बता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है कि सरकार युवाओं के प्रति उनकी पढ़ाई के प्रति कितनी तत्पर है। कृषि पर बजट का 2.7 प्रतिशत प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी के लिए यह बजट पर्याप्त नहीं है। यह साबित करता है कि सरकार के एजेण्डे में किसान हैं ही नहीं। अन्य प्रदेशों की सरकारें लगभग औसतन 7.1 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में बजट व्यय करती हैं ऊर्जा के क्षेत्र में 23,425 करोड़ का बजट है यह बीते साल के पुनरीक्षित बजट से 15 प्रतिशत कम है। क्या कारण है इसका क्या लोगों की ऊर्जा की मांग प्रदेश में कम हो रही है या फिर बिजली की कटौती अधिक हो गई है। इससे लगता है कि पिछले बजट में जो प्राविधान था वह पूरी तरह से काल्पनिक था। जिसका अहसास सरकार को इस बार हुआ है। पुनरीक्षित बजट में सरकार ने राजस्व वसूली का अनुमान रु0 3 लाख 51 हजार 734 करोड़ रखा था जिसे इस साल के बजट में घटाकर 3 लाख 70 हजार 265 करोड़ कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया क्या पिछली प्राप्ति का जो सरकार ने अनुमान लगाया था वह काल्पनिक था केन्द्र के हिस्से से मिलने वाले टैक्स में करीब 11.5 प्रतिशत कम मिलने का अनुमान बताया गया है। इसकी क्या वजह है मैं कुछ बजट के मुख्य बिन्दुओं पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। लोक निर्माण विभाग को अनुमानित 27 हजार 837.89 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है जिसमें चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 2305 करोड़ राज्य सड़क निधि के लिये 1500 करोड़ तथा मरम्मत एवं गड्ढामुक्ति हेतु 3524 करोड़ रखा गया। पूर्वांचल विकास निधि के लिये मात्र 300 करोड़ का बजट दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख 43 हजार 286 वर्ग किलोमीटर है और इतने बड़े क्षेत्रफल में अगर सड़कों से पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ना है तो यह अपर्याप्त है और इतने महत्वपूर्ण विभाग को बजट में इतनी कम धनराशि देना उचित नहीं होगा। इसमें किसी भी नये राजमार्ग तथा एक्सप्रेस-वे का उल्लेख नहीं किया गया है। बसावटों को जोड़ने की भी कोई नयी योजना अथवा उसके लिये धन आवंटिन नहीं किया गया है। सरकार बार-बार बुन्देलखण्ड की बात करती है, हितैषी बनती है, परन्तु मात्र 210 करोड़ रुपये बुन्देलखण्ड के लिये आवंटित किये गये हैं। आज बढ़ती आबादी के साथ-साथ जो सघन आबादी के शहर हैं वहां पर लगातार जाम की समस्या बढ़ रही है जिससे यातायात की भी दिक्कते होती हैं, समय भी बर्बाद होता है, ईंधन भी बर्बाद होता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जिसके लिये बाईपास, फ्लाईओवर तथा रिंग रोड की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी बाईपास, फ्लाईओवर तथा रिंग रोड के लिये केवल 170 करोड़ प्रस्तावित किये गये हैं जो कि अपर्याप्त है। सिंचाई विभाग के लिये अनुमानित 16,973.04 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है जबकि लगभग कई सौ करोड़ रुपये केवल जो बिजली का बकाया है विभाग का, उसमें चला जायेगा और बाकी जो पैसा बचेगा वह योजनाओं में जायेगा। पिछले वर्ष में नहरों की तो सफाई हुई, परन्तु अल्पिकाओं की सफाई अभी तक सरकार नहीं करा पायी है, जिसकी वजह से किसान तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के लिये भी

इसमें कोई नया पैकेज नहीं है। मेरा एक सुझाव भी है कि यदि नहर की पटरियों को पक्का करके मोटरेबुल रोड का निर्माण किया जाए तो उससे किसान की जो कीमती जमीन है उसकी भी बचत होगी और बसावटों तक, छोटी-छोटी आबादी तक मार्ग भी बन जायेगा।

मान्यवर, अगर हम चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की बात करें तो न किसी नये मेडिकल कॉलेज और न किसी एम्स की कल्पना की गयी है और न ही उसके लिये बजट आवंटित किया गया है और जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज उत्तर प्रदेश में डाक्टरों की तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। आज उत्तर प्रदेश में एक डाक्टर पर 3812 मरीजों को देखने की जिम्मेदारी है जबकि डब्ल्यू0एच0ओ0 के मानक के अनुसार एक डाक्टर के जिम्मे 1000 मरीज ही होने चाहिये। इस पूरे बजट में सरकार किस तरह से इसकी आपूर्ति करेगी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। पिछली सरकार के समय में लखनऊ में मेट्रो की शुरूआत हुयी। इस बजट में मेट्रो का तो जिक्र है, लेकिन जिस तरह से लखनऊ में मेट्रो बनी उसके विस्तार का कहीं कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। कानपुर और आगरा की मेट्रो की बात हुयी। कानपुर मेट्रो के लिये 1176 करोड़ अनुमानित लागत के सापेक्ष केवल 358 करोड़ प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो के लिये 8370 करोड़ अनुमानित लागत के सापेक्ष 286 करोड़ प्रस्तावित है तो इससे यह समझ में आ जाता है कि यह सरकार मेट्रो की योजनाओं को कितना आगे बढ़ाना चाहती है। प्रदेश में बिजली की आपूर्ति का संकट तथा मांग तथा आपूर्ति के बीच में एक बहुत बड़ा अन्तर है और बजट में 33,754.48 करोड़ का प्राविधान किया गया है, किन्तु बजट में किसी भी नयी परियोजना की स्थापना करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, इस बजट में एक बहुत विशेष बात है और मैं चाहूँगी कि आपके संज्ञान में और आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में भी यह बात आये कि 'सौभाग्य योजना' की बात बार-बार सरकार करती है, जिसमें हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिये सरकार अपने को वचनबद्ध बताती है। इस बजट में 'सौभाग्य योजना' में भी और 'पण्डित दीन दयाल योजना' में भी यह लिखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में संतृप्त हो चुके हैं जबकि मेरी जानकारी के अनुसार पूर्वांचल विद्युत निगम, क्योंकि मैं पूर्वांचल से आती हूँ। पूर्वांचल विद्युत निगम में 31 मार्च तक 6 हजार आउटरों को पूरा करने का लक्ष्य है और 31 मार्च के बाद और 6 हजार आउटरों को लेंगे। इसका मतलब यह है कि सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता को भ्रमित करने के लिए इस बजट भाषण में यह लिखा है कि यह संतृप्ति हैं। इसके साथ-साथ जर्जर तार और पुराने या जले हुए ट्रान्सफार्मर आदि बदलने के लिए भी इस बजट में कोई प्राविधान अलग से नहीं किया गया है। आवारा पशुओं पर बहुत जिक्र किया गया पर सरकार का जो जवाब है वहीं पुराना राग है। अगर हम किसानों की बात करते हैं कि वह किस तरह से उनकी फसल को जो आवारा पशु चर रहे हैं उनके लिए सरकार के पास कोई योजना है तो वह गवर्नमेन्ट की रक्षा का एक लिस्ट सदन में पकड़ा देते हैं। जिस गलत नीति के कारण आज किसान पूरे उत्तर प्रदेश में बदहाल है यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा सरकार दे। आज उर्वरक और जो

किसानी के यंत्र हैं उनके भी दाम बढ़ गये हैं जिसपे सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पायी है। बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो नौजवानों को सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है और मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माध्यमिक शिक्षक के लगभग 95 हजार पद हैं जिसमें 40 हजार से अधिक पद रिक्त हैं, जिसको सरकार अभी तक भर नहीं पायी है। न जाने यह सरकार कैसे चल रही है ? राज्य कर्मचारी के 90 लाख पद हैं जिसमें लगभग 50 प्रतिशत तक पद अभी खाली हैं और सरकार ने इस बजट में भी इन पदों को भरने की कोई योजना नहीं रखी है। वन और पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो 22 करोड़ 59 लाख पोधों का रोपड़ किया गया और गिनीज ऑफ वर्ड रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश का नाम आया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूँगी, पर यह जो इतना लहीम-शहीम बजट इस वृक्षारोपण के लिए खर्च किया गया तो उन पौधों को संरक्षित कैसे किया जायेगा इसकी कोई योजना इस बजट में नहीं है और न ही उसके लिए कोई धन आवंटित किया गया है। समाज कल्याण विभाग का अगर हम जिक्र करते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 2 हजार 35 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। पिछड़े वर्ग के लिए 1375 करोड़ प्रस्तावित है जो कि मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है क्योंकि पिछला बकाया सरकार का अभी इतना है छात्रवृत्ति नहीं पहुँच पायी है और आगे के लिए भी सरकार की कोई योजना नहीं है। दिव्यांगजन के लिए यह सरकार कितनी संवेदनशील है इससे नजर आता है कि मात्र 35 करोड़ रुपये इस विभाग के लिए आवंटित किया गया है। मैं एक जिक्र और करूँगी कि वाहन कर की बात की गयी है। जब प्रदेश का कोई भी नागरिक वाहन खरीदता है तो वन टाईम रोड टैक्स जमा करता है और वन टाईम रोड टैक्स जमा करने के बाद जब भी वह टोल टैक्स से गुजरता है तो उसको टोल टैक्स भी देना पड़ता है और जब-जब वह अपने वाहन में पेट्रोल भरवाता है तो उसे सैस के रूप में अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है। प्रदेश के लोगों के ऊपर यह अतिरिक्त बोझ सरकार डाल रही है जो पूरी तरह से गलत है। स्वच्छ भारत मिशन जो केन्द्र सरकार की बड़ी महत्वकांक्षी योजना है। मैट्रो स्मार्ट सिटी के नाम पर सैस बढ़ाकर जनता पर जो सैस बढ़ाया गया है, जिसका बोझ जनता पर पड़ रहा है यह गलत है। शिक्षा और उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो मैं और कहीं नहीं जाऊंगी लखनऊ की बात करती हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज की तारीख में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के आधे से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं जहां मात्र एक शिक्षक पूरे विभाग को चला रहा है। शिक्षा के नाम पर ये खिलवाड़ सरकार कर रही है ये गलत है। न्यायपालिका की रीड़ होती है अधिवक्ता। इस बीच में कईं घटनायें आईं जहां पे अधिवक्ताओं की हत्या हुई या दुर्घटना में उनकी मौत हो गयी है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहती हूँ कि एक कॉरपोश फण्ड अधिवक्ताओं के लिए भी बनना चाहिए ताकि अगर उनका निधन होता है तो उनके परिवार वालों की सुरक्षा और जीविकोपार्जन हो सके।

इसी तरह से जो हमारे समाज का चौथा स्तम्भ है पत्रकारिता, मैं भी जुड़ी रही हूं और अध्यक्ष जी आप भी जुड़े रहे हैं पत्रकारों के लिए भी कारपस फण्ड होना चाहिए ताकि समय-समय पर उनका इलाज भी हो सके और किसी दुर्घटना के बाद उनके परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। कानून व्यवस्था की बात अगर करते हैं 27286.69 करोड़ का बजट सरकार ने आवंटित किया है, क्या ये पर्याप्त है ? जिस तरह से सरकार ने 2017 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि तीन यूनिट महिला पुलिस की पी0ए0सी0 बनायेंगे। हर जिले में महिला पुलिस थाने तो बन गये पर वहां पर अभी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। जिस तरह से कोर्ट बनाने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषण की है, हम उसका स्वागत भी करते हैं पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर हम बात करें तो यह बजट इसके लिए अपर्याप्त है और जब तक हमारे पुलिस को प्रशिक्षित नहीं किया जायेगा, नई तरह का जो क्राइम हो रहा है तब तक उस क्राइम को रोकना सम्भव नहीं है। महिला हैल्प लाइन नम्बर 181 है मेरी जानकारी के अनुसार पिछले एक साल से उनका मानदेय नहीं दिया गया। बहुत दबाव के बाद जब उन्होंने काम करना बन्द किया तब फरवरी महीने में एक महीने का मानदेय उनको दिया गया, तो क्या इस तरह से महिला सुरक्षा हो सकेगी ? अन्त में आर्थिक तंगी तो सब जगह है तो हमारे जो सदस्य यहां पर विधायक बैठे हैं वे भी उसी आर्थिक तंगी के दायरे में आते हैं वे कहीं बाहर नहीं है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहिए। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस दिन कहा कि मोरंग के दाम बहुत बढ़ गये हैं, हम सब जानते हैं जितनी विधायक निधि मिलती थी, उसमें दाम बढ़ने की वजह से पर्याप्त विकास के कार्य अपने क्षेत्रों में नहीं करा पाये तो मैं मांग करती हूं कि विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाये। प्रत्येक विधायक को कम से कम 200 हैण्ड पम्प दिये जायें। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी की थी, 100-100 हैण्ड पम्प की, एक किश्त मिली भी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पर उसको बढ़ाकर 200 कर दिया जाये। मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 5-5 करोड़ देने की घोषणा की थी, शायद कुछ साथी हमारे जो उधर बैठें हैं उनको मिल भी गया होगा पर इधर वाले किसी भी साथी को एक भी पैसा नहीं मिला तो हम चाहते हैं कि आप हमारी सिफारिश कर दें, आपके लिए तो सब बराबर है सबको मिल जाना चाहिए। जब हम विधान सभा में आते हैं तो विधान सभा के अन्दर जो सुरक्षाकर्मी हैं जो मार्शल्स हैं इनका बहुत बड़ा योगदान होता है हम लोगों के लिए और यह निःस्वार्थ होकर ये सेवा भी करते हैं कार्रवाई सुचारू रूप से चले उसकी रक्षा भी करते हैं। सुरक्षा कर्मी से लेकर चीफ मार्शल तक लगभग 83 पद हैं इनकी बड़ी पुरानी मांग है और अध्यक्ष जी इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं है इसके लिए तो आप ही पर्याप्त हैं। इनका एक पद प्रमोट होना है यदि हो जायेगा तो सरकार पर बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा पर यह एक पद बढ़ने से इनका वेतनमान

बढ़ जायेगा और रिटायर होने के बाद इनको उसका लाभ पेंशन के रूप में मिलेगा। मैं चाहती हूं आप इसका संज्ञान लें।

अन्त में महिला होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में महिलाओं के हक की बात मैं जरूर करूं। 33 प्रतिशत आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी करती आई है कई बार मैंने भी सदन में रखा है, उसके लिए मुझे मालूम है कि हमें केन्द्र सरकार से अनुरोध करना पड़ेगा पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है, मेरी मांग केवल इतनी है कि 33 प्रतिशत आरक्षण जिस वर्ग में हो उसी वर्ग की महिला को उसका आरक्षण 33 प्रतिशत मिल जाये तो महिलाओं को आरक्षण भी मिल जायेगा और उसके अलावा आरक्षण ज्यों का त्यों रहेगा उसमें भी कोई फेर बदल नहीं होगी। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देती हूं अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय राम गोविन्द चौधरी जी और नेता प्रतिपक्ष लाल जी वर्मा जी के कटौती प्रस्ताव पर बल भी देती हूं पर जो मैंने अन्तिम में कहा विधायकों की बात कि आप मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखिये यह मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कृपया आप बोलिये। बहुत कम समय में श्रीमती मोना जी ने अपनी पूरी की पूरी बात रख दी है।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

मान्यवर, आप समय बता दीजिये उतने में हम बोल दें।

श्री अध्यक्ष-

आपको समय क्या बताना। आप टेलीग्राम की तरह बोलिये, बिल्कुल कम शब्दों में जैसे तार जाता है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बैठे-बैठे कल भी सुना और आज भी सुना।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

आप बोलिये, हम लोग भी सुनेंगे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

आप लोग तो सुन ही रहे हैं, आप लोगों को सुना रहा हूं और उधर बाद में सुनाऊंगा। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष उधर दोष दे रहे थे जब चार साल उधर सत्ता पक्ष में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे तब बजट का ध्यान नहीं आया। हमारे नेता, बसपा भी अपना गुणगान कर रहे हैं, कांग्रेस नेता भी मांग कर रही हैं कि हमारा यह नहीं हो रहा है। आपने एक माननीय नेता जी की बात सुनी होगी कि समाजवादी पार्टी तो 351 सीट जीत गई और उनकी सरकार बन गई। अभी बसपा नेता ने कहा कि बिना बहन जी के सरकार चल ही नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सलाह कर लीजिये कि किसकी सरकार बनाना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, हम इधर नहीं हैं। अभी हम इधर की बात बता रहे थे अब उधर आते हैं। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं, हमारे माननीय गन्ना विकास मंत्री जी बैठे हैं। अब हम क्या सुनाये इनको। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी हुई जब माननीय वित्त मंत्री जी बड़े जोशो-खरोश के साथ पूरा टाइट होकर आये। बड़ा ऊंचा टेबल और बेंच लगा और उसके सामने खड़ा होकर पढ़ रहे थे। जब वह पढ़ रहे थे तो मैं सुन रहा था और उन्होंने 36 पेज पढ़ डाला लेकिन पानी नहीं पिया। हमारे एक मंत्री जी बेचारे पानी थमा रहे थे लेकिन उन्होंने पकड़कर रख दिया। अपना तो पानी नहीं पिया लेकिन ठीक उसका उल्टा कर दिया। पानी तो मैं नहीं पिलाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, 52 परसेण्ट आबादी पिछड़ों की हैं और यहां जो बैठे हुये हमारे माननीय सदस्यगण हैं उनसे कहूँगा कि जरा गौर करिये। वर्ष 2018-2019 में पिछड़ी जाति के बच्चे 18.5 लाख थे और बजट एलाट होता है 878 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-2020 में बच्चे हो जाते हैं 21 लाख लेकिन बजट एलाट होता है 600 करोड़, इस प्रकार 278 करोड़ रुपये सत्ता पक्ष के लोग कम कर देते हैं। अब आगे देखिये, बजट आता है वर्ष 2020-2021 का इसमें शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा खत्म कर दिया। मैं आपको इसका सबूत दे रहा हूं। अनुदान संख्या-79, पृष्ठ संख्या-49 इसमें पिछड़ी जाति का शुल्क प्रतिपूर्ति खत्म हो गया है। इसको आप पढ़ लीजियेगा माननीय नेता कांग्रेस आप भी यह कागज ले लीजिये, माननीय नेता, बसपा को थमा दीजिये, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी थमा दीजिये। अब यह कागज उधर सत्ता पक्ष के पास कैसे जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप हमको पिछड़े में शामिल नहीं करते हैं नहीं तो आप हमको भी एक कागज देते।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कागज सत्ता पक्ष के पास भिजवाना चाहता हूं। इस नाते कि बड़ी विषम समस्या है। 52 परसेण्ट आबादी के बच्चों का भविष्य है जिसमें बच्चों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन शुल्क प्रतिपूर्ति खत्म हो गई है। मैं जब मिनिस्टर

था और उधर उस गोल में था तो मैंने इसी बात को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था।

***डॉ0 संग्राम यादव-**

आप देखिये उधर माननीय मंत्री जी आ गये हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

वह तो माननीय मौर्या जी हैं, वह तो इधर-उधर जाते रहते हैं। उनकी बात नहीं है लेकिन मैं जब मौर्या जी के साथ में था, तब की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मौर्या जी अगर खड़े हो गये तो आपको फिर दिक्कत आयेगी।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जब मैं उनके साथ में था तो मा0 मुख्य मंत्री जी से बराबर लड़ता रहा और मा0 मुख्य मंत्री जी आदेश देते रहे लेकिन आखिर वित्त विभाग बात नहीं माना। एक दिन मुख्य मंत्री जी ने चिट्ठी लिखा कि शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति दोनों का क्या औचित्य है तो वित्त विभाग ने दोनों के औचित्य को मिला करके शुल्क प्रतिपूर्ति को खत्म कर दिया और अब वर्ष 2020-2021 में पिछड़ी जाति के बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगा। इसको दिखवा लीजियेगा इस नाते कि यह बड़ा विषम मुद्दा है। अब दूसरी बात पर आते हैं। बजट पेश हो गया हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और अभी हमारे साथ बोल रहे थे कि एक मामला बड़ा गम्भीर है।

हम लोगों को सरकार कहां ले जाना चाहती है ? हम तो बहुत परेशान हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना इस बजट में है। मतलब अब लौहार को आरी, बसुला, रूखान और त्रिकुनिया के अलावा सरकार कुछ नहीं दे सकती है। मान्यवर, आप उनको शिक्षा की बात करते, उनको रोजगार की बात करते, उनको दवाई की बात करते आप तो उनको आरी थमा रहे हैं। आप उनको पुराने 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। आप विश्वकर्मा सम्मान दे रहे हैं। यह हम नहीं बोल रहे हैं यह आपकी बुकलेट बोल रही है। मान्यवर, प्रदेश की 23 करोड़ आबादी में कौन मां-बाप नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े ? मान्यवर और आगे देखिए। यह सरकार धोबी को क्या दे रही है ? खाली स्त्री करो शिक्षा की बात मत करो। इन्होंने एक योजना बड़ी अच्छी बनाई है। भेड़ कला बोर्ड इनकी एक योजना है। वाह रे सरकार। बनाने वाले लोग क्या यह लोग जीवन भर खाली भेड़ ही चराएंगे ? यह बजट में है। मैं इस बजट की बात कर रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, भेड़ सड़कों पर एक्सीडेंट में मर रही है। भेड़ चोरी हो जा रही है। पांच हजार से छः हजार की एक भेड़ आती है। उसकी 100 भेड़ चोरी हो गयी। वह थाने पर धरना दे रहा है और उसकी एफ0आई0आर0 नहीं हो रही है तथा चोरी करने वाला जो व्यक्ति है वह थाने पर माल भिड़ाये दे रहा है तथा जिसकी भेड़ चोरी हो गयी है उसकी एफ0आई0आर0 तक नहीं हो रही है। ताल गडरिया का यह हाल है। मैं सबूत के साथ कहता हूं। ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही नहीं बोलता है। आज पूरे प्रदेश में भेड़ पालकों की हालत बहुत बदतर हो गयी है और जब वोट आयेगा तो सबका साथ, सबका विकास। सीधे-सीधे लिखा करो सबका वोट पिछड़ों का विनाश करो। मान्यवर, कानून व्यवस्था पर बड़ी चर्चा हो रही है। मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। आप चाहे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बना दीजिए। लाख योजना बनाइए जब तक पुलिस के विषय में नहीं सोचेंगे तब तक वह सही काम नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1400 पुलिस थाने हैं और 1400 थानों में एक भी साईकिल नहीं है। यहां बैठे हुए मा0 सदस्यगण हैं और मा0 मंत्रीगण भी हैं। एक भी साईकिल नहीं है। सब मोटर साईकिल चलाते हैं और सरकार 200 रुपया साईकिल एलाउंस देती है। अब गरीब बिकेगा नहीं तो क्या करेगा ? गरीब लात नहीं खायेगा तो क्या करेगा क्योंकि सिपाही को तेल भराने के लिए रोज 100 रुपया चाहिए। सरकार केवल 200 रुपया ही दे रही है। जब दो दिन बीत जाने के बाद तीसरे दिन वह दरखास्त लेकर पहुंच जाता है, दो झापड़ लगाता है और कहता है कि 500 रुपया दे तेल नहीं है तो उसे देना पड़ता है। वह क्या करे बेचारा, उसको जान बचानी है। मान्यवर, 200 रुपये महीने के बदले 2800 रुपया गरीबों से वसूला जा रहा है। मान्यवर, मैं जब भी लखनऊ आता हूं आप से भी कहा और यहां सदन में भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में भी बताया कि आवास नहीं मिला इस नाते मैं भटकता रहता हूं। मान्यवर, पुलिस विभाग में पुलिसकर्मी 16 से 24 घण्टे तक ड्यूटी करते हैं और तन्खाह देते हैं आठ घण्टे की। पुलिसकर्मी की मां, पत्नी, भाई बीमार हो जाये तो कप्तान छुट्टी नहीं देता है। मंत्री, मंख्यमंत्री आ रहा है तो उसमें ड्यूटी लगी है। वह खुद ही दुखी हो जाता है तो कैसे वह न्याय करेगा। धारा-144 लगी है तो हर चौराहे पर 24 घण्टे ड्यूटी पर खड़े रहकर हमारी, आपकी सुरक्षा करता है। वह भी तो हमारी आपकी तरह इंसान है।

श्री अध्यक्ष-

खास बातें कर लें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, आप ही ने कहा था। मान्यवर, मैं फिर बजट पर आता हूं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मेरे पास था। मुझे उसकी बढ़िया जानकारी है। वर्ष 2019-20 में 200 करोड़

बजट था। 50 करोड़ इस बार कम कर दिया गया। यह पिछड़ों का हित है। शादी अनुदान 200 करोड़ था। 50 करोड़ कम कर दिया। पिछड़े समाज के जो लोग जीतकर आये हैं उनको तो जानकारी होनी चाहिए कि उस पिछड़े समाज की बेटी की जब शादी होती है उसका 50 करोड़ रुपया कम हुआ है। इसके लिए तो आपको बोलना चाहिए।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

आप बहुत परेशान हो। काहे चिल्ला रहे हो। मंत्री जी काहे परेशान हो। प्रमोशन नहीं होगा अब। जरा सुनने की क्षमता रखो। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं। यह इतना झूठ बोलते हैं कि शायद दुनिया में कोई इतना झूठा नहीं मिलेगा। मा0 अध्यक्ष जी, पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक कल्याण की जो योजनायें सरकार बनायी है वह योजना क्यों नहीं है। शादी अनुदान समाज कल्याण चलाता है, पेंशन समाज कल्याण देगा। आश्रम पद्धति विद्यालय में एडमीशन समाज कल्याण करायेगा। पिछड़ा से इतना एलर्जी क्यों है। जो योजनायें पिछड़ा वर्ग कल्याण की हैं उन योजनाओं को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को दिया जाये ताकि पिछड़े वर्ग का कल्याण आसानी से हो सके। सामूहिक विवाह मा0 मुख्य मंत्री जी की योजना है। सामूहिक विवाह हो गया। कौन सा सबूत है कि कितना पिछड़ा का हुआ, कितना दलित का हुआ, कितना सामान्य का हुआ। कोई सबूत दे सकता है। यह लोग इतना झूठ बोलते हैं। मान्यवर, जिसकी शादी हो गयी है उसको भी खड़ा करके रुपया निकाल ले रहे हैं। यह हाल है इस सरकार का। और मान्यवर, देखिये, पिछड़ा शब्द से सरकार को क्या एलर्जी है। एक पिछड़े वर्ग कल्याण अधिकारी हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात जल्दी कर लीजिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, हम जल्दी ही में लगे हैं। देरी तो कर नहीं रहे हैं। जब दो घण्टा बुलवा दिया प्रतिपक्ष के नेता को, 50 मिनट बुलवा दिया बसपा के नेता श्री वर्मा जी को तो हम तो छोटा पार्टी है।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो पांच मिनट में ही इतनी बढ़िया बातें कर ली कि सब फीके हो गये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, हम डेढ़ घण्टा बोलते नहीं हैं। हमको तीन बजे एक मीटिंग में जाना है, मा0 अध्यक्ष जी का निर्देश है। मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष सबसे कहना चाहता कि इस

पिछड़ा शब्द से सरकार को बड़ी एलर्जी है। चाहे वह सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की रही हो चाहे भाजपा की सरकार हो।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

.... किसी की भी सरकार हो।

(सत्तापक्ष के सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा दीजिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोगों की सरकार से बहुत अच्छी सरकार थी। हम कह रहे हैं कि जितना काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, आप जितनी भी वाहवाही लूट सको, उतनी लूट लो। आप क्यों घबरा रहे हैं, वर्ष 2022 में होगा।

(सत्तापक्ष के सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मैं नहीं आऊंगा। यह नोट कर लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जो कहता है वह करता भी है। पिछड़ा शब्द से बड़ा विरोध है। समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने लायकियत का परिचय दिया कि हम उधर वाले गोल में चले गये। अभी लायकियत का घमण्ड हो गया है, घमण्ड चकनाचूर हो जायेगा। इस सरकार को पिछड़ा वर्ग से इतनी बड़ी चिढ़ है कि आप देख लीजिए कि समाज कल्याण अधिकारी, अब आप वहीं देखिये कि पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी है उसको बाबू के ग्रेड-पे पर रखा गया है और वहीं जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी है उसको बाबू के ग्रेड-पे पर रखा गया है, क्यों ? पिछड़ा शब्द से भेदभाव क्यों ? पिछड़े वर्ग विभाग के अधिकारियों के साथ भेदभाव क्यों ? इस सरकार को पिछड़ा शब्द से इतनी एलर्जी है कि पिछड़ा वर्ग विभाग तो बना दिया। अगर विकास ही करना है तो पिछड़ा वर्ग विभाग का विलय समाज कल्याण विभाग में कर दीजिए।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बहुत नहीं, बस बात कह रहा हूं कि इस बजट में चाहे जितना भी कोई बोल लें। मैंने तीन वर्षों में देखा एवं पढ़ा है कि इधर जो बैठते हैं वह उल्टा बोलते हैं, उधर जो बैठते हैं वह उल्टा बोलते हैं। उल्टा इस नाते कि जब यह लोग कह रहे हैं कि आपने विकास नहीं किया और हमने सारा काम किया है। 40 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या कर रही थी, पानी पी रही थी ? आप बताओं कि आपने यह हाल बनवाया है जहां पर बैठे हो, सड़क पर चलते हैं उसको आपने बनवाया है ? बिना मतलब का भाषण करते हो। यह अनवरत प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी ने किया तो उनकी सरकार चली गयी, सपा की सरकार आई तो उन्होंने किया, फिर भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने किया और फिर बसपा की सरकार आई तो उन्होंने किया। यह तो क्रियाशील है।

(सत्तापक्ष के सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर)

मान्यवर, मैं अभी सरकार बनाने के लायक नहीं हूं। आप थोड़ा और उपद्रव कीजिए, शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारी सरकार बन जाये क्योंकि राजनीति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब झारखण्ड में एक एम0एल0ए0 अकेले मुख्य मंत्री बन सकता है तो अगर आप लोग चाहोगे तो यह भी हो सकता है। जिस सरकार के 200 विधायक धरने पर बैठ जाएं तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है। विपक्ष में जो पार्टी बैठती है, उसका सत्तापक्ष का विरोध करना स्वाभाविक है। सत्तापक्ष के लोग उल्टी-सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। किसानों के सवाल पर मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कल संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से सांड आते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि यह जो लड़के घूमते रहते हैं यह कहां से आए हैं। एक बात कहें यदि किसी को बुरा न लगे।

श्री अध्यक्ष-

कोई बहुत बुरा लगने वाली बात मत कहिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, बुरा नहीं लगेगा। हमारे मा0 गन्ना विकास मंत्री जी बैठे हैं लेकिन मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर इजाजत हो तो कह देता हूं। किसानों के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार धन दोगुना कर रही है। एक दिन पत्रकार भाई ने पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश भाई से पूछा कि आप पांच साल सरकार चलाए हो, आपकी सबसे अच्छी योजना क्या है ? अखिलेश जी ने कहा जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है, वह हमारी सबसे अच्छी योजना है। पत्रकार भाइयों ने पूछा उसका काम क्या है ? तब पत्रकार भाइयों से अखिलेश जी ने कहा कि कहीं कोई झंझट-टकरार हो जाती है तो 100 नंबर पर फोन करने पर गाड़ी चली आती है। अब ये समाचार संसदीय कार्य मंत्री सुबह अखबार में पढ़ लिये, अब इन्होंने पत्रकारों को बुलाया और पत्रकार भाई ने कहा कि कल अखिलेश जी ने कहा कि जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वह हमारी देन है, तब संसदीय कार्य मंत्री ने पत्रकार भाइयों से कहा कि जो चौराहे पर सांड खड़ा है, वह हमारी देन है(हंसी)। होली है, बुरा मत मानो, ये होली है और होली के मामले पर हमने बोल दिया है, पहले ही बता दिया हूं। पत्रकार भाइयों ने पूछा कि सांड का काम क्या है ? तो कहे कि किसानों का धन दोगुना करना है।(हंसी) अभी हमारे एक मंत्री जी कह दिये कि कोई छुट्टा पशु है ही नहीं, किसानों का फसल नुकसान ही नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय हो गया है, समाप्त करिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अब आपका आदेश होगा, तो बंद ही कर देंगे, नहीं ही बोलेंगे (हंसी)। माननीय अध्यक्ष जी, देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उस आर्थिक तंगी में जो बजट पेश

हुआ है उस बजट में कटौती हुई है, हम इसको स्वीकार करते हैं। कटौती हुई है लेकिन सबसे बड़ा भेदभाव पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ हुआ है, अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय सरकार न करे, नहीं तो सरकार बनाने वाले लोग बहुत परेशान होंगे। इसी बात के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद्।

गन्ना विकास, चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी ओम प्रकाश जी ने अपनी बातें रखीं लेकिन सच यह है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा चलायी जा रही योजनाएं वह सभी के विकास के लिए है, सबका साथ-सबका विकास और ऐसे लोग जिनके सीने में पिछड़ों के लिए कोई दर्द नहीं है, ऐसे लोगों को परेशानी यही है कि इनकी जो इस प्रकार की दुकानदारी है, वह बंद हो गयी है (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं), दुकानदारी बंद होने से ऐसे लोग तिलमिला रहे हैं, परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को विश्वकर्मा सम्मान के माध्यम से सम्मान मिला है तो कौन-सी बुरी बात है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के लिए न्याय हो, उसे रोजगार के अवसर मिले। यदि उसे रोजगार देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े, अगड़े, एस0सी0/एस0टी0 तमाम वर्गों के विकास की योजनाएं इस बजट में योगी आदित्यनाथ ने दी हैं, किसी भी वर्ग को अछूता इस बजट में नहीं रखा गया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

[02:35 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-45 कार्य-स्थगन की सूचनाएं लेते हैं। पहली सूचना, मा0 नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री उज्जवल रमण सिंह, नरेंद्र सिंह वर्मा, (डॉ0) संग्राम यादव, संजय गर्ग, राकेश प्रताप सिंह की है, जो उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति से संबंधित है, आपमें से कोई एक बोल ले।

***डॉ0 संग्राम यादव-**

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे पर हमें बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है वह बेतहाशा बढ़ रही है। हमारा पढ़ा-लिखा, बी0टेक, एम0टेक, पी0एच0डी0 आदि न जाने कितनी डिग्री लेने वाला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नौजवान आज दर-दर की ठोकरें खा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याणकारी संकल्प-पत्र में कहा था...

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

..कि हम 90 दिनों के अंदर जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं उनको भरने का काम करेंगे आज उत्तर प्रदेश सरकार को 03 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उस दिशा में सरकार ने कोई कारगर कदम उठाने का काम नहीं किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की आबादी इस समय लगभग 30 करोड़ है, जिसमें करीब 05 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था, आज उसने उस वायदे से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया है। आज स्थिति यह है कि 05 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं। अकेले माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 40 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। लगभग डेढ़ लाख पद प्राइमरी विद्यालयों में रिक्त हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़े के मुताबिक इस समय देश की बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मान्यवर, यह बहुत चिन्ता का विषय है। मान्यवर, हर उम्र के लोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 15.8 फीसदी है, जबकि केवल युवाओं की बात करें तो यह आंकड़ा 28 फीसदी है। व्यक्ति को बेरोजगार तब माना गया, जब उसे हफ्ते में एक घण्टे का भी रोजगार नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलिए, आप बेरोजगारी पर बोल रहे हैं, आपका क्यों सुना जाए, यह तर्क दीजिए। नियम-56 में जब कोई बोलता है तो यह आग्रह करता है कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की जाए और यह भी बताइये कि इस समय यह अविलम्बनीय क्यों है ?

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर इसलिए बल देता हूं कि जो आज बेरोजगारी है, यह राष्ट्रीय समस्या बन करके उभर चुकी है। मान्यवर, मैं कोई अपना आंकड़ा नहीं दे रहा हूं। भारत सरकार के सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गयी है और 2019 के अन्त में जो आंकड़ें जारी किए गए हैं, उनके अनुसार बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी लगभग 15.8 प्रतिशत है। सेण्टर फॉर मॉनीटरिंग इण्डियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2018 की बेरोजगारी दर 5.91 प्रतिशत से बढ़कर पिछले वर्ष 9.95 प्रतिशत हो गयी है। जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष-

आपके यह आंकड़े ठीक हैं, लेकिन आप यह तो बताइये कि यह क्यों अविलम्बनीय है और अविलम्बनीय बताकर फिर मांग करिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, उसी विषय पर तो मैं आ रहा हूं। सरकार ने युवाओं में बहुत ज्यादा विश्वास पैदा किया था कि हम सरकार बनायेंगे और जो रिक्त पद हैं, उनको 90 दिनों के अन्दर भरेंगे। यह अपने लोक कल्याण संकल्प-पत्र में सरकार ने कहा था और उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, इन्होंने जो समिट किया था, उसमें भी सरकार ने कहा था कि इससे बेरोजगारी दूर होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, आखिर कहां पर कारखाने लगे, उससे कितने नौजवानों की बेरोजगारी दूर हुई ? मेरा स्पष्ट मानना है कि उसके द्वारा सरकार ने झूठा प्रचार उत्तर प्रदेश के अन्दर करने का काम किया और वहीं दूसरी तरफ आज नौजवान दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अभी माननीय लाल जी वर्मा जी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि हम अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनायेंगे। जिसमें से पढ़कर निकले नौजवान रोजगार की तरफ बढ़ेगे। मान्यवर, कोई एक भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बना हो तो बता दें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हं, बहुत सा सदन का समय लगता है, लेकिन बेरोजगारी जैसे अहम् सवाल पर मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूं। एक तरफ किसान परेशान है, लेकिन वह ऐन-केन-प्रकारेण अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजता है लेकिन रोजगार का इतना सीमित क्षेत्र होता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि बेरोजगारी जैसे अहम् सवाल पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाए, मैं आपसे इसकी मांग करता हूं।

(सदस्य, श्री संजय गर्ग बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर दो लोग न बोलिए।

***श्री संजय गर्ग-**

मान्यवर, आपने मुझे कार्य-स्थगन में इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। वास्तव में, यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर समस्या है और समाज में एक कोढ़ की तरह बढ़ती जा रही है। प्रदेश की आबादी की मानवीय ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का हिस्सा है और वह मानसिक अवसाद की स्थिति में गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जिस मानवीय ऊर्जा को संचालित कर राष्ट्र निर्माण में लगाया जाना चाहिए था, वह राष्ट्र निर्माण में न लगकर किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में खड़े होने का काम आज के वर्तमान में प्रदेश की सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है, निश्चित रूप से वह दोराहे पर खड़ा हुआ अपने आपको पा रहा है। हम, आप यहां बजट पास भी कर रहे हैं या अलग-अलग तरीके से अपनी नीतियों को लागू करने की बात कर रहे हैं, पर इसमें यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सच्चाई है कि उन तमाम वायदों में जिनमें नौजवानों को यह आशा थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा, परंतु उन सब के बावजूद नब्बे दिन के अंदर सरकारी पद नहीं भरे गए। इतना ही नहीं सरकारी पद भरने की अभी बात नहीं है, बल्कि उसके साथ-साथ इंजीनियरिंग करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद भी बेरोजगारी की स्थिति यह है कि अगर चपरासी के लिए भी कहीं वांट निकलती है तो इंजीनियर जैसे नौजवान भी उसमें एप्लाई करने की बात करते हैं। और बहुत सारे सिडिंकेट इस तरह के प्रदेश में पैदा हो गए हैं, जो भी नौकरी के नाम पर झूठे विज्ञापन निकालते हैं और केवल एप्लीकेशन फीस लेने के नाम पर करोड़ों रुपये इक्ट्ठा कर के नदारद हो जाते हैं।

बेरोजगारों का शोषण किया जा रहा है, पर ऐसी स्थिति में, जब प्रदेश में, और जो पी0एस0यू0 बने हुए हैं आई0डी0बी0आई0, एल0आई0सी0 से संबंधित हैं, एन0टी0पी0सी0 से संबंधित, बी0एस0एन0एल0 से संबंधित है, एम0टी0एन0एल0 से संबंधित है, एयर इंडिया, कोल इण्डिया जब इन तमाम और बी0एच0यू0 को बेचकर उस के अंदर कार्यरत होने वाले उन तमाम नौजवानों को बाहर किया गया है। आप समझ सकते हैं कि नौजवान की क्या स्थिति हुई होगी। वह अपने आपको ऐसे चौराहे पर देख रहा है, आशा की किरणें उसके लिए बंद हो गई हैं। आज के इस तात्कालिक मुद्दे पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और यह तमाम नौजवान जो उत्तर प्रदेश के हैं, वह बहुत ही आशा की नजर से इस बारे में देख रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं चाहे वह ग्लोबलाइजेशन हो या प्राईवेटाइजेशन की हो, सरकार इसके बजाए जब संविदा के आधार पर नौजवानों को नौकरी देने की कोशिश करने का काम किया है और आउट सोर्स करने का काम किया है उसमें जितना पैसा सरकार संविदा पर ठेकेदार को देने का काम करती है, वहां पर भी लगातार उसका शोषण हो रहा है। आगे यह शोषण कब तक चलेगा ? क्या यह मानवीय ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक संदेश देने का काम नहीं किया जाएगा ? जब तक यह मानवीय ऊर्जा को संचालित कर राष्ट्र निर्माण में नहीं लगाएंगे तब तक यह समाज और यह प्रदेश विकास की गति को प्राप्त नहीं हो पाएगा, और इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए आग्रह करूंगा कि इस सदन की कार्यवाही को रोककर उस पर चर्चा करा ली जाए। सत्ता पक्ष में बैठे हुए तमाम साथी हैं, जो इस बात की गंभीरता के अहसास को, और पीड़ा को अपने मन में समेटे हैं। वह बात साफ हो जाए और दूध का दूध, और पानी का पानी हो जाए और नौजवानों के लिए हम और आप मंथन करके कोई रास्ता निकालें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अभी हमारे वरिष्ठ सदस्यगण ने नियम-56 के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या को यहां पर उठाया, जबकि यह सब कुछ सही जानते हुए भी सत्य को नकारना सही नहीं है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी

है, तब से लेकर के अब तक मैं स्वयं सेवायोजन विभाग का मंत्री हूं सेवा योजन विभाग की ओर से इतने ही कम समय में तीन साल में 2 लाख 90 हजार लोगों को हमने रोजगार मेला के माध्यम से और वृहद रोजगार मेला के माध्यम से सुनियोजित करने का काम किया है। मान्यवर, हम नौकरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसका आंकलन इसी से किया जा सकता है कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 05 साल में मात्र 01 लाख 81 हजार लोगों को सेवायोजन विभाग ने नौकरी दी थी। हमारे अभी 03 साल भी पूरे नहीं हुए हैं कि हम 03 लाख का आंकड़ा पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम आपसे तीन गुनी, चार गुनी ज्यादा स्पीड में लोगों को सेवायोजित कर रहे हैं। मान्यवर, इसी के साथ ही साथ कौशल विकास से विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इन तीन सालों में हालांकि तीन साल अभी मार्च में पूरा होगा। यानी अब तक हमने 02 लाख लोगों को सेवायोजित किया है। इसके अलावा, जो गवर्नमेण्ट आई0टी0आई0 कॉलेज हैं उनके माध्यम से अब तक हमने 02 लाख 06 हजार लोगों को विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सेवायोजित कराने में सफलता पाई है।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ जो लोग सरकार पर उँगली उठा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही तो हमारी सरकार में पुलिस विभाग में 87685 भर्तियां हो चुकी हैं और 49568 आरक्षी की भर्ती प्रक्रियाधीन है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 51248 भर्तियां हो चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 6883 भर्तियां हो चुकी हैं। अन्य विभागों में आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं, उसका आंकड़ा भी लगभग 04 लाख की संख्या में है। इसके साथ ही साथ अभी हमारे एक वरिष्ठ मा0 सदस्य ने कहा कि हम संविदा से भर्ती करते हैं तो उसमें बड़े-बड़े नियोजक भ्रष्टाचार करते हैं। मान्यवर, यह पाप भी हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने किया है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2011 में इसके लिए आदेश किया था। यानी पहला आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को भारत सरकार ने किया था और उस समय शायद केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय की केन्द्र सरकार ने देश के सभी प्रदेशों में इस प्रकार का शासनादेश जारी किया कि जो भी सरकारी पद हैं, उन पर भर्तियां आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जाएं। ये सभी शासनादेश हमारे पास रखे हुए हैं और यदि आपका आदेश होगा तो इन्हें आपकी पीठ के सामने भी रख दिया जाएगा।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में केवल एक पत्र नहीं है। इसी क्रम में आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कराने के लिए कम से कम 5-6 पत्र वर्ष 2007 से लेकर 2013 के बीच में जारी किए गए हैं। मान्यवर, हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने यह जो पाप किया है, उस पाप को खत्म करके हम यहां पर रोजगार का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, यही नहीं इस उत्तर प्रदेश में हमें वह दिन भी याद है कि जो हमसे पूर्ववर्ती सरकार थी जिसने 05 साल में मात्र 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया था। जब आप प्रदेश में निवेश नहीं कराएंगे तो रोजगार कहां से आएगा। लेकिन

हमने 02 साल के अन्दर ही एक बार में रु0 60 हजार करोड़, दूसरी बार में रु0 65 हजार करोड़ यानी 02 साल में ही 125 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में कराया जिससे उत्पाद शुरु हो गए और वहां पर भी लोगों को बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेण्ट मिलना शुरू हो गया है। मान्यवर, यही नहीं आज हम केवल रोजगार दे नहीं रहे हैं, बल्कि हम रोजगार का दरवाजा भी खोल रहे हैं। बड़े पैमाने पर रोजगार का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। मैं मा0 प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर दिया है और जिस दिन डिफेंस कॉरिडोर अपने व्यावहारिक रूप में, अमलीजामा लेकर के फुल-फ्लेश बनकर तैयार होगा, उस दिन 32 लाख नौजवानों को उससे सीधे रोजगार मिलने जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी प्रदेश की सरकार ने मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो, रोजगार पैदा हो। इसके लिए मान्यवर, ओ0डी0ओ0पी0 योजना चलाई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिया जिससे कि वह किसान जो अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं ले पा रहा था, घर बैठा रहता था, आज उसको अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मिलना शुरू हो गया। अभी-अभी लखनऊ में डिफेन्स एक्सपो हुआ है मान्यवर, 50 हजार करोड़ के निवेश के उसमें भी प्रस्ताव आये हुये हैं हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि आज इस नियम-56 का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इनकी सारी की सारी बातें तथ्य के परे हैं और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी हो रहा है। हमारी सरकार रोजगार देने का काम भी कर रही है और यह सब तेजी के साथ हो रहा है यही नहीं मान्यवर, मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं जो पहले कभी नहीं हुआ था प्रत्येक जिले में रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन हो रहा है। हमने अभियान चलाया है हर जिले में एक वृहद रोजगार मेले का, इस समय सदन चल रहा है इसके बावजूद भी हमारे वृहद रोजगार मेले चल रहे हैं। कम से कम डेढ़ दर्जन वृहद रोजगार मेलों में मैं खुद शामिल हुआ हूं। हम तो उनके घर और आंगन में जाकर देश के जाने माने जितने भी उद्योग घराने, अन्तर्राष्ट्रीय जगत के हमारे सुविख्यात उद्योगपति हैं उनको बुलाकर हम उन लोगों को सेवायोजित कराने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि बेरोजगार नौजवानों के प्रति हम गंभीर भी हैं, चितिंत भी है, रोजगार भी दे रहे हैं और रोजगार का दरवाजा भी खोल रहे हैं इसलिए इनकी सूचना अनौचित्यपूर्ण और बलहीन है इसलिए इसको अग्राह्य किया जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी का कथन सत्य से परे है। प्रदेश में 34 लाख युवा बेरोजगार सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। आपने अपने चुनाव संकल्प पत्र में कहा था कि पांच वर्षों में 70 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे और नौकरी के नाम पर उनके साथ छल किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना माननीय लाल जी वर्मा की है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, ये मोची के बेटे को मोची बनाना चाहते हैं, और माली के बेटे को माली बनाना चाहते हैं। सरकार का कथन सत्य से परे है इसलिए हम और हमारा दल 2 मिनट के लिए सदन का बहिष्कार करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य, सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आउट सोर्सिंग से भर्तियों की व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी। आउट सोर्सिंग कम्पनियों को गलत ढंग से करवाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। हमने उस व्यवस्था को खत्म करके सारी की सारी भर्तियां सेवायोजन के माध्यम से भेजे गये पैनल पर होंगी। सारी की सारी नियुक्तियां अब जेम पोर्टल से होंगी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा जो भ्रष्टाचार का बीज आपने बोया है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम हमारी सरकार ने किया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इतना तेज तो.....

श्री अध्यक्ष-

क्या वर्मा जी आप मौर्य जी की आवाज से डर गये हैं क्या ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी दो दिन पहले आजमगढ़ की डकैती का उल्लेख श्री सुखदेव राजभर जी ने किया कि दिन-दहाड़े किस तरह से डकैती पड़ी और एक व्यापारी को लूटा गया और उन डकैतों से मुकाबला कर रहे तीन जनता के लोगों को भी घायल होना पड़ा उनका इलाज अभी चल रहा है। उसी तरह से मान्यवर, लखनऊ में 21 तारीख को चौक क्षेत्र में चार नकाबपोश बदमाश पान-मसाला एजेन्सी के कार्यालय में घुसकर लाखों रुपये लूट लिये और विरोध करने पर पान-मसाला एजेन्सी के कर्मचारी श्री सुभाष गुप्ता की हत्या कर दी गई निरद्वंद होकर बदमाश सरेआम असलहा लहराते हुए भाग गये। मान्यवर, अब इससे महत्वपूर्ण घटना क्या हो सकती है कि इस तरह से खुलेआम और मान्यवर, यह नेशनल क्राइम ब्यूरो का भी आंकड़ा है कि लखनऊ चौथे स्थान पर है तो निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण घटना है, सुनिश्चित घटना है और जब सुनिश्चित घटना है, एक ही घटना है और अपराधी सरेआम दिन-दहाड़े लूट किये हैं तो निश्चित रूप से यह 56 के अनुकूल है ग्राह्य है चर्चा योग्य है चूँकि यदि इस पर विचार-विमर्श होगा तो इस तरह की घटनाओं का अम्बार लग जायेगा और प्रदेश

की आम जन जनमानस का जीवन सुरक्षित नहीं रह पायेगा। हम आंकड़ा चाहे जितना प्रस्तुत कर लें आप कर लें या हम प्रस्तुत कर लें उससे कुछ बनने वाला नहीं है। इसको कैसे रोका जाये इस पर विचार करने की आवश्यकता है और यह तभी हो सकता है मान्यवर, जब हम खुले मन से इस पर चर्चा करें और इस तरह के अपराधियों को रोकने के लिए केवल फर्जी एनकाउंटर कर देने मात्र से यह समाप्त नहीं होगा बल्कि वास्तविक रूप से इसकी रोकथाम करने की आवश्यकता है, तब जाकर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराने का काम करें।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वर्मा जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह घटना 20 तारीख को हुई है। 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा पान मसाला कारोबारी के यहां के एक कर्मचारी की उस समय हत्या कर दी गयी, जब वह लूटने वालों का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मान्यवर, सी0सी0टी0वी0 कैमरे से फुटेज लिये गये हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। 12 टीमें अलग-अलग बना दी गयी हैं और हर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अपराधियों को पकड़ा जा सके। मान्यवर, यह घटना वास्तव में बहुत दुखद है लेकिन सरकार पूरी तरह से इस बात के पक्ष में है कि किसी भी तरह से उसका खुलासा जरूर हो। मान्यवर, इसमें कोई कोशिश बाकी नहीं रखी जाएगी यह मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहता हूं। इसमें मृतक के परिवार को आंसू पोछने के लिए दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गयी और जैसा कि मैंने कहा कि पूरी मुश्तैदी के साथ इस बात का प्रयास होगा कि हर हाल में इस घटना का पर्दाफाश हो और जो दोषी व्यक्ति होगा, वह सजा जरूर पायेगा। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता, इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। यह चर्चा है कि इसी तरह की घटना टांडा में बैंक की लूट की हुई थी और मैंने कई लोगों से सुना कि शायद उसी तरह के लोग इसमें दिखायी पड़ रहे हैं और वह भी आज तक नहीं पकड़े गये। तो क्या इस तरह की कोई ऐसी जानकारी आपके संज्ञान में है कि जो अपराधी सी0सी0टी0वी0 फुटेज से दिखायी पड़े थे वह उसी तरह के हुलिए में थे और टांडा के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में जो डकैती हुई थी, वह भी उसी तरह के हुलिए में थे। यदि यह थे और तब से आज तक उनकी भी शिनाख्त नहीं हो पायी और न पकड़े जा सके हैं तो निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है, इसलिए इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप इसे दिखवा लीजिए। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्रीमती अराधना मिश्रा जी की जनपद हाथरस के थाना कोतवाली मुरसान क्षेत्र के ग्राम कथरिया की पिछले शनिवार को एक रोजगार सेवक द्वारा मानदेय न मिलने के कारण आत्महत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

***श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए संचालित की गयी विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली यू0पी0ए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में कई लाख लोगों को सीधा रोजगार मिला और परिवारों का भरण-पोषण हुआ। इस योजना में रोजगार सेवक के रूप में काम कर रहे कर्मचारी इस योजना के संचालन की रीढ़ है। पिछले 3 सालों का लगभग 200 करोड़ रुपये मानदेय के रूप में रोजगार सेवकों का बकाया है, जिसका भुगतान न होने के कारण आत्महत्या करने पर रोजगार सेवक विवश हो रहे हैं। जनपद हाथरस के थाना कोतवाली मुरसान क्षेत्र के ग्राम कथरिया में पिछले शनिवार को एक रोजगार सेवक श्री श्याम सुंदर पुत्र बिहारी लाल ने आत्महत्या कर ली। उसको सेवा समाप्ति की नोटिस मिली थी। लगभग 36 माह से उसको मानदेय नहीं मिला था और वह आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। अपने परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की शिक्षा आदि की समस्या के कारण, आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना कई समाचार-पत्रों में भी आयी, टी0वी0 चैनलों पर भी चली। इस तरह प्रदेश के अन्य रोजगार सेवक भी मानदेय न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब उसकी जरूरत नहीं है। नियम-56 में तो ताजी घटना का उल्लेख होता है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

यह पिछले हफ्ते की शनिवार की घटना है।

श्री अध्यक्ष-

आपने बताया कि 3 साल पहले की घटना है। नियम-56 में तात्कालिक घटना का उल्लेख होता है। आपने बताया 3 साल पुराना प्रकरण है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

यह तात्कालिक घटना ही है। 3 साल नहीं, 3 माह से उन रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय आ गया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

पिछले शनिवार को एक रोजगार सेवक ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। मैं चाहती हूं कि यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें और उन रोजगार सेवकों का मानदेय जो रूका हुआ है, उसको सरकार दे।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल ठीक।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि कांग्रेस की नेता ने बताया वह वास्तव में बहुत दुखद है, इस प्रकार की अगर घटना हुई है तो। सुसाइड करने की बात तो सही है लेकिन सुसाइड की वजह क्या है, किस वजह से यह परिस्थिति पैदा हुई, उसके पीछे क्या कारण थे ? मान्यवर, यह जांच का विषय है और हमने इस पर ग्राम विकास आयुक्त से जांच करवाकर आख्या मांगी है। जैसाकि सदन में बताया गया है कि ऐसा होगा तो कार्रवाई भी होगी और अगर उनका कुछ बकाया होगा तो वह मिलेगा भी। लेकिन यह बहुत ही दुखद घटना है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। अभी मैंनें टेलीफोन से बात भी करवाई थी। हमारे राज्यमंत्री जी भी गये थे, इन्होंनें टेलीफोन से बात की। जांच जैसे ही आ जायेगी हम आपके माध्यम से सदन को अवगत भी करायेंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, यह मैं आश्वस्त करता हूं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की जो संवेदनशीलता है उसका मैं आभार व्यक्त करती हूं। मेरा केवल एक सवाल है कि 3 साल से लगभग दो सौ करोड़ का जो मानदेय बकाया है, क्या सरकार उसको जो अन्य रोजगार सेवक थे उनको देने की कोई व्यवस्था करेगी, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

आपका जो विषय था उस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दे दिया है। जो माननीय सदस्य का विषय है कि उन्हें बकाया नहीं मिला है उसके लिए हमने वित्त विभाग को अनुरोध भेजा था और वित्त विभाग ने तत्समय विचार किया था, उस समय कुछ धन की कमी थी, वह राशि नहीं मिल पायी, जिसके मिलने से हम उन्हें भुगतान करते। यह निरन्तर प्रक्रिया है और विभाग उस पर चिन्तित भी है। निश्चित रूप से वह हमारे कार्यक्रम को सहयोग दे रहे हैं। जल्दी-से-जल्दी उनका जो बकाया है, उसके भुगतान की कार्यवाही विभाग करेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, स्पष्ट आश्वासन आ गया। शेष सूचनायें हैं। श्री मो0 असलम राइनी, एडवोकेट, श्री आजाद अरिमर्दन, श्रीमती सुषमा पटेल की प्रदेश में नियम-52(क) के अन्तर्गत तीन माह के लिये कृषकों को भूमि पर बाढ़ के कारण जमा, बालू, मोरंग, बजरी आदि का अनुज्ञा-पत्र न देने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इन पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और सरकार को कहता हूं कि आवश्यक कार्यवाही करें। ऐसे ही श्री अमनमणि त्रिपाठी जी की है, जनपद-महाराजगंज के नौतनवाँ में वन माफियाओं द्वारा वृक्षों की कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इसके बारे में सरकार को निर्देशित करता हूं। श्री असलम अली जी की सूचना है, जनपद-हापुड़ के थाना धौलाना के थानाध्यक्ष व चौकी इंचार्ज की अनुचित कार्यशैली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिकायत है उसकी जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिए संदर्भित करता हूं। श्री अम्ब्रीष सिंह पुष्कर एडवोकेट की है, जनपद बलिया के थाना उभांव पर तैनात कुछ पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण होने के बाद भी कार्यमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इसमें आती नहीं है लेकिन मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करता हूं। श्री प्रभु नारायण सिंह यादव जी की है, जनपद-चन्दौली के अन्तर्गत पी0एच0सी0 बरहनी पर नसबन्दी के दौरान ओ0टी0 में हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, मैं सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करता हूं। अब जो बजट पर चर्चा जारी थी, तद्नुसार बजट पर चर्चा जारी रहेगी। मैं सबसे पहले प्रोफेसर (डॉ0) श्याम बिहारी लाल जी को कहता हूं कि वह बजट पर बोले। हमारे सभी माननीय सदस्यगण पक्ष के, विपक्ष के 5 मिनट में अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा मित्र बोल लेंगे।

(इसी मध्य अपराह्न 03 बज कर 07 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए।)

[03:06 बजे] वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट 2020-21 पर मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान करने के लिये आपका धन्यवाद। वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी और प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5,12,860.72 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें नई योजनायें 10,967.82 करोड़ की हैं। यह बजट पिछले बजट से 33,159 करोड़ रुपये अधिक है और इसमें घाटे का बजट 12,302 करोड़ रुपये है। अनुमानित वित्तीय घाटा 53,195.46 करोड़ का आंका गया है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है और इसे अधिक नहीं माना जा सकता। अधिकतम 3 प्रतिशत तक इसे ले जाया जा सकता है और यह उसके अन्तर्गत आता है इसलिये यह अच्छा बजट है। अनुमानित कर सकल घरेलू उत्पाद

28.8 प्रतिशत है यह भी बहुत अधिक नहीं है, इसकी अन्तिम सीमा 30 प्रतिशत तक होती है। बजट में कृषि के लिये 6,176.27 करोड़ रुपये, प्राथमिक शिक्षा के लिये 55,064 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिये 12,988 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा के लिये 6,440 करोड़ रुपये, ऊर्जा के लिये 33,754 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग के लिये 27,837 करोड़ रुपये, ग्राम्य विकास विभाग के लिये 20,316 करोड़ रुपये, महिला विकास के लिये 9,690 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं जल जीवन मिशन के लिये 8,962.65 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण के लिये 1,285 करोड़ रुपये, समाज कल्याण के लिये 4,906 करोड़ रुपये, पुलिस के लिये 2,081 करोड़ रुपये, भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिये 7,476 करोड़, खाद्य एवं रसद विभाग के लिये 163 करोड़ रखे गये हैं। इस बजट में मूलभूत ढांचे के सुधार के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, युवा एवं अनुसूचित जातियों, जनजातियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी विशेष जोर दिया गया है। समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुये रोजी-रोटी, रोजगार सृजन और ढांचागत विकास को गति प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मान्यवर, इस बजट से निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं प्रदेश की 122, फरीदपुर अनुसूचित जाति के लिये रिजर्व सीट से चुनकर आता हूँ, इसलिये सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करना चाहूँगा। बजट में समाज कल्याण के लिये जो धनराशि दी गयी है और जैसा कि विपक्ष के एक सदस्य ने स्वीकार भी किया कि जो उसमें कम किया गया वह किसी कारण से किया गया और वह उचित है। मान्यवर, जितनी भी चीजें जरूरी थीं वह अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये इसमें की गयी है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिये भी 1,235 करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गयी है। जितनी भी चीजें हो सकती थी इंटर रिलेशन में अगर पूरे बजट को देखा जाय तो ढेर सारे स्थानों पर उनके लिये कुछ न कुछ किया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि देखने में यह लग सकता है लेकिन पिछले वर्ष के जो रोजगार के आकंड़े गिनाये जा रहे हैं, खासकर मैं अनुसूचित जातियों, जनजातियों और हाशिये के उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनकी बात अभी की गयी। मान्यवर, लगभग 15 साल के स्पैन में, 15 साल के कालखंड में ज्यादातर जो पढ़ाई हुयी है उसमें नकल का 100 प्रतिशत योगदान रहा है। मैं यहां पर मारियो पूजो के एक उपन्यास 'गॉडफादर' को कोड करते हुए बताना चाहता हूं कि अगर किसी समाज में नकल जैसा अभिशाप चालू हो जाता है तो उससे ऐसे ही परिणाम आते हैं और इससे भी बुरे आते हैं। बीच में इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था आई, जैसे कि इटली में जो माफिया शब्द आया, उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था यहां पर चालू हो गई थी। आपको बताना चाहता हूं कि वहां का एक प्रसंग है कि जिसने माफिया शब्द चालू किया, माफिया का जबड़ा टूट जाता है और उसे वहां पर इलाज करने वाला कोई डाक्टर नहीं मिलता, क्योंकि वह सारे के सारे डाक्टर नकल से पास हुए थे और जब तक वह अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका जाता, तब तक वह जबड़ा खराब हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि पीछे

15 साल में सपा और बसपा के कार्यकाल में जो नकल हुई, वह बहुत ही शर्मनाक और समाज के लिए घातक थी। जिसमें अगर बच्चे से राजकीय लिखाओ तो वह 'राज' अलग लिखता है और 'कीय' अलग लिखता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे वह विश्वविद्यालय हों, चाहे वह माध्यमिक इंटर कॉलेजेस हों या और भी जितनी डिग्रियां हैं, उनमें नकल को रोका गया, नकल पर रोक लगाई गई और आज यह कोई भी वर्ग कह सकता है कि इस समय नकल नहीं हो रही है। मान्यवर, पीछे के समय में चाहे वह लैबोरेटरी थी, एक भी लैबोरेटरी कहीं चालू नहीं थी, एक भी पुस्तकालय कहीं खुला हुआ नहीं था, यह समाज के लिए एक तरीके से कैंसर है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार जो सबसे अच्छा काम किया है, युवाओं के लिए दो योजनायें चालू की हैं, एक 'मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' और दूसरी 'युवा उद्यमिता विकास अभियान', यह दोनों योजनायें युवाओं के लिए मार्ग-दर्शन का काम करेंगी। अभी विपक्ष की तरफ से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेंड़ कला बोर्ड बनाया है, उन्होंने यह कला बोर्ड बनाया है। अरे, आप कब समझेंगे ? आप समझिये, पूरे देश को टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन जितनी भी पारम्परिक कलायें हैं, जितनी भी पारम्परिक तकनीकी हैं, क्या सारी चीजें टाटा के यहां बन रही हैं, हंसिए क्या टाटा के वहां बन रहे हैं, क्या छोटी-छोटी भी चीजें टाटा के यहां बन रही हैं ? ऐसा नहीं हैं, लोहार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। पूरे यूरोप में अगर किसी गार्जियन से आप बात कीजिए तो बड़े फक्र के साथ बताता है कि मेरा बेटा रोटी बनाना जानता है, मेरा बेटा बढ़ईगीरी का काम जानता है, मेरा बेटा बिजली का काम जानता है, मेरा बेटा भेंड़ के बाल काटना जानता है और पूरे यूरोप में कहीं पूछ लीजिए, पूरे अमेरिका में और किसी विकसित देश में। यह मेरे वहां ही है कि इस तरीके की चीजों को हतोत्साहित करने की बात की जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

डॉ0 साहब, अब समाप्त कीजिए।

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन कायाकल्प, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ है। गांव, गरीब का बच्चा बचपन में 12 तक आते-आते जब शहर जाता था, तब उसे कभी लाइब्रेरी के दर्शन होते थे। लेकिन इस समय गांव के स्कूलों में लाइब्रेरी, जो गांव के पंचायत भवन हैं, उनमें लाइब्रेरी बनने का काम शुरू हुआ है। मेरी ही विधान सभा में लगभग एक दर्जन ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे पंचायत भवन हैं, जिनमें यह काम हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में भी बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं, जो पीछे नहीं किये गये थे और यह जो के0जी0एम0सी0 को जो पैसा मिला है, संजय गांधी, पी0जी0आई0 को जो पैसा मिला है, अगर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा, अगर लैबोरेटरी का विकास नहीं होगा और अगर चिकित्सा शिक्षा में नई-नई चीजों को नहीं लाया गया तो लोगों का कैसे भला होगा। डायबिटीज बहुत बड़ी बीमारी है और अगर डायबिटीज में रेटिनोपैथी के लिए इंतजाम किया गया है तो इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

मान्यवर, मैं संक्षेप करते हुए, अब अपनी विधान सभा के बारे में बोलना चाहता हूं। फरीदपुर नगर में रेलवे क्रासिंग की बहुत जरूरत है। मेरी विधान सभा से रेलवे लाइन गुजरती है और बीचों-बीच नगर से कई बार दुर्घटनायें होती रहती हैं। फरीदपुर का जो राजकीय महाविद्यालय है, उसमें साइंस का ग्रेजुएशन और पी0जी0 की क्लासेस भी प्रारम्भ की जायें। उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़ी और साधनहीन बंजारा समुदाय के लिए बंजारा विकास बोर्ड का गठन किया जाये। ...

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

मान्यवर, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में नाथ वज्रयान शोध पीठ की स्थापना की जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री मनोहर लाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2020-21 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी, हम लोगों के मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। ऐसे हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री आदित्यनाथ महाराज जी, उप मुख्य मंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्य मंत्री माननीय डॉ0 दिनेश शर्मा जी, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जिनके द्वारा लोक कल्याणकारी विकासपरक किसान एवं युवा हितैषी बजट प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रदेश

की जनता में खुशी की लहर है। सदन में विराजमान हमारे सभी मंत्रि मण्डल के साथी एवं सभी विधान सभा सदस्यगण, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित रही हैं वह आज उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूलमंत्र पर काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता ही सेवा है, जिसके लिए पूरे प्रदेश एवं देश में एक स्वच्छता का माहौल है।

मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के तहत् 27 लाख 98 हजार आवास स्वीकृत हुए और 17 लाख से अधिक आवास बना करके प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मान्यवर, 86 हजार 700 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मान्यवर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 47 लाख से अधिक परिवारों में निःशुल्क रसोईगैस कनेक्शन प्रदान कर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अधिष्ठाता महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 21 लाख परिवारों को शौचालय इज्जतघर देकर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अधिष्ठाता महोदय, प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना एवं अन्य योजनाओं से 1 करोड़ 24 लाख से अधिक घरों में विद्युत कनेक्शन देकर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मान्यवर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं आम आदमी बीमा योजना में प्रदेश का प्रथम स्थान है। अटल पेंशन योजना में प्रदेश का प्रथम स्थान है। कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराधमुक्त, भयमुक्त, अन्यायमुक्त वातावरण बनाकर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि अधिकांश आबादी की आजीविका का साधन है। हमारी सरकार ने पांच वर्षों के भीतर कृषि की आय को दो गुना करने का निश्चय किया है। मान्यवर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 2 करोड़ 33 लाख किसान परिवारों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 87 लाख किसानों में प्रथम किश्त के रूप में लगभग 3750 करोड़ रुपए की धनराशि और उसके बाद 11 हजार 690 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार द्वारा हाल ही में 'जल जीवन मिशन' आरम्भ किया गया है। उसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक हर घर पाईपलाईन पेयजल योजना के द्वारा जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने परीक्षा केन्द्रों पर नकल विरोधी अभियान चलाकर नकल माफियाओं पर अंकुश लगाया है। बेसिक शिक्षा में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा सके। ग्रामीण स्तर पर पंचायतीराज विभाग के द्वारा 'आपरेशन शिक्षा कायाकल्प' के अंतर्गत अब स्थापना सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 की 'शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन' वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया हैं। छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गयी है। अधिष्ठाता महोदय, बच्चों को कापी-किताबें, स्वेटर, जूते-मोजे व बैग निःशुल्क दिये जा रहे हैं। आपके नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में विशेष सुधार हो गया है। झांसी में डिफेंस कॉरीडोर हब कारखाना बनाने एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बनाने से हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश में जनता खुश है और 29 फरवरी को मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चित्रकूट के भरतकूप में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया जा रहा है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके नेतृत्व में मा0 उप मुख्य मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, जिससे आम जनमानस खुश है। मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना 'आयुष्मान कार्ड योजना', जो गरीबों के लिए संजीवनी का काम कर रही है, इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारक व्यक्ति किसी भी बड़े अस्पताल में कहीं भी अपना पांच लाख का इलाज निःशुल्क करा सकता हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री मनोहर लाल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, 'मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अंतर्गत निर्धन परिवारों के एक लाख गरीब कन्याओं की शादी करायी गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री मनोहर लाल-

मान्यवर, दो मिनट में हम अपनी बात समाप्त कर देंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के बच्चियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। श्रम विभाग, जो मेरा विभाग है, के द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018 में प्रयागराज में 175 जोड़ों की शादियां हुई। वर्ष 2018-19 में सोनभद्र में 436, मिर्जापुर में 501, कानपुर में 368, गोरखपुर में 572 जोड़ों की शादियां हुईं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बरेली में 491 और आगरा में 1260 जोड़ों की शादी संपन्न करायी गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री मनोहर लाल-

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विषय में चिंतन किया गया और उनको 55 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये किया गया है।

मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अथक प्रयासों से नौ जोड़ों के खातों में सब्सिडी दिया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर 40 प्रकार के मजदूरों को इतनी सुविधाएं दे दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी, समाप्त कर दीजिये।

श्री मनोहर लाल-

मान्यवर, बस समाप्त कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 'शिशुलाभ योजना', 'संत रविदास शिक्षा योजना', 'मेधावी पुरस्कार योजना' आदि दी हैं। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 उप मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मा0 सुरेश खन्ना जी ने ऐसा कार्य किया है कि वास्तव में प्रदेश की जनता इससे बहुत खुश है।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत समय हो गया है, अब आप समाप्त करिये। मा0 मूल चन्द्र सिंह जी।

श्री मनोहर लाल-

मेरे ललितपुर जनपद में आपके द्वारा 4 पुल स्वीकृत किये गये हैं। जनपद में मेडिकल कालेज दिया हैं, जूनियर हाई स्कूल और कालेज दिये हैं, डिग्री कालेज दिये हैं आई0टी0आई0 कालेज दिया है वेलनेस सेन्टर दिया है। जिससे जनपदवासी प्रसन्नचित है। आप सबका एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्रीराम।

श्री मूलचन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2020-2021 के बजट पर जो हमारे वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है के समर्थन में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया है इसलिये मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, 2020-2021 का जो बजट है वह मैं समझता हूं कि आज तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 5,12,860.72 करोड़ रुपये का जो बजट है यह अब तक का सबसे अभूतपूर्व बजट है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है यह उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र, हर वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में हर विषय को लिया गया है। उत्तर प्रदेश को तेजी से गति प्रदान करते हुए इस बजट में तमाम ऐसी योजनाएं ली गई हैं जो निश्चित रूप से अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूं प्रभावी होंगी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे और मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है गंगा एक्सप्रेस-वे। इसके लिये 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे सामने के कुछ सम्मानित सदस्यगण अपने द्वारा जो बात रख रहे थे कह रहे थे कि यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश के प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिये भी बजट में 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय खोलकर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय महंत योगी आदित्य नाथ जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। स्कूल में प्राइमरी, जूनियर विद्यालयों में, अच्छी ड्रेस, बस्ता, जूते मोजे और यहां तक कि गॉव में तमाम विद्यालयों को जहां गरीब लोग, छोटे लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। इंग्लिश मीडियम विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंच पाते थे ऐसे लोगों के लिये इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की भी व्यवस्था की है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि 7 नये मेडिकल कालेज प्रारम्भ हुए हैं और उनमें एम0बी0बी0एस0 के छात्रों की कक्षाएं भी प्रारम्भ हो गयी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हर रविवार को मुख्य मंत्री आरोग्य कैम्प के द्वारा हर गांव के लोगों को आसानी से चिकित्सा उपलब्ध हो, उनकी जांचें हों सकें। पूरे प्रदेश में हर रविवार को पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 केन्द्र पर कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं जिससे गांव के लोगों को उनका लाभ मिल सके। मैं समझता हूं यहां जितने माननीय सदस्यगण हैं वे भी उसमें पहुंचे होंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे के0जी0एम0सी0 हो, पी0जी0आई0 हो, सैफई हो, डॉ0 राम मनोहर लोहिया हो, कैंसर संस्थान लखनऊ हो, सारे अस्पतालों को इस बजट में अलग से प्राविधान किया गया है। गरीबों को आवास के लिए अभी तक सरकार के द्वारा 13 लाख से अधिक आवास आवंटित किये गये हैं और आगामी वित्तीय वर्ष में भी गरीबों को 5 लाख आवास देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके लिए 6 हजार 240 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की गयी है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय बनवाये गये और सरकार ने इस नये बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायतों तक सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 5791 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की है। यह लोग जो किसानों की बात करते हैं मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे।

मैं बुंदेलखण्ड के जालौन जिले से आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद में अभी यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण और एक-डेढ़ महीना पहले ओलावृष्टि हो जाने के कारण तमाम किसानों की जो फसलें नष्ट हुयी थीं, मैं सामने वाले सदस्यगणों को बता देना चाहता हूं कि इतने कम समय में बाढ़ग्रस्त लोगों को और जो ओलावृष्टि से किसानों को

एक-डेढ़ महीने पहले क्षति हुई थी, आपकी सरकारों में जो एक-एक, दो-दो साल बाद मुआवजा मिलता था, मुआवजा मिलता भी था तो वह एक हजार, दो हजार और चार हजार रुपये मिलता था। हमारी सरकार ने दो महीने और चार महीने के अन्दर ही पर्याप्त किसानों को मुआवजा देने का काम किया है। हम लोगों ने कैम्प लगाकर के उन किसान भाइयों को मुआवजा के प्रमाण-पत्र भी वितरित किये हैं। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह बुंदेलखण्ड को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे यहां बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रारम्भ होने जा है। डिफेंस कॉरीडोर बुंदेलखण्ड में बनने जा रहा है उससे बुंदेलखण्ड के लाखों-लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखण्ड में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में मा0 योगी जी की सरकार द्वारा जो ध्यान दिया जा रहा है, मैं बहुत-बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री मूलचन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बुंदेलखण्ड को पेयजल के लिए मा0 योगी जी की सरकार ने 9 हजार करोड़ रुपये दिये हैं, जिसकी योजनायें गर्मियों से प्रारम्भ होने वाली हैं और इस बजट में जो महत्वपूर्ण कार्य सरकार ने किया है मैं पुनः अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी को और अपने जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखण्ड का जो पचनद एक प्रमुख स्थान है। पांच नदियों का संगम स्थल है, पचनद पर बैराज परियोजना के लिए भी इस बजट में प्राविधान किया है। इस बैराज परियोजना से जालौन, हमीरपुर, औरैया, इटावा इन पांच जिलों के किसानों को पर्याप्त सिंचाई के संसाधन प्राप्त होंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री मूलचन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्यायें रखना चाहता हूं। हमारे 219 माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कोंचनगर पालिका परिषद है, जिसमें पचासों वर्ष पुरानी सीवर लाइन पड़ी हुई है, जो जगह-जगह टूट गयी है, पूरे शहर में गन्दगी फैली रहती है। इसी प्रकार से जो पेयजल की पाइप लाइन है, उस पाइप लाइन में भी सीवर लाइन का पानी जाता है, लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ता है। मैं पेयजल, सीवर लाइन एवं पेयजल के पुनर्गठन की आपके द्वारा मांग करता हूं कि कोंचनगर में सीवर लाइन का पुनर्गठन किया जाए एवं पाइप लाइन का भी पुनर्गठन किया जाए। हमारे माधौगढ़ में अग्निशमन केन्द्र, मुंसिफ कोर्ट नहीं है, जिला केन्द्र से 50 कि0मी0 दूर पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री मूलचन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माधौगढ़ में अग्निशमन केन्द्र और मुंसिफ कोर्ट की मांग करता हूं। माधौगढ़ विकास खण्ड के हीरापुरा नीचे का पुरा के मध्य मृगा नदी पर पुल न होने की वजह से ग्रामीणों को काफी असुविधा होती है। हीरापुरा नीचे का पुरा के मध्य मृगा नदी पर पुल बनवाये जाने की मैं मांग करता हूं। हमारे माधौगढ़ क्षेत्र में गन्ना काफी होता है। मैं माधौगढ़ में एक गन्ना मिल स्थापित करने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। बहुत समय हो गया।

श्री मूलचन्द्र-

गन्ना मिल स्थापित किए जाने की मैं मांग करता हूं। माधवगढ़ में गन्ना मिल स्थापित की जाए। अध्यक्ष जी कोंच से मध्य प्रदेश ग्वालियर को जाने वाला मुख्य रोड है कोंच से नदी गांव की ओर मध्य प्रदेश सीमा तक इस रोड के चौड़ीकरण की मैं मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री इकबाल महमूद-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे विशेष अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी के उप नेता होने के नाते मुझे कुछ ज्यादा समय आप दें। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गये बजट के विरोध में मैं खड़ा हूं। विरोध करने का मतलब नहीं कि विरोध है बल्कि बजट के अन्दर जो कमियां होती हैं उसको दर्शाना विपक्ष का कर्तव्य होता है उसी कर्तव्य को दर्शाते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूं। मान्यवर, बजट पर हमारे नेता आदरणीय चौधरी साहब ने सारे विभागों को ले लिया मगर उसमें से चन्द विभागों पर मैं अपनी राय रखूंगा विशेषकर कृषि के मामले में मैं कहूंगा कि यह देश और प्रदेश किसानों का है। और किसानों को उनके फसल का उचित लाभ मिले यह सरकार का दायित्व और कर्तव्य होता है मगर इस चौथे बजट में तीन बजट चले उसमें कुछ नहीं था पिछला बजट जो था उसका पूरा पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ नया बजट आ गया इस नए बजट को भी प्रदेश का किसान नौजवान प्रदेश का हर व्यक्ति बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा था कि शायद हमारे लिए कुछ इस बजट में हो मगर खासतौर से हमारे युवाओं को जो पढ़े लिखे थे जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की थीं जो मेहनत करके पास हुए थे उन्हें बहुत निराशा हुई वह सोच रहे थे कि बजट आएगा तो हम युवाओं के लिए नौकरी का दरवाजा खुलेगा मगर ऐसा कुछ नजर नहीं आया बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई कि पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर आ गए हालत यह हो गई कि जिन लोगों ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एम0ए0पी0एच0डी0 कर लिया कहीं जगह निकलती है क्लर्क की तो उसके अन्दर उनको एप्लाई करना पड़ता है। हालात बहुत बुरे हैं मैं समझता था कि शायद वित्त मंत्री जी ने नौजवानों के लिए किसानों के लिए किया होगा कुछ अपने बजट में लाए होंगे मगर खाली निकला।

मान्यवर, चिकित्सा का मामला है अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं दवाएं नहीं हैं मगर दवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है डाक्टरों के लिए सरकार क्या कर रही है। नौकरियों के लिए जगह नहीं निकाली उस दिन मेरा एक सुझाव था कि प्रदेश के अन्दर मेडिकल कालेजेज खोले गए बहुत अच्छी बात है मगर वहां पर एम0बी0बी0एस0 पास करके एम0डी0 पास करने के बाद जो डाक्टर चुने गए हैं उनके ऊपर बंदिश होनी चाहिए थी कि वह पढ़ाई करने के बाद पांच साल तक गवर्नमेंट सर्विस में रहें ताकि वह मरीजों की सेवा कर सकें। पांच साल तक गवर्नमेंट सर्विस में रहेंगे तो डाक्टर की कमी भी पूरी होगी और जो मरीज हैं उनको भी लाभ पहुँचेगा। प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। हमारा जिला सम्भल जो अभी सृजित हुआ है नया बना है, वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिये था, परन्तु नहीं खोला। मैं उस जिले की बात बता रहा हूं। अभी नया जिला बना। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सम्भल में आकर मुख्य मंत्री ने जिले का ऐलान किया कि हम जिला बनाते हैं, लेकिन मुख्यालय का कोई जिक्र उसके अन्दर नहीं किया कि मुख्यालय कहां बनेगा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आयी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस कार्य को किया और उन्होंने सम्भल जिले का मुख्यालय पवासा में किया। उसके बाद फिर यह सरकार आ गयी और इस सरकार ने आने के बाद उसका मुख्यालय फिर समाप्त कर दिया और बहुत दूर 30 किलोमीटर दूर बहजोई ले जाकर उसका मुख्यालय रखा। सम्भल बहुत इम्पॉर्टेन्ट शहर है, वहां पर 20-25 साल से बराबर एक ए0डी0एम0 तथा एक एडीशनल एस0पी0 की नियुक्ति चली आ रही है, लेकिन उसको इम्पॉर्टेन्स नहीं दी गयी। लॉ एण्ड ऑर्डर के हिसाब से भी सम्भल बहुत संवेदनशील था इसलिये उसको रखना चाहिये था। मैं फिर मांग करता हूं कि अब भी उस चीज को बदल दें और सम्भल को पुनः उसका मुख्यालय बनाएं।

मान्यवर, देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है और विशेषकर मैं लखनऊ, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर का जिक्र करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राईम इन तीन जिलों में होता है। सरकार कहती है कि क्राईम के अन्दर कमी आयी है और आंकड़े कह रहे हैं कि क्राईम पहले से बढ़ा है। आजकल तो पूरे प्रदेश के अन्दर एन0आर0सी0 और एन0पी0आर0 के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, पुलिस की गोली से लोग मारे जा रहे हैं। सम्भल के अन्दर भी प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने गोली चलाई जिसमें दो आदमी वहां मर गये। उल्टे 50-55 लोगों को और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सौ-डेढ़ सौ लोगों की सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये उनको नोटिस दे दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षेप कर दीजिये।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मैंने आपसे अनुरोध किया था।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपका समय बढ़ा दिया है, अब पांच मिनट की बजाय सात मिनट हो गये हैं।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, हमें थोड़ा समय और दे दें। मान्यवर, देशद्रोह के मुकदमे लगाये गये। कल ही पेपर में आया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि इन धरना-प्रदर्शनों में देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाना चाहिये। यह लोग देशद्रोही नहीं हैं। हम अमन पसन्द हैं। हम इस देश से प्यार करते हैं। यह देश हमारा है और हम इस देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप सब करते हैं। हमारी यह अपेक्षाएं थीं और हम यह सोच रहे थे कि अभी यह नयी सरकार बनी है और मा0 योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्य मंत्री बने हैं जो एक धार्मिक व्यक्ति हैं और कोई भी धर्म हमें लड़ाने का काम नहीं करता है, उसी के ऊपर चलकर योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को भी इंसाफ दिलाने की बात करेंगे, मगर वह भी यही कह रहे हैं कि आये क्यों थे, गोली मारेंगे नहीं, तुम उसके अन्दर आये क्यों थे। अगर हम उसके अन्दर आयेंगे तो क्या हमारे ऊपर गोली चलायी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षेप कीजिये।

(इस मध्य सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारी बात बुरी लग रही होगी। हमारी बात आपको बुरी लग रही होगी। सच्ची बात है न इसलिये बुरी लग रही होगी।

श्री अधिष्ठाता-

आप अब संक्षेप कर दीजिये। आप अपनी बात कहिये।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह हिन्दुस्तान है और इस हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख-ईसाई सब रहते हैं। कल हमारे देश के अन्दर अमरीका के राष्ट्रपति आये थे, उन्होंने भी इसकी सराहना की थी, उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख-ईसाई

की एकता की एक मिसाल है। हमें उस एकता को मिसाल बनाना चाहिए, उस एकता पर चलना चाहिए। हम सब एक हैं, हमे लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। देश हमारे लिए प्रिय है। जब देश आगे बढ़ेगा तब हम पांचवे नम्बर से उठकर चौथे, तीसरे और दूसरे नम्बर पर आ पायेंगे यही हमारा प्रयास होना चाहिए। यही आपसे अनुरोध है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठ जाईये।

श्री इकबाल महमूद-

आप हमारे पुराने साथी हैं, थोड़ा सा समय और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

अध्यक्ष जी ने व्यवस्था बनायी है। आप बैठ जायें फिर बोल लीजिएगा।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आज हम वर्ष 2020-21 के प्रस्तुत बजट पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। इस बजट में सभी वर्गों और क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है। बजट में युवाओं, किसानों, अवस्थापना सुविधाओं, सिंचाई, ऊर्जा, चिकित्सा स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पर्यटन और कनेक्टीविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिनमें मुख्य रूप से मैं कुछ क्षेत्रों की चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि आपने समय तय कर दिया है लेकिन मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। अभी एक पार्टी के उपनेता जिनके नेता प्रतिपक्ष दो-दो, ढ़ाई-ढाई घंटा अपना भाषण कर चुके हैं और विपक्ष के लोगों को रोज बोलने का अवसर मिलता है और सत्ता पक्ष के लोगों को अवसर बहुत कम मिलता है। बजट सत्र में और राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का बहुत कम समय मिलता है। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूँगा कि थोड़ा हमारा समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात कर लीजिए। इधर-उधर की बात न करें।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं संक्षेप में ही कहूँगा। मैं सबसे पहले इस बजट में स्वास्थ्य पर, चिकित्सा शिक्षा पर चर्चा करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में 13 नए मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने स्थापित करने का निर्णय लिया है और प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना अपने आप में बताता है कि सरकार समाज के लिए, जनता के लिए कितनी चिन्ता करती है। विपक्ष के लोगों को बजट कभी भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी बजट प्रस्तुत होता है, राज्य सरकार में हम लोगों ने चौथा बजट प्रस्तुत किया है लेकिन किसी

भी बजट की सराहना विपक्ष के द्वारा नहीं की गयी है। यह बहुत ही शर्मनाक विषय है और एक शर्मनाक विषय और भी है कि बजट पर चर्चा हो रही है और बजट चर्चा के दौरान चाहे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे बहुजन समाजपार्टी के नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कांग्रेस के सारे विरोधी दल के नेता सदन से गायब हैं। इनकी गंभीरता यही बताती है कि ये आरोप लगाकर भाग जाते हैं। आरोप तो दो लाईनों में लगता है लेकिन उसका जवाब देने में कईं पन्ने चले जाते हैं। आप लोगों को आरोप लगाकर उसका जवाब सुनने की भी आदत डालनी चाहिए।

हमारी सरकार ने 5 लाख आवास इस वित्तीय वर्ष में बनाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जिसके घर में छप्पर होगा, जिसका कच्चा घर होगा उसको 2022 तक पक्का घर बनाकर देने का निर्णय सरकार ने लिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य जो हमारी सरकार ने किया है इसकी चर्चा विपक्ष के लोग कभी नहीं करेंगे क्योंकि यह लोग जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि आपने पॉवर हाउस कब लगाया था। मैं चौथे बजट सत्र में बोल रहा हूँ जब भी विपक्ष के लोग खड़े होते हैं यही चर्चा करते हैं कि आपने एक भी पॉवर हाउस नहीं लगाया है, एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं की गयी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार के बजट से पॉवर हाउस लगा था कि आपकी पार्टी के बजट से पॉवर हाउस लगा था ? जनता बिजली चाहती है। आज हम 18 घन्टे बिजली गांवों में दे रहे हैं 22 घन्टे बिजली शहरों में मिलती है जिसकी सराहना आम जनमानस में हो रही है। आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आपकी सरकार में 5-6 घन्टें बिजली आती थी। पूरे पांच वर्ष आपकी जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिलों-जिलों में धरना प्रदर्शन करते थे आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है आप अखबार उठाकर देख लीजिएगा। सड़क के विषय में चर्चा करना चाहंगा कि हमारी सरकार ने सड़कों के निर्माण में एक भूतपूर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है जितने भी बसावटी गांव थे, 250 की आबादी के गांव थे उन 250 की आबादी वालें गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। हमने पिछली बार भी कहा था कि आजादी के बाद से शहरों में सड़कों का चौड़ीकरण हुआ लेकिन देहातों की सड़कों का चौड़ीकरण आज तक नहीं हो पाया। हमारी विधान सभा में भी 2 मुख्य मार्ग हैं एक लालगंज से सरैनी होते हुए भोजपुर जाता है मार्ग उसकी 16 कि0मी0 की लम्बाई है उस सड़क के चौड़ीकरण का काम आज चल रहा है, हमारी सरकार ने चौड़ीकरण का काम किया है और हाई-वे की वहां सड़क बन रही है। आजादी के बाद से सड़क 5-6 हजार वाहन उससे गुजरते हैं चलना दूभर हो गया है, एक्सीडेन्टल घटना इतनी बढ़ गयीं आज हमारी सरकार में हो पाया, हमारे जिले में समाजवादी पार्टी के पांच-पांच विधायक थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्यों चौड़ीकरण नहीं हो पाया ? विधान सभा में सड़कों का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ और 2 मुख्य मार्ग माननीय अधिष्ठाता महोदय बताना चाहंगा सराय बैरिया खेड़ा से भोजपुर होते हुए उन्नाव बार्डर को सड़क जाती है उसके आगड़न का काम चल रहा है। सरैनी से भोजपुर के लिए जो रोड जाती है उसके आगड़न का काम चल रहा है।

मेरी मुख्य मंत्री जी से और माननीय केशव प्रसाद जी जो माननीय उप मुख्य मंत्री हैं से निवेदन करना चाहूंगा कि आगणन का काम चल रहा है और उसमें भी अगर पैसा निर्गत हो जायेगा तो सारी विधान सभा की सड़कें अपने आप चौड़ी हो जायेंगी और सरकार का विकास जनता को दिखाई पड़ेगा। इसी तरह अभी सिचांई की चर्चा क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और किसानों के लिए खेतों में पानी की सिंचाई एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है उस पर चर्चा करूंगा। हमारी सरकार ने 16973 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है जिसमें मध्य गंगा परियोजना, अर्जुन सागर, राजघाट नहर परियोजना अन्य परियोजनाओं में बजट दिया गया है। हमारी विधान सभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी हैं जो भगवन्त नगर से विधायक भी हैं और पूर्वा ब्रान्च नहर और डलमऊ डीप पम्प से हरदोई और उन्नाव और रायबरेली के किसान सिंचाई करते हैं। डलमऊ डीप पम्प परियोजना में पम्प बदलने के लिए 78 करोड़ रुपया स्वीकृत होने के लिए व्यय-वित्त समिति में गया हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा और सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा दोनों लोगों को बधाई देना चाहूता हूं कि 25-30 वर्षों के बाद आज सरैनी और रायबरेली की नहरों में पानी चल रहा है। किसानों ने उससे अपने खेत की सिंचाई की है और डलमऊ डीप पम्प ने 78 करोड़ रुपया भी पास हो जायेगा तो भरपूर मात्रा में किसानों को पानी फसल सिंचाई के लिए मिलेगा। इतना निवेदन करना चाहता हूं पेयजल के सम्बन्ध में नल से जल देने की योजना है इस सरकार की। बुन्देलखण्ड से इसकी शुरुआत हो चुकी और बहुत जल्द पूरे प्रदेश में घर में नल से जल दिया जायेगा। एक विषय अधिष्ठाता महोदय संक्षेप में बोल रहा हूं। निराश्रित गौवंश पर चर्चा लगातार सदन में हो रही है चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष के सारे विधायक जनता से चुनकर आते हैं। हमारी सरकार निराश्रित गौवंश के लिए गौवंश का निर्धारण कर रही है गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम गाय कटने नहीं देंगे और किसान को भी नुकसान नहीं होने देंगे, हमारे मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की है लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम लोग जब गांव के अन्दर जाते हैं तो ये पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने अपने कार्यकताओं से कह रखा है कि जब भी सत्ता पक्ष का विधायक गांव में आये तो जानवरों के बारे में तीखी प्रतिक्रिया उससे करो और आम जनमानस में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो आज झगड़ा भी हो सकता है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय-समय पर अच्छी चीजें आती रहेंगी और एक बार भी आप चाहे कि एक दिन में निदान हो जायेगा तो एक दिन में निदान नहीं होगा हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हम भी किसान परिवार से आयें हैं। वास्तव में गायों से समस्या नहीं है लेकिन जो साड़ वहां भारी मात्रा में आज गांव-गांव में घूम रहे हैं उस पर सकारात्मक बात करने की आवश्यकता है और हमारी सरकार कह रही है इसका उपचार हम करेंगे, किसानों की

फसल का नुकसान नहीं होने देंगे तो आप विश्वास रखिये आज हम हैं और 2022 में भी हम ही आयेंगे इसकी चिन्ता मत करिये और मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप लोग देखना बंद कर दीजिये। मैं अंत में अपने विपक्ष के सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि ''बरबाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।'' यह बजट प्रदेश को बहुत आगे ले जाने वाला बजट है इसलिये मैं इस बजट की सराहना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे उत्तर प्रदेश के इस गौरवशाली सदन में वित्तीय वर्ष 2020-2021 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, विगत माह में श्रीराम जन्मभूमि विवाद पर रामलला के पक्ष में निर्णय आने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लोक सभा में दिव्य व भव्य मन्दिर बनाने का संकल्प व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को और सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर जनकल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। गरीबों, वंचितों, महिलाओं, युवाओं सभी वर्गों के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं को लागू कर जिस तीव्रता के साथ हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आम जनमानस से भी उसकी सुलभ प्रतिक्रिया भी निरंतर हमें प्राप्त हो रही है। माननीय अधिष्ठाता जी, मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित अनुमानित बजट, युवाओं को कौशल व रोजगार दिलाने, किसान भाइयों को हर कदम पर मदद देने, महिलाओं को हर कदम पर सशस्त बनाने, पर्यटन विकास, औद्योगिक क्षेत्र की रचना, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी व विकास के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर केन्द्रित जनकल्याण के लिए समर्पित उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक बजट है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। निश्चिय ही यह बजट इस वित्तीय वर्ष में विकास की नई इबारत लिखेगा ऐसी मेरी शुभकामनायें हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हर क्षेत्र में विकास करने वाले व 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के नारे को सार्थक करने वाले मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यशस्वी नेतृत्व हमें प्राप्त है। मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी महराज ने विगत 2 वर्ष 11 महीनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था, कृषि, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य सेवायें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास सहित अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुधार कर उन्हें जन आकांक्षाओं पर शत-प्रतिशत खरा

उतरने के योग्य बनाया है। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली, हर घर योजना (सौभाग्य) व अटल पेंशन योजना में पूरे देश में प्रथम स्थान दिलाया है। उ0प्र0 दिवस के माध्यम से प्रत्येक प्रदेशवासी को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। पौराणिक संस्कृति, सभ्यता व विरासतों को संजोने व संवारने के साथ-साथ आधुनिक ई-प्रणाली को भी प्रत्येक क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया है। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय योगी जी की सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारा जिससे डकैती, लूट, अपहरण, हत्या, दुष्कर्म सहित सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी आई जिससे हमारा प्रदेश अपराधमुक्त हो रहा है। कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किया जाना भी सरकार का सराहनीय व ऐतिहासिक कदम है। अनुमानित बजट में पुलिस कर्मियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर और तकनीक को बेहतर बनाने के लिए 329 करोड़ रुपये की व्यवस्था से कानून व्यवस्था में आधुनिकता आने के साथ-साथ हमारी पुलिसिंग भी स्मार्ट बनेगी। माननीय अधिष्ठाता जी, किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प किसान भाइयों की कर्ज माफी, कृषि कुम्भ, एक जनपद-एक उत्पाद, गन्ना किसानों का रिकार्ड भुगतान, फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना, लाइसेंस मुक्त कोल्हू व क्रेशरों की स्थापना, खाण्डसारी इकाइयों के पुर्नसंचालन हेतु निःशुल्क लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था, प्रदेश में 10 ग्रीन फील्ड नवीन डेरी प्लाण्टस् की स्थापना, सभी जनपदों में वृहद गौवंश संरक्षण केन्द्र की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से पूरा होने के चरम पर है।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने अयोध्या में आधुनिक गौशाला के लिए 8.50 करोड़ रुपये अवमुक्त किये हैं इसके लिए मैं उनका सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय योगी जी की सरकार प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसने जनता की चौखट पर जाकर सभी समस्याओं का समाधान करने का कार्य किया है। मा0 मुख्य मंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समर्पित हैं, उत्तर प्रदेश को आरोग्य बनाने की मंशा से मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला योजना प्रारम्भ की गई जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को सुलभता से आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। विधान सभा सत्र की व्यस्तता के दौरान भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने अमूल्य समय में अयोध्या आकर पौराणिक सूरजकुण्ड पर पिछले रविवार को मुख्य मंत्री आरोग्य मेला का उद्घाटन किया। मैं इसके लिए भी उनको आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बोलना है। थोड़ा समय दे दीजिए। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सवा सौ करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के परिवारों व मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के

अन्तर्गत 10.5 लाख से ज्यादा परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री योगी जी ने मेरी विधान सभा क्षेत्र आयोध्या में चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जिसमें प्रदेश के युवा शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुमानित बजट में स्वास्थ्य के लिए 9230 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 6460 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के सुधार व निखार की दृष्टि से भी यह समय उ0प्र0 के स्वर्णकाल के रूप में जाना जायेगा। जब मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में नकल विहीन परिक्षाएं हो रही हैं। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा की सुविधाओं को आधुनिक किया जा रहा है, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से सुलभता से गरीबों, वंचितो सभी के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। मॉडल इण्टर कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षेप कर दीजिए।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बना था और मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाने का अवसर मिला तो टाटपट्टी भी सत्तर सालों में एवलेबल नहीं थी पता नहीं क्या किया उन सरकारों ने जो राज कर रही थीं। यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री अधिष्ठाता-

वेद जी अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप इण्डिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना, इन्वेस्टर्स समिट की बैठक, एक जनपद-एक उत्पाद, डिफेंस इण्डस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरिंग कॉरीडोर का शिलान्यास, युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार मुहैया कराने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

वेद जी अब आप बैठ जाइए मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं भौगौलिक विरासत को सजाने, सवारने का कार्य भी मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निरन्तर किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइए।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विश्व भर में दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार आयोध्या की जनता ने प्रभु श्रीराम के आगमन पर प्रथम बार दीपावली मनायी थी, उसकी स्वर्णिम झलक पहली बार दीपोत्सव के माध्यम से मा0 योगी जी ने पूरे विश्व को दिखाने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदियों से अयोध्या एक प्रतिष्ठित नगरी थी, परन्तु पिछली सरकारों ने सदैव अयोध्या से एक दूरी बनाकर रखी थी, आज जो कहते हैं कि अयोध्या हमारे भगवान राम का स्थान है उन्होंने कभी अयोध्या की तरफ मुड़कर देखा नहीं और आज कहते हैं कि हमारे भगवान राम आराध्य हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो अच्छी बात है।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम अयोध्यावासियों के लिए राम राज्य बस एक स्वप्न बनकर रह गया था। 2014 में पहली बार केन्द्र की सत्ता हासिल करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी के संरक्षण में रामनगरी को वैभव प्रदान करने की नए सिरे से गम्भीर कोशिश हुई है। मैं अयोध्या के पूज्य संत-महंतों व समस्त अयोध्यावासियों की ओर से मा0 मुख्य मंत्री जी का कोटि-कोटि अभार व्यक्त करना चाहंगा कि सर्वप्रथम नगर निगम का गठन कर विकास को गति प्रदान की गई। अयोध्या नगरी को आज आधुनिक बस स्टैण्ड, भव्य रेलवे स्टेशन, प्रभु श्रीराम के नाम पर भव्य एयरपोर्ट, अयोध्या की सभी सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृणीकरण इन सब योजनाओं के माध्यम से अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने का कार्य मा0 योगी जी की सरकार कर रही है। मैं पुनः इस पटल से मा0 योगी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइए।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2020-21 का बजट जो पहली बार हमारे वित्त मंत्री बने मा0 श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने रखा है। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैंने इस बजट पुस्तिका का विधिवत् अध्ययन किया। इस बजट में सबका साथ सबका विश्वास के साथ यह बजट रखा गया है। मैं मा0 वित्त मंत्री जी को कोटि-कोटि बधायी देता हूं। यह बजट उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मान्यवर, हमारे कल नेता प्रतिपक्ष जी ने दो घण्टे बजट के विरोध में अपना भाषण दिया। लेकिन आज मा0 चौधरी साहब नहीं हैं। मैं उनके ऊपर दो लाइनें कहकर अपनी बात शुरू करूंगा कि- हमें हमसफर तुम बनाकर तो देखो हमें एक बार आजमाकर तो देखो कर देंगे जान ओ तन चौधरी साहब तुम पर इधर एक बार मुस्कुराकर तो देखो। हो सकता है चौधरी साहब हमारा संदेश सुन रहे हों। एक बात और चौधरी साहब के लिए कहना चाहता हूं कि-आग के पास मोम को लाकर देख मन यह करता है कि तुम्हें हाथ लगाकर देखूँ। जो यह मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा बजट रखा गया है 71 साल की आजादी में पहली बार वित्त मंत्री बने श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा पहली बार 5 लाख करोड़ से अधिक का बजट लाया गया है। मैं इस बजट की घोरघोर प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी व्यक्तिगत बात आने से पहले कहना चाहता हूं कि-दर्द सीने में छिपा रखा है हमने माहौल बना रखा है मौत आयी थी कई दिन पहले उसको बातों में लगा रखा है। मान्यवर, मैं व्यक्तिगत अपनी बात रखना चाहता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं 28 तारीख को अपने गांव में था। मेरी अचानक तबियत खराब हुयी। मैं तुरन्त लखनऊ पी0जी0आई0 अस्पताल पहुंचा। वहां के सी0एम0एस0 भट्ट जी से मिला। उन्होंने कहा कि आप यूरिन की जांच कराकर मुझे दे दीजिए। मैं इसके बाद आपका इलाज शुरू करूंगा। मैंने यूरिन की जांच कराकर दी। उसके बाद उन्होंने तीन टेबलेट लिखे और कहा कि विधायक जी जाइये आपका सब ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप गोली खाइये। मैं अपने घर चला आया। घर जाने के बाद मेरी तबियत निरंतर बिगड़ती गयी। जब ज्यादा तबियत बिगड़ गयी तो मैं तीन तारीख को फिर पी0जी0आई0 अस्पताल पहुंचा। वहां पर हमने कहा कि हमारी तबियत ज्यादा खराब है मुझे यहां पर एडमिट कराइये। मैं 11 बजे पी0जी0आई0 अस्पताल पहुंच गया था और मुझे 3:49 मिनट पर इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। मैं वहां पर घण्टों स्ट्रेचर पर लेटा रहा। बमुश्किल मुझे प्राईवेट वार्ड में भर्ती न कराके जनरल वार्ड में भर्ती करा दिया गया। वहां पर मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और मैंने सी0एम0एस0, भट्ट जी से कहा कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है मेरे पास कोई डॉक्टर भेजिए। मैं जिस वार्ड में भर्ती था उसमें 15 मरीज और भर्ती थे और मैं 16वां मरीज था। उस वार्ड में एक ही बाथरूम था। जब मेरी 04 तारीख को तबीयत ज्यादा खराब हो गयी तो मैंने सी0एम0एस0, भट्ट जी से कहा कि मेरी यहां से छुट्टी करा दीजिए क्योंकि यहां पर मेरा इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरी बात को सुन लें और मैं सत्ता में होने के बावजूद भी सही बात कहने को तैयार हूं। आपकी सरकार में ऐसा नहीं होता था।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी पूरी बात आ गयी है, अब आप बैठ जाइये।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी छुट्टी कराकर वेदांता अस्पताल, दिल्ली चला गया। वहां पर मेरा बहुत अच्छा इलाज हुआ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 03 और 04 तारीख में देख लिया जाय कि पी0जी0आई0, अस्पताल में कितने प्राईवेट वार्ड थे और कितने मरीज भर्ती थे अथवा जब प्राईवेट वार्ड खाली थे तो मुझे प्राईवेट वार्ड में भर्ती क्यों नहीं कराया गया। निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और जो मेरे साथ हुआ है वह किसी और के साथ न हो।

'हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती,
खुदा के सामने बन्दों की मक्कारी नहीं चलती,
तुम्हारा दबदबा नौकरशाहों खाली तुम्हारी जिन्दगी तक है,
किसी की कब्र के अन्दर जमींदारी नहीं चलती।'

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मा0 वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा भारत की संस्कृति और उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित, उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए प्रस्तुत किये गये बजट संकल्प को समर्थन देने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।। यह बजट प्रस्ताव जब मैंने पढ़ा तो इसकी पहली पंक्ति में बजट की शुरूआत 'उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का बोध क्षेत्र है' से की गयी है। मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति का बोध क्षेत्र है और भारत की संस्कृति लोकतंत्र का बोध क्षेत्र है। नैमिषारण्य की धरती पर बहुत पहले जब देश और समाज पर संकट था तो पहली बार संसद के रूप में 88 हजार ऋषि इकट्ठा हुये और उन्होंने देश और समाज का चिंतन किया देश और समाज का चिंतन करने के पश्चात् उनको जब यह महसूस हुआ कि आसुरी शक्तियाँ इस संस्कृति को समाप्त कर देना चाहती हैं। अतः उसकी रक्षा के लिये तो एक ऐसे शस्त्र की आवश्यकता है जो किसी तपः पुरुष के शरीर की हड्डियों से बन सकता है हम सभी लोग जानते हैं कि महाऋषि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान करके भारत के लोकतंत्र की रक्षा में पहल की थी, जिसके आधार पर एक ऐसे शस्त्र का निर्माण हुआ था जिससे वृत्रासुर का संहार हुआ।

इसलिए जब हम भारत की संस्कृति की चर्चा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम धार्मिक पूजा पद्धति की बात कह रहे हैं। कल जब हमारे कुछ साथी बोलने के लिए खड़े हो रहे थे तो हमारे कुछ विपक्ष के मित्रों को उसमें आपत्ति हो रही थी। हमने जब राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रखे तो इसी सांस्कृतिक अवधारणा को लेकर शुरूआत की और उसी का परिणाम रहा की हमारे पहले-पहले मा0 अध्यक्ष डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इस देश के लिए हुआ। हमारे एक और अध्यक्ष पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी जो मृत अवस्था में ट्रेन के ट्रैक के किनारे पाये गये, उनका भी बलिदान इस देश के लिए हुआ। महोदय, हमने भारत की संस्कृति को अपना आधार माना है क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पहाड़ों, नदियों आदि की भी पूजा करते हैं, नाग को भी दूध पिलाते हैं, गाय को भी पूजते हैं अर्थात् जो भी दिखाई पड़ता है हर उस चीज की पूजा करते हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि हमारा बजट भारत की संस्कृति को समर्पित है, संस्कृति को समर्पित इस बजट में, समाज के हर वर्ग के लिए चाहे पर्यावरण का हो, या जल हो या मनुष्य हो, पशु हो सभी के लिए कल्याणकारी बातें कही गयी है।

हमें याद है कि जनसंघ से आगे बढ़कर जब हमने भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू की तो हमारे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था उसकी अंतिम पंक्तियां मैं कोड करना चाहता हूं, ''भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता-जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकड़-कंकड़ शंकर है, बिंदु-बिंदु गंगाजल है, हम जीयेंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए।'' (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाई) इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काम कर रही है। मान्यवर, संस्कृति जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। पंथ मजहब जोड़ने का काम नहीं करता। अगर मजहब जोड़ने का काम करता तो पाकिस्तान तो मजहबी सिद्धांत पर बना था फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते, बांग्लादेश अलग नहीं हो जाता। सत्ता भी जोड़ने का काम नहीं कर सकती। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी सत्ता के आधार पर अलग हुए थे, लेकिन सत्ता के आधार पर अलग होने के बाद फिर से दोनों एक हो गये इसलिए सत्ता भी जोड़ने का काम नहीं करती, संस्कृति जोड़ने का काम करती है।

रहीमदास जी से जब किसी ने पूछा कि हाथी बार-बार धूल उठाकर अपने मस्तक पर क्यों डाल रहा है, ''धुरि धरत निज शीश पर, कहु रहीम केहि काज ?'' तो रहीमदास जी ने उत्तर दिया ''जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज।।'' यहां की माटी में भगवान के चरणों की रज को देखने का काम रहीमदास जी करते हैं और इस देश-प्रदेश के अंदर ऐसे लोग भी सत्ता में आए जिन्होंने राम के अस्तित्व को न स्वीकार करके राम के भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया है। यह अच्छी बात है कि कल मैं देख रहा था कि हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल बार-बार राम-राम सीताराम कर रहे थे, चलिए किसी भी प्रकार से

राम का स्मरण कर रहे थे, ये संस्कृति ही है जिसने जोड़ने का काम किया है। अभी देखें राम मन्दिर के नाम पर कितना बड़ा फैसला देश के अंदर आया और प्रदेश की सारी जनता से उसे स्वीकार किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षेप करिए। धन्यवाद।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

मान्यवर, अभी मेरा पांच मिनट हुआ नहीं, मैं भी घड़ी देख रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

समय खत्म हो गया है, पांच मिनट बीत गये हैं।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

आपके सामने भी घड़ी चल रही है, मेरे सामने भी घड़ी चल रही है।

श्री अधिष्ठाता-

मेरे सामने भी घड़ी चल रही है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए। महोदय, बजट हमारा कितना भी अच्छा हो, उस अच्छे बजट के बाद भी हमें कुछ बातों को समझना होगा। जब गरीब आदमी एक माचिस खरीदता है, तब उस माचिस के टैक्स के आधार पर जो पैसा इकट्ठा होता है उसी पैसे से देश और प्रदेश के अंदर विकास के काम होते हैं। कहीं पुलिस चौकी बनती है, कहीं थाना बनता है, सड़क बनती है, बसें बनती हैं, रेल बनती हैं, लेकिन इसको तोड़ने और जलाने का काम अगर कोई करता है तब मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के गरीब ईमानदार टैक्सपेयर का अपमान होता है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने ऐसे प्रदर्शनों के माध्यम से जो गरीब टैक्सपेयर के पैसा का अपमान करके आगजनी करते हैं उन्हें रोकने का काम किया है। इस प्रदेश के अंदर कितना ही अच्छा बजट हम ले करके आए परन्तु जो हमारी सरकारी सम्पत्तियां हैं, जिसमें सिंचाई विभाग की बहुत-सारी सम्पत्तियों का जिक्र मैं कर सकता हूं, जिसमें काम होते समय लेबर लगे होंगे, निरीक्षण भवन बने होंगे, गोदाम बने होंगे, कालोनी बनी होगी। परन्तु आज ऐसी संपत्तियां बेकार पड़ी हुई हैं..

श्री अधिष्ठाता-

साकेन्द्र जी, अब समाप्त करिए।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

.. अधिष्ठाता जी, मैं कॅनक्लूड कर रहा हूं। उन सम्पत्तियों की रक्षा करना और गांवों के अन्दर जो हमारे पंचायत भवन हैं, उनकी रक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है मैं

समझता हूं कि सरकार इसकी प्राथमिकता को समझ करके इस दिशा में विचार करने की कोशिश भी कर रही है। कितना ही अच्छा बजट हम ले आयें, कितनी ही कल्याणकारी योजनाएं ले आयें, लेकिन प्रदेश की बढ़ती हुई बेतहाशा जनसंख्या इस प्रदेश को आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए जनसंख्या नीति पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस सदन के अन्दर जो चर्चाएं चल रही थीं, मैं उन चर्चाओं का उल्लेख करते हुए, अपनी बात को समाप्त करूंगा। विपक्ष के द्वारा यहां पाकिस्तान के बहुसंख्यकों की चिन्ता तो हो रही है लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की चिन्ता नहीं होती। परन्तु भारत के अल्पसंख्यकों की चिन्ता तो कर रहे हैं, भारत के बहुसंख्यकों की चिन्ता कम कर रहे हैं। यह विचारणीय बिन्दु है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका सारा विषय आ गया है, अब समाप्त करें।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

अधिष्ठाता जी, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, योगेन्द्र नाथ मण्डल का उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में किया है। जितने सदस्य यहां पर हैं और जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करता हूं। योगेन्द्र नाथ मण्डल ने किस कारण से पाकिस्तान सरकार से इस्तीफा दिया था, वह गूगल पर सर्च करके इस्तीफा अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी पुत्री के साथ बैठ करके पढ़कर सुना दें, आंख में आंसू आ जायेंगे कि किन परिस्थितियों में उनका इस्तीफा हुआ है। विपक्ष के लोग फिर सदन में चर्चा की दिशा तय करें अधिष्ठाता जी, मैं एक बार फिर से बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री महबूब अली-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, देर से ही सही लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। आज लगातार सत्तापक्ष से बोलने वाले ज्यादातर सभी सदस्य अपने भाषण में भारी-भरकम बजट की बात करते हैं कि 05 लाख 12 हजार 860 करोड़ 75 लाख रुपये का बजट भारी भरकम है। लेकिन मैं बताये देता हूं कि आप मॅहगाई दर निकाल लीजिए, 7.35 प्रतिशत महंगाई दर है। महंगाई दर से आप निकालेंगे तो 01 प्रतिशत यह कम का बजट है, घाटे का बजट है। आपको अपनी छाती पीटने, ठोंकने की जरूरत नहीं है। आप आंकड़ों में जाइये तो यह 01 परसेण्ट कम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसान पर, गौवंश पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, ज्यादातर सदन के अन्दर चर्चा हुई है। हम कई दिन से लगातार देख रहे हैं, कल भी मा0 मंत्री जी गौवंश पर भाषण दे रहे थे, किसान की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन किसान आज पूरी तरह से मजबूर और लाचार

बन कर रह गया है। मॅहगी खाद, मॅहगी बिजली, मॅहगी सिंचाई, डीजल मॅहगा और इसके बाद अगर वह फसल बोता है तो उसे जानवर खा जाते हैं, उसकी क्या स्थिति है, शायद उसे जुबान से कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुझाव भी दिया था और मा0 मंत्री जी ने कहा था कि अगर आज कहीं गौवंश है, तो गौवंश में गाय की उम्र होती है 10 साल और उस 10 साल में कम से कम 02 साल में वह बच्चा देने की स्थिति में हो जायेगी, अगर वह 06 बार बच्चा देती है तो 08 साल निकल गए, फिर 02 साल बचे, गौवंश के लिए जो जगह बनायी गयी है, उनमें वह छोड़ी जायेंगी। अब तक साढ़े नौ हजार गायें मर गयीं। इन गायों को मारने की मशीन वहीं लगा रखी है। सांड जब उसके अन्दर आपने छोड़ रखा है, जैसे एक साहब कह रहे थे कि सांड से 03 भैंसे मर गयीं, तो गायों को मारने की मशीन वहीं लगा रखी है, इसलिए मान्यवर, इसमें कहीं ज्यादा चिन्ता की जरूरत नहीं है। लेकिन किसानों को इससे किसी तरह से मुक्त कराया जाए। मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं दूंगा, बात शेर से करते हैं-

''तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर यह आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी-किताबी है।''

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

जहां तक है कि अब लगातार आप उठा के देख लीजिए कि वर्तमान बजट में युवाओं के लिए जब-जब भी बजट बना है, पहला बजट लगातार, चौथा बजट इस सरकार का है वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 किसी न किसी औद्योगिक, कहीं किसान, कहीं महिला सशक्तिकरण, लेकिन आज का बजट, कौशल संवर्धन पर, कौशल विकास संवर्धन नौजवानों के लिए है। बात नौजवानों की कर लें, तो आज मेरे ख्याल से सरकार उसके लिए कतई गंभीर नहीं है, और गंभीर है भी नही, और वह चाहती है कि किसी भी कीमत पर नौजवान, जो आज का नौजवान कल का हिंदुस्तान है, कल का हिंदुस्तान कैसा होगा, अगर आज का नौजवान शिक्षित न हो। अभी हमारे नेता हैं इकबाल महमूद जी आपने कहा था, सी0ए0 के बारे में कहा था, एन0आर0सी0 के बारे में कहा था, मैं कहूंगा कि अगर उसके आंदोलन अगर बनारस से लेकर, दिल्ली तक यह हवा जाती है हिदायरों में बहुत से लोग सोचते हैं कि इनके खिलाफ मुसलमानों का कहीं मामला है, मुसलमानों का मामला नहीं, सरकार नहीं चाहती है कि वह नौजवान आगे आएं और आगे आने के बाद में सियासत में रहें इसलिए लगातार नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, उन नौजवानों की क्या स्थिति है, इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है।

शिक्षा के बारे में अभी मा0 सदस्य बहुत लम्बी बातें कर रहे थे, हमारे यहां शिक्षा में सरजमीं पर देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, सिलेबस उठा लीजिएगा एक आदमी अपने सीने पर हाथ रखकर कह दीजिए सिलेबस जो आज का है, उठाकर देख लीजिए, आप अपने बच्चों से

पूछ लीजिए आप का बच्चा जो पढ़ता हो कि वह सिलेब्स है कैसा ? देश का जिक्र नहीं है, कहीं हिंदुस्तान के इतिहास का जिक्र नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर का जिक्र तो है, अगर बात नौजवानों की कर लें तो आप देख लें कि वहां टीचर्स नहीं हैं विद्यालयों के अंदर, शिक्षा की बात कर लेंगे, कितने स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, गवर्नमेण्ट के 45 सौ स्कूल हैं। कितने प्रिंसिपल होने चाहिए ? 45 सौ प्रिंसिपल होने चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल जानते हो कितने हैं ? बताइये आइडिया से कि कितने होने चाहिए ? आप सुनेंगे कि कितने प्रिंसिपल हैं, केवल 32 प्रिंसिपल हैं। निकाल के देखिए आप और देख लीजिए कि क्या स्थिति है ? अगर बात कर लें स्कूलों की तो एक-एक स्कूलों की बात कर लें तो 50 परसेण्ट टीचर्स उसके अंदर नहीं है। आप कहते हैं कि शिक्षा में सुधार की बात हम करेंगे, आप कहां से सुधार की बात करेंगे ऐसा लगता नहीं, आप शिक्षा में बेपनाह गंभीर है। अगर बात इसकी करते हैं आप बोलते हैं, पढ़ो बेटियां-पढ़ो बेटियां, हमारी बेटी उसका कल, कन्या विद्या धन हमने चलाया था। मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हं, ऐसा नहीं है और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं इसके बाद भी समय परिवर्तन, सत्र परिवर्तन, बायोमैट्रिक, थम्ब सिस्टम यह समय से रिजल्ट देना, जूडो कर्राटे यह हमारी देन है। छाती मत ठोको, यह छाती मत ठोको। आज शिक्षा को तुमने बदत्तर कर दिया है। आज बगैर नकल के जब उसमें अक्ल है ही नहीं इतना लगातार कह रहे हैं कि इतने छात्र स्कूल छोड़कर चले गए, मैं तो कहता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। यह हमेशा रहा है कि अगर स्टूडेण्ट पढ़ने के लिए आता है 68 लाख बच्चे थे उस वक्त और लगातार अब हम देख लें कि कितने हैं अब हैं 44 लाख। गलतफ्हमी में रहने की जरूरत नहीं है आपको किसी को। आपकी यह है शिक्षा और उसमें कितने अनुपस्थित हो रहे हैं आप कहते हैं वह बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए, स्कूल छोड़कर नहीं गए वह बच्चे, यह लगातार व्यवस्था रही है इस तरह की कि बहुत से बच्चे एग्जाम तो देने जाते हैं, लेकिन हो सकता है इसके बाद, वह नहीं बैठ पाते इसमें, लेकिन मैं कहूंगा कि आज लगातार आप उठाकर देख लें, मैं यह नहीं कह रहा कि मेरा कागज है, नीति आयोग का कागज देख लीजिए और नीति आयोग के कागज में देख लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा का स्तर सबसे नीचे उत्तर प्रदेश का है। स्वास्थ्य की बातें हैं, बड़ी लंबी बातें हैं स्वास्थ्य की कि हमने स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। हमारी सरकार हमारे नेता का सीधा मत था। कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत बड़े काम किए हैं। लेकिन शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और सिंचाई फ्री हमारी सरकार की देन है। आज चले जाओ अस्पतालों में देखो क्या है ? तब आप में से किसी ने नहीं टोका, जब एक विधायक जी एक तरीके से खड़े होकर रो रहे थे कि मेरा इलाज नहीं हो पाया, मुझे उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। उस वक्त इलाज के लिए कोई नहीं बोला था। यह है आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की स्थिति लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला था। आज दवाएं नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं। अब डॉक्टर आएंगे कहां से, आप मंत्री जी से एक बात कर लेना।

जीव विज्ञान एक विषय होता है, अब किताबों से खत्म है। जब जीव विज्ञान नहीं पढ़ेंगे तो डॉक्टर कहां से बनेंगे ? बिजली मंत्री जी बैठे हैं, हमने सुना था कि डाकू चम्बल में रहते हैं। लेकिन आज अगर कहीं डाकू देखना हो तो कुछ पता नहीं है कि वह किस वक्त बिजली कर्मचारी के रूप में घर में घुस जाएगा। बिजली कर्मचारी के नाम का बोर्ड लगाने के बाद बिल की स्थिति खुद देख लीजिए। कुछ पता नहीं, वह सीधा छत पर जाता है, उसके पास कोई वारण्ट नहीं होता, कोई कागज उसके पास नहीं होता और कहता है कि हम लाइट चेक करेंगे। यह कौन सा अधिकार है ? आप आएं हैं तो जाइए मीटर देखिए, मीटर चेक करिए। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन आजकल मीटर इतने स्पेशल बना दिए गए हैं और इतना बुरा हाल है कि उसे जुबान से नहीं कह सकते कि मीटर कुछ, रीडिंग कुछ और उसके बाद जो बिल निकल रहा है, उसके पीछे सब लोग ऑफिस में जा रहे हैं, फिर उसका बारह बांट हो रहा है और जिस तरह से आम आदमी को परेशान किया जा रहा है कि अब अकेले बिजली मंत्री जी ही आपकी अगली सरकार बनाने के लिए काफी हैं। आप लोग परेशान मत हो, ये ठीक कर देंगे आपको। ये हालत है आज उत्तर प्रदेश की।

श्री अधिष्ठाता-

अब संक्षेप करिए।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं कभी ज्यादा नहीं बोलता। मेरा अनुरोध है कि आज उत्तर प्रदेश की बड़ी दयनीय स्थिति है। लॉ ऐण्ड ऑर्डर जैसे समझ लीजिए कि बिल्कुल अस्त-व्यस्त है।

तुम्हारे दौर-ए-कयादत में यही सुबह-ओ-शाम होगा
कहीं बस्तियां जलेंगी, कहीं कत्ल-ए-आम होगा।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा वाह-वाह, बहुत खूब-बहुत खूब कहा गया)

मान्यवर, पिछली सरकार में मेरे अपने जनपद, मेरे अपने शहर में पानी की निकासी की बात थी। हमने 38 करोड़ रुपया दे दिया था, पानी की निकासी के लिए नाले आदि भी बन गए थे लेकिन कनेक्टिविटी नहीं दे पाए आप। आप बहुत विकास की छाती ठोंकते हैं। आप आज तक कनेक्टिविटी नहीं दे पाए। शहर का पानी जिसे शहर के बाहर के नदी-नालों में जाना था, आप लोग सिर्फ उसकी कनेक्टिविटी नहीं कर पाए। मुख्य मंत्री जी यहां पर खड़े होने के बाद लगातार बड़ी लम्बी बातें कर रहे थे। उन्होंने पहले कहा था कि हम 70 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, कभी कहते हैं कि हमने 50 लाख को दे दिया, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ लेकिन अब की कहकर गए हैं कि हां, गारण्टी के साथ हम कहते हैं कि हमने 02 लाख को रोजगार दे दिया। मैं तो कहता हूं कि इस पर एक श्वेत पत्र मुख्य मंत्री जी जारी कर दें कि हमने इतने नौजवानों को नौकरी दे दी। अगर कहीं न कहीं नौकरी दी होगी तो क्या है वह

नौकरी ? कुछ लोग कहते हैं, हमारे कुछ साथी कह देते हैं कि संविदा पर नौकरी दे दी। कौन सी संविदा की नौकरी है, क्या आउट सोर्सिंग के माध्यम से है यानी कि ठेकेदार के माध्यम से, यानी कि प्राइवेट नौकरी। उसकी सैलरी का पता नहीं कि कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, गवर्नमेण्ट कुछ दे रही है और उसे कुछ मिल रहा है। अभी एक मंत्री जी खड़े होकर कह रहे थे कि हमने बहुत सारे रोजगार मेले लगाए हैं, बहुत रोजगार दिया है। उन रोजगार मेलों से होता क्या है, फैक्टरी का मालिक आता है, 10 आदमियों को उठा कर ले जाता है, उनसे 10 दिन काम लेता है, 10 दिन काम लेने के बाद 11वें दिन उनसे कह देता है कि अब तुम जाओ, तुम क्वालिफाइड नहीं हो।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिए।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि बस दो मिनट दे दीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहां पानी की निकासी के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा हमारे यहां कोई गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी नहीं है। अगर यह सरकार शिक्षा की बात करती है कि अमरोहा में एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। इसलिए आप एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज अमरोहा में खोलें। हमारे यहां पशु चिकित्सालय भी नहीं हैं।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

पिछली सरकार में अमरोहा में जितना काम हुआ है, कभी अमरोहा आ जाइए, देख लीजिए या कभी, कोई और आदमी गया हो तो उससे पूछ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे शहर में शाहविलायत एक मशहूर दरगाह है तथा वासुदेव का एक प्राचीन मंदिर है। मेरा अनुरोध है कि इन दोनों जगहों के लिए और इनको बहुत अच्छे से खूबसूरत बनाने के लिए और श्रद्धालुओं के लिए आस्था यदि कहीं रखते हो। बड़ी बातें करते हो श्रृद्धा के नाम पर अगर कहीं जरा सा भी श्रद्धा है तो दोनों तीर्थ स्थल जो मेरे यहां हैं आप उनके लिए कुछ काम करिये। बड़ी बात करते हैं कि धुनकर-बुनकर के लिए हमने बहुत योजनायें चलाई हैं। लगभग 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली के नाम पर धुनकरों के लिए अमरोहा में हमारी सरकार के समय में थी उसको भी खत्म कर दिया। वह सब्सिडी खत्म करके दो की एक करोड़ की और अब उसका भी पता नहीं कि मिलेगी की नहीं मिलेगी। मेडिकल कालेज की स्थापना मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हर जनपद में हम एक मेडिकल कालेज स्थापित कर देंगे अभी हमारे नेता साथी इकबाल महमूद साहब ने कि इसमें, संभल का तो कोई जिक्र नहीं है, अमरोहा का भी कोई जिक्र नहीं है कि वहां मेडिकल कालेज बनेगा या नहीं बनेगा। इसलिए मान्यवर, यह सरकार जनजीवन को तनावग्रस्त करने वाली सरकार है। ये सरकार भय का वातावरण पैदा

करने वाली सरकार है। ये सरकार विकास कार्य को अवरुद्ध करने वाली सरकार है। यह सरकार धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों की सरकार है इसलिए इस सरकार के बारे में ज्यादा न कहकर सिर्फ इतना कहूंगा कि इस सरकार के बजट में गरीब, गांव, किसान, व्यवसायी, व्यापारी और कर्मचारी किसी के लिए उत्थान की कोई योजना नहीं है। भाजपा की सरकार के इस बजट के लिए पूरी तरह से पूरा सदन भ्रमित है और मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री रत्नाकर मिश्र-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया माननीय योगी जी, माननीय केशव मौर्या जी और माननीय उप मुख्य मंत्री दिनेश शर्मा जी और अपने वित्त मंत्री माननीय खन्ना जी के द्वारा जो बजट लाया गया है यह जनहितकारी है सभी के लिए है और मैं गंगा से ही इसको शुरू करने जा रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकारों ने गंगा की क्या दुर्दशा की थी। भगीरथ जी स्वर्ग से गंगा को लाये थे और गंगा ने कहा था कि यदि यहां के लोग यदि कहेंगे तब मैं इस धरती पर जाउॅगी तब भगीरथ जी ने कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तमाम सरकारें आईं और गईं किसी भी सरकार ने गंगा का ध्यान ठीक से नहीं दिया लेकिन नरेन्द्र भाई मोदी आये उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है गंगा की सेवा करना और आप लोग जानते हैं कि गंगा मां से हमारा युगों-युगों से नाता है कि गंगा हमारी मां है। गंगा को छूने मात्र से ही एक तरह से पाप नष्ट हो जाता है। गंगा दर्शनम् पाप नाशनं, गंगा के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और गंगा को छूने से सात पीढ़ियां तर जाती हैं और गंगा में जब आप स्नान करते हैं तो जन्म-जन्मान्तर का पाप नष्ट हो जाता है। गंगा ही ऐसी मां है जिसके दर्शन के लिए सब तरसते हैं। त्रिदेव का रूप वह मनुष्य को धारण करा देती हैं।

जब गंगा में आप पांव डालते हैं तो आप विष्णु स्वरूप हो जाते हैं, जब उसमें आप डुबकी लगाते हैं तो आपका शिव रूप धारण हो जाता है, गंगा मां ऊपर सवार होती हैं और जब आप वहां से स्नान करके कमण्डल में जल लेकर चलते हैं तो ब्रह्मा रूप धारण कराती हैं। ऐसी मेरी गंगा मां है और हमारे लोगों ने पहले गंगा मां की क्या दुर्दशा कर दी थी लेकिन हमारे नरेन्द्र भाई मोदी जी और योगी जी आये और उन्होंने आज गंगा को पीने योग्य बना दिया है। मैं भी आज 22 महीने से गंगा जल का ही सेवन करता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि हमारे मोदी जी और योगी जी ने गंगा का एक तरह से निर्मलीकरण कर दिया है। (विपक्ष के मा0 सदस्यों के द्वारा बीच में टोका टाकी करने पर) हम गंगा का पानी ही पीते हैं आप पहले इस बात को मालूम कीजिये 22 महीने से मैं गंगा का जल ही पीता हूं आप लोगों ने तो इतना प्रदूषित कर दिया था कि कुम्भ मेले में जब विदेशी लोग आये थे तो उन्होंने छूने से भी मना कर दिया था लेकिन इसी योगी जी की सरकार में जब आये तो उन्होंने वहां डुबकी भी लगाई यह योगी सरकार की उपलब्धि है। गंगा हमारी मां है और गंगा को हम लोग निर्मल

करके रहेंगे और गंगा मां निर्मल हो गई है। मोदी जी या योगी जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। आप बिजली की बात कर रहे हैं, आप लोगों के शासन में बिजली की क्या दुर्दशा थी। लोग कहते थे कि बिजली मनचली हो गयी है, कब आएगी, कब जाएगी कुछ पता नहीं और आज बिजली की क्या दशा है उसे आप गांव-गांव में देखिए, वहां बिजली चमक रही है। आप जानते हैं कि सड़कों की क्या पोजिशन है। किसी जमाने में सड़क मेरी चमकती थी लेकिन आप लोगों के जमाने में गड्ढों से भर गयी थी। माननीय कल्याण सिंह जी के समय में एक तरह से गड्ढामुक्त थीं और पुनः योगी जी के समय में सड़कें गड्ढामुक्त हैं। आज देखिए कि एक तरह से चौतरफा विकास हो रहा है। महिलाओं के लिए रात्रि सुरक्षा के लिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आप लोग जानते ही हैं कि बजट में यह व्यवस्था आयी है। कर्त्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुये पुलिस कर्मियों के लिए 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के सफल एवं कन्या भ्रूण हत्या की एक तरह से रोकथाम हुई है। 'मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना' हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। 'निराश्रित महिला पेंशन योजना' हेतु 1 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ते हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

जनपद मिर्जापुर में मेडिकल कालेज और प्रदेश में दर्जनों मेडिकल कालेज का प्राविधान किया गया है। मिर्जापुर में इंजीनियरिंग कालेज भी दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सभी प्रारंभिक चिकित्सा केन्द्र पर प्रत्येक रविवार को 'मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला' का आयोजन किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा विभिन्न प्रकार के बागवानी एवं औषधीय पौधे की बागवानी हेतु कई योजनाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 723 गरीब मूसहर परिवारों को आवास दिये गये। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय का बड़े पैमाने पर निर्माण कराया गया। स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार अगर किसी संत के द्वारा ध्यान दिया गया है तो वनटांगिया, मूसहर, कोल एवं थारू जनजाति के लिए क्योंकि हमारा जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, उसमें आदिवासी, गिरीवासी और वनवासी सभी को साथ लेकर चलने वाली हमारी सरकार है। 38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करके उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। माननीय मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 50 हजार 740 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा रहा है जिनमें वनटांगिया, मूसहर, कोल एवं थारू जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता पर आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं और आगामी वर्ष में योजना हेतु 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें इस अवसर पर 4 लाख 04 हजार 26 से अधिक दीप जलाये गये। अभी तक प्रभु राम का नाम तो लेते थे परंतु कोई ध्यान नहीं देता था। यह एक नया कीर्तिमान था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड

रिकार्ड्स में आ गया है। श्री रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय हेतु बजट की व्यवस्था की गयी परंतु यह जाहिर हो गया कि आप लोग दिव्यांगजन के विरोधी हैं उसके लिए आपने विरोध में हाथ उठाया था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कल एक वाक्य बोला था कि जय श्री राम नहीं किया जाता। उन्होंने बोला था कि उनको बहुत बड़े विद्वान ने पता नहीं क्या बताया है कि वह अपने नाम से भी चिढ़ने लगे हैं क्योंकि चाभी कहीं और है, इसलिए वह प्रभु राम का नाम किसी को नहीं लेने देना चाहते। आप कह रहे थे कि जय श्री राम नहीं कहा जाता यह आर्शीवाद हेतु है परंतु यह सभी लोग कहते हैं कि जैसे माता विन्ध्यवासिनी की सभी लोग बोलते हैं जय, बजरंग बली की जय, श्री राम की जय, जय श्री कृष्ण, जय काली माता, जय दुर्गा माता, बोला जाता है पता नहीं कहां से उनको चाभी लग गयी थी जो कि प्रभु राम का उनका नाम है परंतु उनका भी विरोध वह करने लगे थे। हमारे सामने के मित्र लोगों को कल मैं सुन रहा था, एक तरह से उनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता आज विराजमान हो गयी है जो कि अपने माता-पिता को भी कहने में हिचकते हैं। हमारे यहां युगों से गाय को माता कहा जाता है लेकिन वो गाय को पशु कहकर बुला रहे हैं। गाय शब्द नहीं आ रहा था, ये कितना दुर्भाग्य है कि उनको पशु कहा गया, हमारे यहां गाय को पशु नहीं कहा जाता, गाय माता कहा जाता है लेकिन ये पशु की पदवी दे रहे थे, अच्छी बात नहीं थी।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप कर दीजिये।

श्री रत्नाकर मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय 5 मिनट के अन्दर ही हम बोलेंगे। आप कानून व्यवस्था के ऊपर कह रहे थे। निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सन्, 1990 में क्या हुआ था ? मेरा जिस दिन जन्मदिन था, उसी दिन राम जन्म भूमि के मामले में मुझे गिरफ्तार करके 26 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया था, वहां कितने निरपराध लोगों को गोलियों से भुनवा दिया गया था। उन लोगों का क्या अपराध था ? ये मतलबी सरकार थी। ये शिक्षा के विषय में कह रहे थे, ये सरकार तो नकल के नाम पर चुनाव लड़ती थी। गेस्ट हाउस कांड कौन कराया था ? इन्हीं लोगों की देन थी। सिक्खों का नरसंहार कौन कराया था ? सामने के लोग कराये थे। ये लोग बात कर रहे हैं कि कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। हाई कोर्ट में हमला कौन किया था ? सामने के लोग किये थे, हल्ला बोल कर और कह रहे हैं कानून-व्यवस्था नहीं है उससे हजार गुना बेहतर आज कानून-व्यवस्था है। कोई नहीं कह सकता कि कानून-व्यवस्था का राज नहीं है। कोई अगर गलत काम करेगा तो उसको पकड़ेंगे और जेल के अन्दर भेजा जायेगा। कोई रोक नहीं सकता और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे।

आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक गांव रामपुर हैं और उधर गोपीगंज है, जिस पर गंगा सेतु का बनना अति आवश्यक है जिससे लाखों लोगों को आने-जाने की सुविधा मिलेगी और शहर का भी जाम खत्म होगा इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसको बनवाईये। स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार हमारे विन्ध क्षेत्र में विकास बी0जे0पी शासन में माननीय योगी जी के शासन में हो रहा है। माननीय केशव मौर्या जी ने बबुरा के लिए जो पुल दिये हैं वह बनने जा रहा है और हर तरफ से विन्ध क्षेत्र की खुशहाली आपके शासन में आ रही है जिसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय मां विन्धवासिनी, जय भारत।

श्री तेज पाल सिंह नागर-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं आपने मुझे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों से हमारा प्रदेश उन्नति की नयी राह पर चल रहा है। वर्ष, 2020-21 का बजट हमारे प्रदेश के विकास कार्यों को एक नयी गति देने वाला बजट है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री, मा0 सुरेश खन्ना जी और वित्त राज्य मंत्री ने सभी क्षेत्रों में पूर्ण ध्यान दिया है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरगामी सोच तथा माननीय वित्त मंत्री जी का परिश्रम स्पष्ट नजर आता है। माननीय सभापति जी आपकी अनुमति से इस बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष, 2020-21 के बजट में विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सांस्कृतिक विकासों पर विशेष ध्यान दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष, 2024 तक 5 ट्रिलियन यू0एस0 डालर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश की जनता माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ है। मात्र 3 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्री जी के विभिन्न प्रयासों से प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश सुनिश्चित किया गया है।

मैं यशस्वी और तपस्वी माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र दादरी की जनता की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने दशकों से लम्बित मेरे जनपद-गौतमबुद्ध नगर की नोयडा इण्टरनेशल एयरपोर्ट के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के अथक प्रयासों से पावन नगरी अयोध्या में श्री राम मन्दिर निर्माण का कार्य जल्द आरम्भ होने जा रहा है। इस बजट के माध्यम से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गयी है, जिससे यात्रियों को मन्दिर निर्माण से पहले ही एयरपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। हमारी सरकार के गत 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में अपराधों की

संख्या में कमी आयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति से प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी संकल्प के प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र जनपद गौतमबुद्ध नगर तथा लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी है इसके लिये मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रणाली के लागू होने से हमारा जिला अपराधमुक्त हुआ है। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था हुयी है और सराहनीय हुयी है। महोदय, मुख्य मंत्री जी के द्वारा इस बजट में युवाओं के लिये शुरू की जाने वाली दो मुख्य योजना हैं जिसमें नम्बर एक मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना तथा नम्बर दो उद्यमिता विकास अभियान प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने में अहम भूमिका निभायेगी। माननीय मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान भत्ता दिया जायेगा एवं युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित किये जायेंगे, जो इच्छुक युवाओं की परियोजना, परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक परियोजना के संचालन में सहायता करेंगे। यह प्रदेश के युवाओं के लिये एक नया सवेरा जैसा होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी सूचित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा गत वर्षो में सबसे ज्यादा 86 लाख 700 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को कराया गया है। इस दौरान गन्ना से चीनी का सबसे अधिक रिकार्ड उत्पादन रहा है। हमारी सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने आगामी वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये 05 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसके लिये बजट में 6,240 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इसके अलावा मुख्य मंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिये आगामी वर्ष में 369 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इन योजनाओं से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है।

हमारी सरकार ने गत वर्षों में विद्युत की रिकार्ड आपूर्ति कराई है। इस बजट में मेरठ रीजनल इलेक्ट्रिक ट्रांजिट सिस्टम के लिये 900 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं जिसका कार्य प्रगति पर चल रहा है। बजट वर्ष 2020-21 में अयोध्या में उच्चस्तरीय पर्यटक सुविधाओं के विकास पर 85 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। महोदय, बजट वर्ष 2020-21 में कुल 10,657 करोड़ रुपये की नई योजनायें सम्मिलित की गयी है, मैं उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दादरी विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं जो ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर में है। हमारे यहां पर गोरख चन्देल की हत्या हो गयी थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 लाख रुपये उसके परिवार की सहायता के लिये दिये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इसके लिये हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं अपनी सरकार के वर्ष 2020-21 की तुलना पिछली सरकार के बजट 2016-17 से करना चाहता हूं और आपका ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। वाणिज्य कर में

राजस्व का लक्ष्य जो 2016-17 के बजट में 57,940 करोड़ रुपये था, हमने वर्ष 2020-21 में यह लक्ष्य बढ़ाकर 91,568 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। इसी तरह स्टाम्प और पंजीयन में जो राजस्व लक्ष्य 2016-17 में 16,320 करोड़ रुपये का था, हमने वर्ष 2020-21 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 23,197 करोड़ प्रस्तावित किया है। कुल प्राप्तियों का लक्ष्य 2016-17 के बजट में लगभग 3 लाख 40 हजार रुपये था इसे वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर लगभग 5 लाख 558 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, यह लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि है। कुल व्यय का लक्ष्य 2016-17 के बजट में 3 करोड़ 46 लाख 934 करोड़ का था उसे हमने वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 5,12,860 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है जो लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि है। महोदय, मेरे द्वारा किये गये इस तुलनात्मक विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि हमारी सरकार प्रदेश की प्रगति को एक नई दिशा में ले जा रही है।

महोदय, इस समय देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी दोनों ही परिवारवाद से परे साधुवादी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। यह दुर्लभ संयोग है। मैं अपनी सरकार की तरफ से इस सभा को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश को नई ऊचाइयों की ओर ले जाने के लिये अग्रसर है और उसमें यह वर्ष 2020-21 का बजट मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं गौतमबुद्ध नगर के दादरी विधान सभा से चुनकर आया हूँ और पहली बार विधायक बना हूं। मैं जनपद गौतमबुद्ध नगर की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जनपद में तीन विकास प्राधिकरण हैं, नोयडा, ग्रेटर नोयडा और यमुना अथॉरिटी। तीनों ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया है, किसानों की जमीन में फैक्ट्रियां लग गई हैं, उद्योग लग गये हैं। वहां के किसानों के जो बच्चे बेरोजगार हैं, टेक्निकल बच्चे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हं, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उन बच्चों को, जो टेक्निकल बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, किसान के बच्चे हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था हो। अगर नहीं हुई तो वह बच्चे भिखारी बन जायेंगे, वह बच्चे अन्य गलत गतिविधियों में चले जायेंगे। क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सदन को इससे अवगत कराऊं।

माननीय अधिष्ठाता जी, एक दूसरी समस्या और है, वह किसानों की समस्या है। एक शिफ्टिंग पॉलिसी है, जो शासन में बहुत दिन से लम्बित है। अगर वह जल्दी हल हो जाये तो किसानों की समस्या निपट जायेगी। माननीय पंकज जी यहां बैठे हुए हैं, वह नोयडा से विधायक हैं, आबादी के निस्तारण की समस्या है, प्लाट जो किसानों को दिये जाते हैं, उनकी समस्या है। हमारी सरकार को बने तीन वर्ष हो गये, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इन समस्याओं का जल्दी निराकरण किया जाये और माननीय अधिष्ठाता जी, एक समस्या और है कि दादरी, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर, जिस विधान सभा से मैं हं, वहां पर कोई

बस डिपो नहीं है। दादरी विधान सभा में ग्रेटर नोयडा वेस्ट है, ग्रेटर नोयडा है, वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के व्यक्ति रहते हैं। वहां एक बस डिपो की आवश्यकता है। नगर पालिका दादरी, उसके लिए जमीन देने को तैयार है। अगर वहां एक बस डिपो बना दिया जाये तो उत्तर प्रदेश के जो समस्त नागरिक वहां रहते हैं, समस्त जिलों के नागरिक रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कर दीजिए, धन्यवाद।

श्री तेजपाल सिंह नागर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हॅ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो टाइम दिया था, उसी टाइम में अपनी बात रखी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब श्री अजय सिंह जी बोलें।

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत विद्वान, बहुत ही अनुभवी, इस सदन में जिनका बहुत लम्बे समय तक अनुभव रहा है, ऐसे वित्त मंत्री श्रीमान् श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा 2020-2021 के बजट के समर्थन में हमको बोलने का अवसर मिला है। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हं, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय विपक्ष के लोग कहते थे कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब बजट सत्र के बाद इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि फर्जी इनकाउण्टर हो रहा है। कल हमारे बस्ती जिले में एक इनामी अपराधी, जिसके ऊपर डेढ़ लाख का इनाम था, उस फिरोज पठान का इनकाउण्टर हुआ और सात लोग पकड़े गये हैं। तीन बैंक डकैतियां हुईं थी, बस्ती में भी हुई थी, अम्बेदकर नगर में भी हुई थी और महराजगंज में भी हुई थी। मैं अपनी प्रदेश सरकार को, एस0टी0एफ0 की पूरी टीम को, गृह विभाग को और बस्ती के कप्तान और उनकी पूरी टीम को हृदय की गहराई से बधाई देता हं, मेरी यह बधाई वहां तक पहुंचे। इसी में एक शेर नौजवानों के लिए है, लेकिन मैं अपनी सरकार के लिए कहना चाहता हूं कि-

हमने चाहा तो किया आसमान मुठ्ठी में,
हमने चाहा तो हवाओं के रुख बदल डाले।
हमने चाहा तो उफनते हुए सागर बांधे,
हमने चाहा तो पर्वतों के सर कुचल डाले।।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं बस्ती की हरैया विधान सभा से विधायक हूँ, यह पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। अभी एक सूचना है कि अयोध्या का नगर निगम सीमा का विस्तार हो करके 90 गांव बस्ती के और 65 गांव गोण्डा के लिए गये। मैं सरकार का बधाई देता हूं कि जो 90 गांव नगर निगम सीमा अयोध्या में लिए गये हैं, वह सारे के सारे गांव 90 के 90 हमारी विधान सभा के हैं। इस नाते माननीय मुख्य मंत्री जी को और प्रदेश सरकार को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन मैं अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहीं पर दो-तीन कि0मी0 की दूरी पर ''मख-धाम'' (मखौड़ा) है, जो भगवान श्री राम की उद्भव स्थली है। पुराणों में पूरा वर्णन है, वह मखौड़ा धाम छूटा हुआ है। उसकी महिमा यह है कि-

मखस्थानं महत्पुण्यं यत्र पुण्या मनोरमा।
नदी वहति पापघ्नी भुक्तिमुक्ति प्रदायिका।।
यत्र राजा दशरथो हि शुभमेधं चकार वै।
तेन पुण्य प्रभावेण जाता रामादयः सुताः।।
बह्वो भोजिता विप्राः गावोदत्ता विधानतः।
तत्र तीर्थानि सर्वाणि देवा सर्वे सवासवः।।

अर्थात् त्रेता युग में राजा दशरथ ने श्रंगी ऋषि के नेतृत्व में वहां पर एक यज्ञ किया था तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार पुत्र पैदा हुए थे इसलिए सबसे पवित्र भूमि अगर हिन्दू धर्म के लिए है तो मनोरमा नदी के तट पर मखधाम मखौडा स्थित है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और मांग भी करता हूं कि मखधाम मखौडा को अयोध्या में जोड़ लिया जाय तो मैं समझता हूं कि जैसे काशी का विकास, मथुरा का विकास, चित्रकूट का विकास, अयोध्या का विकास जितना महत्वपूर्ण है उससे कम महत्व मखधाम मखौडा और मनोरमा नदी का नहीं है बल्कि उससे भी अधिक अत्यन्त महत्वपूर्ण है उसका विकास। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट सत्र में चर्चा होनी थी, 2017-18 का जो बजट है वह 3 लाख 84 हजार 668 करोड़ रुपए का था, 2018-19 का बजट 4 लाख 28 हजार 385 करोड़ रुपए था, इस प्रकार से 43 हजार 726 करोड़ रुपए की वृद्धि पिछले बजट से थी और वही वृद्धि हमारे 2020-2021 के बजट में बढ़ करके 84 हजार 475.72 करोड़ हो जाती है और बजट का आकार 5 लाख 12 हजार 807.72 करोड़ रुपए हो जाता है। 84 हजार करोड़ से ज्यादा की वृद्धि होती है और जब हमारे विपक्ष के लोग बातचीत करना शुरू करते हैं तो मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करना भूल जाते हैं। 30-35 सालों से उत्तर प्रदेश का किसान खेतों की सिंचाई के लिए तरसता रहा, 14-14 परियोजनाएं सिंचाई विभाग की लम्बित रहीं।

आज जाकर अपने क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे कि सारी नहरें खुद गईं, सारी की सारी नहरें खुद गई हैं उनमें पानी लाने की व्यवस्था हो रही है लेकिन एक मेरा अनुरोध अपनी

सरकार से सदन के माध्यम से आपके माध्यम से है कि सारी नहरों की टेल तालाबों में गिरा दी जाय, जो छोटी-छोटी नदियां हैं उनमें गिरा दी जायें, नालों में गिरा दी जायें, जो जल का स्तर नीचे जा रहा है वह जलस्तर इसी माध्यम से ऊपर आ पायेगा। आप देखते हैं जब बाढ़ आती है तो पता लगा कि घाघरा में जो अब सरयू हो गई है, उसमें बहुत पानी हो जाता है, गंगा में बहुत पानी हो जाता है लेकिन पांच किलोमीटर दूर यदि आप देखते हैं तो छोटी-छोटी नदियों, तालाबों और नालों में पानी नहीं रहता है। उसमें पानी नहीं जाता है क्योंकि तमाम सारे हाई-वे बन गये, बंधे बन गये, इतना ज्यादा निर्माण हो गया कि पानी वहां तक जा नहीं पाता है तो इसके लिए हमारा अनुरोध है कि अगर उन नहरों की टेल इन नदियों, नालों में गिरा दी जायेगी तो जल का स्तर ऊपर आ जायेगा। पूरी दुनिया में 16 प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है लेकिन पीने का पानी मेरे पास कितना है सिर्फ 4 परसेंट, अगर हम इसकी चिन्ता नहीं करेंगे तो इसकी चिन्ता कौन करेगा, इसकी चिन्ता हमको करनी पड़ेगी और हमें करनी चाहिए। अभी होली आ रही है, होली में आप देखेंगे कि कितना ज्यादा पानी नाजायज जाता है। तमाम तरह के हम तर्क देते हैं लेकिन तर्कों से काम नहीं चलता है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसी पानी के लिए संघर्ष करेंगी, सबसे बड़ा संकट यही खड़ा होने जा रहा है। मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन के माध्यम से मांग करना चाहंगा कि बस्ती हमारा बहुत पुराना जिला है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

मान्यवर, दो मिनट का समय दें, बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, 1988 में बस्ती के उत्तरी हिस्से से सिद्धार्थ नगर जिलाब ना लेकिन पूरे प्रदेश में हर्रैया 1529 राजस्व गांवों के साथ सबसे बड़ी तहसील है और बस्ती जिले में ही अधिष्ठाता महोदय, रुदौली तहसील में कुल 284 राजस्व गांव हैं, हर्रैया तहसील में 1529 और भानपुर तहसील में 436 राजस्व गांव हैं, बस्ती तहसील सदर में 1103 राजस्व गांव हैं, आजमगढ़ में एक तहसील ऐसी है मार्टिनगंज, जिसमें 200 राजस्व गांव हैं, लालगंज में 488 राजस्व गांव हैं, निजामाबाद में 524 राजस्व गांव हैं, मोहननगर में 315 राजस्व गांव हैं। मान्यवर, कल्पना कीजिए 200 गांव में एक एस0डी0एम0, एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार है, 300 गांवों के लिए भी वही एस0डी0एम0, वही तहसीलदार, और वही नायब तहसीलदार है और 1529 राजस्व गांवों के लिए एक एस0डी0एम0 है, एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार है, मान्यवर, कैसे संभल सकता है। पांच-पांच सौ एप्लीकेशन्स आती हैं एक-एक तहसील दिवस में, उनका निस्तारण नहीं हो पाता है इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि कम से कम दो

तहसीलें हमको दे दी जाएं, विक्रम जोत और परशुराम पुर अगर दो तहसीलें बन जाती हैं तो हमारी जनता को बहुत आराम हो जायेगा, बहुत ही आराम हो जायेगा, आप जिला मत बनाइये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमें अपने विकास पर चर्चा कर लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका समय खत्म हो गया है, आप समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वशिष्ठ नगर, बस्ती। आप प्रदेश, देश और विदेश में कहीं भी जाइये और बताइये कि हम बस्ती के रहने वाले हैं, तो आदमी के अंदर एक प्रश्न उठता है कि आप कौन सी बस्ती से हैं, ठाकुर बस्ती से, पंडित बस्ती से, हरिजन/दलित बस्ती से व मुस्लिम बस्ती से हैं। अभी एक रिपोर्ट सरकार के पास आयी है कि बस्ती को 'वशिष्ठ नगर' जो 'वशिष्ठ ऋषि' की भूमि है, जो कालान्तर में कौशल के नाम से जाना जाता था, उस बस्ती को 'वशिष्ठ नगर' के नाम से बना दिया जाये, इसमें सिर्फ एक करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक करोड़ रुपये कुछ नहीं है, अगर आप आदेश कर देंगे तो बस्ती की जनता एक करोड़ नहीं, बल्कि पांच करोड़ 'वशिष्ठ नगर' बनाने के लिए दान दे देगी। इसको अगर आप कर देंगे, तो हमारे लिए, बस्ती की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा..।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये। अभी हमारे पास बहुत लम्बी सूची है।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इतनी बड़ी तहसील है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी रोड होंगी। अब तमाम सारे लोग ढिंढोरा पीटें कि हमने बहुत विकास किया, लेकिन हमारी तीन ओ0डी0आर0 रोड ऐसी हैं जो महराजगंज से लेकर अशोकपुर तक हैं जिसकी लम्बाई 18.6 किमी0 हैं, इस ओ0डी0आर0 रोड का चौड़ीकरण/उच्चीकरण करा दिया जाये। एक रोड और है संसारीपुर से दुवालिया तक, इसकी लम्बाई 10.5 किमी0 है, यह भी ओ0डी0आर0 रोड है, इसका भी उच्चीकरण/चौड़ीकरण करा दिया जाये...।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठिये, हम दूसरा नाम बुलाने जा रहे हैं।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, एक रोड हमारी और है महुधार यह भी 10.5 कि0मी0 है। कसियापुर से बसन्तपुर, इसका भी उच्चीकरण/चौड़ीकरण करा दिया जाये...।

श्री अधिष्ठाता-

अब बहुत हो गया, आप समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि..।

श्री अधिष्ठाता-

अब बहुजन समाज पार्टी की श्रीमती सुषमा पटेल जी।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

..आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधान सभा में मण्डल स्तरीय अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है, एक पालीटेक्निक बनने जा रहा है। मेरी विधान सभा में स्टेडियम, 100 शैय्या का महिलाओं का हास्पिटल व पशु अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो गया है..।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये, आपका काम बहुत हो गया।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

..आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये का सड़कों का जाल बिछाया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 गन्ना मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि लगभग 42 हजार गन्ना किसानों को जो 86 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहंगा। मा0 सिंचाई मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि..।

श्री अधिष्ठाता-

अजय सिंह जी, अब आप बैठ जाइये।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां जो सरयू नहर खण्ड है, उसके लिए 24 करोड़ धनराशि आवंटित है, इससे पूरा किसान सुखी एवं खुशहाल होगा और उसके फसल की अच्छी पैदावार होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती सुषमा पटेल जी।

श्रीमती सुषमा पटेल-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2020-21 का भारी-भरकम बजट सदन में प्रस्तुत किया है, जिसका आकार लगभग पांच लाख बारह हजार करोड़ का है। मा0 मंत्री जी ने बजट में यह भी बताया है कि कुल लगभग ग्यारह हजार करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित की गयी हैं। मान्यवर, हर बार बजट में इस प्रकार की नई योजनाओं का उल्लेख किया जाता है, लेकिन ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी कारगर रही हैं, यह एक विचार करने वाला बिन्दु है। मान्यवर, बजट में यह बताया गया है कि वर्ष 2017-18 का बजट किसानों के लिए समर्पित था और वर्ष 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास के लिए, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि इस प्रदेश में किसानों की क्या दुर्दशा है और किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है ? इसी प्रकार इस प्रदेश में उद्योगों की और औद्योगिक विकास की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है।

मान्यवर, नये उद्योग स्थापित करने की बात छोड़ ही दीजिये, पहले से स्थापित उद्योग भी तालाबन्दी के शिकार हो गये हैं अथवा प्रदेश से पलायन कर गये हैं। सरकारी नीतियां मन्दी बढ़ा रही हैं, पूरा औद्योगिक ढांचा चरमराया हुआ है। मान्यवर, वर्ष 2019-20 में बजट में महिला सशक्तिकरण की बात कही गयी, यह स्वागत योग्य है, लेकिन इस प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा तथा कार्य स्थलों पर हो रहे विभिन्न प्रकार के शोषण जब तक बन्द नहीं होगें, तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं आयेगा। हम इसके लिए चाहें जितना भी अपनी पीठ क्यों न थपथपा लें। मान्यवर, बजट को महिला सशक्तिकरण की ओर उन्मुख बताया गया है, फिर इसके लिए जेन्डर बजट की प्रणाली क्यों नहीं अपनायी गयी है ?

बजट में महिलाओं के लिये अलग से बजट का प्राविधान क्यों नहीं किया गया है। मान्यवर, बजट भाषण पढ़ने और लिखने से महिला सशक्तीकरण नहीं आ जायेगा। इसके लिये ईमानदारीपूर्वक प्रयास करना होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अनुसार सरकार का कुल व्यय 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ रुपये अनुमानित है। जिसमें 3 लाख 95 हजार करोड़ राजस्व व्यय है तथा 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय है। कुल बजट का 80 प्रतिशत राजस्व व्यय है और मात्र 20 परसेन्ट पूंजीगत व्यय है। मान्यवर, यह हम सभी जानते हैं कि पूंजीगत व्यय उत्पादक होता है और राजस्व व्यय गैर उत्पादक होता है। अर्थशास्त्री सिद्धान्तों के हिसाब से वित्तीय अनुशासन तथा उत्पादकता बढ़ाने

के लिय पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाना चाहिए जिससे सरकारों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो। लेकिन मान्यवर, इस मानक पर हमारा बजट पूरी तरह से फेल है। मान्यवर, प्रदेश का राजकोषीय घाटा 53 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया है। राज्य ऋण जी0डी0पी0 अनुपात 28.8 प्रतिशत अनुमानित है। मान्यवर, अपनी जी0डी0पी0 का 28.8 प्रतिशत लेकर हम किस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, यह बात पूरी तरह से समझ के बाहर है। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम 2003 लागू होने के 17 साल बाद भी हम अपने घाटों को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं और यह हम सभी के लिये सोचने वाली बात है। स्टैन्ड-अप और स्टार्ट-अप योजनाएं केवल भाषणों और कागजों में हैं। लेकिन हकीकत में इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था रसातल में है और उसको चलाने वाले नौकरशाही कुम्भकर्णीय निद्रा में। मान्यवर, बजट में बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा की और कल्याणकारी योजनाओं का विवरण दिया गया है जिसमें महिला कल्याण, युवाओं, छात्रों व समाज के कमजोर वर्गों की बात कही गई है लेकिन बजट में की गई प्रतिबद्धता और उसके बजटीय आवंटन में कोई ताल-मेल नहीं दिख रहा है। विधवा पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि को अन्य राज्यों की तरह बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपये प्रतिमाह किये जाने की आवश्यकता है। बेटियों के पढ़ने के लिये कोई प्रोत्साहनात्मक योजनाओं की घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिये छात्र-वृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का जो आवंटन है वह कुल मांग की तुलना में बहुत कम है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इधर विगत कई वर्षों से पिछड़ी जाति के लगभग 50 परसेन्ट छात्रों को न तो छात्र-वृत्ति मिल रही है और न ही शुल्क प्रति-पूर्ति मिल रही है। पिछड़ी जाति के छात्रों की संख्या चूँकि बहुत अधिक है इसके लिये उचित यह होता कि पिछले वर्षों में कुल जैनरेट डिमान्ड के हिसाब से आवंटन किया जाता। लेकिन मान्यवर, इस बार भी बजट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। छात्रवृत्ति और फीस के अभाव में बड़ी संख्या में छात्रों ने या तो पढ़ाई छोड़ दी है या तो उनके अभिभावक कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मान्यवर, यह हम सभी जानते हैं कि जब अभिभावक पर कर्ज का बोझ अधिक पढ़ने लगता है तो वह सबसे पहले अपनी बेटी को स्कूल जाने से रोकता है। मान्यवर, इस प्रकार की स्थिति में जो बेटियों का उच्च शिक्षा में नामांकन दर है वह बहुत कम हुआ है और उनका ड्राप आउट रेट भी बढ़ा है। मान्यवर, इस प्रकार की स्थिति में हम अपने बजट में महिला सशक्तीकरण की जो बात कर रहे हैं वह किस प्रकार कर रहे हैं यह पूरी तरह से हमारी समझ के बाहर है। मान्यवर, मैं अंत में माननीय वित्त मंत्री जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हम सभी को संकीर्णतायें त्याग कर राज्य और राष्ट्र के विकास के लिये सहभागी होना चाहिए। मान्यवर, निश्चित ही हमें संकीर्णताएं त्यागनी होंगी। जब विकास के लिये योजनाएं बनें तो प्रदेश के 403 विधान सभा में बनें। जब 5 करोड़ की सड़कें बनें तो सभी के क्षेत्र में बनें न कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में भेद-भाव करके (मेजों की थपथपाहट) जब मुख्य मंत्री

सामूहिक विवाह आयोजित किया जाय तब सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय न कि विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को छोड़ दिया जाय।

मान्यवर, सरकारें बदलती हैं, लेकिन देश और प्रदेश वही रहता है। सत्ता बदलती है, लेकिन समाज वही रहता है। देश, प्रदेश और समाज के विकास के लिए हम लोगों को मजबूती के साथ मिलकर एक साथ खड़े रहना होगा। मैं ज्यादा समय न लेकर एक छोटी सी बात की ओर सरकार का और सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर जनपद मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारी विधान सभा क्षेत्र में कोई राजकीय महिला डिग्री कालेज नहीं है, जिससे वहां की बच्चियों को मजबूरन प्राइवेट डिग्री कालेजों में एडमीशन लेना पड़ता है और वह उनसे मनमानी फीस वसूलते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उस विधान सभा क्षेत्र में हमारी बेटियों के लिए एक राजकीय महिला डिग्री कालेज स्थापित करने की कृपा करें। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता बसपा श्री लाल जी वर्मा की बातों से संबंद्ध करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें 2020-21 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। हमारे मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट का प्रस्ताव रखा है इस बजट में किसानों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। आप देखें कि बुंदेलखण्ड में जहां लोग सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए परेशान रहते थे, वहां पर निरन्तर इतनी बिजली मिल रही है कि किसान अपने खेतों में पानी लगा रहा है। वहां पर सिंचाई का इतना व्यापक काम हुआ है कि नहरों का पानी टेल तक जा रहा है। यह पहली सरकार होगी कि किसानों की उपज का मूल्य जो केन्द्र सरकार निर्धारण करती है, समर्थन मूल्य के लिए क्रय केन्द्र खोलने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वह योगी जी की सरकार ने किया है। चना, मसूर, राई को क्रय करने का जो काम किया है, वह योगी जी की सरकार ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार किया है। इस समय मूंगफली और उड़द की खरीद चल रही है। लगातार यह प्रयास चल रहा है कि किसानों को बिजली कैसे मिले, इसके लिए 33/11 के ज्यादा-ज्यादा छोटे-छोटे पावर हाउस बनाये जा रहें हैं। इसके बाद किसानों के लिए अलग से फीडर बनाये जा रहे हैं, इसकी लगातार व्यवस्था चल रही है। सड़कों का जाल बिछ गया है, बुंदेलखण्ड में इतनी पिछड़ी हमारी विधान सभा क्षेत्र गरोठा थी, वहां पर आज आप देखें कि बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे जोड़ रहा है। दूसरी ओर इतने बड़े और अच्छे रोड बन रहे हैं, जहां देखकर लगता है कि वास्तव में यहां पर विकास कार्य हुआ है। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। बुंदेलखण्ड लगातार चिंतित और अभावग्रस्त रहा है। छुट्टा जानवरों को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचता था, लेकिन

आज योगी जी की सरकार है, जिन्होंने गौ आश्रय स्थल और कान्हा उपवन बनाने का पहला कदम उठाया है और उसके लिए लगातार पैसा दिया जा रहा है। आज गांव, समाज, नगर स्तर पर देखें हर जगह गौ आश्रय स्थलों की स्थापना की जा रही है। 30 रु0 प्रति गाय के हिसाब से गौ पालकों को पैसा दिया जा रहा है। पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। छुट्टा जानवरों की कितनी बड़ी समस्या थी, सरकार किसानों की फसलों का जो नुकसान होता था उसके निदान के लिए लगातार प्रयास कर रही है और बजट में पूरी तरह व्यवस्था की जा रही है। बुंदेलखण्ड लगातार फसलों का नुकसान झेलता रहा है। कहने के लिए तो सपा, बसपा की सरकार किसानों की हमदर्द बनती थी, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है तो योगी सरकार कर रही है। आप अगर देखें तो 2019-20 में खरीफ की फसल में लगातार नुकसान हुआ है, लेकिन यह पहली सरकार होगी, भारत सरकार से जैसे ही पैसा आया मुआवजे के नाम पर अभी 300 करोड़ रुपये जारी किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा लाभ की एवज में यह तो बहुत लम्बे समय से प्रीमियम लेते रहे, लेकिन अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा में यह सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले साल योगी जी सरकार ने फसल बीमा के नुकसान का 400-500 करोड़ रुपया दिया है। दूसरी ओर इस बार भी जो खरीफ की फसल उड़द, मूंग, तिल, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान का नुकसान हुआ है, उसका भी पैसा फरवरी माह में किसानों के खाते में सीधे जा रहा है। सबसे बड़ी बात थी आज हम लोग कहते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सरकार प्राकृतिक खेती में इतना बड़ा काम करने जा रही है कि प्राकृतिक खेती अगर होगी तो आज हम देखते हैं कैंसर, किडनी, डायबिटीज से पीड़ित कितने लोग जहरयुक्त भोजन कर रहे हैं। वह इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि रासायनिक और कीटनाशनक दवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है, वह सीधे हमारे भोजन में जा रहा है। आज उससे हमारी विदेशी मुद्रा का अर्जन भी कम हो रहा है।

उसका भी अर्जन कम हो रहा है इसलिए प्राकृतिक खेती की लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है सरकार प्रयास कर रही है अगर प्राकृतिक खेती होगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज सम्पन्न होगा किसान खुशहाल होगा उसकी लागत कम होगी क्योंकि सरकार जीरो बजट की खेती को बढ़ावा दे रही है हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने भी यहां विधान सभा के अन्दर घोषणा की थी कि एक गाय से 30 एकड़ किसान खेती कर सकता है अगर किसान अपने खेत पर गाय बांध लेगा तो आप मानिए कि उसका गौ मूत्र है उस आधार पर अगर खेती करेगा तो लागत कम आयेगी जीरो बजट की खेती होगी इससे निश्चित रूप से किसानों को दोगुनी आमदनी होगी और रसायनिक खादों के आयात में लगने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याएं रखना चाह रहा हूं। प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देने के लिए किसानों के खेत पर पक्का कैटल शेड, गोबर गैस संयंत्र सहित अन्य सामग्री शीघ्र

निर्माण कराकर गौ आधारित खेती उत्पादन को महत्व दिया जाए। गौवंश संरक्षण हेतु गौपालकों को केवल 4 गायों के लिए 30 रु0 प्रति गाय की दर से प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्राविधान है सरकार गौवंश के संरक्षण का दायरा बढ़ाकर 4 गायों के स्थापन पर 10 गायों के लिए उक्त दर से प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर विचार करे। धान एवं गेहूँ की पराली एवं पैडी न जलाई जाए और इसे उपयोग में लाने के क्रम में किसानों को रैपर वाइडिंग ट्रैक्टर खरीदने हेतु 90 प्रतिशत सब्सीडी दिलायी जाए। मेरी विधान सभा क्षेत्र गरौठा को वेतवा नदी दो भागों में बॉटती है और आवागमन हेतु 60-70 कि0मी0 घूमकर जाना पड़ता है बेतवा नदी पर खिरिया घाट का रिपटा की जगह पुल का निर्माण कराया जाय। गरौठा गुरसराय पेयजल हेतु 18-19 में धन स्वीकृत हुआ था हमारे यशस्वी संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसे स्वीकृत किया था किन्तु यह उक्त कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा कराया जाय। वेतवा नदी पर डिकौली पर लिफ्ट कैनाल प्रस्तावित है प्राक्कलन बनवाकर शीघ्र स्वीकृत करवा कर निर्माण कराया जाय। गुरसराय नगर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाय। जनपद झांसी के किसानों के निजी नलकूपों हेतु 19-20 में 400 किसानों ने धनराशि जमा कराई है उन्हें तत्काल विद्युत कनेक्शन दिए जाएं। गुरसराय मुख्य नगर की रिमॉडलिंग कच्चे पक्के कार्यों का शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति प्रदान की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

गरौठा विधान सभा क्षेत्र में सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की कमी को पूरा कराया जाय। गुरसराय नगर समथर, एरच, मोंठ एवं गरौठा में रोडवेज का बस स्टैण्ड बनाए जाएं। किसानों के हित में गुरसराय नगर के आस-पास ग्राम सभा की भूमि पर गढ़वई/कुरेठा में बड़े-बड़े वेयर हाउस बनवाए जाएं जिससे किसानों को मदद मिले। एरच नगर में पर्यटन की दृष्टि से भगवान नरसिंह अवतार के एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया जाय। किसानों को करीब 2019 में हुए अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ शीघ्र दिलाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट की भूरि-भूरि प्रसंशा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

आज वर्ष 2020-21 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी सरकार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो प्रदेश का सर्वाधिक पांच लाख करोड़ से ऊपर का बजट प्रस्तुत किया

गया है उसमें मेरी सरकार ने हर स्तर पर प्रदेश का चहुमुखी विकास करने का सराहनीय कार्य किया है चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे रजबहों के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो उन सारी व्यवस्थाओं को देते हुए मेरी सरकार ने प्रदेश में बहुत आमूल चूल परिवर्तन किए हैं उन परिवर्तनों में सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र को सुधारा है पूर्व की सरकारों ने शिक्षा के स्तर को मजाक बनाकर रख दिया था। बच्चे परीक्षा देते थे उन्हें स्वयं यह पता नहीं रहता था कि हम किस सब्जेक्ट की परीक्षा दे रहे हैं किस सब्जेक्ट से हमने हाई स्कूल किया है किन सब्जेक्ट से हमने इण्टरमीडिएट किया है। ऐसे बच्चों को जब रोजगार की आवश्यकता हुई तो उनकी शैक्षिक योग्यता न हो पाने के कारण या तो वह ऐन केन प्रकारेण फोर्स में भर्ती हो गए इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में उनकी कोई प्रगति नहीं हुई। मेरे यहां अशोक कुमार जी सी0ओ0 थे उनसे एक दिन वार्ता हो रही थी वह कह रहे थे कि जब हम इण्टरव्यू के लिए गए पी0सी0एस0 के इण्टरव्यू में तो जब उनसे यह पूछा गया कि आपने इण्टरमीडिएट कब किया तो उन्होंने कहा कि मैंने माननीय कल्याण सिंह जी के समय में किया यह सुनते ही उनका इण्टरव्यू वहीं समाप्त कर दिया गया। और कह दिया गया कि जाईये और उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। ऐसी हमारी पिछली सरकारों की शिक्षा व्यवस्था थी और उसी शिक्षा व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा विभाग ने जो प्रयास किया है और नकलविहीन परीक्षा कराकर रोजगारपरक शिक्षा देकर नौजवान को रोजगार हेतु तैयार करने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सामने वाले लोग अपने समय में किसानों की बिजली माफी की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि उस समय किसानों को बिजली मिलती ही कब थी, कितनी मिलती थी और कितनी देर मिलती थी और उसमें अगर उसे कोई छूट दे दी गयी होगी तो उसका क्या महत्व था। आज हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं और एक जगह नहीं दे रहे हैं। उस समय जो बिजली मिलती थी वह कुछ वी0आई0पी0 जिलों में मिलती थी चाहे वह इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे हाथरस हो, मतलब पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ वी0आई0पी0 जिले घोषित किये जाते थे जिनमें बिजली मिलती थी।

हमारी सरकार जो 'सबका साथ सबका विकास' का नारा लेकर आयी थी उसने बिजली के क्षेत्र में वह आमूल-चूल परिवर्तन किया है कि हर गांव को 18 घंटे बिजली देकर, हर शहर को 22 घंटे बिजली देकर और सबको समान बिजली देकर बिजली आपूर्ति का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह बहुत सराहना के योग्य है और साथ ही साथ उन लोगों के घर में जाकर पूछिये जिन्होंने पिछले 70 वर्ष में बिजली का बल्ब जलते हुये नहीं देखा था, उनके घर तक बिजली पहुंचाने, हर घर में बिजली पहुंचाने और हर घर में बल्ब जलाने का जो काम हमारे केन्द्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने किया है वह सराहना योग्य है। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग ने बहुत सारी मृत पड़ी नदियों को पुनः स्थापित किया है। मेरे

विधान सभा क्षेत्र और मेरे जनपद में 115 किलोमीटर बूढ़ी गंगा को, पुनः स्थापित करके तथा पुनः खुदाई करके उसे बड़े वृहद स्तर पर लाने का जो कार्य सिंचाई विभाग ने किया है वह बहुत सराहना योग्य है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। हम लोगों को कभी-कभी तो मौका मिलता है। हम बस पांच मिनट में अपनी बात कह लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, बहुत लम्बी सूची है। कम समय में आप अपनी बात समाप्त कर दीजिये।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, पहले जहां लोग बड़ी बीमारियों से अपना इलाज कराने में असमर्थ होते थे और गरीब व्यक्ति पांच लाख रुपये का इलाज नहीं करा पाता था, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देकर के उन परिवारों को पांच लाख रुपये का फ्री इलाज करवाने के लिये जो व्यवस्था की है, तो उनके परिवारों से पूछिये जो पैसे के अभाव में अपना अलाज करा पाने में असमर्थ होते थे आज वह अपने परिवार का पांच लाख तक का इलाज फ्री में करा रहे हैं तो यह हमारी सरकार का 'सबका विकास और सबके साथ' वाली योजना है। आज हमने यह देखा है कि लोग अल्पसंख्यकों का वोट उन्हें बहका करके, उन्हें फुसला करके ले लेते थे।

आज अगर सही मायने में अल्पसंख्यकों का साथ किसी ने दिया है, उनको सही मायने में अगर किसी ने न्याय दिया है तो मेरी सरकार ने दिया है, माननीय योगी जी की सरकार ने दिया है, माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया है। किसी भी शहर में यह ऑकलन करा लिया जाए कि अगर सबसे ज्यादा आवास, सबसे ज्यादा छत अगर मुहैया हुयी है तो वह अल्पसंख्यकों को हुयी है और अल्पसंख्यकों की अगर किसी ने चिन्ता की है तो वह माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने, हमारे केन्द्रीय नेतृत्व ने की है, हमारे मुख्य मंत्री हमारे योगी जी ने की है। इसी के साथ-साथ मेरी सरकार में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' का नारा सभी के लिये दिया गया है कि सभी स्वस्थ रहें और सबको स्वस्थ रहने हेतु उन्हें स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अच्छा इलाज मुहैया कराने का जो अवसर प्रदान किया है इसके लिये मैं अपनी सरकार की, अपने केन्द्रीय नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। साथ ही साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ कार्य हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा अभी पूरी फर्रुखाबाद ब्रांच जो लगभग सवा सौ किलोमीटर लम्बी है, वह इंग्लिश पीरियड में जब से खुदी थी तब से लेकर आज तक उसकी कभी खुदाई नहीं हुयी थी, लेकिन सिंचाई मंत्री जी ने उसकी खुदाई करवाकर

उस नहर में टेल तक पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी है, इसके लिये मैं सिंचाई मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ उसी नहर पर एक पुल टूटा हुआ है जिससे 20 हजार की आबादी की कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से, तहसील मुख्यालय से और ब्लॉक मुख्यालय से टूट गयी है।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि उस पुल का तत्काल निर्माण कराकर उस क्षेत्र की जनता को अनुगृहित करें और साथ ही साथ मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुआ है लेकिन पूरा रूरल क्षेत्र होने की वजह से एक डिग्री कॉलेज के कॉर्नर पर स्वीकृत होने से काम नहीं चल रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा, मा0 अधिष्ठाता महोदय से आग्रह करता हूँ कि सरकार के पास मेरी बात पहुँचायें और वहां पर दो महिला डिग्री कॉलेज की और आवश्यकता है, ताकि वहां की लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत अधिक लम्बी दूरी तय न करनी पड़े। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक मोहनपुर में थाना बनना है जिसका प्रस्ताव और जमीन दोनों के ही प्रस्ताव आ चुके हैं वहां पर थाना स्वीकृत करायें और मोहनपुर के पास से 15-15 किलो मीटर तक कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है एक स्वास्थ्य केन्द्र वहां पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं उसे ब्लॉक घोषित कराने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी सरकार के मुखिया माननीय योगी जी को और वित्त मंत्री जी को और डिप्टी सी0एम0 साहब को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शरद कुमार अवस्थी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बजट 2020-21 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा सम्मानित सदन के समक्ष 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख का भारी भरकम बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट से खुद को सम्बद्ध करते हुए, इस लोकप्रिय विकासशील बजट की प्रशंसा करता हूँ। मान्यवर, यह सत्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किसानों को पिछड़ेपन से बचाव हेतु क्रान्तिकारी उपाय किये जा रहे हैं। आज किसानों के लिए खाद, बीज, सिंचाई हेतु पानी, उपज क्रय केन्द्रों के द्वारा खरीद तथा समय से उसका भुगतान आदि के द्वारा किसानों की समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता बजट में दी जा रही है। हमारे जल शक्ति मंत्री ने 12 करोड़ बाढ़, कटान रोकने के लिए दिये गये हैं तथा उनके द्वारा नलकूप भी लगाये गये हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र रामनगर बाराबंकी जनपद के ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां का बहुत बड़ा क्षेत्रफल घाघरा (सरयू) नदी सैकड़ों घरों को अपने साथ बहाकर ले जाती है।

अब इन दोनों योजनाओं के माध्यम से मेरी विधान सभा क्षेत्र रामनगर में कुल स्वीकृत 7811 आवासों के सापेक्ष 7374 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। गांवों के इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पक्के आवास की उपलब्धता जनता के लिए वरदान मिलने जैसा है। एवं बन्धे के अन्दर निवास कर रहे लोगों की सुरक्षा के लिए बन्धे से बाहर भूमि का पट्टा देकर आवास देने का भी कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला के द्वारा आम जनता को टी0बी0, कुष्ठ रोग, संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों तथा गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार की सुविधा दी जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने देवां के साथ लोधेश्वर महादेवा को 24 घन्टे बिजली देने का काम किया है। एवं उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक 132/के0वी0 का सब-स्टेशन मंजूर कर क्षेत्रीय जनता को बड़ी सौगात देने का काम किया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने लोधेश्वर मन्दिर को मुख्य पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से मन्दिर के तीन भव्य प्रवेश द्वारा व रैन बसेरा की बाउण्ड्री के लिए 87 लाख रुपये दिये जिसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ढाई करोड़ रुपये का रैन बसेरा प्रस्तावित है। प्रदेश में माननीय उपमुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, एवं मेरी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रु0 की धनराशि से दो लघु पुलों एवं सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

मेरे ग्राम सभा मसौली ब्लॉक मुख्यालय को विधान सभा क्षेत्र रामनगर के दर्जनों गांव को सीधे आवागमन के लिए कल्याणी नदी पर एक पुल जिसकी लागत 5 करोड़ 88 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके लिए मैं और मेरी क्षेत्रीय जनता माननीय उप मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में 9 करोड़ रुपये की धनराशि से आई0टी0आई0 भवन निर्माण हेतु प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से मंजूर हो चुकी है। जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के नौजवानों को व्यावसायिक शिक्षा को लेकर रोजगार प्राप्ति के अवसर मिलेंगे तथा मेरे क्षेत्र के नौजवानों में भारी उत्साह है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, महादेवा राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। इन कालेजों की स्थापना से मेरी विधान सभा क्षेत्र के अत्यन्त पिछड़े बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की निर्धन जनता को शिक्षित किया जाना संभव होगा। तराई क्षेत्र में गन्ना किसानों की मांग पर बुढ़वल शुगर मिल जो काफी दिनों से बन्द हो गयी थी सपा सरकार में बसपा सरकार में वह पुनःचालू कराया जाना अति आवश्यक है तथा घाघरा नदी पर हेतमापुर फरूहाघाट पर पुल बनाया जाना शासन में प्रस्तावित है। जिससे सात विधान सभा क्षेत्र रामनगर, कुर्सी, बहराइच, कैसरगंज, सेवता, महसी, पयागपुर एवं चार लोक सभा बाराबंकी, बहराइच, कैसरगंज व लोक सभा सीतापुर क्षेत्र की जनता को

लगभग 100 कि0मी0 की दूरी कम हो जायेगी, तथा मेरी विधान सभा में प्रमुख रूप में धार्मिक व पर्यटन स्थल के रूप में लोधेश्वर महादेवा, पारिजात वृक्ष को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने से इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरयू नदी घाघरा में संजय सेतु गोण्डा, बहराइच मार्ग के किनारे सरयू रिवर फ्रन्ट बनाये जाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा लगातार की जा रही है। जिसे जनहित में स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है। महोदय मैं अटल जी की एक कविता कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा-

जब तक ध्येय न पूरा होगा,
तब तक पग की गति न रूकेगी।
आज कहे चाहे कुछ दुनिया
कल को बिना झुके न रहेगी।।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं तथा बजट 2020-21 के प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। वन्दे-मातरम।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो बजट माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में रखने का काम किया है वह बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है और विकास विरोधी बजट है। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो रहा था पूर्वान्चल की तरफ से हम लोग आते हैं, पूर्वान्चल की जनता बहुत निगाह लगाकर देख रही थी। एक ऐसा एक्सप्रेस-वे, समाजवादी एक्सप्रेस-वे जिसका शिलान्यास जिसके लिए सारी जमीने भी खरीद ली गयीं थीं और यह पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। जनता उम्मीद लगाकर बैठी थी कि 3 साल सरकार को हो गये, एक्सप्रेस-वे पूर्वान्चल की जनता को सुपुर्द करने का काम सरकार करेगी लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने उस योजना में बहुत भारी कटौती किया और उसकी ऊंचाई भी कम किया। किसानों से सम्बन्धित जितनी योजनायें थी उसकी कटौती करने का काम किया। नहीं लगता है कि इनका कार्यकाल बीत जायेगा और ये एक्सप्रेस-वे बनाने का काम कर पायेंगे। मान्यवर, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार की घटनायें बढ़ी हैं। आज कल तो नया फैशन चला है पहले बेटियों, बहनों के साथ बलात्कार होने का काम होता था लेकिन अब बलात्कार के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए जिन्दा जलाने का भी काम इस सरकार में हो रहा है। पूरी तरह से अपराधी मस्त है, सरकार का उनके ऊपर सीधे रूप से कहा जाये कि संरक्षण प्राप्त है। आये दिन घटनायें बढ़ रही हैं। इनको रोकने का काम सरकार नहीं कर पा रही है।

मान्यवर, आप का ध्यान मैं चन्दौली जनपद की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है बिहार का बार्डर है, चन्दौली जनपद का गठन हुए लगभग 23 साल हो गये लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को जिन्होंने अपनी सरकार में पूर्व की सरकार ने उसका शिलान्यास भी किया और उसका मुख्यालय भी बनवाने का काम किया। तीन साल बीतने के बाद भी जब से यह सरकार आई है आज तक न तो पुलिस लाइन, न तो जेल न तो किसी विभाग का कार्यालय बनाने का काम किया। यहां तक कि न्यायालय की जमीन खरीदने का भी पैसा सरकार का जिलाधिकारी के पास पड़ा है लेकिन आज तक जमीन भी खरीदने का काम यह सरकार नहीं कर पाई है। यह लगता नहीं है कि जिला मुख्यालय को बनाने का काम कर पायेंगे। विकास के नाम पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है सारी सड़के गड्ढे में तबदील हैं। मैं जनपद चन्दौली की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत विकास के नाम पर पीठ थपथपाई गयी और इस सरकार में जहां गंगा नदी में शहद घाट पर पुल, बलुआ घाट पर पुल, रामनगर में पुल, गाजीपुर में पुल, मिर्जापुर में पुल बनाने का ऐतिहासिक काम करने का काम माननीय पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने किया था। आज चन्दौली जनपद की सड़कों की बहुत बदतर हालत हो चुकी है। चन्दौली जनपद में बिहार और मध्य प्रदेश से भारी वाहनों के आने का काम होता है। गाजीपुर में हमीद सेतु और वाराणसी में कपसेटी के पास एक पुल टूट चुका है लेकिन तीन साल होने के बावजूद आज तक पुल को बनाने का काम नहीं हुआ है। सारा ट्रैफिक चन्दौली से होकर निकलता है और उन दोनों पुलों पर गाड़ियों का इतना अधिक लोड है कि आये दिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कही उन दोनों पुलों का निर्माण भी खतरे में पड़ सकता है। हमारे यहां से होकर दिल्ली से कोलकाता तक हाई वे जाता है, उसमें जहां पर चन्दौली की सीमा खत्म होकर बिहार राज्य की सीमा शुरू होती है वहीं हाई-वे का पुल टूट कर गिर गया है और पूरी तरह से ट्रैफिक बाधित हो गया है। सरकार की ऐसी कोई कार्य योजना दिखाई नहीं दे रही है जिससे बरसात आने से पहले उस पुल का निर्माण होकर हाई-वे चालू हो सके।

मान्यवर, सदन में मेडिकल कालेज की बहुत बाते हुई हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जनपद चन्दौली को एक मेडिकल कालेज देने का काम किया था, उसका धन चला गया था और पत्थर लगाकर उसका शिलान्यास भी हो गया था, बस काम शुरू होने वाला था लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी की बड़ी कृपा हुई कि मेडिकल कालेज का पूरा पैसा वापस करते हुए उस मेडिकल कालेज को सीधे-सीधे दूसरे जनपद मिरजापुर में भेजने का काम किया है। हमारे यहां पर राजकीय बालिका महाविद्यालय पूरी तरह से बनकर तैयार है लेकिन इस सरकार में पिछले तीन साल में उस राजकीय बालिका महाविद्यालय को चालू कराने का काम नहीं हो पाया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां पर किसानों की बहुत बात करने का काम हुआ है। ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुये थे। जब पिछली बार सदन चल रहा था तो प्रश्नों के माध्यम से जब

सवाल किया गया था तो ऊर्जा मंत्री जी ने बयान दिया था कि हम जर्जर तार और पुराने लकड़ी के पोल को बदलने का काम करेंगे लेकिन एक भी पोल बदलने का काम नहीं किया गया है। हमारे क्षेत्र में आज भी ऐसे-ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिन्हें आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाये हैं। यहां पर बड़ी संख्या में बिजली का कनेक्शन देने के लिए पीठ थपथपाई जा रही है लेकिन हमारे यहां पर बिजली का फर्जी बिल भेजकर गरीबों का उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। हमारे यहां पर किसानों को पच्चीस से पचास हजार रुपये के फर्जी बिल भेजकर बिजली विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। रोज उनसे रिश्वतखोरी करके उनका उत्पीड़न करने का काम यह सरकार कर रही है। मान्यवर, पुरानी सरकार में श्रम विभाग के द्वारा जो मजदूर थे चाहे किसानों के यहां मजदूरी करने का काम करते थे अथवा मनरेगा में मजदूरी करने का काम करते थे, यदि उन्होंने 90 दिन तक काम किया है तो उनको साइकिल देने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था लेकिन उस व्यवस्था को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। इसके साथ ही बिजली का रेट बहुत मंहगा कर दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 102 और 108 एम्बुलेन्स की सेवा जनता की सुविधाओं के लिये दी गई थी। जब टेलीफोन होता था तो घर में रिश्तेदार बाद में पहुंचता था लेकिन एम्बुलेन्स पहले पहुंच जाती थी। आज वर्तमान सरकार के समय में उन एम्बुलेन्स में ना तो तेल है और ना ही उसको चलाने वाला ड्राइवर है। जनता चिल्लाने का काम करती है लेकिन कोई वहां पहुंचने का काम नहीं करता है। तमाम योजनायें जो चिकित्सा क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का भी बहुत बुरा हाल है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से दो घटनाओं का ध्यान सदन की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे चन्दौली जनपद में धानापुर पी0एच0सी0 में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत श्री राजेन्द्र चौहान की पत्नी का नसबन्दी का आपरेशन होता है और जब वह घर पहुंचती है तो उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उनको कोई पूछने का काम नहीं करता है।

अभी हाल में चंदौली जनपद में कलावती नाम की एक महिला जो अपनी रिश्तेदारी में बढ़नी पी0ए0सी0 पर नसबंदी कराने गयी थी। मान्यवर, उसकी ओ0टी0 में मौत हो जाती है जबकि सरकार का शासनादेश है कि ओ0टी0 में यदि मौत होती है तो मौत के 24 घण्टे के अंदर उस परिवार को चार से पांच लाख रुपया सरकारी अनुदान देने का काम करना चाहिए, लेकिन आज तक उसको कोई पूछने वाला नहीं है और न तो कोई काम करने का काम किया गया। मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर बेरोजगारों को रोजगार देने की रोज बात हुआ करती है। अभी श्रम मंत्री जी ने इतने आंकड़े पेश कर दिये हैं। आज प्रदेश में बेरोजगारों को इन्वेस्टर्स समिट के नाम से, फ्रंट कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस, कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर केवल गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह बेरोजगारों की लम्बी फौज होती जा रही उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। उनके नाम पर कुछ करने का काम नहीं किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त कर दीजिए।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, पिछड़े वर्गों के साथ इस तरह का भेदभाव कभी देखने को नहीं मिलता था आज पिछड़े वर्ग का छात्र हो या छात्राएं हों न तो उनको छात्रवृत्ति दिलाने काम हो रहा है चाहे वह मेडिकल का छात्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का छात्र हो, चाहे हाई स्कूल में पढ़ने वाला हो, चाहे इण्टर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हो उनको न तो छात्रवृत्ति देने का काम हो रहा है और न ही उसकी प्रतिपूर्ति देने का काम यह सरकार कर रही है। बहुत डंका बजा और ओ0डी0एफ0 के नाम पर पूरा प्रदेश ओ0डी0एफ0 हो गया। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि कोई भी जनपद आप तय कर लीजिए मैं चंदौली जनपद का ही आपको बताता हूं कि जिस दिन भी आप कमेटी बनाकर जांच करा लीजिए यदि पूरे जनपद का ओ0डी0एफ0 हो गया होगा तो आप जैसा कहेंगे फिर उस चीज को मानने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। गलत बयानी करने का काम सरकार इस सदन में करती है क्योंकि इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थीं। बजट का भाव आज क्या है ? आज किस तरह से गरीब किसान परेशान है ? महंगाई जिस तरह है। फर्जी ओ0डी0एफ0 के नाम पर आंकड़ा देकर ओ0डी0एफ0 की बात कर रहे हैं, इसलिए मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है इसके विरोध में माननीय नेता विरोधी दल ने जिस तरह से अपनी बात को रखने का काम किया है मैं उस पर बल देता हूं। यह बजट जिस तरह से किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी, उत्तर प्रदेश के विकास का विरोधी है इसलिए इस बजट का हम विरोध करते हैं। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में जो यह बजट रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, जिस तरीके से हमारी सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश का खजाना खोला है मैं पूरी तरीके से उसका समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बुंदेलखण्ड से आता हूं जहां पर अभी तक बेरोजगारी और पलायन की समस्या रहती थी। पहली बार किसी सरकार ने बुंदेलखण्ड का सुधि लेने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बुंदेलखण्ड जहां केवल भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किये जाते थे। पूर्ववर्ती सरकारों में डैम बनाने के नाम पर केवल भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान होते थे और आज जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं मुझे तो दर्द होता है कि क्या यह जब सरकार में थे तो इनको दर्द नहीं होता था ? क्या इनकी जो चेतना है, जो आज जाग्रत हो रही है उस समय जब यह सरकार में थे तो इनकी चेतना कहां सुस्त हो गयी थी ? यह कहां चले गये थे ? केवल टेंडर होते थे और भ्रष्टाचार के नाम पर फाइलों में चढ़ जाता था।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज प्यासे बुंदेलखण्ड के लिए 3 हजार 300 करोड़ रुपये का जो आवंटन किया है उसके लिए बुंदेलखण्ड की जनता जय-जय कार कर रही है। बुंदेलखण्ड के लिए आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं। वहां के लोग केवल सूरत हो, दिल्ली हो या अन्य राज्यों में केवल पलायन करके वहां पर अपना पेट भरने का काम करते थे। पहली बार डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से आज वहां पर रोजगार सृजन की बात की जा रही है। आज वहां पर लोग बड़ी उम्मीद के साथ में योगी जी और मोदी जी के साथ पूरे भरोसे के साथ में वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वहां पर भूमि पूजन होगा और वहां के लोगों को रोजगार की शुरूआत होगी। पहले आप बुन्देलखण्ड का नाम केवल खनन के नाम पर सुनते होंगे। हमारे विपक्ष के सहयोगी बैठे हैं। मैं तो केवल इतना कहता हूं कि पहले यह लोग बुन्देलखण्ड केवल खनन के लिए जाते थे। इस बात का आंकलन करने के लिए जाते थे कि बुन्देलखण्ड का खनन कैसे हम अपनी जेबों में ले आयें। यह सारी योजना यह लोग बनाते थे। इन्होंने कभी प्रदेश के विकास का काम नहीं किया। इन्होंने कभी बुन्देलखण्ड को बिजली नहीं दी। हम लोगों को केवल दो से तीन घण्टे बिजली मिलती थी। अगर आज की सरकार की नीतियों को देख लें तो चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो या ईसाई हो सबकी भलाई का काम यह सरकार कर रही है। यह लोग जानवरों की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग जानवर लेकर आये हैं। क्या हमारी सरकार ने इनके खेतों में जानवर छोड़े हैं। कभी भी इन लोगों ने छुट्टा जानवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। कोई योजना नहीं थी। यह केवल जेबें भरने में लगे रहे। इस कारण से इस समस्या ने बड़ा रूप लिया है। तीन सालों में हमने गंभीरता से छुट्टा जानवरों पर अंकुश लगाने का काम किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी कल हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि - मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलो से उड़ान होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा और सही बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि-बिना पंखों के कुछ नहीं होता, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन यह फैले हुये उनके पंख कहते हैं खामोश रहते हैं अक्सर जहां में जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहंगा कि योगी जी का हुनर बोल रहा है। चारो तरफ योगी जी की जय-जयकार हो रही है। सभी सर्वे योगी जी को नम्बर वन मुख्य मंत्री पूरे देश में बता रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

सर, अपनों पे सितम गैरों पर करम ए जाने वफा यह जुल्म न कर। सत्तापक्ष से कोई बोलता है तो दो मिनट बाकी लोगों को आधा-आधा घण्टा देते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं-नहीं। सिर्फ पांच मिनट देते हैं।

श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

मान्यवर, यह लोग पिछले पांच साल जब सत्ता में रहे इन्होंने कुछ नहीं किया। अब यह बोलकर सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक बेरोजगारी की बात है। दो लोग इस सदन में मुझे बेरोजगार दिखते हैं। एक लल्लू सिंह जी को हमारी बहन आराधना जी ने बेरोजगार कर दिया और श्री ओम प्रकाश जी स्वयं अपने आप बेरोजगार हो गये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

वह प्रदेश अध्यक्ष हो गये हैं।

श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

मैं तो हाउस की बात कर रहा हूं कि हाउस में आपने उनको बेरोजगार कर दिया है। बार-बार बोलते थे, कभी हम लोगों का मनोरंजन भी करते थे। लगता था कि जनता की समस्या से बहुत दुखी हैं। लेकिन यह कांग्रेस के लोग केवल हाउस में ही बोलते हैं, हाउस के बाहर यह कभी नहीं दिखायी देते। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारी सीमा से लगा हुआ है। कांग्रेस वहां किस तरह से शासन चलाती है मैं अगर वहां की चर्चा करूंगा। आपने इस तरीके से इंसान को जानवर बना दिया पिछले 70 साल के शासनकाल में कि जानवर और इंसान में अंतर ही नहीं मालूम चलता है। आप लोगों की सरकार ने इंसान और जानवर को एक लाइन में खड़ा कर दिया। मान्यवर, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इन लोगों की बेरोजगारी शायद कभी दूर नहीं होगी। इसी तरह से यह सदा बेरोजगार होकर सदन में हमेशा सामने ही बैठे रहेंगे। क्योंकि इनका जनता से कोई लेना-देना नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बड़े मंत्रमुग्ध हैं कि उनको शायद सत्ता मिल जायेगी। मैं उनसे केवल इतना ही कहूंगा कि उन्होंने गठबंधन करके बहुत देखे वह गठबंधन कभी कारगर नहीं हुये। कभी कांग्रेस कहती थी कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल। और जिन्होंने बेहाल किया उन्हीं के साथ हाथ में हाथ मिला लिया। इन्होने इस तरीके के गठबंधन किये हैं। हम लोगों को सालों में बोलने का मौका मिलता है। मेरे क्षेत्र के लिए 2-3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। मा0 जल शक्ति मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जनपद झांसी में हर घर जल योजना के माध्यम से हर घर को पानी देने की योजना प्रारम्भ की गयी। मैं इस योजना के लिए धन्यवाद देता हूं और बहुत जल्द ही काम शुरू होने वाला है। मा0 जल शक्ति मंत्री जी ने प्यासे बुंदेलखण्ड के लिए एक वरदान के रूप में काम किया है। समस्त बुंदेलखण्ड मा0 योगी जी एवं मा0 जल शक्ति मंत्री जी की जय-जयकार कर रहा है। उसमें मेरा इतना संशोधन है कि उस योजना के अंतर्गत

100 गांव छूट गये हैं। जिनमें पूर्व में संचालित योजनाओं के कारण वह गांव छूट गये हैं। लेकिन वह योजनाएं संचालित नहीं हैं, वह योजनाएं मृतप्राय हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सिंचाई की समस्या को लेकर एक बबीना सिंचाई परियोजना प्रारम्भ है, उसमें सभी गांवों को कवर नहीं किया गया है, सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर नहीं किया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाईये, आपकी पूरी बात आ गयी है।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। हमारी सरकार के द्वारा पांच लाख बारह हजार आठ सौ साठ करोड़ बहत्तर लाख रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश का चौमुखी विकास हो, सरकार की प्राथमिकता में स्पष्ट दिखता है। राज्य के प्रत्येक नागरिक की सामाजिक, आर्थिक उन्नति के साथ-साथ उसका सतत विकास हो, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से आर्थिक विकास को एक नयी गति प्राप्त हुई है तथा प्रदेश सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। मैं नेता प्रतिपक्ष के उस वक्तव्य को दोहराना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि योजनाएं धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात कहिए, इधर क्या कहा गया है उसका उत्तर मा0 मंत्री जी देंगे।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इनको शौचालय नहीं दिखाई देते हैं, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने आवास नहीं दिखाई देते हैं। इनको वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक अवसर मिला था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर क्यों नही उतारा ? यह लोग सदन में आकर केवल झूठी बातें करते हैं, यह सदन को गुमराह करने का काम करते हैं, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई सरकार अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा सदन के माध्यम से विपक्ष के लोगों को भी करनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करनी चाहिए। हमारे सारे मा0 सदस्यों ने सरकार की सारी उपलब्धियों के बारे में बताया है। लेकिन जो सबसे जरूरी विषय है कि बार-बार गन्ना किसानों की बात होती है। अभी गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पूर्वांचल को कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था। सपा एवं बसपा की सरकारों

ने किसानों को चीनी का कटोरा तो नहीं दिया लेकिन चीनी के कटोरे की जगह किसानों को खाली कटोरा पकड़ाने का कार्य किया है, चीनी मिलों को बेच दिया। जब हमारी सरकार आई तो पूरे प्रदेश में चीनी मिलें लगाई गयीं, मिलों की क्षमता वृद्धि हुई है, मिलों का विस्तारीकरण हुआ है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में पिपराइच चीनी मिल बनकर तैयार है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि 54 हजार क्विंटल प्रति दिन की क्षमता पर मिल चल रही है। जनपद बस्ती में मुण्डेरवा चीनी मिल 50 हजार क्विंटल प्रति दिन की क्षमता पर चल रही है। मान्यवर, मुहद्दीनपुर और मेरठ में पेराई क्षमता 2500 टीडीसी से बढ़ाकर 3500 की गयी, रमाला चीनी मिल और बागपत चीनी मिल का विस्तारीकरण किया गया और वहीं पर हमारी सरकार ने लगभग छियासी हजार सात सौ करोड़ गन्ने के मूल्य का भुगतान भी किया। ये गन्ने के मूल्य के बारे में सदन में आकर रोते हैं, जब अवसर मिले तो इस सदन के माध्यम से जनता की सेवा करनी चाहिए, यहां आकर अनर्गल प्रलाप नहीं करने चाहिए। हमारी सरकार ने कोल्हू-क्रेशरों पर जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको समाप्त करके किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का प्रयास किया है। ये लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की बात करते हैं, हमारी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया से भी जोड़ने के लिए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे को बनाकर, अगर मैं कहूं तो कुल 1406 कि0मी0 का एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार हो रहा है। इन्होंने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे को बनाया जो कुल 302 कि0मी0 है, हमारी सरकार इनसे पांच गुना अधिक कि0मी0 का एक्सप्रेस-वे बनाकर उत्तर प्रदेश में देगी। ये कहते हैं कि इन्होंने जेट उतारा, हम कहते हैं कि हम राफेल उतारेंगे, कौन-सी बड़ी बात है। जब अच्छी सड़क बनेगी तो उस पर राफेल भी उतरेगा। ये सदन में आकर, सदन को गुमराह करने का काम करते हैं।

पं0 दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में 2017 से अब तक 1,31,324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है लेकिन इनको दिखाई नहीं देता है। हम लोग ऐसे-ऐसे गांवों में गये हैं जहां आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं थी, मैं अपने प्रधानमंत्री जी, मुख्य मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि जब हम गांवों में जाकर बिजली का स्विच ऑन करते हैं, उस गांव को रोशन करते हैं तो मुझे फक्र हुआ कि गांवों में दिवाली का माहौल होता है उससे बड़ा उत्सव उन गांवों में मनाया गया। ऐसे-ऐसे गांव जहां आजादी के 70-70 सालों तक बिजली नहीं पहुंची थी, क्या उनका बिजली पर हक नहीं था ? क्या केवल शहरों में बिजली जरूरत थी, क्या गांवों में बिजली की जरूरत नहीं थी ? इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। ये हमारी सरकार की सोच है, हमारी सोच की प्राथमिकता में है। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एक-एक घर में बिजली पहुंचाकर उन सभी घरों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये गरीबों के विषय में बात करते हैं,

प्रधानमंत्री जी ने जन-धन योजना के माध्यम से जीरों बैलेंस पर खाता खुलवाने का काम किया, सरकार की जितनी योजनाएं आती है, डी0बी0टी0 के माध्यम से गरीबों के खाते में उनका पैसा जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अपने क्षेत्र की समस्या रख दीजिए।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

इन लोगों ने गरीबों के हक पर डांका डालने का काम किया है। जो पैसा सब्सिडी का आता था वह केवल कागज में आता था, कागज में जाता था, किसान मिनिमम बैलेंस बैंक में नहीं रख सकता था लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाकर उन गरीब किसानों जिनका बैंक में खाता नहीं था, खाता खुलवाकर खाद-बीज की सब्सिडी या गैस सब्सिडी हो सबका पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है, इससे किसान लाभान्वित हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिए।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, समय तो आपने बहुत कम दिया है, हम लोगों को अवसर देना चाहिए। कम-से-कम पांच मिनट तो और दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

समय ही कम है, ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी चीनी मिल पिपराइच में स्थापित हुई है, जब नवम्बर से चीनी मिल शुरू होती है तो प्रतिदिन लगभग 500 से 600 गाड़ियों का आवागमन पिपराइच टाउन एरिया से होता है, पिपराइच टाउन एरिया भी है, वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है, मैं आपके माध्यम से एक ओवर ब्रिज की मांग करता हूं। चिलूवाताल के फैलावाघाट पर भी एक पुल के निर्माण की आपके माध्यम से मांग करता हूं। बैजनाथपुर, दौलतपुर, गुलरियां होते हुए पकड़ी तक साढ़े तेरह कि0मी0 एक सड़क जाती है जो अन्य जिला मार्ग की सड़क है इसके चौड़ीकरण की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और एक सबसे महत्वपूर्ण जो गोरखपुर शहर के चारों तरफ बाईपास का काम हो रहा है, कौड़िया से जगदीशपुर कोनी, अगर इसको जोड़ दिया जायेगा तो पूरा गोरखपुर शहर बाईपास से जुड़ जायेगा। आज के इस बजट सत्र पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

(डा0 जी0एस0 धर्मेश का नाम पुकारा गया, लेकिन वह अनुपस्थित थे)

***श्री विनोद कुमार कटियार-**

अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। यह उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बजट है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक बोध का क्षेत्र है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी महानदियां यहां प्रवाहित होती हैं। राम, कृष्ण और शिव का यह प्रदेश है। ऐसे प्रदेश में मैं इस बजट पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का 2020-2021 का बजट ऐतिहासिक मायने में है। इसमें पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक धनराशि रखी गयी है। 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ रुपये से ज्यादा का यह बजट है। इस बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गयी हैं, यह एक ऐतिहासिक बात है। उत्तर प्रदेश में नई योजनाओं के लिए पहली बार इतनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को लेकर इस बजट की संरचना की गयी है। इस बजट में किसान, नौजवान, विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी, उद्योग, सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रावधान किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 05 ट्रिलियन यू0एस0 डालर की एकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है, जिसे 2014 में रखा गया था, इसकी परिपूर्णता को दोहराने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को कम से कम 01 ट्रिलियन यू0एस0 डालर के अनुरूप बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ औद्योगीकरण एवं पूँजीनिवेश के लिए सरकार का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष के लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैं अपनी बात एक शेर से कहना चाहता हूं-

''जिसे है दर्द उत्तर प्रदेश का, सुख से सो नहीं सकता,
जमाने भर की दौलत को, सिर पर ढो नहीं सकता।
वतन को लूटने वालों, सुदामा बन कर तुम देखो,
जो नंगे पांव चलते हैं, वह कांटे बो नहीं सकते।

(इसी मध्य सायं 06 बजकर 09 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

नजर-नजर में उतरना, कमाल होता है,
नब्ज-नब्ज में पिघलना कमाल होता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुलन्दियों पर पहुंचना, कोई कमाल नहीं,
बुलन्दियों पर ठहरना कमाल होता है।
इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है,
लगन हर मुश्किल को, आसान बना देती है।
लोग यूँ ही नहीं जाते मन्दिर में पूजा करने,
आस्था पत्थर को भगवान बना देती है।''

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

हमारी सरकार के द्वारा जिस तरह की योजनाएं रखी गयी हैं, उन योजनाओं में अभी हाल ही में डिफेंस कॉरीडोर का जो एक्सपो हुआ था, 05 से 09 फरवरी, 2020 के बीच में, उसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया, यह अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय काम है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक्सप्रेस-वे का जो जाल बिछाया है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हो, चाहे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस-वे हो, इनके माध्यम से जो कॉरीडोर बनने जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम होने जा रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो काशी से ही हैं। ..

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और उत्तर प्रदेश काशी से प्रधानमंत्री आते हैं, उन्होंने देश को यह बताने का काम किया है और उत्तर प्रदेश को संवारने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार दिलाने का काम किया है। आज जिस तरह से इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आ रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहूंगा अब आने वाले समय में राम राज की संकल्पना संपूर्ण होने जा रही है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार जाता है अहंकार से। जो अहंकार विपक्षियों में है, मैं बताना चाहता हूं हम अहंकार से नहीं संस्कार से पले हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, इसमें आइये और इसमें समा जाईये, इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास करिए और विकास के धरातल पर उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान में उत्तम प्रदेश बनाईये, यह मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। न ख्वाबों में देखा, न नजारों में देखा, हजारों में हमने नम्बर वन, उत्तर प्रदेश को देखा। गम देने वालों को हर पल मिलें, खुशी देने वाले नम्बर वन, आपको ही देखा, सितारों को गिनना मुश्किल है, किस्मत में जो लिखा है वह मिटाना मुश्किल है।

आज आप लोगों ने जिस तरह से कुचक्र चला था, जिस तरह से गुण्डागर्दी फैली हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था, उसको मिटाने के लिए जनता ने एक राम

रूपी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाकर भेजा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पांच साल नहीं, पचास साल के लिए उत्तर प्रदेश में शासन करने का अधिकार देगी। पांच साल तो अभी गारण्टी है, आज बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने विचार रखे हैं, इस बजट में सभी वर्गों के हर क्षेत्र में जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि के उत्थान के लिए बात करने वाली योगी जी और मोदी जी की पारदर्शिता सरकार में तय किया जा रहा है। कांग्रेस, बी0एस0पी0 और अपने कर्म स्वयं निर्धारण करें कि जनता का क्या कारण है, भय मुक्त होकर, सामाजिक चिंतन करेंगे, अगर उत्थान करने वालों के लिए सरकार देश, भारत वर्ष निर्माण, देश भक्त को स्वीकार करता है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष को नकारा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सकारा है, निश्चित रूप से एक बात कह सकते हैं कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, हर लगन, हर मुश्किल को, आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में, पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। बजट पर जिस तरह के भाषण, जिस तरह के विचार और जिस तरह का बजट उत्तर प्रदेश में आया है, मैं समझता हूं कि इस तरह का बजट अभी तक स्वतंत्रता से लेकर आज तक इस तरह का इतना प्रभावकारी बजट उत्तर प्रदेश में सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मैं आगे अपनी क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र की भोगनीपुर, 208 बहुत ही पिछड़ा विधान सभा क्षेत्र है। मा0 अध्यक्ष जी, यह विधान सभा क्षेत्र बुंदेलखण्ड से लगा हुआ है, अगर बुंदेलखण्ड का भी विकास होगा तो इस विधान सभा क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हमारी विधान सभा जो कि बहुत पिछड़ी हुई है बमरौली से लेकर भरतौली तक नदी पर एक ब्रिज अगर बन जाए तो उससे कम से कम तहसील तक आने के लिए 25 से 30 किलोमीटर का जो रास्ता है, वह कम होगा और हजारों लोगों का उससे फायदा होगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र में भोगनी सागर तालाब है, कहते हैं कि राजा बली ने यहां पर 99 यज्ञ किए थे और वे 100 यज्ञ करना चाहते थे। कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक और लखनऊ से लेकर झांसी तक बीच में भोगनीपुर है और भोगनीपुर के बगल में भोगनी सागर तालाब है, मेन रोड पर स्थित है। यदि इसका पर्यटन की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण हो जाए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री योजना के माध्यम से 05 मांगें थीं। हमारे वहां पर पुखरायां में मिनी स्टेडियम की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि यदि वह स्थापित हो जाए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं और कहते हैं कि

आपके होठों पर सदा खिलते गुलाब रहें
ईश्वर न करे कभी आप उदास रहें

दुनिया आपका साथ दे, न दे
पर हम जिसे चाहें, वह हमेशा आपका साथ दे।

श्री अध्यक्ष-

अब श्री संजय सिंह जी।

(श्री संजय सिंह का नाम पुकारे जाने पर कुछ सदस्यों द्वारा विरोध के स्वर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वह दूसरी बात है, आप सुनेंगे तो सहमत हो जाएंगे। वह दूसरी बात कहने जा रहे हैं। इनकी याचिका छूट गई थी।

[06:17 बजे] श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री संजय सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत में बरेली हाई-वे रोड से शिवपुरिया, कल्यानपुर होते हुए नांद पसियापुर तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजीव गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के ब्लाक अमरिया में करगैना नहर से करगैना पीरा होते हुए ग्राम भौनी तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री भगवानदास व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

[06:18 बजे] वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब श्री नरेश सैनी जी लेकिन आप बहुत सूत्र रूप में बोलिए।

***श्री नरेश सैनी-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मुझे इस बजट प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

मा0 वित्त मंत्री जी जब अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे तो मुझे भी बहुत खुशी थी कि उत्तर प्रदेश का बहुत बढ़िया बजट आया है। लेकिन जब रात को जाकर मुझे उसे पढ़ने का मौका मिला तो मैंने उसमें देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर कोई योजना वित्त मंत्री जी के बजट में नहीं है। मैं इस बजट को किसान विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी,

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नौजवान विरोधी और बेरोजगार विरोधी मानता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये लोग चुनाव के वक्त में घोषणाएं करते हैं तो इनको याद रहता होगा लेकिन बाद में ये अपनी घोषणाएं भूल जाते हैं। उन्होंने दिल्ली से, लोनी से यमुना जी तक फोर लेन की घोषणा की थी और उस फोर लेन में दो टेण्डर हो चुके थे, जो दिल्ली से बागपत और बागपत से सहारनपुर के थे। उसके बाद हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सहारनपुर से मां शाकुम्बरी देवी तक की सड़क को फोर लेन किया जाएगा लेकिन अभी तक उसका टेण्डर भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार केवल बातें करती है, अपनी घोषणाओं को योजनाओं में क्रियान्वित नहीं करती। इसके साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र की दूसरी चीजों पर भी कहना चाहता हूं।

महोदय, सहारनपुर नगर से सिगबा शाकुम्बरी देवी तक स्टेट हाई-वे दिया गया था। मेरा कहना है कि उसको आगे बढ़ाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र जो उत्तराखण्ड से लगता हुआ है, उस तक बढ़ाने का काम करें क्योंकि वह पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेगा, दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक को कवर करेगा। इसलिए मैं उसकी मांग रखता हूं। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ववर्ती बसपा की सरकार ने एक स्पोर्ट्स कॉलेज दिया था। वह मेरे क्षेत्र में पड़ता है और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट , सहारनपुर मण्डल में होगा। लेकिन जो बजट बसपा सरकार ने दिया था, उसके बाद किसी भी सरकार ने कोई भी बजट मेरे विधान सभा क्षेत्र में उसके लिए नहीं दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो योजना उस समय सरकार ने दी थी, उसको कार्यान्वित किया जाए और उसके लिए बजट की भी व्यवस्था कराई जाए। इसके साथ-साथ मैं समझता हूं कि चूँकि इस बजट में खिलाड़ियों के नाम पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए खिलाड़ियों को क्योंकि यह प्रदेश युवाओं का प्रदेश है इससे युवाओं के लिए खेलने का नया रास्ता निकलेगा, रोजगार भी बनेगा और देश प्रदेश का नाम भी ऊंचा उठेगा इसलिए मैं जरूर इस स्पोर्टस कालेज के लिए योजना हेतु आपसे दरख्वास्त करता हूं। दूसरा मेरी विधान सभा क्षेत्र शिवालिक से जुड़ी हुआ है मेरा क्षेत्र नदियों को जाल है और जब बारिश होती है तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर पुल इत्यादि नहीं है जब बारिश आती है तो उन गांवों में जाने के लिए कोई व्यवस्था उस समय नहीं होता है। महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने लोक निर्माण मंत्री जी से अपने क्षेत्र में 3-4 पुलों के निर्माण के लिए कहा था तो मैंने जो पुल दिये हैं उनके लिए भी बजट दिलाने की कृपा करें उसके साथ-साथ मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा होने के साथ-साथ उसमें प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालात हैं इस बजट में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। टाटपट्टियां देने का काम किया गया है वह बिल्डिंग भी दो बार बनाई थी लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसकी जो जर्जर छतें हैं उसके लिए आप बजट की व्यवस्था करायें। इसके अतिरिक्त जो नई ग्राम पंचायतें क्षेत्र में बनी थी, आपके क्षेत्र में भी बनी हैं और

हमारे क्षेत्र में भी बनी हैं जो पूर्ववर्ती ग्राम पंचायतें थीं वह छोटी हुई है और नई पंचायतें बनी है उनमें कोई स्कूल नहीं है। उनमें भी स्कूलों की व्यवस्था करायी जाये। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा प्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है इस प्रदेश में गन्ने की जो स्थिति है वह आप भली-भांति जानते हैं। मेरे क्षेत्र में केवल एक शुगर मिल है और 15 साल से वह शुगर मिल बंद है। केवल एक शुगर मिल होने की वजह से क्षेत्र का पूरा गन्ना उसी शुगर मिल में जाता है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक प्राइवेट फैक्ट्री है वह बंद पड़ी है, उसको कोआपरेटिव में अधिग्रहण करके उसको चालू करवाया जाये जिससे क्षेत्र के किसानों के लिए उन्नति के रास्ते निकले साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में 50 किलोमीटर दूर पड़ता है और 15 हजार की आबादी उन लोगों की है उस क्षेत्र में हास्पिटल की मांग करना चाहता हूं साथ ही साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ मैं अपने विचारों को नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी रामगोविन्द जी से, बसपा नेता श्री वर्मा जी से और कांग्रेस की नेता मोना जी से सम्बद्ध करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती सरिता भदौरिया-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2020-2021 के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत-बहुत, आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहती हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है लगातार हमने चरणबद्ध तरीके से अपने बजट में प्राथमिकताओं के प्राविधान को रखा है। चाहे वह उत्तर प्रदेश में हमारे किसानों की बात हो हमने किसानों के प्रोत्साहन के लिए और किसानों की आय दुगुनी हो उसकी व्यवस्था के लिए लगातार किसानों के साथ जुड़कर अपने पहले बजट में किसानों की उन्नति का प्राविधान रखा था और वहीं दूसरे बजट में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसारित हो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हो, उद्योग लगे इसके लिए हमने अपने दूसरे बजट में इसका प्राविधान किया था। वही लगातार तीसरे बजट में हमने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्वर्धन के लिए, ताकि महिलायें स्वावलंबी बने, इस देश मे बेटियां बचें, बेटियां पढ़े और बढ़े, इस देश की जनता को ये संदेश देने के लिए अपने तीसरे बजट में महिला सशक्तिकरण की ओर अपना प्राविधान रखा था और वही आज हमारे 2020-2021 के बजट में उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कौशलता को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी क्षमता और प्रतिभा को निखारने के लिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दो योजनाएं लाकर उनका उत्साहवर्धन किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 'मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत युवाओं को उद्योग में प्रशिक्षण के साथ-साथ उनके मासिक प्रशिक्षण भत्ते की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने अपने बजट के प्रावधान में की है। वहीं दूसरी योजना, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में युवाओं के लिए एक 'युवा हब' बनाने की भी हमारी सरकार ने 1 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था अपने बजट के प्रावधान में की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में हमारे विपक्ष के लोग लगातार चर्चा कर रहे थे। मुझे ध्यान आता है कि जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी तो समितियों पर किसानों को खाद और बीज के बदले लाठियां खानी पड़ती थीं और उत्तर प्रदेश का लहुलुहान किसान ईश्वर से प्रार्थना करता था कि यह सरकार कब जाएगी।

आज जब हमारी सरकार आयी है तो हमने अपनी सरकार में बजट में ऐसे प्रावधान किये हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खाद और बीज की व्यवस्था की जा रही है। विपक्ष में बैठे आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि उद्योग वह होता है जिसमें उत्पादन प्रारंभ हो जाये। मुझे भी जानकारी है और हम सब इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में उद्योग वह लगने चाहिए जिनमें उत्पादन प्रारंभ हो लेकिन मैं उनका ध्यान इटावा के एक स्पिनिंग मिल की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इटावा में केवल एक मात्र उद्योग स्पिनिंग मिल के नाम पर था। उस स्पिनिंग मिल की जमीन को, मशीनों को औने-पौने दामों में बेचकर कुछ जगह आवास-विकास को ट्रांसफर करके और बकाया जगह में इटावा के माननीय नेताओं के मकान बने हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है जिससे इनकी यह बात साबित होती है कि किस तरह से यह उत्तर प्रदेश के लोगों को उद्योग से जोड़ कर देखना चाहते थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता सदन ने जब समाजवाद के बारे में कहा था और हमारे विपक्ष के लोग समाजवाद की परिभाषा बताने का काम कर रहे थे। अध्यक्ष जी, लोहिया जी की आत्मा स्वर्ग में रो रही होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

कि समाजवाद को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने समाजवाद को प्रोत्साहित किया था। उस समाजवाद का जन्म सैफई के परिवार में होने लगा और वहां पर माननीय पैदा होने लगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए। माननीय नरेन्द्र जी।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी दो मिनट ही तो हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये, और लोग भी बोल लें।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा चाहे महिलाओं के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य आरोग्य मेले की व्यवस्था की गयी। शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प योजना को लाकर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम किया गया। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने इटावा की ओर आकर्षित करते हुए केवल इतना कहना चाहती हूं कि इटावा में, आपने सैफई में 309 करोड़ रुपये सैफई पी0जी0आई0 को बजट में देने के लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। इसके बाद मैं एक अनुरोध करती हूं कि हमारे इटावा के चिकित्सालय में न्यूरो की व्यवस्था हो, वहां पर एक सी0टी0 स्कैन की मशीन लगायी जाये और रूरा के मंदिर पर पुल बनवाने की व्यवस्था के लिए भी मैं आग्रह करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब हमने नरेन्द्र जी को बुला लिया है, आप कृपया बैठिए।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि जो लोग बात करते थे कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। हमारी सरकार ने देश में धारा-370 को समाप्त किया है और हमारी सरकार ने राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है इसलिए हमारी सरकार रामराज की ओर बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक नहीं है, मना करने पर भी बोलना ठीक नहीं है।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

हमें इनकी बातों की कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि हमको रामायण की वह चौपाई याद है कि 'मोहि न कछु बांधे कइ लाजा, कीन्ह चहउं निज प्रभु कर काजा'। हम तो उत्तर प्रदेश को रामराज में स्थापित करने के लिए निकले हैं। इस उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सशक्तीकरण हो, किसानों के चेहरों पर प्रसन्नता हो, नौजवानों को रोजगार मिले इसलिए अनवरत उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में हमारे साथ थी, 2019 में हमारे साथ थी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें बजट पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जहां सरकार ने उज्जवला योजना में 01 करोड़ 47 लाख रसोई गैस देकर 02 करोड़ 61 लाख परिवारों को शौचालय तथा 01 करोड़ 24 लाख से अधिक विद्युत कनेक्शन, जीवन ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वहीं कानून व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर चला गया है या फिर ऊपर भेज दिये गये हैं। कानून का राज कायम है इसका स्पष्ट उदाहरण मेरे जिले में देखने को मिलता है। पास्को ऐक्ट में 21 दिन के अन्दर 25 साल की सजा, 25000 रू0 जुर्माना और 25,000 रू0 पीड़िता को देने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय योगी जी की सरकार में एस0पी0 जालौन और एट एस0ओ0 ने किया है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। ये सब तब हुआ है जब सरकार की मंशा कानून का राज कायम करने की है नहीं तो यही पुलिस सपा, बसपा की सरकार में थी जहां थानों में घुसकर पुलिस पर हमला करना, मुल्जिम को छुड़ा ले जाना, प्रेस पर हमला बोलना आम बात थी। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आज आतंकियों के साथ खड़े हैं। आगजनी करने वाले, तोड़-फोड़ करने वालों को गुमराह करके राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। जल शक्ति विभाग का गठन करके उसके माध्यम से हर खेत में पानी, हर घर को पाइप लाइन से जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। इसी क्रम में बुन्देलखण्ड को 9000 करोड़ रुपये देकर हर घर को नल से जल देने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग, अटल भू-जल योजना अनेक प्रकार की नहर व बांध परियोजनाओं को पूर्ण करके 2 लाख 66 हजार हेक्टयर सिंचित क्षमता में वृद्धि करने का कार्य सरकार कर रही है। 218 करोड़ रुपये से गहरी बोरिंग व मध्यम बोरिंग योजना का कार्य कराने का लक्ष्य लिया गया है। क्षतिग्रस्त नहरों को पक्का करने का भी काम सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

नरेन्द्र जी, आपके पास बण्डल बड़ा है, ये कब तक पढ़ पायेंगे ?

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

ज्यादा बड़ा नहीं है, 5-7 मिनट का ही है।

श्री अध्यक्ष-

7 मिनट तो आपको हमने दिये नहीं। हमने तो 4 मिनट दिये हैं।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

15-15, 20-20 मिनट दिये हैं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, सरिता भदौरिया जी ने 5 मिनट में अपनी बात समाप्त की। बाद में जिद्दयाती रहीं।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड में एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है जिससे 5 घण्टे में चित्रकूट से दिल्ली का रास्ता तय होगा। लोक निर्माण विभाग ने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। शिक्षा क्षेत्र में जहां छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था मात्र प्रवेश और परीक्षा दिलाई जाती थी। नकल कराकर अच्छा रिजल्ट बनाने का कार्य पूर्व की सरकारों ने किया था वहीं आज नकल विहीन परीक्षा कराकर सरकार ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को पूरे देश में पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपको अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना हो तो कह लीजिये, पुराने उदाहरण में आपका समय चला जायेगा। आप अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहिये।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट में युवाओं को भी बहुत प्रोत्साहित किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है जहां कई मेडिकल कालेज खोलकर प्रशिक्षित डाक्टर उपलब्ध कराने का कार्य सरकार ने किया है वहीं गांव-गांव स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने हेतु मुख्य मंत्री आरोग्य मेला का भी आयोजन प्रारम्भ कर दिया गया है। विधायकों के पत्र से विभिन्न स्थानों पर धन पहुंचाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। मेरे स्वयं के पत्र से लगभग ढाई करोड़ रुपये मरीजों को दिये गये हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक जिला, एक उत्पाद चलाया है, जिसमें प्रत्येक जिले में एक उद्योग को बढ़ावा

दिया है। जिसमें जालौन में कालपी का कागज उद्योग लिया गया है, जो बहुत पुराना उद्योग है। मान्यवर, आज लगभग 35 यूनिट कालपी में लगी हैं, जो बन्द होने की कगार पर हैं, लेकिन सरकार ने आक्सीजन देकर उसको पुनः चालू करने का काम किया है। अंत में मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कालपी औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती है। कालपी का कागज उद्योग, कपड़ा और कालीन पुराना कारोबार है। कपड़े का कारोबार लगभग समाप्त हो गया है। कालीन और कागज के कारोबार को सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है। प्रदेश में एकमात्र सूर्यमंदिर है जो कालपी में है और जिसका जीर्णोद्वार भगवान कृष्ण के पौत्र साम्य द्वारा कराया गया था, ऐसा वर्णन पुराणों में मिलता है। कालपी से 14 कि0मी0 दूर नदी के किनारे बसा मौजा लालपुर स्थित है जिसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये शामिल किया गया है यहां चौड़ा तथा पुराना मार्ग है जिसमें दो कि0मी0 वन क्षेत्र पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि वन क्षेत्र के मार्ग को एन0ओ0सी0 दिलाकर इसको बनवाने की कृपा करें। भगवान वेदव्यास की जन्मभूमि कालपी है उनके पिता पाराशर के नाम से तपोभूमि पाराशन है उनकी विशेषता यह है कि जो वहां पितृपक्ष में मछली चुगाने जाता है वहां इस डर की वजह से, चाहे वह नेता हों या अधिकारी हों इस डर की वजह से मछली नहीं चुगाते हैं कि मछली सिर्फ उस आदमी से दाना चुगती है, जो चरित्र का ठीक होता है। इसलिये वहां मछली चुगाने से डरते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब समाप्त करें।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, इसके अतिरिक्त लंका मीनार, पाहुलाल का देवालय, बलखंडी मंदिर, ढोड़ेसुर का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, रोपड़ गुरू का मंदिर जो अकबर ने बनवाया था खानकाह शरीफ के अतिरिक्त रानी लक्ष्मीबाई का मंत्रणा कक्ष जो 100 फीट कगार पर सीधा बना हुआ है, एक ऐतिहासिक इमारत है जो असुरक्षित घोषित कर दी गयी है उक्त सभी स्थलों को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिये सरकार से मांग करता हूं। बरही बंबा से जो मौरंग का घाट/मार्ग है उसे सी0सी0 बनवाने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें आपका विषय आ गया। क्षेत्र वाला कागज आप हमको भिजवा देंगे तो हम उसे रिकार्ड में जुड़वा देंगे।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

ठीक है, मैं माननीय अध्यक्ष जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। आप पुराने नेता और कार्यकर्ता हैं।

[06:38 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 25 फरवरी, 2020 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं-

1-दिनांक 26 फरवरी, 2020 को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं ली जायं।

2-दिनांक 27 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं।

3-दिनांक 27 फरवरी, 2020 से वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मदें ली जायं। शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[06:39 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25-02-2020 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनायें प्राप्त हुईं।

(नियम-51 के अंतर्गत स्वीकृत सूचनाओं से संबंधित सदस्यों का नाम लिये जाने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(विपक्ष तथा सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सूचनायें लिये जाने का अनुरोध किया)

श्री अध्यक्ष-

श्री वर्मा जी, आपको क्या कहना है ?

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, आप हाजिरी ले लीजिए या सभी की सूचनाएं ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम देख लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, उसे आप वक्तव्य के लिए ले लें।

श्रीमती सुषमा पटेल-

अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना ले लीजिए।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, आप सभी की सूचनाएं ले लीजिए।

(एक साथ कई सदस्यों द्वारा नियम-51 की अपनी-अपनी सूचना लिये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम देख लेंगे। आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए।

सदन का मन है कि सबकी सूचनायें लेनी हैं, तो आप लोग अलग-अलग क्यों अनुरोध कर रहे हैं ?

ठीक है, मैं आप लोगों के अनुरोध पर आज सभी की सूचनायें स्वीकार कर रहा हूं।

(स्वीकृत सूचनाएं संलग्न)

आज दिनांक 25-02-2020 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनायें प्राप्त हुयी, निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी :-

पहली सूचना श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर के सहजनवा में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विनोद कुमार कटियार की जनपद प्रयागराज के फूलपुर के अन्तर्गत कतिपय कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) की जनपद रामपुर में नियम 52-क के तहत अनुज्ञा-पत्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में कतिपय इण्टर कालेजों में शिक्षक/अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री संजय गर्ग की नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुरूप सहारनपुर नगर के बीचों-बीच बह रहे ढमोला नदी के पिचिंग कार्य का वित्त पोषण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद सुलतानपुर की तहसील सदर निवासी श्रीमती शिप्रा राठी के भट्ठे सम्बन्धी मुआवजे का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां में जिगना चकदह तटबन्ध के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा 1209 नक्शों को अवैध घोषित कर नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई सदर में निर्मित ट्रामा सेन्टर में डॉक्टर सहित अन्य स्टॉफ की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद मथुरा के यमुना नदी पर बने नवीन पुल के अधोमानक निर्माण की जाँच कराये जाने एवं उक्त क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति एवं अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू' की जनपद लखनऊ के थाना चिनहट के अन्तर्गत ग्राम जाफरपुर पो0 जुग्गौर निवासी सियाराम यादव एवं तारक चन्द्र यादव द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल की जनपद बस्ती के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के ग्राम महुआ डाबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांव घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज में वृद्धावस्था पेन्शन मामले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकर नगर में ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री सुशील कुमार शाक्य की माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2014 से 2016 के बीच हुए नियम विरुद्ध स्थानान्तरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत ईंट भट्ठा मालिकों की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में तहसील की स्थायी

बिल्डिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में माइनरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में तैनात उपनिरीक्षक आशीष पुन्डीर की कार्यशैली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती सरोज सोनकर की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 100 बेड एवं स्टॉफ की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की नियुक्ति/चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में उचित प्रोटोकाल न दिये जाने एवं इलाज में घोर लापरवाही बरते जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राजकुमार पाल की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर प्रतापगढ़ में तालाबों की खुदाई एवं सौन्दर्यीकरण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर के ब्लाक कोन में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र की बेतवा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री राम कृष्ण भार्गव की जनपद सीतापुर के नगर पालिका परिषद में 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि के दुरूयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद लखनऊ में शिवानी विहार कल्याण समति का नियमानुसार संचालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के तहसील सकलडीहा के अन्तर्गत सी0एच0सी0 धानापुर में सुजीता पत्नी राजेन्द्र की डिलीवरी के दौरान मृत्यु के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में अनियमित एवं गैरकानूनी ढंग से दायर मुकदमों में संलिप्त अधिवक्ता एवं तहसीलदार की भूमिका की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की राजकीय मेडिकल कालेज बांदा में अविलम्ब शिक्षकों/स्टाफ की भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय पक्की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ

में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री गौरीशंकर वर्मा की जनपद जालौन में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के सरकारी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात के असंगत होने के कारण मानव एवं भौतिक संसाधनों के पुनर्विनियोजन करने हेतु शिक्षा अधिनियम, 1921 में आवश्यक संशोधन करने हेतु, बत्तीसवीं सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर में पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेंतीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश ''एडवोकेट'' की जनपद मथुरा के परियोजना अधिकारी डूडा की कार्यशैली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद बलिया में पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर की जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कतिपय कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री राजकुमार यादव की जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत नगर पालिका मैनपुरी में एल0ई0डी0 लाइट लगाने में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री पारस नाथ यादव की जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 12460 शिक्षकों की भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की उत्तर प्रदेश के 28 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद की उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सड़क के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करते हुये जर्जर तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में बरौली से लहटोई मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर की ग्राम सरीफपुर को एन0टी0पी0सी0 द्वारा अधिग्रहण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद गाजियाबाद के ग्राम मसूरी में डिग्री कालेज एवं अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में बन्द पड़ी शाकुम्बरी शुगर मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है,

पचासवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद सुल्तानपुर के थाना कुडवार के ग्राम राजापुर निवासी श्री राकेश अग्रहरि की 7 वर्षीय बच्ची के साथ किये गये कुकृत्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली में ओवरहेड टैंक चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री संजीव कुमार की हिण्डाल्को इण्डस्ट्री लि0 रेनूकूट द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर में मानक के विपरीत स्थापित सीमेन्ट फैक्ट्रियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज की जनपद प्रयागराज के यमुनापार क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा छप्पनवीं सूचना श्रीमती जय देवी की राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगली मद ले रहे हैं।

जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद्, खोडा मकनपुर में पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में अवगत कराया जाना है कि जनपद- गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर की वर्ष 2011 की जनसंख्या- 1,90,005 है .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[एवं उक्त जनसंख्या के आधार पर वर्तमान आंकलित जनसंख्या 265000 है। खोडा नगर पालिका परिषद एक दिशा में दिल्ली से, दो दिशाओं में नोएडा से एवं एक दिशा में एन.एच.-24 से घिरा हुआ है तथा एन0एच0-24 के दूसरी तरफ जनपद-गाजियाबाद स्थित खोडा मकनपुर वर्ष 2016 में नगर पालिका परिषद घोषित किया गया है, पूर्व में खोडा मकनपुर ग्राम पंचायत थी। खोडा मकनपुर ग्राम पंचायत में वर्ष 2008 में खोडा मकनपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत 1000 कि0ली0 क्षमता के शिरोपरि जलाशय एवं 02 नग नलकूपों का निर्माण किया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया। जल स्तर काफी तेजी से नीचे जाने के कारण उक्त दोनों नलकप रि-बोर योग्य हो गये थे जिनमें से नगर पालिका परिषद खोडा मकनपुर द्वारा 01 नग नलकूप को पुनः रि-बोर किया गया है, उक्त नलकूप का पानी भी खारा है तथा वर्तमान में शिरोपरि जलाशय की मरम्मत योग्य स्थिति में है। नगर पालिका परिषद खोडा मकनपुर की अधिकांश निवासियों द्वारा वर्तमान में अपने स्वयं के सबमर्सिबल पम्प लगाये हुए हैं जिनसे प्राप्त जल से उनके द्वारा अपनी दैनिक आवश्यताओं को पूर्ण किया जा रहा है तथ घरों में लगाये गये आर0ओ0 फिल्टर के माध्यम से सबमर्सिबल पम्प से प्राप्त जल को शुद्ध कर पेयजल हेतु प्रयोग किया जा रहा है खोडा मकनपुर के क्षेत्रान्तर्गत भूमिगत जल अत्यधिक खारा है जिस कारण से खोडा मकनपुर में भूमिगत जल के आधार पर कोई पेयजल योजना बनाना संभव नहीं है।

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर में पाईप पेयजल योजना बनाने के निर्देश उत्तर प्रदेश जल निगम को दिये गये थे। शासन के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा खोडा मकनपुर नगर पालिका परिषद हेतु सतही सोर्स पर आधारित पाईप पेयजल योजना का आगणन अनुमानित लागत रुपये 127.15 करोड़ शासन को उपलब्ध कराया गया है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है।]

श्री अध्यक्ष-

इस पर शर्मा जी का क्या कहना है।

श्री सुनील कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, वक्तव्य में सरकार ने खुद माना है कि वहां की पेयजल की स्थिति कितनी खराब है और कहा भी है कि 127.15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। अगर माननीय मंत्री जी थोड़ी सी कृपा करके बता दें कि इसमें सरकार कब तक कार्यवाही करने वाली है, यदि कोई योजना बनी है तो कोई तिथि निश्चित हो जाये, क्योंकि 127 करोड़ की जो रकम बताई गई है, यह लगभग 2 साल से शासन में लम्बित है। अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। अध्यक्ष जी, वक्तव्य में स्पष्ट है कि वहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है। जमीन का पानी पूर्ण रूप से खारा है और कुछ लोगों ने समर्सिबल पम्प लगाये हैं। लेकिन एन0जी0टी0 का आदेश समर्सिबल पम्प लगाने का नहीं है। ऐसे में वहां पानी का भयंकर संकट है। मान्यवर, इसमें सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन आ जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा, यह बिल्कुल सही है और यह मेरी जानकारी में भी है। यहां पर बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके, वहां पानी की व्यवस्था हो। आज माननीय मंत्री जी नहीं हैं, नहीं तो हम अभी समय भी बता देते। लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हो जाये।

जनपद सहारनपुर में बेसिक शिक्षा के विद्यालयों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि नगर क्षेत्र सहारनपुर में 91 परिषदीय विद्यालय हैं....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

[जिसमें 09 विद्यालय किराये के भवन 05 विद्यालय मगनी के भवन एवं 28 परिषदीय भवनों सहित कुल 42 भवनों में परिषदीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। किराये एवं मंगनी के भवन स्वामियों के द्वारा भवन खाली कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण उक्त भवनों में विद्युत संयोजन, भवनों की मरम्मत, पेयजल एवं शौचालय आदि बेसिक अवस्थापना की सुविधा उपलब्ध कराये जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त से इतर विभाग के द्वारा विद्युत संयोजन की अस्थायी सुविधा विषयगत समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी है। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में विद्युत संयोजन पूर्व से ही उपलब्ध है।

नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों मनोहरपुर पुलिस लाइन, बेरीबाग नवाबगंज, कार्य-स्थान, सावंलपुर, नवादा, हकीमपुरा, कुम्हार हेडा, हलालपुर में टाइल्स से सुसज्जित मॉडल शौचालय की स्थापना करायी जा चुकी है, जिसमें सबमरसेबल पम्प की सुविधा के साथ ओवर हेड टैन्क भी सम्मिलित है। नगर क्षेत्र सहारनपुर के अवशेष परिषदीय विद्यालयों में बेसिक सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रयास किया जा रहा है।

नगर क्षेत्र सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालय नुमाइश कैम्प में पानी भरने से शिक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण नये विद्यालय भवन का निर्माण एन0जी0ओ0 के सहयोग से कराया जा रहा है। उक्त के साथ नगर क्षेत्र सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालय मातागढ़, प्राथमिक विद्यालय पिजौरा के नये विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है एवं प्राथमिक विद्यालय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हकीकत नगर, प्राथमिक विद्यालय कोरी माजरा, प्राथमिक विद्यालय खलासी लाईन के विद्यालयों की वृहद मरम्मत करायी जा चुकी है। जनपद के परिषदीय विद्यालयों हेतु पेयजल, शौचालय, ओवर हेड टैन्क एवं फनऍचर इत्यादि की सुविधा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराने के सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। नगर क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत चयनित कर लिया गया है, जिनमें बेसिक अवस्थापना की समस्त सुविधाओं का अधिष्ठापन किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

***श्री संजय गर्ग-**

.... वास्तव में बहुत ही गम्भीर विषय है, बहुत मेहनत करके माननीय सदस्य यहां पर अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाते हैं परन्तु क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी इसको कितने हल्केपन से लेते हैं, यह जवाब जो मंत्री जी ने दिया है उसे हमारे जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें बनाकर दिया है। मैं समझता हूं कि जवाब बनाते समय या तो वह सो रहे होंगे या नशे की स्थिति में होंगे, इसमें कोई भी तथ्य सही नहीं है। इस तरह से विधान सभा और सदन को गुमराह करना ठीक नहीं है। हम मा0 मंत्री जी का सम्मान करते हैं और उसी गम्भीरता के साथ विधान सभा से मैसेज जनपद के अधिकारियों को जाना चाहिए कि वह जवाब देने से पहले संजीदगी बरत कर गम्भीरता के साथ सच्चाई सामने रखने की कोशिश करें। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के बेसिक शिक्षा स्कूलों के लिए यह बात रखी थी कि 91 विद्यालय जो 42 भवनों में संचालित होते हैं जिसमें साढ़े चार हजार विद्यार्थियों का नामांकन है। कुल 42 भवनों में परिषदीय स्वामित्व वाले कुल 29 भवन हैं जिनमें से लगभग 20 में विद्युत संयोजन नहीं है। आपने जवाब में लिख दिया कि परिषदीय विद्यालयों में विद्युत संयोजन पूर्व से ही उपलब्ध है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह बिलकुल गलत है। नगर क्षेत्र के परिषदीय भवनों में एक स्कूल ज्ञानागढ़, हबीबगढ़, खाकरोबान, कमेला कॉलोनी, खानआलमपुरा, कोलागढ़, कोरी माजरा, लक्खी गेट, मौज्जमपुरा, मुशीयान, पटेल मिल, पुल खुमरान, काजी, रामगढ़, रसूलपुर, शाहमदार, शिवपुरी मंडी और सिराज कॉलोनी ये 18 स्कूल हैं जिनमें विद्युत संयोजन नहीं है उसके बावजूद भी विद्युतीकृत माना गया। मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि किसी भी रूप में इसकी जांच करा ली जाय।

मान्यवर, इसके साथ शौचालय और सफाई के लिए भी गलत नाम दिये गये हैं। मेरा प्रश्न केवल नगर विधान सभा का था परन्तु उसके इर्द-गिर्द दूसरी विधान सभा के स्कूलों का जिक्र कर कहा गया कि इसमें शौचालय बना लिये गये हैं। जर्जर भवन जिन स्कूलों के हैं, 9 विद्यालय हैं जिनके भवन जर्जर हैं, इसमें मनोहरपुर, सांवलपुर नवादा, हकीमपुरा, कुमार हेड़ा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा हलालपुर का जिक्र है जो मेरी विधान सभा क्षेत्र में नहीं हैं और न ही नगर क्षेत्र में हैं। नगर क्षेत्र के अलावा इन्होंने कहा कि हम जिला पंचायत से पंचायत राज विभाग से करायेंगे। पंचायत राज विभाग या रूरल क्षेत्र के स्कूल के अध्यापक का स्थानान्तरण शहर में नहीं हो सकता और शहर का उसमें नहीं हो सकता है और न ही पंचायत विभाग शहरी क्षेत्र में काम करा सकता है। तो पूर्णतः तथ्यहीन जवाब यहां पर देखने में आया है, इस प्रकार से इस बात की जिस अधिकारी ने माखौल उड़ाने की कोशिश की है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

एक तो आपका कहना है कि विद्युत संयोजन वाले विद्यालय नहीं हैं और उत्तर में है कि हैं।

श्री संजय गर्ग-

दूसरी बात यह है कि जो जर्जर भवन में स्कूल हैं वह बिल्कुल जर्जर हालत में हैं हम विधायक निधि से भी उनका सुदृढ़ीकरण कराना चाहते हैं और उसके बारे में भी आपने गलत जवाब दिया है। सुदृढ़ीकरण की वह लिस्ट थी जो कि प्रश्न में नहीं थी।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मान्यवर, जो पूछा गया था उसमें विधान सभा का जिक्र नहीं था, उसमें सहारनपुर नगर क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। सहारनपुर नगर क्षेत्र में हमारे 91 विद्यालय 42 भवनों में संचालित हैं, यह सुनने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत सारे नगर क्षेत्र के विद्यालय हमारे किराये के भवनों में चलते हैं, कुछ मकान मालिकों ने, जिन्होंने विद्यालय खाली करने को कहा इसलिए एक-एक भवन में एक से अधिक विद्यालय चल रहे हैं। अब इसमें से 29 भवन ऐसे हैं, जो आपका प्रश्न था कि 29 भवन हैं, जवाब जो आया है वह यह है कि 09 विद्यालय किराये के भवन में और 05 विद्यालय मंगनी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब यह कि बिना किराया लिये लोगों ने दिया है कि ठीक है इसमें आप चलाइये, इस प्रकार से चल रहे हैं। अब जिन विद्यालयों में विद्युत नहीं होने की बात की जा रही है उसमें से कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके मकान मालिकों ने मकान खाली करने को कहा लेकिन विभाग ने समय मांगा, मामला कोर्ट में चला गया और वह माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं, जो ऐसे मकान हैं उनमें हम विद्युत का कनेक्शन नहीं ले पाये लेकिन जहां ऐसा विवाद नहीं था वहां किराये के भवन में भी किरायेदारी दिखाते हुए अस्थायी कनेक्शन लिया गया है, ऐसी सूचना विभाग ने दी है। जो एक बात आपने कही है नगर से ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफर की, तो अभी जो हमारी व्यवस्था कायाकल्प योजना में है, ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों को पंचायत राज विभाग के सहयोग से हम कायाकल्प की योजना चला रहे हैं। जिसमें हम उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। शहरों में अभी तीन महीने पहले हमने यह व्यवस्था बनाई है।

माननीय नगर विकास मंत्री जी के सहयोग से कि जो नगरीय क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें भी स्मार्ट सिटी योजना में जो धन है उस धन के माध्यम से वहां भी हम कायाकल्प की योजना को लागू करने जा रहे हैं। आप का कहना है कि इनमें से कुछ ऐसे विद्यालयों के नाम आये हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनको नगर में दिखाया गया है। अगर ऐसी कोई विसंगति होगी, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसकी मैं पुनः जांच करा लूँगा और अगर किसी लेवल पर इसमें लापरवाही हुई होगी, तो उसपर मैं कार्रवाई भी करने को तैयार हूं।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं और उत्तर में भी यह बात साफ है। नौ भवन किराये पर लिये गये हैं, उन पर विद्युत संयोजन नहीं हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट में कुछ लोग स्टे लेने चले गये थे, परन्तु दूसरे जो परिषदीय स्वामित्व के भवन हैं, उन परिषदीय स्वामित्व के भवन में से 20 भवनों में बिजली नहीं है। इन्होंने जवाब में लिखा है कि परिषदीय विद्यालय में विद्युत संयोजन पूर्व से ही उपलब्ध है, यह सरासर झूठ है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके अलावा में आपके माध्यम से एक जानकारी चाह रहा था कि विभाग के द्वारा विद्युत संयोजन की अस्थायी सुविधा की बात कहीं गयी है, इसमें विद्युत विभाग ने कौन सी अस्थायी सुविधा दी है..।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, एक बात सुन लीजिये। आपने जो बातें कही हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मा0 शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम इसकी पूरी जांच करा लेंगे।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, इसकी जांच मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी से करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

बिजली है कि नहीं है, इसमें कमिश्नर/जिलाधिकारी क्या विश्लेषण करेंगे, यह तो आम आदमी भी कर लेगा।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को एक जानकारी देना चाहता हूं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि जो मैंने आंकड़े दिये थे। हमने जब यह जानकारी चाही कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है ? तो अगर कहीं से यह आ गया कि सारे स्कूलों में

विद्युतीकरण हो गया है तो प्रतिपक्ष के मा0 सदस्यों के सवाल खड़ा करने से पहले ही हमने थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन का आदेश दिया है कि स्वतंत्र टीम से इसकी जांच करा ली जाए (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाई), क्योंकि आजादी के बाद से जो इस प्रदेश में हुआ है, आंकड़ों की बाजीगरी करके धोखे में रखने की कोशिश हुई है। पीछे की सरकारों की लापरवाही के कारण हमारे स्कूल जर्जर हुए। आज तक उसमें बिजली नहीं थी, आज तक बच्चे टाट-पट्टी पर बैठ रहे थे, आज तक पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की थर्ड पार्टी से ऑडिट करा रहे हैं, जो वास्तविक जानकारी आयेगी, उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। अभी जो जवाब आया है कि परिषदीय विद्यालयों में पहले से ही विद्युत की व्यवस्था है, हम इसकी जांच करा लेंगे। मा0 सदस्य बहुत ही जिम्मेदार और गम्भीर सदस्य हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि अगर यह गलत जानकारी आयी होगी, तो संबंधित अधिकारी पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इससे बढ़िया और क्या उत्तर हो सकता है ?

जनपद अमेठी के ब्लाक जामों की ग्राम पंचायत रेसी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत रेसी, विकास खण्ड-जामों, जनपद-अमेठी में प्रधान की आपसी रंजिश के कारण ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे .....

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है। इसमें आपको कुछ कहना है।

(पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[ग्राम पंचायत रेसी में सचिव, ग्राम पंचायत के रूप में श्री जीतेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी तैनात हैं। ग्राम पंचायत की कार्य योजना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय रेसी द्वितीय में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत मरम्मत कार्य संचालित है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का कार्य भी कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत के खातों से उपरोक्त विकास कार्य व अन्य कार्यों पर पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से भुगतान भी किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण की धनराशि भी सम्बन्धित लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तान्तरित की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-1 एवं ग्राम निधि-6 खाते का संचालन नियमानुसार हो रहा है।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही आवश्यक सूचना हमने नियम-51 में लगाया था। यह प्रकरण जनता और गांव के गरीब से जुड़ा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत-रेसी और विकास खण्ड-जामों है, जिसमें वर्ष 2013 से खाते का संचालन नहीं हो रहा है। दिनांक 24 फरवरी, 2020 का उस गांव का बैंक स्टेटमेंट भी मेरे पास उपलब्ध है, इसमें 2 करोड़ 51 लाख रुपये उसके खाते में पड़ा दर्शाया गया है। अभी लगभग 20 दिन पहले 1 लाख 26 हजार रुपये का एक आहरण हुआ है और जवाब आ रहा है कि खाता सुचारू रूप से संचालित हो रहा है नियमानुसार। ये 2 करोड़ 51 लाख उस खाते में क्यों पड़ा है ? इसको मैंने इस्टीमेट कमेटी में भी रखा था। उस इस्टीमेट कमेटी में वहां के डी0पी0आर0ओ0 को तलब किया गया था और उसमें जवाब आया था कि कुछ गुण्डों की वजह से यह खाता संचालित नहीं हो पा रहा है। वहां ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी को धमकी दे दी जाती है। ग्राम विकास अधिकारी वहां पोस्ट हो गया। मेरा केवल इसमें इतना ही कहना है कि वर्ष 2013 से न तो वहां पर नलों की मरम्मत हुई है, न ही वहां पर कोई जल निकासी की व्यवस्था हुई है, न ही वहां शासन द्वारा संचालित कोई जनसुविधाएं हैं, जैसे बच्चों के लिए स्कूल या मिड-डे-मिल आदि जो कुछ भी हैं। गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2013 से एक रुपये का आहरण नहीं हुआ है। 2019 दिसम्बर में लास्ट में 1 लाख 26 हजार रुपये का आहरण किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आप स्पष्टीकरण क्या मांग रहे हैं राकेश जी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मैं क्या चाहता हूं यह भी बता रहा हूं यह भी नहीं पता है कि उस पैसे से क्या किया जा रहा है। जब मैंने नियम-51 में इसकी सूचना दी, इसकी शिकायत की यहां तो अभी तीन दिन पहले वहां सी0डी0ओ, डी0पी0आर0ओ0, डी0डी0ओ0, एस0डी0एम0 सारे लोग पहुँच गये और आनन-फानन में वहां खाता खुलवा दिये। खाता खुलवाने के बाद वहां जवाब दे रहे हैं कि खाता चल रहा है। मैं केवल इतना चाहता हूं। इसमें कि वर्ष 2015 के पहले दूसरा ग्राम प्रधान था। एक बार वहां चुनाव हुआ एक बार फिर से प्रधान निर्वाचित हुआ। किनकी वजह से यह

खातों का संचालन नहीं हो पा रहा है वहां पर और ग्राम पंचायत अपना काम नहीं कर पा रही है। या तो ग्राम प्रधान अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके अधिकार को सीज किया जाय। एक कमेटी वहां पर बनाई जाय ताकि उस गांव में विकास कार्य हो। तो इसकी जांच करवा कर यदि इसमें अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं तो उसके खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी या फिर अगर कोई लोकल गुन्डा अगर इसमें दोषी है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार करेगी बस इतना सा जवाब आ जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राकेश जी ने खुद अपने वक्तव्य में यह कहा है कि आनन-फानन में सभी अधिकारी वहां गये और उन्होंने खाते का संचालन करवा दिया। आपने स्वंय इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं समझता हूं कि जब वहां पर खाता चालू हो गया तो इसकी वजह तो दिखवा लेंगें कि क्यों चालू हुआ। 2013 से 2016 तक तो मान्यवर, आप ही थे, हमारा तो इसमें कोई दोष नहीं हैं। उसके बाद की बात की खाता संचालित नहीं हो रहा है तो हम उसे संचालित करवा देगें इसकी आप चिन्ता न करें। हम दोबारा रिपोर्ट मँगवा लेगें अध्यक्ष जी। अब खाता तो संचालित हो गया यह राकेश जी खुद बता रहे हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

एक बार और इस तरह का जवाब आया था लेकिन खाता संचालित नहीं हुआ था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं अभी टेलीफोन करके उनको बता दूंगा कि दोबारा रिपोर्ट भिजवा दें।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

जो वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक हम नहीं कर पाये हैं उसको आप ठीक कर दीजिये। अब आप भी नहीं कर पायेंगें तो फिर कैसे होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक कहां-कहां तक ठीक करें।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

आप इसको करने में असमर्थ हैं तो ठीक।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनता ने इस लायक बनाया तब हम यहां बैठे हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

ठीक बात है, इसीलिये वहां भेज दिया लेकिन आप यह कहिये ना कि हम ठीक करने में असमर्थ हैं। तीन साल में आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप ठीक करने में असमर्थ हैं। यही कह दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है हम पूरी तरह से समर्थ हैं और ठीक कर भी देगें।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

हां यह ठीक है।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में क्षतिग्रस्त नहर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत..

श्री अनिल कुमार-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको पढ़ा हुआ मानते हैं।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

पढ़ा हुआ मान लिया। इसके लिये धन्यवाद है लेकिन इसके बाद भी मैं माननीय सदस्य को एक बात की जानकारी देना चाहूंगा कि आपकी इसी नहर पर तीन जो पुल हैं उसको हमने स्वीकृत कर दिया है, यह हम आपको बताना चाह रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

यही सुनना चाहते थे माननीय सदस्य।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

इस वाले में भी आप 650 मीटर बीच में जिला पंचायत का स्थान है बाकी सिंचाई विभाग का है। हमने विभागीय स्तर पर कार्यवाही की है आप स्थानीय स्तर पर परश्यू कर लीजियेगा। इसको हम लोक निर्माण विभाग में लेकर इसको भी बढ़ा देगें।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य इन्होंने ही दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

[मौरावां हिलौली बछरांवा (अजि0मा0) के कि0मी0-2 से दायी ओर संजर खेड़ा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निकलता है, इस मार्ग की कुल लम्बाई 1750 मी0 है। इस ग्रामीण मार्ग की 1100 मी0 लम्बाई लेपन स्तर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है। इसके आगे संजर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खेड़ा तक 650 मी0 लम्बाई में इण्टरलॉकिंग टाइल्स पेवमेण्ट जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा निर्मित है। इसी मार्ग के अन्त में नहर विभाग द्वारा निर्मित 5x1.70 मी0 स्पान का पुराना आर्च लघु सेतु स्थित है, जिसके कैरिज-वे की चौड़ाई 3.00 मी0 है। सेतु निर्माण के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के अशासकीय पत्र सं0-319/23-10-2020 दिनांक 24-02-2020 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से किया गया है।]

श्री अनिल सिंह-

मान्यवर, एक मिनट, वैसे तो आपका आर्शीवाद है हमारे ऊपर। धन्यवाद है माननीय मंत्री जी का, माननीय उप मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने एक चीज और नहीं बताई कि हमारी जो रीढ़ थी पुरवा की 300 करोड़ की रोड भी दी है। तो बहुत धन्यवाद है, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ रहा है आपका आर्शीवाद है। बहुत धन्यवाद।

जनपद लखनऊ में समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्रीमती सुषमा पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नगत सूचना के संबंध में निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 से प्राप्त आख्या के अनुसार....

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों में वर्ष 2014 से अब तक नव नियुक्त सहायक अध्यापकगण की नियुक्ति की जांच कराकर आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जनपद लखनऊ में संचालित समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

(1) जनपद लखनऊ में निजी प्रबन्धतंत्र के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित कुल 17 प्राइमरी विद्यालय हैं। इनमें से ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, जहाँ वर्ष 2014 से अब तक नवनियुक्त सहायक अध्यापक का समाज कल्याण विभाग से वित्तीय अनुमोदनोपरान्त किसी प्रकार के वेतन अनुदान की धनराशि का भुगतान किया गया हो।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) जनपद में समाज कल्याण विभाग से शासनादेश संख्या-514/26-3-94/1961-93 दिनांक 31-03-1994 से आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित उपमन्यु पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बाजपेयी खेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ में प्राइमरी स्तर (कक्षा-01 से 05) के लिये सहायक अध्यापकों के 12 पद स्वीकृत हैं, जिसमें रिक्त पदों के सापेक्ष निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 के पत्र संख्या-432/स0क0/शिक्षा-ब/प्रा0पा0/2017-18 दिनांक 18-06-2017 के निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त उक्त विद्यालय में जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-5154-56/स0क0/प्रा0पा0/2017-18 दिनांक 28-09-2017 के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक बेसिक/प्रबंधक/स0क0/5913/2018-19 दिनांक 03-10-2018 के निर्देशानुसार प्रबंधक उपमन्यु पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बाजपेयी खेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 08-10-2018 के दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स एवं दैनिक स्वतंत्र भारत में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये तथा प्रश्नगत रिक्त पदों पर दिनांक 04-11-2018 को विद्यालय प्रांगण में चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उक्त चयन समिति में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक बेसिक/प्रबन्ध/6669-70/2018-19 दिनांक 29-10-2018 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रसाद, खण्ड शिक्षाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ को प्रतिनिधि के रूप में नामित करते हुए विद्यालय में पहुंचकर नियमानुसार साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। चयन समिति की बैठक दिनांक 04-11-2018, जिसमें जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपर्युक्त खण्ड शिक्षाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ उपस्थित रहे, द्वारा विद्यालय में प्राइमरी स्तर में रिक्त 05 पदों के सापेक्ष श्री मनीष कुमार शुक्ला पुत्र श्री हीरालाल शुक्ला (अनारक्षित), सुश्री अनुपमा द्विवेदी पुत्र श्री राजेश कुमार द्विवेदी (अनारक्षित), श्री राम केवल पुत्र श्री लालमणि (अन्य पिछड़ा वर्ग), तथा श्री आनन्द राज पुत्र श्री राम खिलावन (अनु0जाति) का चयन किया गया। अनुसूचित जाति के 01 रिक्त पद के सापेक्ष कम आवेदन-पत्र प्राप्त होने के कारण चयन नहीं किया गया।

(3) विद्यालय में उपर्युक्त चयन के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक बेसिक/प्रबंध/स0क0/7408-10/2018-19 दिनांक 22-11-2018 द्वारा बेसिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित नियम निर्देश एवं नियमावली की व्यवस्था के क्रम में उपर्युक्त चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन प्रदान करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को तत्सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया तथा उसकी प्रति निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 एवं प्रबंधक, उपमन्यु पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बाजपेयी खेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ को प्रेषित की गयी। उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी विद्यालयों में विभाग से स्वीकृत पदों पर नियुक्तियों/चयन के उपरान्त बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा चयन/नियुक्ति के अनुमोदनोपरान्त जब तक समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन से नियुक्तियों का अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक

कोई धनराशि विभाग द्वारा वेतन अनुदान हेतु सम्बन्धित अध्यापकों को भुगतान न किये जाने की व्यवस्था है। फलस्वरूप प्रश्नगत विद्यालय में रिक्त पदों पर उपर्युक्त चयन तथा बेसिक शिक्षाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उल्लिखित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का समाज कल्याण विभाग से अनुमोदन हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), लखनऊ के पत्रांक 734/स0क0(वि0)/आवर्तक अनुदान/2019-20 दिनांक 21-01-2020 द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित प्रपत्रों सहित आख्या निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 को प्रेषित की गयी है, जिसमें विभाग से अभी तक कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है और सम्बन्धित विद्यालय के उक्त अध्यापकों को कोई वेतन अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) यह भी उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान की सूची में सम्मिलित उपमन्यु पूर्व माध्यमिक विद्यालय, (प्राइमरी) बाजपेयी खेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ में प्रबन्धतंत्र द्वारा की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), लखनऊ के पत्र संख्या-1011 दिनांक 18-01-2019 द्वारा मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रकरण में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), लखनऊ के कार्यालय आदेश दिनांक 05-03-2019 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय में साक्षात्कार के आधार पर प्रबन्धतंत्र द्वारा सहायक अध्यापकों के 04 पदों पर की गयी नियुक्ति असंगत/अनियमित के कारण निरस्त किया गया था। अतएव तत्क्रम में निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 के आदेश पत्रांक 391-93/स0क0/शिक्षा-ब/ जांच/2019-20 दिनांक 19-06-2019 द्वारा उप निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), लखनऊ की दो सदस्यीय समिति गठित करते हुए प्रकरण में तथ्यात्मक जांच आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये, जिसके क्रम में उप निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल लखनऊ के पत्रांक 1653/स0क0/जांच/पत्रा0/ 2019-20 दिनांक 19-10-2019 द्वारा समिति की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली के अनुसार समिति गठित कर उपमन्यु पूर्व माध्यमिक विद्यालय, (प्राइमरी) बाजपेयी खेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ में चयन की प्रक्रिया पूरी की गयी है, जिसका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रदान करते हुए प्रस्ताव जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), लखनऊ को उपलब्ध कराया गया, अस्तु समिति द्वारा चयनित अध्यापकों का विभाग द्वारा अनुमोदन किया जाना समाचीन होगा।

(5) शासनादेश संख्या-514/26-3-94/1961-93 दिनांक 31-03-1994 से आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित जनपद के समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित जनता विद्यालय (प्राइमरी) प्यारेपुर, मौंदा में शासन द्वारा स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष 0 अध्यापक कार्यरत हैं, जिसमें रिक्त 03 पदों पर निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 के पत्र संख्या-432/स0क0/शिक्षा-ब/प्रा0पा0/ 2017-18 दिनांक 18-06-2017 के निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त उक्त विद्यालय में जिला समाज कल्याण अधिकारी,

लखनऊ के पत्रांक-5510-12/स0क0/प्रा0पा0/2017-18 दिनांक 10-10-2017 के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक बेसिक/प्रबंधक/ स0क0/9747/2018-19 दिनांक 25-01-2019 के निर्देशानुसार प्रबंधक, जनता विद्यालय (प्राइमरी) प्यारेपुर, मौंदा, लखनऊ द्वारा 02 दैनिक समाचार-पत्रों दैनिक पायनियर एवं दैनिक आज में दिनांक 31-08-2019 दिनांक 20-02-2019 द्वारा नामित प्रतिनिधि खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा दिनांक 01-10-2019 को विद्यालय प्रांगण में आयोजित चयन समिति की बैठक में साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की गयी। इस साक्षात्कार में उनके द्वारा विभाग की ओर से सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र सं0-बेसिक/प्रबंध/स0कल्याण-180/5033 दिनांक 01-11-2019 द्वारा साक्षात्कार में पात्र श्री मोहित कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार (अनारक्षित), श्री तरूणेश कुमार सिंह पुत्र श्री शिव कुमार वर्मा (अनारक्षित) तथा श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम खिलावन (पिछड़ी जाति) के चयन का अनुमोदन प्रेषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के उक्त पत्र के क्रम में उक्त चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन कार्यालय-पत्र संख्या-681 दिनांक 27-12-2019 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 को प्रेषित किया गया है, जिसका अभी तक कोई अनुमोदन निदेशालय या शासन से प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थियों का समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्तियों का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक साक्षात्कार में चयनित अध्यापकों को कोई धनराशि विभाग द्वारा वेतन अनुदान वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उक्त दोनों विद्यालयों में साक्षात्कार में चयनित अध्यापकों को समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन से नियुक्तियों की अनुमति एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं प्राप्त हुयी है, जिससे इन अभ्यर्थियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चयनोपरान्त प्रेषित सूची में समस्त आवश्यक प्रपत्रों के साथ निदेशालय को संदर्भित है, जिसका अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक आदेश शासन स्तर से निर्गत होने के उपरान्त ही वेतन अनुदान का भुगतान सम्भव हो सकेगा। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों से स्पष्ट है कि लखनऊ जनपद में आवर्तक अनुदान पर संचालित विद्यालयों में वर्ष 2014 से अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे वेतन भुगतान आदि में धनराशि गबन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतएव मा0 सदस्य, विधान सभा श्रीमती सुषमा पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 19-12-2019 को दी गयी सूचना में उल्लिखित शिकायतें जनपद लखनऊ के संदर्भ में गलत है।]

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि मैंने नियम-51 के तहत सूचना लगायी थी। समाज कल्याण विभाग के विद्यालय के नियुक्ति में जांच के संबंध में मैंने इसे लगाया था। इसमें जांच तो हुई नहीं और अधिकारियों ने मनमाने ढंग से

अपने मनमुताबिक कहानी बनाकर दे दिया है। मैं इस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। समाज कल्याण के विद्यालय में नियुक्ति में जो जांच की गयी है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। आप ही बताइये कि यदि सरकारी अध्यापक के लिए पांच पदों पर विज्ञापन निकले और उसके लिए मात्र 13 लोग आवेदन करें जबकि इतने युवा बेरोजगार हैं, इतनी बड़ी बेरोजगारी हो गयी है कि संविदा पर यदि चपरासी की भर्ती निकलती है तो उसके लिए सैकड़ों लोग आवेदन कर रहे हैं। मैं मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि लखनऊ का जो उपमन्यु विद्यालय है, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है।

मा0 मंत्री जी इसकी जांच करवा लें और इसी प्रकार यह लखनऊ जनपद का मामला नहीं है, बल्कि यह आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर, देवरिया, प्रयागराज जिलों में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसकी एक पेपर में कटिंग भी निकली है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को भिजवा देती हूं। मा0 मंत्री जी स्वयं इसको पढ़ लें। मैं मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि इस पूरे मामले की एस0आई0टी0 का गठन कराकर जांच करवाइये। मा0 मुख्य मंत्री जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत सख्त हैं। उन्होंने अभी कई भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही भी करवाई है और बड़ा अच्छा संदेश भी लोगों के भीतर गया है। मैं अनुरोध करना चाहती हूं निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी पूरी एस0आई0टी0 से जांच कराकर देख लीजिए कि इसमें सैकड़ों का घोटाला हुआ है। आप जांच करायेंगे तो यह मामला भी बिल्कुल एन0आर0एच0एम0 घोटाले की तरह सामने निकलकर आयेगा। मैं मा0 मंत्री जी से आश्वासन चाहती हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो यह सही है कि आपकी सूचना के संदर्भ में जो उत्तर आया है इसमें उन्होंने इसको गलत बताया है, लेकिन फिर भी मा0 सदस्या ने इसको प्रेस किया है तो निश्चित रूप से हम इसका परीक्षण करवाकर इसकी जांच करा लेंगे।

वर्ष 2004 से वर्ष 2006 के मध्य विभिन्न घटनाओं की धाराओं में दर्ज मुकदमा संख्या-06/2010 में विशेष अनुसंधान दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, उक्त के क्रम में विशेष अनुसंधान दल के पत्र दिनांक 18-02-2020 की आख्यानुसार...

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[थाना/मुख्यालय एस0आई0टी0, उ0प्र0 लखनऊ पर मु0अ0सं0-06/2010 धारा-408/409/ 420/467/ 468/471/120बी भादवि एवं 13(2) भ्र0नि0अधि0 के अन्तर्गत दिनांक 27-08-2010 को 40 नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचनोपरान्त अन्तिम विवेचना आख्या दिनांक 21-01-2016 को शासन को प्रेषित की गयी। शासन के आदेश दिनांक 07-04-2016 के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदि की कार्यवाही प्रचलित हुई तथा अभियुक्त बृजेन्द्र नाथ गुप्ता व राजीव गुप्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-08 दिनांक 19-12-2018 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण सीबीआई (केन्द्रीय) लखनऊ प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। शासन के आदेश दिनांक 10-07-2019 द्वारा उक्त अभियोग की अग्रिम विवेचना हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के क्रम में निरीक्षक श्री विनोद कुमार त्रिपाठी द्वारा अग्रेतर विवेचना ग्रहण कर स्थलीय निरीक्षण किया गया, साक्षियों के अभिकथन दर्ज किये गये हैं तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है।]

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह 2004-05, 2005-06 का मामला है। हरदोई में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसमें एस0आई0टी0 ने एफ0आई0आर0 दर्ज की। 2010 में उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और उसमें करीब 40 फर्मों को एफ0आई0आर0 में लिया गया। प्रथम दृष्टया जो जांच हुई, उसमें उन फर्मों को दोषी पाया गया। 10-07-2019 को शासन ने एक आदेश किया, जिसमें उक्त अभियोग की अग्रिम विवेचना हेतु आदेशित किया गया। मेरा केवल एक छोटा सा स्पष्टीकरण है। एस0आई0टी0 की जांच होते हुए 10 वर्ष बीत गये हैं काफी लम्बा समय होता है। क्या मा0 मंत्री जी केवल इतना आश्वासन दे सकते हैं कि यह जो विवेचना चल रही है चाहे दो महीना ले लीजिए, चाहे तीन महीना ले लीजिए, क्या यह विवेचना समयबद्ध तरीके से दो या तीन महीने में पूरी हो सकती है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी यह सही है कि इसमें अनड्यू डिले हुआ है। हमने कल ही जब हमारे सामने लोग ब्रीफिंग के लिए आए थे तो मैंने उनसे कहा कि यह डिले क्यों हुई इसके बारे में हमने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। आखिरकार कब तक इसको इण्ड करेंगे। मान्यवर, इसमें

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आरोप-पत्र भी दाखिल हो चुका है और फर्दर इन्वेस्टीगेशन का प्रकरण चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जिनकी वजह से डिले हुई है उसकी लाइबेल्टी भी फिक्स करेंगे और जल्द से जल्द इसको कन्क्लूड कराएंगे यह मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में ...

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती के अन्तर्गत पैकोलिया शिवाघाट मार्ग के कि0मी0-1 से 15 में विशेष मरम्मत के कार्य (अ0जि0मा0) की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 22-01-18 द्वारा रु0 198.95 लाख की निर्गत की गयी थी, उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 99.47 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 99.48 लाख अर्थात कुल रु0 198.95 लाख का आवंटन निर्गत किया गया था, जिसके सापेक्ष कुल 10.116 कि0मी0 लम्बाई (चैनेज 0.000 से 3.116 तथा 8.000 से 15.000 तक) में विशेष मरम्मत का कार्य सम्पादित कराया गया है। जिस पर वास्तविक व्यय रु0 110.67 लाख हुआ है। अवशेष आवंटन के विरुद्ध खण्ड के अधीन अन्य सम्पादित कार्य जिन पर उक्त वित्तीय वर्ष में आवंटन प्राप्त नहीं था, उनका व्यय भार भारित किया गया, जो व्ययवर्तन की श्रेणी में आता है। उक्त व्ययवर्तन से संबंधित तत्कालीन अधिशासी अभियंता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अवशेष कार्य को नियमानुसार पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद लखनऊ के नगर निगम की सीमा के भीतर चल रही अवैध डेयरियों की रोकथाम के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में.....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[एवं शासन द्वारा दिये गये आदेश तथा विभाग में प्राप्त शिकायतों के क्रम में थानाध्यक्ष, थाना-महानगर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुलिस बल एवं नगर निगम के प्रवर्तन दल के सहयोग से दिनांक 23-01-2020 को विशेष अभियान चलाकर श्री मो0 रईस पुत्र श्री मुन्ना नि0-पेपरमिल कॉलोनी, निशातगंज, लखनऊ एवं श्रीमती सपना यादव पत्नी श्री राजकुमार यादव नि0-मकान न0-512/33, सातवी लेन, निशातगंज, लखनऊ एवं दिनांक 17-02-2020 को थाना आशियाना क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर श्री मो0 इरफान पुत्र श्री भग्गा एवं श्री इसहाक पुत्र श्री भग्गा, निवासीगण-औरंगाबाद जागीर, थाना-आशियाना, लखनऊ द्वारा अवैध रूप से संचालित दूध डेरियों को हटा दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-05-2000 के अनुपालन में उक्त पशुपालकों की दूध डेयरियां पुनः स्थापित न होने पाये इस हेतु सहायक पुलिस आयुक्त, महानगर एवं सहायक पुलिस आयुक्त, कैंट लखनऊ महोदय को पत्र प्रेषित किये गये है। नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल मिस केस संख्या-9113(बी0)/2015 इम्तियाज पुत्र रफीक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04-12-2015 एवं पी0आई0एल0 सिविल नं0-16367 आफ 2019 देवेन्द्र कुमार व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 मुख्य सचिव व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31-05-2019 व मिसलेनियस बेंच नं0-11727 ऑफ 2019 में पारित आदेश दिनांक 25-04-2019, 26-04-2019, 15-05-2019 व 22-05-2019 एवं मिसलेनियस बेंच नं0-2030 आफ 2014 श्री राहुल श्रीवास्तव, एडवोकेट (पी0आई0एल0) बनाम स्टेट आफ यू0पी0 सचिव, हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27-01-2020, 31-01-2020 एवं 03-02-2020 के अनुपालन में नगर निगम, लखनऊ सीमान्तर्गत अवैध रूप से संचालित दूध डेरियों को हटाये जाने हेतु दिनांक 19-02-2020 से दिनांक 17-03-2020 तक रोस्टर अनुसार अभियान चलाया जा रहा है।]

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड गोहाण्ड में शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थी चयन में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है ..

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।]

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

वहां पर अनुसूचित जाति के लोग हैं नहीं और इन लोगों ने दिखाकर पैसा निकाल लिया है।

श्री अध्यक्ष-

यह केवल वक्तव्य है। फिर भी आप मंत्री जी से मिल लीजिए।

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बज कर 07 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 25 फरवरी, 2020

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी (ख)

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41-42..... पर

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (मृत्यु/दिव्यांगता) पाक्षिक प्रगति

(बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2020 को उपलब्ध करायी गयी प्रगति के अनुसार)

बीमा कम्पनी का नाम	क्लस्टर का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल प्राप्त दावों की संख्या	स्वीकृत/भुगतान किये गये दावों की संख्या	भुगतान किये गये दावों में निहित धनराशि (लाख रू0)	निरस्त किये गये दावों की सख्या	शेष (लम्बित)/विचाराधीन दावों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओरियण्टल इं.कं. लि.	आगरा	1	आगरा	362	267	1332.50	69	26
		2	फिरोज़ाबाद	419	351	1752.50	68	0
		3	मथुरा	357	268	1325.00	46	43
		4	कासगंज	164	102	510.00	18	44
		5	हाथरस	305	218	1085.00	56	31
		6	अलीगढ़	385	227	1135.00	58	100
		7	एटा	267	134	670.00	62	71
		8	बुलन्दशहर	616	419	2060.00	181	16
		9	इटावा	388	179	895.00	209	0
		10	मैनपुरी	539	229	1142.50	309	1
ओरियण्टल इं.कं. लि.	कानपुर	11	कानपुर देहात	434	243	1207.50	142	49
		12	कानपुर नगर	449	91	455.00	129	229
		13	महोबा	200	72	355.00	55	73
		14	कन्नौज	297	97	485.00	104	96
		15	झांसी	438	294	1455.00	140	4
		16	ललितपुर	329	237	1175.00	88	4
		17	जालौन	284	122	607.50	139	23
		18	चित्रकूट	122	29	145.00	8	85
		19	हमीरपुर	223	126	627.50	95	2
		20	बांदा	258	164	817.50	88	6
		21	औरैया	317	80	400.00	235	2
ओरियण्टल इं.कं. लि.	मेरठ	22	मेरठ	276	129	640.00	113	34
		23	गौतमबुद्ध नगर	51	27	135.00	11	13
		24	बागपत	99	47	230.00	30	22
		25	गाज़ियाबाद	91	35	170.00	40	16
		26	हापुड़	120	66	327.50	41	13

		27	मुरादाबाद	344	173	860.00	78	93
		28	अमरोहा	322	134	662.50	116	72
		29	रामपुर	277	131	652.50	69	77
		30	बिजनौर	386	175	862.50	122	89
		31	सहारनपुर	368	229	1132.50	136	3
		32	मुजफ्फरनगर	383	225	1120.00	137	21
		33	शामली	236	101	497.50	38	97
		34	संभल	332	157	777.50	58	117
ओरियण्टल इं.कं. लि.	बरेली	35	बरेली	324	180	892.50	58	86
		36	बदायूँ	522	224	1112.50	80	218
		37	पीलीभीत	371	211	1052.50	91	69
		38	शाहजहाँपुर	501	193	965.00	86	222
		39	लखीमपुर खीरी	746	273	1355.00	341	132
		40	फर्रूखाबाद	320	192	957.50	63	65
ओरियण्टल इं.कं. लि.	बस्ती	41	बस्ती	393	202	1002.50	177	14
		42	सिद्धार्थ नगर	165	60	300.00	69	36
		43	महराजगंज	332	127	632.50	164	41
		44	सुल्तानपुर	343	132	657.50	160	51
		45	अम्बेडकर नगर	403	163	812.50	172	68
		46	बलरामपुर	91	33	165.00	41	17
		47	श्रावस्ती	111	56	280.00	50	5
न्यू इण्डिया इ.कं. लि.	लखनऊ	48	लखनऊ	497	233	1165.00	175	89
		49	उन्नाव	656	410	2050.00	203	43
		50	रायबरेली	517	384	1920.00	89	44
		51	सीतापुर	945	582	2910.00	325	38
		52	हरदोई	854	584	2920.00	162	108
न्यू इण्डिया इ.कं. लि.	फैजाबाद	53	अयोध्या	477	254	1270.00	148	75
		54	बाराबंकी	590	354	1770.00	225	11
		55	अमेठी	264	164	820.00	65	35
		56	गोण्डा	473	322	1610.00	131	20
		57	बहराइच	515	299	1495.00	154	62
न्यू इण्डिया इ.कं. लि.	वाराणसी	58	जौनपुर	382	147	735.00	51	184
		59	भदोही	147	101	505.00	20	26
		60	आजमगढ़	557	344	1720.00	53	160
		61	गाज़ीपुर	285	199	995.00	82	4
		62	चन्दौली	251	189	945.00	60	2
		63	वाराणसी	254	201	1005.00	39	14
यूनाईटेड इं.इं.कं. लि.	गोरखपुर	64	गोरखपुर	543	314	1570.00	52	177
		65	संतकबीर नगर	201	125	625.00	25	51

		66	देवरिया	484	205	1025.00	47	232
		67	कुशीनगर	419	160	800.00	45	214
		68	बलिया	341	138	690.00	89	114
		69	मऊ	200	70	350.00	51	79
यूनाईटेड इं.इं.कं. लि.	इलाहाबाद	70	प्रयागराज	502	325	1625.00	105	72
		71	प्रतापगढ़	447	250	1250.00	122	75
		72	कौशाम्बी	306	170	850.00	75	61
		73	फतेहपुर	473	215	1075.00	129	129
		74	मीरजापुर	435	180	900.00	80	175
		75	सोनभद्र	433	370	1850.00	63	0
प्रदेश योग				**27508**	**14913**	**74335.00**	**7705**	**4890**

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वाहित बीमा योजना

दुर्घटना के उपरान्त चिकित्सा सुविधा एवं आवश्यकतानुसार कत्रिम अंगों की उपलब्धता पाक्षिक प्रगति

(बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2020 को उपलब्ध करायी गयी प्रगति के अनुसार)

बीमा कम्पनी का नाम	क्लस्टर का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल प्राप्त दावों की संख्या	स्वीकृत/ भुगतान किये गये दावों की संख्या	भुगतान किये गये दावों में निहित धनराशि (लाख रू0)	निरस्त किये गये दावों की सख्या	शेष (लम्बित)/ विचाराधीन दावों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओरियण्टल इं.कं.लि.	आगरा	1	आगरा	44	31	2.43	13	0
		2	फिरोज़ाबाद	13	7	0.87	6	0
		3	मथुरा	25	13	1.56	12	0
		4	कासगंज	27	23	2.67	4	0
		5	हाथरस	21	17	1.30	3	1
		6	अलीगढ़	67	59	4.67	8	0
		7	एटा	24	11	0.85	13	0
		8	बुलन्दशहर	31	23	1.69	8	0
		9	इटावा	29	22	1.80	7	0
		10	मैनपुरी	19	9	0.72	10	0
ओरियण्टल इं.कं.लि.	कानपुर	11	कानपुर देहात	10	3	0.63	7	0
		12	कानपुर नगर	8	5	1.06	3	0
		13	महोबा	29	18	2.09	11	0
		14	कन्नौज	5	2	0.59	3	0
		15	झांसी	14	7	0.82	7	0
		16	ललितपुर	22	7	0.55	15	0
		17	जालौन	9	6	0.96	3	0
		18	चित्रकूट	2	0	0.00	2	0
		19	हमीरपुर	12	4	0.65	8	0
		20	बांदा	17	2	0.16	15	0
		21	औरैया	1	0	0.00	1	0
ओरियण्टल इं.कं.लि.	मेरठ	22	मेरठ	4	1	0.17	3	0
		23	गौतमबुद्ध नगर	1	0	0.00	1	0
		24	बागपत	1	1	0.08	0	0
		25	गाज़ियाबाद	3	1	0.04	2	0
		26	हापुड़	0	0	0.00	0	0

		27	मुरादाबाद	11	9	4.75	1	1
		28	अमरोहा	7	2	0.16	5	0
		29	रामपुर	14	8	1.48	6	0
		30	बिजनौर	89	73	9.41	16	0
		31	सहारनपुर	3	0	0.00	3	0
		32	मुजफ्फरनगर	11	6	0.56	5	0
		33	शामली	4	2	0.16	2	0
		34	संभल	5	1	0.16	4	0
ओरियण्टल इं.कं.लि.	बरेली	35	बरेली	49	18	2.29	31	0
		36	बदायूँ	47	32	3.22	15	0
		37	पीलीभीत	48	14	1.43	33	1
		38	शाहजहाँपुर	59	31	4.11	28	0
		39	लखीमपुर खीरी	97	67	6.48	30	0
		40	फर्रुखाबाद	53	38	3.39	15	0
ओरियण्टल इं.कं.लि.	बस्ती	41	बस्ती	83	66	3.84	17	0
		42	सिद्धार्थ नगर	47	35	2.65	12	0
		43	महराजगंज	123	96	10.00	27	0
		44	सुल्तानपुर	97	54	4.02	43	0
		45	अम्बेडकर नगर	77	60	3.89	17	0
		46	बलरामपुर	52	37	2.67	15	0
		47	श्रावस्ती	37	22	1.46	15	0
	लखनऊ	48	लखनऊ	13	8	2.47	5	0
		49	उन्नाव	105	88	32.50	17	0
		50	रायबरेली	17	15	4.34	2	0
		51	सीतापुर	23	10	0.90	13	0
		52	हरदोई	97	58	7.47	39	0
न्यू इण्डिया इ.कं.लि.	फैजाबाद	53	अयोध्या	54	44	7.22	10	0
		54	बाराबंकी	16	13	2.64	3	0
		55	अमेठी	154	120	21.07	33	1
		56	गोण्डा	69	50	12.98	19	0
		57	बहराइच	62	50	6.98	12	0
	वाराणसी	58	जौनपुर	9	5	0.56	4	0
		59	भदोही	10	7	0.94	3	0
		60	आजमगढ़	13	12	2.66	1	0
		61	गाज़ीपुर	28	15	2.41	13	0
		62	चन्दौली	16	13	2.60	3	0
		63	वाराणसी	47	44	12.16	3	0
	गोरखपुर	64	गोरखपुर	39	22	1.62	17	0

		65	संतकबीर नगर	35	22	1.63	13	0
		66	देवरिया	176	155	7.19	21	0
		67	कुशीनगर	140	120	7.98	20	0
		68	बलिया	37	33	2.10	4	0
		69	मऊ	22	16	1.47	6	0
यूनाईटेड इं.इं.कं.लि.	इलाहाबाद	70	प्रयागराज	127	100	29.01	27	0
		71	प्रतापगढ़	35	16	5.61	19	0
		72	कौशाम्बी	225	170	68.41	55	0
		73	फतेहपुर	94	85	17.69	9	0
		74	मीरजापुर	310	293	61.35	17	0
		75	सोनभद्र	35	29	7.36	6	0
प्रदेश योग				**3459**	**2556**	**423.81**	**899**	**4**

पी0एस0यू0पी0-एल0 124 विधान सभा (182)-22-09-2021-76 प्रतियां (कम्प्यूटर)।